षष्ठम् माला, खंड 19, अंक 6 सोमवार, 27 नवम्बर, 1978/ 6 अग्रहायण, 1900 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिंदी संस्करण

[छठा सत्र]

6th Lok Sabha

[खंड 19 में अंक 1 से 10 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 6, सोमवार, 27 सवम्बर, 1978/6 अग्रहायण, 1900 (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या 101, 102, 104, 105, 108, 109, 113 और 114 . 1–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या 103, 106, 107, 110, 111 और 115 से 120 . 16–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 986 स 1122, 1124 से 1181 और 1183 से 1185 22–124

सभा पटल पर रख गये पत्र 125

राज्य सभा से संदेश 126

अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

देश के अनेक भागो में कोयले की कमी का समाचार—

श्री हरिकेश बहादुर . 126,128

श्री पी० रामचन्द्रन 126–129

श्री चित्त बसु . 129–130

श्री विजय कुमार मलहोत्रा . . . 130–131

भारतीय रुपये और रूबल के बीच विनिमय दर निर्धारित करने के बारे में वक्तव्य—

श्री एच० एम० पटेल . . . 131–133

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक—

पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव—

श्री सुरजीत सिंह बरनाला 133

श्री एडआर्डो फैलीरो . . 133

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 के बारे में वक्तव्य—

श्री सुरजीत सिंह बरनाला 134

नियम 377 क अधीन मामले—

(एक) सरकार द्वारा धान का वसूली मूल्य कम निर्धारित करने का समाचार—

श्री पी० राजगोपाल नायडु 134

(दो) आसाम के बारपेटा सब-डिवीजन में बंगलादेश के नागरिकों द्वारा आरक्षित भूमि पर कब्जा करने का समाचार—

श्री इस्माइल हूसैन खाँ . . 134

(तीन) चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रा की सप्लाई में तीव्र वृद्धि—

डा० वसंत कुमार पंडित 134

(चार) असामयिक वर्षा के कारण गुजरात राज्य के सुरेन्द्र नगर जिले में नमक मजदूरों की कठिनाइयों क समाचार—

श्री आर० के० अमीन 135

(पांच) एरनाकुलम से अलेप्पी (केरल) तक बड़ी रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता—

श्री वी० एम० सुधीरन 135–136

प्रो० मध दण्डवते 136

किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

1—471 L.S.S./(ND)/78

विषय	पृष्ठ
बाल नियोजन (संशोधन) विधेयक,—	
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री बी० सी० काम्बले	136–137
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	137–138
श्री रवीन्द्र वर्मा	138–142
खण्ड 2 से 5 और 1	
पास करने का प्रस्ताव—	
श्री रवीन्द्र वर्मा	142–144
मोटर यान (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री चांद राम	144–146
श्री आर० वेंकटरामन	146–149
श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी	149–151
श्री वयालार रवि	151–153
श्री रामदास सिंह	153–154
श्री भगत राम	154–155
श्री रितलाल प्रसाद वर्मा	155–156
श्री पी० त्यागराजन	156–157
श्री पवित्र मोहन प्रधान	157
श्री के० ए० राजन	157–158
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	158–159
श्री जी० एम० बनतवाला	159–160
श्री राम मूर्ति	160–162
श्री बी० सी० काम्बले	162–163
श्री दुर्गा चन्द	163–164
आधे घंटे की चर्चा—	
राज्यों द्वारा अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन—	
श्री ए० आर० बद्रीनारायण	164–165
श्री सिकन्दर बख्त	165
श्री गिरिधर गोमांगो	165
श्री ज्योतिर्मय बसु	165–168

लोक-सभा

सोमवार, 27 नवम्बर, 1978/6 अग्रहायण, 1900 (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तुगलकाबाद दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

*101. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में मकानों को गिराने की कार्यवाही की जानकारी है जिसमें मकानों के वैध कब्जाधारियों द्वारा विरोध के बावजूद एक हजार से अधिक पक्के मकान गिरा दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी कार्यवाही किन कारणों से की गई जबकि ये आश्वासन दिए जा चुके थे कि उन निर्माणों को नहीं गिराया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 282 संरचनाएं गिराई जिनमें अधिकतर चहार दीवारें तथा अर्ध-पक्के एकक थे जो सरकारी भूमि पर गैर-कानूनी तौर पर बनाए गए थे। इनके अतिरिक्त 21 नवम्बर, 1978 को 10 कमरे, 3 झुग्गियां और 2 चहार दीवारों भी गिराई गई थी क्योंकि इनका पुनर्निर्माण किया गया था ।

(ख) ये न केवल हाल ही में बनाए गए अनधिकृत निर्माण थे बल्कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भी थे । ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि इन्हें गिराया नहीं जायेगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में जो वक्तव्य दिया है उसमें बहुत सी सूचना गलत है और बहुत सी बातों में अस्पष्ट है । पहले तो मैं यह चाहूंगा कि वह इन तथ्यों को कबूल करें, जैसे कि उन्होंने 1977 में यह आश्वासन दिया था कि उस माह के अन्त तक जो मकान बन चुके हैं उन्हें नहीं गिराया जाएगा, कि 1000 मकान गिरा दिये गए हैं और उन्हें कोई नोटीस भी नहीं दिया गया, उनमें से लगभग 141 मकान मालिक आवास कर दे रहे थे, उनमें से अधिकांश के पास राशन कार्ड और मालिकाना दस्तावेज हैं, मकानों का निर्माण नीजि भूमि पर किया गया था, आठ मामले हैं जिनमें उच्च न्यायालय के स्थगन-आदेश के बावजूद मकान गिरा दिए गए । इन तथ्यों को कबूल करना उनके लिए बेहत्तर होगा क्योंकि मैं यहां एक 'डिमांड-नोट' पेश कर रहा हूं जिसमें 1 अप्रैल, 1976 से किराए के भुगतान की मांग की गई है। एक व्यक्ति जिसका नाम राम बालक है वह तुगलकाबाद एक्सटेंशन में मकान नं० आरजेड/68 में रह रहा था । उसका रिहायसी मकान गिरा दिया गया है । उसका मालिकाना दस्तावेज मेरे पास है । उसके बाद, अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी की एक सूचना है । यह बस्ती चूंकी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नहीं ली गई है, इसलिए यह निजी भूमि है । अन्त में, एक स्थगन आदेश पेश कर रहा हूं जो सुरेश कुमार बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री गोस्वामी द्वारा दिया गया है, जिसमें 24 अक्तूबर, 1978 को मकान न गिराया जाने का स्थगन आदेश दिया गया था । उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद, इन मकानों को गिरा दिया गया । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सभी तथ्यों को सदन के समक्ष स्वीकार करें और सदन से क्षमा मांगे । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार ने यह पाशविक तथा अमानवीय कार्य क्यों किए हैं जो पाशविकता में तुर्कमान गेट की घटना को भी पीछे छोड़ देते हैं ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यहां प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हूं, न कि कबूल करने तथा माननीय सदस्य से क्षमा मांगने के लिए ।

एक माननीय सदस्य : सदन से ।

श्री सिकन्दर बख्त : ठीक है, सदन से ही सही । जब भी कोई गलती होगी, सदन से हमेशा क्षमा मांगी जाएगी । दुर्भाग्य से, माननीय सदस्य ने अपना सवाल ऐसे ढंग से पूछा है कि उसमें कुछ बातों के जवाब की जरूरत ही नहीं है । उन्होंने अभी अभी जो कुछ कहा है, यदि उन विशेष दृष्टांतों के बारे में उन्होंने ये सवाल पूछे होते तो उनका जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होती । वह कहते हैं कि क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराए जाने की कार्रवाई का पता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराए जाने के बारे में मैं ब्यौरे तथा आंकड़े दे चुका हूं । इस सम्बन्ध में स्थायी समिति के अध्यक्ष के वक्तव्य में यह स्पष्ट कर लिया गया है कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वहां मकान थे और जहां मकान कर दिया जाता है वहां मकान हैं और उसमें से कोई भी मकान नहीं गिराया गया है । नगर निगम द्वारा भी अन्य मकान गिराए गए । इनकी संख्या 362 थी और उनका निर्माण जून, 1977 के बाद किया गया था । ऐसा लगता है कि शायद माननीय सदस्य ने उस वक्तव्य को नहीं देखा है या उससे उनके ध्यान में नहीं लाया गया है । सरकार ने केवल उन मकानों के बारे में आश्वासन दिया था जिनका निर्माण 30 मार्च, 1977 से पूर्व किया गया था ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं अपने आरोप को पूरे बल से पुनः दोहराता हूं । मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा । क्या मंत्री महोदय उन लोगों को पूरा मुआवजा देंगे जिनके मकान जून, 1977 से पहले बनाए गए थे और जिन्हें गिराया गया था ? क्या वह उन्हें मकान पुन्हाः बनाने की अनुमति देंगे ? प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या मंत्री महोदय इस सभा को आश्वासन देंगे कि जब तक एक पूर्ण पुनर्वास योजना नहीं बनाई जायेगी तब तक दिल्ली में बिल्कुल भी मकान नहीं गिराये जायेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं कि 30 जून, 1977 के बाद सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से जो मकान बनाये गए है, उनको अवश्य गिराया जायेगा । मैंने जो आंकड़े बताए हैं, वे निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित है और मेरा विश्वास है कि वे बिल्कुल सही है ।

डा० सरदीश राय : गिराये गए इन मकानों में से कुछ का मूल्यांकन नगर निगम द्वारा किया गया है । मकान गिराने का काम नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण–दोनों ही द्वारा किया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि उनमें से कुछ के पास भूमि खरीदने के कानूनी दस्तावेज हैं और कुछ समय पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जारी किए गए अपने पत्र में कहा था कि "यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता ?" यह पत्र जुलाई, 1978 के लगभग जारी किया गया था । इसके बावजूद भी बिना कोई नोटिस दिए इन मकानों को गिराया गया है । इसके अलावा उन लोगों को इसके बदले कोई जगह नहीं दी गई । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह व्यक्तिगत रूप से इन सब मामलों की जांच करें ताकि यदि किसी गलत कार्य का पता चले तो वह इन सब मामलों को ठीक कर सके । उच्च न्यायालय ने मकान गिराने पर प्रतिबंध लगा रखा है ।

श्री सिकन्दर बख्त : दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जो मकान गिराये जाते हैं, उनके साथ नगर निगम द्वारा गिराए गए मामलों को भी मिलाया जा रहा है । दोनों की प्रक्रियाएं पूरी तरह भिन्न है । जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गिराए गए मकानों के प्रश्न का सम्बन्ध है, उस में मकान कर या इमारत कर की कोई बात नहीं होती । उन अंतिक्रमणों का सम्बन्ध दिसम्बर, 1977 के बाद की अवधि से है । किन्तु नगर निगम द्वारा मुझे दी गई जानकारी के अनुसार ...

डा० सरदीश राय : उस तिथि से पहले निर्मित किए गए ...

श्री सिकन्दर बख्त : नगर निगम द्वारा मुझे दी गई जानकारी के अनुसार इस तरह का कोई मकान नहीं गिराया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु कोई विशिष्ट मामला आपके ध्यान में नहीं लाया गया ।

श्री सिकन्दर बख्त : मेरे ध्यान में कोई विशिष्ट मामला नहीं लाया गया ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : प्रश्न के उत्तर को एक प्वाइन्ट पर स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रश्न कर्ता ने एक प्रश्न पूछा था और स्पैसेफिक उदाहरण दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा स्टे-आर्डर था और उन्होंने एक नाम भी बताया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट के द्वारा स्टे-आर्डर दिया गया था तो उस मकान को क्यों गिराया गया ?

दूसरे यह तो ठीक है कि उन्होंने इललीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया था इसलिए सरकार ने गिरा दिया, लेकिन गिराने से पहले क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया कि वह मकान जिस लैन्ड पर बने हुए हैं, वह प्राइवेट लैन्ड है या सरकार की लैन्ड पर एन्क्रोचमैन्ट है, या उनको लीगलाइज किया जा सकता था या किसी तरह से नुकसान बचाया जा सकता था। दिल्ली की यह एक प्राबलम है कि यहां पर मकान रहने को नहीं मिलता है तो क्या उनसे कुछ सेटिलमेंट कर के इस समस्या को हल किया जा सकता था ?

श्री सिकन्दर बख्त : डी० डी० ए० ने जो 282 स्ट्रक्चर गिराए है, वह गवर्नमेन्ट लैंड पर एन्क्रोचमेंट थे, प्राइवेट लैन्ड का सवाल इसमें नहीं है। अब एक तो लैन्ड पर इन्क्रोचमेन्ट है और दूसरे रीसेन्टली ही अन-अॅथाराइज्ड कन्स्ट्रक्शन की गई थी। दूसरे यह कि प्राइवेट लैन्ड पर भी अन-अॅथाराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कानून के मुताबिक नहीं किया जा सकता है, यह बात मैं बार-बार साफ कर चुका हूं। इसके अलावा जहां तक स्टे-आर्डर का ताल्लुक है, मेरे पास उसकी कोई इत्तिला नहीं है।

पब्लिक स्कूलों में प्रबन्ध

*102. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पब्लिक स्कूलों के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय पब्लिक स्कूलों का प्रबन्ध संभाल रही समितियों/संगठनों से कोई विचार-विमर्श हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विचार क्या है और इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(ध) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० आर० दामानी : मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार देश में पब्लिक स्कूलों को अपने अधिकार मे लेने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर है "जी, नहीं"।

श्री एस० आर० दामानी : मेरे प्रश्न के 'ख' भाग का उत्तर "प्रश्न नहीं उठता" दिया गया है। इस सम्बन्ध में मै बिहार के मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकूर के वक्तव्य को पढ़ता हूं उनके वक्तव्य से स्पष्ट है ...

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने बताया है कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है ...

श्री एस० आर० दामानी : उन्हों ने कहा।

"सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेन्द्र देव क जन्म दिवस पर मुख्य मंत्री श्री कर्पुरी ठाकर न कहा कि बिहार में ये कथाकथित पब्लिक स्कूल अगले वर्ष एक जनवरी से इस रूप में नहीं रहेंगे जैसे वे अब है"

वे आगे कहते हैं :

"इस निर्माण को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों के हल के लिए सरकार कानुनी संविधानिक सलाह लेगी'।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है और क्या राज्य और केन्द्र की राय में इस सम्बन्ध में अन्तर है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जैसा मैं पहले बता चका हूं श्री कर्पूरी ठाकूर इस सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते । फिर श्री कर्पूरी ठाकूर ने कहा है कि संविधानीक स्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा । इस सरकार अर्थात केन्द्र सरकार ने विधि मंत्रालय से संविधानिक स्थिति का पता लगा लिया है । हमें परामर्श दिया गया है कि जहां तक अल्प संख्यांकों द्वारा चलाया जा रहे पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, यह अनुच्छेद 30 का उल्लंघन होगा और अन्य के सम्बन्ध में ऐसा करने पर अनुच्छेद 19(छ) का इस समय हम जिस नई शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमने सुझाव दिया है कि समान स्कूल पद्धति होगी और हमें पब्लिक स्कूलों को भी इसमें शामिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। सम्भव है बातचीत के द्वारा हम इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर सकें ।

श्री एस० आर० दामानी : क्या मंत्री महोदय को इन पब्लिक स्कूलों में ली जाने वाली बड़ी फीसों का पता है। ये केवल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते है और इस प्रकार वे एक नए वर्ग का निर्माण करेंगे। क्या मंत्री महोदय किसी ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे या एक स्कूल द्वारा ली जाने वाली अधिकतम फीस निर्धारित करेंगे ?

डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र : सरकार को इस बात की जानकारी है। और इस पर शिक्षा मंत्रियों की बैठक में चर्चा की गई थी और उनके सम्मुख इसे इस रूप में रखा गया था।

"कुछ स्कूल जैसे पब्लिक स्कूल अधिक फीस लेते हैं और सार्वजनिक शिक्षा पद्धति से अलग-अलग रहते हैं। इन संस्थाओं को हो सकता है राज्य से सहायता न मिलती हो।

जबकि कुछ संस्थाएं सीधे या राज्य द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को प्रवेश देते हैं, इन स्कूलों में केवल विशिष्ट और सम्पन्न लोग ही प्रवेश दिला सकते हैं। इन संस्थाओं को भी सार्वजनिक शिक्षा पद्धति में शामिल करना आवश्यक है। अतः इनका देश के सामान्य स्कूलों में विलीनीकरण किया जाए। सरकार इस बात का समर्थन करती है ।"

हम समस्या पर विचार कर रहे ह और सोच रहे हैं कि किस प्रकार संविधानिक सीमाओं को ध्यान में रख कर ऐसा किया जाए ।

श्री हरिकेश बहादूर : यह सिद्ध हो चुका है कि ये पब्लिक स्कूल सामन्ती नौकरशाह पैदा करते हैं। पता नहीं सरकार उन्हें अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे कम से कम इनका पुनर्गठन करने की कोई योजना बना रहे है जिससे गरीबों को भी इनका लाभ मिल सके ?

डा0 प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं संविधान सम्बन्धी सीमाओं का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। मैंने बताया है कि हम इस पर दूसरे पहलू से विचार कर रहे हैं और इसे प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कर लिया गया है ।

श्री ए0 ई0 टी0 बैरो : क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय और तकनीकी पब्लिक स्कूलों के व्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया है ? आपके सैनिक स्कूलों समेत ऐसे 36 स्कूल हैं। क्या पब्लिक स्कूलों को चलाने की लागत केन्द्रीय विद्यालयों को दिए जाने वाले धन से बहुत अधिक है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है ।

केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के रुख को बदलना

*104. **श्री के0 टी0 कोसलराम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के रुख को बदलने के बारे में सम्बद्ध अधिकारियों और तमिलनाडु और केरल राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श किया था और क्या केरल के मुख्य मंत्री भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित तकनीकी समिति के लिए एक व्यक्ति को मनोनीत करने के लिए सहमत हो गए ह ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने उपर्युक्त समिति में काम करने के लिए एक सदस्य मनोनीत कर दिया है और क्या समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : जी, हां ।

श्री के० टी० कोसलराम : 1975 में गठित तकनीकी समिति के निर्देशपद क्या हैं और उसके सदस्यों के नाम क्या है । क्या तमिलनाडु सरकार ने इन नदियों के फालतू पानी का उपयोग सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजा है और क्या राज्य सरकार ने इस पर व्यय होने वाले कुछ करोड़ रुपये का समूचा व्यय स्वयं उठाने का वादा किया है तथा क्या 1 टी एच टी फिट पानी से 10,000 टन धान पैदा होता है और 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : तकनीकी समिति के गठन के बाद से उसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 2 अगस्त, 1978 को हुई थी। दूसरी 4 सितम्बर को और तीसरी 20 अक्तूबर को। अगली बैठक के लिए 5 दिसम्बर की तारीख तय की गई है। इस समिति की स्थापना सम्बन्धित राज्यों की सहमति से ही की गई है और जब वे राज्य इन नदियों के पानी को पूर्व की ओर मोड़ने को सहमत हो गए।

श्री के० टी० कोसलराम : क्या केरल सरकार ने तिरूनेलवेली में 90,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए समुद्र में बेकार बह जाने वाले 41 नदियों के पानी का उपयोग किए जाने की मांग की है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसके लिए मुझे अलग से सूचना देने की आवश्यकता है।

श्री के० गोपाल : कुछ वर्ष पहले संसद के 100 सदस्यों ने जल को समवर्ती सूची में रखे जाने की मांग की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान प्रधान मंत्री ने भी यही कहा है कि जल एक राष्ट्रीय सम्पदा है और इसे राज्यों के भरोसे न छोड़ा जाए। यदि 41 में से केवल तीन नदियों के पानी को मोड़ दिया जाए तो वे कन्याकुमारी, तिरूनेलवेली, रामनाथपुरम और मदुरई जिलों की सिंचाई कर सकती है। इसलिए क्या आप इन तीन नदियों का पानी मोड़ने के लिए केरल सरकार से अनुरोध करेंगे। क्या सरकार जल को राष्ट्रीय सम्पदा मानने पर गम्भीरता से विचार करेगी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : तकनीकी समिति कुल जल की मात्रा, फालतू पानी की मात्रा और इसे कैसे मोड़ा जा सकता है इस सबका पता लगाने के लिए ही गठित की गई है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : केरल फालतू पानी तमिलानाडु को देने के विरूद्ध नहीं है, पर इन प्रश्नों से लगता है कि केरल की अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार में खार पानी की समस्या है। जब तक पानी नहीं निकाला जाता समूचा क्षेत्र उससे प्रभावित रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय आपने सरकार को बहुत जानकारी दे दी । (**व्यवधान**)

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : मेरा सुझाव है कि पानी को मोड़ने के साथ-साथ हमें भी तमिलनाडू में जा कर बसने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यहां यह प्रश्न नहीं है ।

श्री बी० राचैया : यद्यपि समिति का गठन 1976 में हुआ , प्रगति बहुत कम हुई है। समिति के कब तक प्रतिवेदन देने की आशा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : केरल के सदस्य को पहली जुलाई, 1978 को मनोनीत किया गया और इसके बाद तीन बैठके हो चुकी है और चौथी 5 दिसम्बर को निश्चित की गई है।

मछली पकड़ने के सुस्थापित नियमों का उल्लंघन

***125. श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विरोध-मोर्चों, भूख-हड़तालों और अन्तिम रुप के इस आशय के सरकारी आश्वासनों के बावजूद कि परम्परागत मछुओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, मछली पकड़ने के सुस्थापित नियमों का उल्लंघन अभी भी जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मछली पकड़ने के ऐसे कोई सुस्थापित नियम नहीं हैं । भारत सरकार ने राज्य सरकारों के विचार के लिए केवल कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव ही दिया है । अधिकांश समुद्रतटीय राज्यों ने सिद्धांत रूप से इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने प्रशासनिक आदेशों के जरिए इन सुझावों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठा लिए हैं । पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात जैसें कुछ राज्यों में विवाद की कोई गंभीर समस्या नहीं पाई गई और उनकी राय है कि वैधानिक समर्थन के बिना मार्गदर्शी सिद्धांतों को कानूनी रूप सें लागू करना कठिन होगा ।

मत्स्य-ग्रहण क्षेत्रों के सीमांकन सम्बन्धी समिति द्वारा तैयार किए गए "समुद्रीय मत्स्य-ग्रहण विनियमन विधेयक" का प्रारूप विधि मंत्रालय को भेजा गया था और उनकी राय है कि समुद्रतटीय राज्य अपने आप कानून बनाने पर विचार कर सकते हैं और केन्द्र समुद्रतटीय राज्यों के राज्य विधान मंडलों द्वारा संकल्प पास करने के पश्चात केन्द्रीय कानून बनाने के लिए अनुरोध करने पर ही कानून बना सकता है । तदनुसार राज्यों सें परामर्श किया जा रहा है ।

श्री वयालार रवि : मुझे खुशी है कि सरकार को मामले की गम्भीरता की जानकारी है । कानून का मसौदा तैयार करने की बात तो दूर रही इसके कार्यान्वयन में ही विलम्ब हो रहा है ।

सभी समुद्र तटों पर गोआ, कर्नाटक तथा अन्य क्षेत्रों में ऐसा प्रतिदिन होता रहता है । हम समुद्री उद्योग के यंत्रीकरण का स्वागत करते हैं क्योंकि इस पर लाखों मच्छुओं की जीवित निर्भर करती है । लेकिन सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिये । इस सम्बन्ध में क्या मैं मंत्री महोदय सें जान सकता हूँ कि आपने यद्यपि विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है, तो भी इस मामले को निपटाने के लिये आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सुरजीतसिंह बरनाला : हमने सब राज्य सरकारों को लिख लिया है लेकिन कुछ राज्य सरकारों से हमें उत्तर नहीं आये हैं । हम इस मामले को उनके साथ उठा रहे हैं ।

श्री वयालार रवि : सरकार ने विधेयक को पास करने के बाद तट सुरक्षा योजना लागू कर ली है । क्या मैं मंत्री महोदय सें पूछ सकता हूँ कि विधेयक के पास होने तक यंत्रीकृत नावों तथा परम्परागत नावों क मच्छुओं के बीच झगड़ों को टालने के लिये तट रक्षकों की तैनात किया जायेगा ताकि वर्तमान सीमांकन को बनाये रखा जा सके ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमने गोआ को छोड़कर और कहीं सें भी शिकायतें प्राप्त नहीं की हैं । गोआ में उस आदेश को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है और मच्छुओं की पंचायत ने एक समितियां भी बनायी गयी हैं और पुलिस की सहायता भी ली जाती है ।

श्री पी० एम० सईद : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है राज्यों को केन्द्रीय कानून की मार्गदर्शी बातों के बारे में लिख दिया गया है । यह प्रश्न केवल परम्परागत मच्छुओं का ही नहीं है । जहां तक लक्षद्वीप का सम्बन्ध है तिवान में परम्परागत मच्छुए ही नही बल्कि जापानी तथा स्थानीय मच्छुओं के बीच भी मिडल हुई है । क्या मंत्री महोदय, कानून बनाते हुये इस पहलू को भी ध्यान में रखेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमे लक्षद्वीप सें सूचना मिली है । उन्होंने कहा है कि वहां कोई विवाद नही है और क्षेत्रों के सीमांकन की कोई आवश्यकता नही हैं । अन्य देशों द्वारा मच्छली मारने का जहां तक सम्बन्ध है, हम इस बात का ध्यान रखेंग कि वे हमारी जल सीमा सें बाहर रहें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा पटल पर रखा गया मंत्री महोदय का विवरण निस्सार है क्यों याचिका समिति के विचाराधीन एक याचिका पड़ी है और मुझे पूरा निश्चय है कि याचिका समिति ने कृषि मंत्रालय के कर्मचारियों को याचिका की भी सत्यता सम्बन्धी जानकारी देने के लिये बुलाया है ।

पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के मच्छुओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में बहुत से संसद सदस्यों को मिला था और प्रधान मंत्री को एक याचिका भी प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने कहा है :—

"हमारे अधिकारों पर ऐसी 400 यंत्रीकृत नावें तथा ट्रालर हमला कर रहे हैं जो गहरे पानी में जाकर झींगा मच्छली पकड़ कर जापान तथा अमरीका को इसका निर्यात करते हैं, ऐसा करते समय वे मच्छली के अंडों को मारते है तथा प्रजनन स्थलों को नष्ट करते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मच्छली के अंड़ों को मारने तथा प्रजनन स्थलों को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ? क्या वे सभा को यह भी बतायेंगे कि यह प्रचलित 5–फोदम नियम क्या है और इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मार्गदर्शी बातों में कहा गया है कि तट से 5 किलोमीटर दूर तक केवल परम्परागत मच्छुऐ ही मच्छलियां मार सकते हैं। पांच से दस किलोमीटर तक छोटी यंत्रीकृत नांवे चल सकती हैं और दस किलोमीटर से बाहर 25 टन से अधिक के जहाज या नावें चल सकती हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा गुजरात का सम्बन्ध है, इन राज्यों ने हमें लिखा है कि वहां कोई झगड़ा नहीं है और इसे कार्यान्वित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक मच्छली के अंडों तथा प्रजनन स्थलों को नष्ट करने का सम्बन्ध है, मैं इस ओर ध्यान दूंगा।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को प्लाटों का आबंटन

*108. **श्री के० गोपाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में प्लाटों के आबंटन के लिए सुपात्र घोषित किये गये पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) एसोसियेशन का सुझाव युक्तिसंगत नहीं समझा गया है।

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय ने सुझाव को यह कह कर बड़ी आसानी से टाल दिया है कि यह व्यवहारिक नहीं है। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1966 में पंचायत ने वचन दिया था कि 2794 व्यक्तियों को प्लाट दिये जायेंगे। 2000 व्यक्तियों को प्लाट दिये गये। केवल 794 व्यक्तियों को प्लाट नहीं दिये गये। 80 प्लाटों की पर्चियां निकाली गयीं। शरणार्थियों के मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पंजाब के शरणार्थियों के पुनर्वास के मामले में भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे यह कहने का खेद है कि मंत्री महोदय ने प्रतिनिधि मंडल को यह कहा कि बंगालियों के लिये कोई दिल्ली में स्थान नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित चित्तरंजन पार्क या किसी अन्य कालोनी में प्लाट देने के बारे में विचार करेंगी ?

श्री सिकंदर बख्त : माननीय सदस्य द्वारा यह कहना उचित नहीं है कि इस योजना पर केवल कुछ ही व्यक्तियों के बारे में विचार किया गया। लगभग 2000 प्लाट विकसित किये गये। आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये और 1750 आवेदन पत्रों में से 1453 आवेदकों को इस योग्य समझा गया। उन सभी को प्लाट दिये गये। जब भी कुछ प्लाट हैं। 13 अगस्त, 1967 को पुनः आवेदन पत्र मांगे गये। 752 आवेदन पत्रों मे से 467 इसके लिये योग्य समझ गये। उन सभी को प्लाट दिये गये। 82 प्लाट अब भी हैं। करार के मूल भाग को शर्तों को पूरा किया गया है। उनमें से जितने लोगों ने आवेदन पत्र दिये उन्हें प्लाट दिये गये। केवल 82 प्लाट रह गये थे जिनके लिये 794 आवेदन पत्र आये। अतः इस योजना के दायरे को बढ़ाना सम्भव नहीं है। 450 वर्ग गज के पांच प्लाट और 533 वर्ग गज के 50 प्लाट अब भी हैं। तीन योजनायें विचाराधीन हैं। पहली यह कि क्या उनके छोटे प्लाट बनाये जा सकते है ? यदि 160 वर्ग गज के प्लाट बनाय जायें तो 100 से 120 व्यक्तियों को प्लाट दिये जा सकते हैं और यदि इन्हें बहुमंजिली इमारतों के लिये उपयोग में लाया जाये तो लगभग 300 व्यक्तियों की मांगे पूरी हो सकती हैं। अतः इस क्षेत्र का उपयोग अधिक व्यक्तियों के लिये किया जा सकता हैं। फिर भी सब की मांग पूरी नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : ये कहते हैं कि आपने कहा है कि बंगालियों के लिये यहां कोई स्थान नहीं है और आप भेद-भाव कर रहे हैं।

श्री सिकंदर बख्त : जो योजना बनी उसे पूर्णतः लागू किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन क्या आपने ऐसा कहा है कि बंगालियों के लिये यहां कोई स्थान नहीं हैं ।

श्री सिकंदर बख्त : चित्तरंजन पार्क कालोनी पूर्वी बंगाल विस्थापितों की कालोनी है । अतः ऐसा कहना गलत है कि उनके लिये यहां कोई स्थान नही है ।

श्री के० गोपाल : मैं इस बात को नहीं मानता कि उन्होंने कुछ विस्थापितों को बसाया है । बात ऐसी नहीं है । मापदंड यही था कि 4 सालों से रोजगार पर लगे लोग ही इसके योग्य होंगे । इस बारे में कोई भी संख्या निश्चित नही की गयी ।

मेरे अनुपूरक प्रश्न के उस दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया जिसमें पूछा गया कि क्या आप इन विस्थापितों को अन्य जगह बसाने के लिये तैयार है ?

श्री सिकंदर बख्त : जो लोग इस योजना के अंतर्गत योग्य थे, उन्हें प्लाटों का आबंटन किया गया है । चितरंजन पार्क में जमाने का और अधिक विकास करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री के० गोपाल : आपने अब भी उत्तर नहीं दिया । आपकी योजना 31 मार्च 1966 तक पिछले चार वर्षों से रोजगार पर लगे लोगों का पुनर्वास करने की थी । क्या मै ठीक हूं या नही ? यही मापदंड था । मापदंड प्रार्थना पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी नही था कोई आवेदन पत्र पहले दे सकता है और कोई बाद में दे सकता है ।

तो क्या आप चित्तरंजन पार्क ही नहीं कही और स्थान पर प्लाट देने पर विचार करगे ?

श्री सिकंदर बख्त : ये बिलकुल ठीक कह रहे है लेकिन तिथि ठीक नहीं है । पहली तिथि 31 मार्च, 1958 की थी, जो बाद में बढ़ायी गयी क्योंकि कुछ प्लाटों का आबंटन नहीं किया गया था । इसलिये तिथि 31 मार्च, 1966 तक बढ़ायी गयी । लेकिन कुल उद्देश्य इस सारी कालोनी को पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की कालोनो में परिवर्तित करना था ।

श्री के० गोपाल : मैं पूछता हूँ कि क्या उन्हें चित्तरंजन पार्क के इलावा और किसी दूसरे क्षेत्र में बसाया जायेगा ?

श्री सिकंदर बख्त : यह केवल चित्तरंजन पार्क के शेष 82 प्लाटों 533 वर्ग गज के 50 प्लाटों तथा 480 वर्ग गज के 5 प्लाटों के बारे में ही किया जा सकता है । सरकार किसी अन्य योजना पर और विचार नहीं कर रही हैं ।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : उन लोगों को जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे सरकार ने मकान बना कर दिए थे और उनकी कीमत इंस्टालमेंट में ली थी । ईस्ट बंगाल के जो रिफ्यूजी हैं उन में से आधों को तो सरकार ने मकान बना कर दिए हैं और बाकी आधे ऐसे हैं जो अपने पास से पैसा खर्च करके मकान नहीं बना सकते है और इस वास्ते क्या गवर्नमेंट उनको खुद मकान बना कर दगी डी०डी०ए० या वर्क्स मिनिस्टरी की मार्फत और उनसे इंस्टालमेंट मे पैसा वसूल करेगी ? क्या इस तरह की पालिसी आप अपनाएंगे ?

जो एलिजिबल हैं और जिन को बसाने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उन को अगर चितरंजन पार्क में रिहैबिलिटेड नहीं किया जा सकता है तो दिल्ली के दूसरे इलाकों में जहां डी० डी० ए० हजारों फलैट बना रही है उन में से दो ढ़ाई सौ निकाल कर इन को रिहैबिलिटेड् किया जाएगा ? जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए इन दोनों चीजों पर क्या सरकार गौर करेगी ?

श्री सिकंदर बख्त : पहली चीज तो यह है कि इस पर्टिकुलर कालोनी में मकान बनाकर देने की स्कीम सिर्फ सीमित थी और उस हद तक जो प्लाट 533 एक्वायर मीटर के या 450 स्क्वायर मीटर के बताये उनके बारे मे सोचा यह जा रहा था कि डी० डी० ए० मल्टी स्टोरीड फ्लैट बनाकर हायर-पर्चेज बेसिस पर ईस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को दे । जो बताया गया कि 250 प्लाट और निकाले जायें, वह मसला गवर्नमेंट के जेरे-गौर है ।

श्री चित्त बसु : प्रश्न बहुत ही स्पष्ट तथा साधारण है । प्रश्न यह है कि पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की पुनर्वास सम्बन्धी पात्रता के बारे में है । पात्रता सम्बन्धी पद्धति तो वही है जो कि पहले पुनर्वासित लोगों के बारे में अपनाई गई थी । परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार सभी पात्रता प्राप्त लोगों को विशेष रूप से ऐसे मामले में, पुनर्वासित करने के लिए कटिबद्ध नहीं है, यही

कारण है कि सरकार 690 विस्थापितों के पुनर्वास से, पीछे हट रही है । सरकार ने 4 अगस्त, 1978 को इसी सदन में यह वक्तव्य दिया था कि पुनर्वास के योग्य सभी व्यक्तियों का पुनर्वास किया जायेगा । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार अपने आश्वासन से पीछे क्यों हट रही है ?

श्री सिकन्दर बख्त : सरकार अपने आश्वासन से पीछे नहीं हट रही है । जहां तक इस योजना विशेष का सम्बन्ध है, यह योजना पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से अलग लोगों के पुनर्वास के बारे में है । यह वास्तव में एक विशेष योजना है, जिसे कुछ विशेष कारणों से ही आरम्भ किया गया था । यह ठीक है कि यह पुर्नवास से सम्बद्ध है परन्तु इन शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया था ।

श्री विजय सिंह नाहर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि यह लोग पात्रता प्राप्त हो तो क्या उनका पुनर्वास दिल्ली में करने का आश्वासन दिया गया था ? मंत्री महोदय इस योजना विशेष की बात कर रहे हैं । मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस योजना विशेष के अन्तर्गत इन लोगों का पुनर्वास किया जायेगा ? क्या इन लोगों का पुनर्वास इसी योजना के अन्तर्गत किया जायेगा या भविष्य में उनके लिए कोई और योजना बनाई जायेगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : पुनर्वास के प्रश्न को फिर से ऐसे नहीं उठाया जा सकता जैसे कि इसे 1948 में उठाया गया था । यह प्रश्न 1966 में उठाया गया था तथा जो भी कोई व्यक्ति जिस किसी भी श्रेणी में आता था या जिसके भी योग्य था, उसे वह दे दिया गया था । इस कार्य को निरन्तर रूप से नहीं चलने दिया जा सकता ।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना

*109. **श्री प्रद्युम्न बल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् भारत की वैज्ञानिक शक्ति का निर्माण करने के लिए स्कूलों के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए उक्त परिषद् प्रत्येक वर्ष कितनी राशि खर्च करती है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना वाले बहुत से छात्र विदेशों में अध्ययन के लिए चले जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना वाले इन छात्रों को प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हाँ ।

(ख) लगभग 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् उन राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रों की संख्या के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखती है, जो उच्च अध्ययन के लिए विदेश चले गए हैं । तथापि अब तक 90 छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं ने विदेशों में अध्ययन के लिए रा० वि० प्र० खोज छात्रवृत्ति को जारी रखने के लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं और केवल 24 को ही साधारण सहायता दी गई है ।

(घ) क्योंकि विदेशों में अध्ययन करने को प्रतिभा पलायन के रूप में नहीं समझा जाता है, इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार का कोई कदम उठाने का विचार नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न बल : श्रीमानजी राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का प्रमुख कार्य सेकेन्डरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के बारे में नीति निर्धारण करना है । मुझे इस बात के अनेक प्रमाण मिले है जिसके आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में बहुत अधिक पक्षपात तथा भाई–भतिजावाद पिछले कुछ वर्षों से चलता आया है। यह संस्था जिसकी स्थापना मुख्य रूप से देश में शिक्षा पद्धति की देख-रेख के लिए की गई थी, उसने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है । उदाहरणार्थ मंत्री महोदय ने बताया है कि विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां देने का कोई उपबन्ध नहीं है । मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि जब प्रो० नुरुल हसन थे, तो क्या उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् योजना के अन्तर्गत विदेश

जाने वाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी नीति की व्याख्या नही की थी, यदि हां तो क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि प्रो० नुरुल हसन के बच्चों को इसी प्रकार की योजना के अन्तर्गत ही विदेश भेजा गया था ? क्या उन्हें यह लाभ राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं मिल रहा था ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा यह छात्रवृत्ति विज्ञान के अध्ययन हेतु दी जाती थी । अब इस छात्रवृत्ति का कार्यक्षेत्र व्यापक कर दिया गया है जिसमें विज्ञान के साथ-साथ इंजीनियरिंग, औषध, सामाजिक विज्ञान तथा कृषि विज्ञान को भी शामिल कर लिया गया है । अब इसमें से कुछ विद्वान विदेश जाना चाहते थे । केवल 90 ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वान है, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् से विदेशों में पढ़ने के लिए यह छात्रवृत्ति जारी रखने का अनुग्रह किया है । इनमें से 24 को सीमांत लाभ दे दिये गये हैं । किसी मंत्री विशेष के पुत्र को यह लाभ दिया गया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । इसके लिए मुझे नोटिस चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें उसके लिए नोटिस चाहिये ।

श्री प्रद्युम्न बल : यह मेरा पूरक प्रश्न नहीं है अपितु यह तो मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर मे ही सम्बद्ध प्रश्न है । मंत्री महोदय द्वारा अपने मूल वक्तव्य में सीमांत लाभ का उल्लेख किया गया था । उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि सीमांत लाभ से उनका तात्पर्य क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री प्रद्युम्न बल : ऐसे कितने छात्र है जिन्हें गत पांच वर्षों के दौरान एन० सी० ई० आर० टी० की छात्रवृत्ति मिली है और उनमें से मंत्रियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राजनीतिक नेताओं जैसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पुत्र तथा सम्बन्धी कितने है तथा ऐसे छात्रों की क्या संख्या है जो कि साधारण परिवारों के हैं । एन०सी०ई०आर०टी० में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखकर क्या मंत्री महोदय एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे, जिससे कि संसद सदस्य भी सम्मिलित किए जायेंगे और जो इस राष्ट्रीय प्रतिभा की छात्रवृत्ति को प्रदान करने में एन०सी०ई०आर०टी० के सभी कार्यों की जांच करेगी। क्या एन०सी०ई०आर०टी० से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र यदि विदेशों में जाकर वापस नहीं आते हैं तो इससे बहुत राष्ट्रीय हानि होती है । क्या मंत्री जी यह वचन देंगे कि आगे से इसे रोकने के लिए कदम उठायेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक प्रश्न संख्या एक का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरे पास यहां कोई रिकार्ड नहीं है । इसलिए यदि इसके लिए वह सूचना देंगे तो मैं उत्तर दे सकता हूं । जहां तक उनके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज को एन० सी० ई० आर० टी० की गतिविधि पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है और एक रिपोर्ट पर विचार हो रहा है और तदनुसार कदम उठाये जायेंगे । जहां तक संसदीय समिति का सम्बन्ध है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता कि ऐसा करना आवश्यक है । संसद सदस्यों के लिए कई और बेहतर कार्य करने के लिए हैं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : ये जितने विद्यार्थी आप की छात्रवृत्ति लेकर विदेशों में गए हैं क्या इन विद्यार्थियों के भेजने में आपने शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो कोटा आल इंडिया सर्विसेज में निर्धारित होता है उस आधार पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के विद्यार्थियों को भी भेजा है । यदि भेजा है तो कुल विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं ? यदि नहीं भेजा है तो उसका कारण क्या है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मान्यवर, विदेशों में पढ़ने के लिए 3150 योग्य थे, उनमें से 90 एवार्डीज ने स्कालरशिप चालू करने के लिए दरख्वास्त दी थी। उनमें से सिर्फ 24 को यह स्कालरशिप दी गई बाहर पढ़ने के लिए । शेड्यूल्ड कास्ट का जहां तक सवाल है अगर वह उसके लिए नोटिस दें तो मैं बता सकता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं ने पूछा था कि वे फिक्स्ड कोटा शेडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए उस के आधार पर उन के लिए रिजर्वेशन किया या नहीं किया?

डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र : इस प्रश्न से अनुसूचित जातियों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं बिना तैयारी के उत्तर नहीं दे सकता । मुझे सूचना की जरुरत है ।

श्री राम देनी राम : : मेरा प्रश्न है कि आजादी के बाद फारेन कन्ट्रीज में विद्यार्थियों को भेजने के मामले में हरिजनों तथा आदिवासियों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं गया है, फेवरिटिज्म के आधार पर ऊंचे वर्ग के विद्यार्थियों को ही भेजा गया है —— क्या यह बात सही है या नहीं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मेरे पास इस बारे में आंकड़े नहीं है ।

आंध्र प्रदेश से प्राप्त सिंचाई परियोजनायें

*113. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की योजनाएं क्या हैं और 31 अक्तूबर, 1978 तक कितनी मंजूर कर दी गई और कितनी अभी तक विचाराधीन हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : एक विवरण सभा–पटल पर रखा गया है।

विवरण

पहली योजना अवधि से 31 अक्तूबर, 1978 तक आन्ध्र प्रदेश सरकार से 15 बृहद और 77 मध्यम स्कीमें अनुमोदन के लिए प्राप्त हुई थीं । इनमें से 10 बृहद और 68 मध्यम स्कीमें अनुमोदित की जा चुकी हैं । 5 बृहद और 9 मध्यम स्कीमों की इस समय जांच की जा रही है :

एक—31 अक्तूबर, 1978 तक अनुमोदित की गई बृहद् और मध्यम स्कीमों की सूची

(क) बृहद्

1. के० सी० नहर
2. तुंगभद्रा निम्न स्तरीय नहर
3. कदम
4. तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर–I
5. नागार्जुनसागर
6. पोचमपाद चरण–एक
7. तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण–II
8. गोदावरी बराज
9. वंशधारा चरण–एक
10. सोमसिला चरण–एक

(ख) मध्यम

1. बंदकेतू चैनल
2. भीमनपल्ली
3. भैरवन्तीप्पा
4. चेन्नारेस्वामीगुड़ी
5. गम्भीरमगेड़ा
7. कोइलसागर
8. कृष्णा बराज
9. लोअर सांगिललेर्
10. मालिमागुड्

विवरण—जारी

11. बागवाली दायीं ओर की नहर
12. नकल गंडी
13. नारायणपुरम एनीकट
14. पलेरु जलाशय
15. पिनचा
16. रामपेरु ड्रेनेज
17. रालपाडु चरण-दो
18. शारदा सागर
19. सीतानगरम एनीकट
20. सिद्दलगंडी
21. सिराला
22. उप्पुतेरु लोअर एनीकट
23. अपर पैन्नेर
24. विद्याराय स्वामी गुड़ी
25. वेगवती एनीकट
26. मुसी परियोजना
27. राजोलीबंध व्यपवर्तन स्कीम
28. जुतपल्ली
29. पैदगम
30. पलेरू बितरागुंटा
31. साली वागु
32. जुर्रेरू
33. लखनपुर
34. रामडागु
35. तोख्तीगुड्डा
36. स्वर्ण
37. बहुदा
38. बोटटीगेड़ा
39. एकपा
40. वराह
41. लंकासागर
42. नाल्लावागु
43. कोटिपल्लीवागु
44. गुंटूर चैनल
45. पेदनकलम
46. कृष्णापुरम
47. थांडवा जलाशय
48. कनुपुर चैनल
49. उकचत्तीवागु परियोजना
50. गनीपलम
51. गाज़लादोन्ने

विवरण—जारी

52. पुलीवंडला नहर
53. कोटनपल्ली लिफ्ट सिंचाई
54. षड्डावागु जलाशय
55. भकम्मामीदू
56. बोगुलाबागू
57. जुराला लिफ्ट
58. मद्दीगेडा जलाशय
59. पेद्दूर जलाशय चरण–एक
60. जल्लारु जलाशय
61. रान्यवदा जलाशय
62. स्वर्णमिखी गोमुखी
63. वोट्टीवागु
64. माल्लुरुवागु
65. कोनम जलाशय
66. गुंडलावागु
67. सतनाला
68. तालीपेरु

दो—उन बृहद् और मध्यम स्कीमों की सूची जिनकी इस समय जांच की जा रही है

(क) बृहद्

1. पोचमपाद परियोजना चरण–दो
2. सिंगुर परियोजना
3. येलेर
4. कृष्णा डेल्टा प्रणाली आंध्र प्रदेश का आधुनिकीकरण
5. तुंगभद्रा परियोजना की के० सी० नहर का आधुनिकीकरण

(ख) मध्यम

1. थाम्मीलर्
2. गडंडीपलम
3. कृष्णापुरम जलाशय
4. मद्दुवलासा जलाशय स्कीम
5. चेयरू परियोजना
6. झंझावती जलाशय
7. तुंगभद्रा परियोजना की निम्न स्तरीय नहर का आधुनिकीकरण
8. तुंगभद्रा परियोजना की उच्च स्तरीय नहर का आधुनिकीकरण
9. वरदराजस्वामी

श्री के० सूर्यनारायण : विवरण के अनुसार सरकार से 15 बड़ी तथा 77 मध्यम श्रेणी की योजनाएं प्राप्त हुई । इनमें से 10 बड़ी तथा 60 मध्यम श्रेणी की योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है । इनमें से कितनी योजनाएं कार्यान्वित हुई है । इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार ने पहली योजना से 31 अक्तूबर, 1978 तक कितना धन दिया?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा धन देना कठिन है । यह बहुत बड़ी चीज है ।

श्री के० सूर्यनारायण : उत्तर दे दिया गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में 230 तथा कुछ.....

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इन 10 बड़ी स्वीकृत योजनाओं में से चार पूरी हो चुकी है । 68 मध्यम श्रेणी की स्वीकृत योजनाओं में से 46 पूरी हो चुकी है और पहली योजना में इनके लिए 37,46,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया था ।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं पूरी हो गई योजनाओं के नाम जानना चाहता हूं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पूरी बड़ी परियोजनाएं इस प्रकार हैं:—

1. के० सी० नहर
2. तुंगभद्रा एल० एल० सी०
3. कदम
4. तुंगभद्रा एच० एल० सी०

और क्या मैं मध्यम श्रेणी की योजनायें की सूची भी दे दूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं क्योंकि यह एक लम्बी सूची है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हां यह लम्बी सूची है ।

श्री के० सूर्यनारायण : 22 मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं में पिछड़े लोग हैं; पिछड़े लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । क्या सरकार इन क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही हैं ताकि वे लोग पिछड़े क्षेत्रों का लांभ उठा सके ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उन क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रश्न नहीं है इस तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री वी० वेंकटसुब्बैया : क्या मैं तुंगभद्रा परियोजना की के० सी० नहर के आधुनिकीकरण के बारे में जान सकता हूं । कि क्या राज्य सरकारों द्वारा प्राक्कलन पेश कर दिए गए हैं और क्या सरकार ने के० सी० नहर के आधुनीकीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए स्वीकृति दे दी है ?

क्या कृष्णा नदी से मद्रास शहर को जल सप्लाई करने की कोई योजना है । क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्वीकृति के लिए अन्य योजना के साथ संयुक्त रूप से इन परियोजनाओं के प्राक्कलन पेश किए हैं ? यदि हां तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : तुंगभद्रा परियोजना की के० सी० नहर के आधुनिकीकरण के बारे में दिनांक 3 फरवरी, 1977 के पत्र के द्वारा राज्य सभा से समुचित जानकारी मांगी है । अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इस समय यह स्थिति है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप उत्तर सभा पटल पर रखें ।

महिला विकास निगम

*114. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कहा गया है कि वे महिलाओं की विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गंदी बस्तीयों में, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिये महिला विकास निगम की स्थापना की आवश्यकता के बारे में विचार करें;

(ख) यदि हां, तो क्या समाज कल्याण विभाग ने राज्यों का ध्यान इस ओर दिलाया है कि महिलाओं का दर्जा तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि पारिवारिक आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उनके योगदान को स्वीकार किया जाये;

(ग) क्या लक्षद्वीप सहित संघ राज्य क्षेत्रों को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी) : (क) से (ग) : महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में 25-26 सितम्बर, 1978 को दिल्ली में हुए राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था । सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ इस आवश्यकता पर भी जोर दिया गया कि पारिवारिक आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया जाए ।

(घ) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की प्रतिक्रिया सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प में प्रतिबिम्बित है जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और पारिवारिक आय बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए नई योजना पद्धति के सामंज्यस्य में महिलाओं को आर्थिक कार्यों में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक योग्य बनाया जाए । अतः यह संकल्प पारित किया जाता है कि अधिक से अधिक राज्यों में, जो ऐसा करना चाहें, सरकारी कम्पनियों के रूप में महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित किए जाएं जिसमें केन्द्र सरकार , राज्य सरकार, लाभान्वित महिलाएं और अन्य विकासात्मक या वित्तीय संस्थाएं भाग लें ।

श्री पी० एम० सईद : यह एक सुखद संयोग की बात है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध एक महिला विकास निगम की स्थापना से है और मंत्री महोदया भी एक महिला है । मंत्री महोदया ने मेरे क्षेत्र, लक्षद्वीप का दौरा किया हुआ है । वह जानती हैं कि वहां निर्वाचित सरकार नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या लक्षद्वीप प्रशासन को भी कोई नियंत्रण दिया गया है ? यदि हां तो लक्षद्वीप की ओर से इस सम्मेलन में प्रतिनिधि कौन था?

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : बैठक सितम्बर माह क अंतिम सप्ताह में हुई थी और लक्षद्वीप का प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित था । सुझाव राज्य सरकारों के विचाराधीन है । साथ ही भारत सरकार भी इस पर विचार कर रही है । लक्षद्वीप प्रशासन भी इस मामले पर विचार कर रहा था । अब तक लक्षद्वीप से हमें किसी प्रकार का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : उस सम्मेलन में लक्षद्वीप का कौन सा प्रतिनिधि था ?

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : इस सम्मेलन में लक्षद्वीप क प्रतिनिधि थे ।

श्री पी० एम० सईद : महिला विकास निगम स्थापित करने के लिए कितने राज्य सहमत है और यदि सभी राज्य सरकारें इस निगम की स्थापना के लिए राजी हो जात हैं तो उसमें केन्द्रीय सरकार का कितना भाग होगा ?

श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी : अब तक ऐसे दो निगम है । एक आन्ध्र प्रदेश में तथा दूसरा महाराष्ट्र में । सम्मेलन के बाद कई राज्य इस बार में हमस बातचीत कर रहे हैं । पंजाब ने व्यावहारिक रूप से इसकी स्थापना का निर्णय ले लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बोटानिकल गार्डन, कलकत्ता के कर्मचारीयों के लिये सरकारी आवास

*103. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को पता है कि कलकत्ता स्थित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था के कर्मचारियों को इस आधार पर सामान्य पूल, कलकत्ता में रिहायशी आवास की उनकी हकदारी को समाप्त किया जा रहा है कि भारतीय वनस्पति पार्क, हावड़ा नगरपालिका की सीमा में नहीं आता;

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय को यह पता है कि यह अधिकारियों तथा कर्मचारी संगठन के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कलकत्ता निगम तथा हावड़ा नगरपालिका की सीमाओं से बाहर स्थित कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारी सामान्यपूल से वास के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं ।

(ख) जी, नहीं हमें किसी ऐसे करार के बारे में मालूम नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण विकास में सफलता

*106. **श्री अरविन्द बाला पजनौर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के व्यापक प्रयास हेतु ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार ने क्या सही सही सफलता प्राप्त की है; और

(ख) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में रखी गई निगरानी (मानीटरिंग) का ब्यौरा क्या है और ऐसी निगरानी (मानीटरिंग) से अब तक क्या निष्कर्ष निकले हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) बेरोजगारी तथा अभिव्यंजक अल्प-रोजगार के निराकरण को चालू योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य समझा गया है । रोज़गार के उद्देश्य की उपलब्धि निर्णायक रूप से कृषि और उससे सम्बध्द गतिविधियों में बढे हुए श्रम के समावेशन पर निर्भर करती है । इसका अर्थ यह है कि भूमि उत्पादकता को सिंचाई, बहुशस्योत्पादन तथा सुधरी प्रोद्योगिकी के माध्यम से बढाया जाए । अतः आयोजना नीति का मुख्य बल इस बात पर होगा कि यथाशीघ्र जितना भी सम्भव हो सके सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र को बढाया जाए तथा कृषिगत पद्धतियों, जिनसे भूमि तथा जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, का विकास किया जाए। कृषि में अधिकतम रोजगार दिलाने हेतु, यही प्रस्ताव नहीं है कि केवल आधारभूत ढांचा तथा निवेशों जिनसे भौतिक उत्पादकता में वृद्धि हो, को ही सुलभ किया जाए बल्कि यह भी प्रस्ताव है कि :

(1) भूमि वितरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा चकबन्दी की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए ।

(2) फार्म यन्त्रीकरण के विकास को नियमित करने हेतु भूमि तथा जल के अधिकतम उपयोग के अनुरूप श्रम के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाए । पशुपालन, बागबानी, वनविद्या तथा मछली पालन क्षेत्रों, जहां विस्तार के लिए कृषि से भी अधिक गुंजाइश हो, में भी विकास द्वारा अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया गया है । कृषि रोजगार में विशिष्ट वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपूरक रोजगार, वितरण तथा परिवहन और ग्रामीण आय में वृद्धि करके सृजित की गई गतिविधियों में तृतीय रोजगार में एक महत्वपूर्ण विकास की आशा की जाती है ।

ग्रामीण विकास के चल रहे विशेष कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने पर सरकार ने विकास का एक गहन कार्यक्रम शुरु करने का निर्णय लिया है जिसमें मार्च 1881 तक 1000 खण्डों तथा मार्च, 1983 तक अन्य 1000 खण्डों में पूर्ण रोजगार के उद्देश्यों को प्राप्त करने का विशेष उद्देश्य है । इस उद्देश्य को

प्राप्त करने हेतु 5 लाख रुपये प्रति खण्ड के वर्तमान आबंटन के अलावा निधियों का अतिरिक्त आबंटन देन पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 1978-79 में 300 खण्डों में गहन खण्ड-स्तरीय आयोजना भी शुरु की जाएगी, जिसके लिए वर्ष 1982-83 तक प्रत्येक वर्ष 300 खण्ड जोडे जाएंगे । इस प्रकार, इन खण्डों की संख्या, जहां खण्ड स्तरीय आयोजना शूरु की जाएगी वर्ष 1982–83 तक 3500 हो जाएगी । यद्यपि चालू वर्ष में प्रति खण्ड प्रावधान केवल 2 लाख रुपये है, फिर भी बाद में इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। राज्य तथा निजी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों के अलावा लघु सिंचाई, कृषि, पशुपालन आदि के क्षेत्रों में विभिन्न लाभ भोगी उन्मुख योजनाओं से महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करने की आशा की जाती है। यद्यपि शुरु की जाने वाली योजनाओं से लाभ भोगी उन्मुख होने की आशा की जाती है, फिर भी समग्र क्षेत्र योजना में व्यक्तिगत योजनाएं शामिल की जाएंगी ताकि शुरू की गई योजनाओं से न केवल व्यक्ति विशेष को ही सहायता पहुंचे बल्कि उनसे सम्बन्धित क्षेत्र की विकास संभाव्यता में भी वृद्धि हो और विकास की स्वावलम्बी प्रक्रिया उत्पन्न हो । तैयार की गई नई नीति में भी, ग्रामीण उद्योगों तथा ग्रामीण कारीगरों के कार्यक्रम द्वारा निभायी जाने वाली निर्णायक भूमिका का महत्व रखा गया है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है । अतः प्रयास ये होंगे कि ग्रामीण उद्योग तथा कारीगर कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए तथा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन की विशेषता में सुधार किया जाए उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जाए, लागत कम हो तथा उनके विपणन में विस्तार किया जाए । जिला उद्योग केन्द्रों जिनसे पूरे देश को तेजी से अपने अन्तर्गत लाने की आशा की जाती है, से लघु उद्योगों की स्थापना तथा उनके उत्पाद का विपणन करने हेतु ठेकेदारों का पता लगाने तथा उनकी सहायता में सक्रिय भूमिका निभा करके सहायक धंधों, लघु उद्योगों, व्यापार तथा सेवा सम्बन्धी गतिविधियों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आशा है कि ग्रामीण विकास की इस नई पहुंच से भारी सफलता प्राप्त होगी तथा उत्पादी परिसम्पत्तियों के सृजन से सम्बन्धित विस्तृत रोजगार उपलब्धि होगी ।

(ख) ग्राम विकास के क्षेत्र में नई नीति हाल ही में तैयार की गई हैं । अब तक जो प्रबोधन किया गया है, उसका सम्बन्ध लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास जैसे चल रहे ग्राम विकास कार्यक्रमों से है । इन कार्यक्रमों का नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है । यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर इन कार्यक्रमों ने अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर लिया है । तथापि लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास के तीन विशेष कार्यक्रमों के सम्बन्ध में किए गये प्रबोधन ने कुछ अड़चने दर्शायी हैं जिन से इन कार्यक्रमों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव प ा है । लघु किसान विकास एजेंसी क सम्बन्ध में पता लगाए गए किसानों को सहकारी सोसायटियों का सदस्य नामांकित करने में समयांतर रहा है, कई परियोजनाओं में निवेशों के वितरण में कमियां रही हैं । जोतों के विखण्डन, विफल कुओं के प्रभाव, दु:साध्य क्षेत्र, कार्य-विधि ऋण संस्वीकृत करने में हुएं विलम्ब आदि के कारण लघु सिंचाई योजनाओं ने अपेक्षित प्रगति नहीं की है । प्रबोधन से यह भी पता लगा है कि डेरी विकास योजनाओं से सरलता का आश्वासन वहां दिलाया गया है, जहां ऐसी योजनाओं को कार्यकुशलता सें संचालित सहकारी सोसायटियों के तत्वावधान में गठित किया गया है, जिनक अन्तर्गत दुग्ध संचयन, विधायन तथा वितरण जैसे प्रचालन की विभिन्न अवस्थाएं आती हैं । सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत दश के अनेक भागों में जल-विभाजक प्रबन्ध की संकल्पना में भारी परिवर्तन करने के लिए प्रयास धीमे रहे हैं । साथ ही, सिंचित क्षत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास की पहुंच को नहीं अपनाया गया था, खेत की नालियों का निर्माण नहीं किया गया था तथा जल–प्रबन्ध क प्रया ों का प्रायः अभाव था। वनरोपण में, फीर्म वन विद्या तथा सामाजिक वन-विद्या की उपेक्षा की गई है तथा अधिकतर सरकारी क्षेत्र में वन उगाने पर बल दिया गया है । विशेष रूप सें विश्व बैंक की सहावता से कुछ जिलों में पशु तथा भेड़-प्रजनन सोसायटियों की स्थापना एक उल्लखनीय विकास प्रयास रहा है । कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय संस्थाओं से किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋणों का प्रवाह धीमा रहा है । अपर्याप्त संगठनात्मक ढांचे के कारण कई कमाण्ड क्षेत्र प्राधिकरण पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाए। कुछ मामलों मे, 'आन–फार्म विकास' को कार्यान्वित करने हेतु उपलब्ध कार्य करने का मौसम बहुत

छोटा होता है, जैसा कि राजस्थान के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में है । इस स्थिति को सही करने के लिए, राजस्थान चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में उन किसानों जिन्हें एक फसल छोड़नी पड़ेगी को फसल मुआवजा दिया गया है ।

समन्वित ग्राम विकास के नए कार्यक्रम के अन्तर्गत, समस्याओं को कम करते हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे चल रहे विशेष कार्यक्रमों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । साथ ही, समन्वित पहुंच को अपनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि कृषि जिसमें इससे सम्बद्ध गतिविधियों, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, विभिन्न विपणन तथा विधायन सेवाओं में तृतीय क्षेत्र रोजगार, श्रम संघटन, नई दक्षताओं को अपनाने में प्रशिक्षण आदि शामिल हैं, के विकास में समन्वय लाया जा सके।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को निःशुल्क शिक्षा

*107. **श्री अर्जुनसिंह भदोरिया :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने कृपा करेगी :

(क) क्या सरकार समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए व्यवस्था कर रही है अथवा ऐसा कोई कार्यक्रम उसके विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी) : (क) और (ख) : शिक्षा, मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथा इसकी व्यवस्था ज्यादातर उन्हीं के द्वारा की जाती है । सांविधानिक निर्देश के अनुसार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां शिक्षा केवल प्राथमिक स्तर (कक्षाए I-IV-V) तक लड़कों के लिए निःशुल्क है सभी राज्यों में शिक्षा कक्षा कक्षा VIII (मिडल स्तर) तक पहले ही निःशुल्क है । 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी लड़कों तथा लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क है, जबकि अन्य 5 में राज्यों में यह केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क है ।

इसके अलावा, निःशुल्क तथा अर्ध-निःशुल्क शिक्षा माध्यमिक स्तर के आगे भी पड़ रहे निर्धन छात्रों के लिए उपलब्ध है । इसके साथ-साथ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा काफी बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों द्वारा सरकारी आवास का अपने कब्जे में रखा जाना

*110. **श्री बी० पी० मंडल :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मन्त्रालय ने नागालैण्ड, मनीपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रतिनियुक्ति पर गये केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को दिल्ली में सरकारी आवास अपने कब्जे में रखने की सुविधा देने हेतु नियमों में संशोधन किया है;

(ख) क्या यह सुविधा ऐसे अधिकारियों को उस स्थिति में भी मिलेगी जबकि उपरोक्त स्थानों पर उन्हें आवास अथवा आवास भत्ता दिया जाता है और इससे उन्हें दोहरी आवास सुविधायें अर्थात् एक आवास सुविधा दिल्ली में और दूसरी प्रतिनियुक्ति के स्टेशन पर प्राप्त हो सकती है; और

(ग) ऐसी सुविधायें इन अधिकारियों को उपलब्ध कराने का औचित्य क्या है जबकि बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों के पास आवास नहीं है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इन स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में सामान्यपूल वास को निम्नलिखित आधार पर रखने की अनुमति देने के आदेश जून, 1978 में जारी किये गये थे :—

(i) यदि उनके बच्चे दिल्ली में उच्चतर कक्षाओं या कालेजों में पढ़ रहे हों;

(ii) यदि परिवार के सदस्यों या निकट आश्रितों का स्वास्थ्य खराब हो और उसकी निरन्तर चिकित्सा करानी आवश्यक हो ।

(ख) इस सुविधा को प्राप्त करने पर किसी भी अधिकारी पर कोई रोक नहीं है चाहे उन्हें अपनी प्रतिनियुक्ति के स्थान पर ही आवास मिला हो ।

(ग) इन स्थानों पर अधिकारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए यह रियायतें दी गई हैं ।

केरल के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये मकान

*111. **श्री के० ए० राजन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य आवास बोर्ड ने राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने हेतु कोई योजनायें बनाई हैं;

(ख) क्या इस बोर्ड ने इनके कार्यान्वयन के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : आवास राज्य का विषय है । आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में केवल राज्य सरकारों को दी जाती है न कि राज्य आवास बोर्डों को । केरल राज्य सरकार से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए कोई विशेष योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

किन्तु आवास तथा नगर विकास निगम ने केरल राज्य आवास बोर्ड की 21 योजनाएं (जिसमें एक ग्रामीण आवास योजना शामिल है) मंजूर की है जिसमें अन्यों के साथ आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 27,647 टेनोमेन्टों का निर्माण कार्य सम्मिलित है ।

चीनी उद्योग की दुर्दशा का अध्ययन करने के लिए समिति

*115. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी उद्योगों की दुर्दशा का अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने सामान्य रूप से चीनी उद्योग की समस्या का अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की है । तथापि, जो कुछेक चीनी मिलें निर्धारित तारीख को पिराई कार्य शुरु नहीं करती हैं, औसत अवधि के अन्त से पूर्व पिराई कार्य बन्द कर देती हैं अथवा कुछेक सीमा के ऊपर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि रखती है, उन्हें अधिकार में लेने से संबंधित मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए एक मन्त्रलयीय समिति गठित की गई थी । तद्नुसार 9 नवम्बर, 1978 को चीनी प्रतिष्ठान (प्रबन्ध को अधिकार में लेना) अध्यादेश, 1978 जारी किया गया था ।

दिल्ली में मकानों के नक्शों की वैधता की अवधि

*116. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बनाये जाने वाले मकानों के नक्शे की वैधता की अवधि बढ़ाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और कितनी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने एक कार्यकारी आदेश द्वारा बहु मंजिले, संस्थानिक तथा ग्रुप आवास भवनों की कतिपय श्रेणियों के मामले में स्वीकृत प्लानों की वैधता की अवधि दो से तीन वर्ष तक और बढ़ा दी है । ऐसा भवन निर्माताओं/भवन के स्वामियों को (i) भवन निर्माण सामग्री विशेषकर सीमेन्ट इस्पात आदि की खरीद में (ii) ऋण देने वाले विभिन्न प्राधिकरणों से ऋण लेने में और (iii) स्थानीय प्राधिकरणों से जल और सीवर कनेक्शन लेने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, किया गया है । डी० डी० ए० के अधीन अन्य भवनों के मामले में वैधता की अवधि 2 वर्ष ही रहेगी लेकिन, पार्टियों के लिये इस अवधि के भीतर वैधता की अवधि बढ़ाने या निर्माण कार्य आरम्भ करने की सूचना देना आवश्यक नहीं होगा ।

नई आवास नीति

*117. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई आवास नीति तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए सवक्षण तथा राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश में 156 लाख मकानों की कमी थी। मकानों की पिछली कमी को दूर करने तथा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए और असूरक्षित मकानों के स्थान पर नये मकान बनाने के उद्देश्य से 20 वर्ष की अवधि की एक भावी योजना बनाई गई है ।

चालू पंचवर्षीय योजना (1978–83 के दौरान 1538 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जोकि पिछली योजना में की गई व्यवस्था से ढाई गुना ज्यादा है । ग्रामीण आवास के लिए पृथक रूप से 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस व्यापक समस्या के समाधान के लिये इतनी पूंजी मुश्किल से ही पर्याप्त होगी। सरकारी निधियों को निम्न आय वर्गों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने हेतु उपयोग करने के लिए ही सीमित रखने के बारे में उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है । मकान बनाने वाले प्राइवेट पूंजी निवेशकों को कर में छूट, उचित मूल्यों पर भूमि देने आदि जैसे प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर को भवन निर्माण उद्योग की ओर आकृष्ट किया जा सके ।

निम्न लागत आवास सेक्टर में संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए स्थलों और सेवाओं के कार्यक्रम को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी ताकि इस श्रेणी के अधिक से अधिक लोगों के लिए आवास-व्यवस्था की जा सके ।

किराया खरीद योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकान

*118. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री डी० अमात :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आवास बोर्ड द्वारा किराया खरीद योजना के अन्तर्गत गत एक वर्ष के दौरान कितने औद्योगिक श्रमिकों को मकान दिये गये; और

(ख) इस योजना को किन-किन राज्य में लागू किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के अलावा सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है । जहां तक औद्योगिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है इसमें केवल किराये के आधार पर मकानों की व्यवस्था है । भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिये निर्मित मकानों की मौजुदा दखलकारों को बेचने के लिये राज्य सरकारों को अनुमति देने का निर्णय ले लिया है और यह निर्णय 9 फरवरी, 1978 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है ।

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा उपर्युक्त निर्णय को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है। तथापि, मामला, विभिन्न चरणों पर राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध ठेकेदार की जमानत की राशि वापस करना

*119. **श्री दया राम शाक्य : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा जमानत राशि वापस करने के बारे में दिनांक 24 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1191 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमानतों की 3,380,34.41 रुपये की राशि किन-किन ठेकेदारों की थी और यह राशि किस अवधि के लिये थी;

(ख) उन ठेकेदारों को जिन्होंने दूध की सप्लाई समझौते के अनुसार की परन्तु जिनकी अदायगियों रोक ली गई थीं, 1971 के पश्चात् की जमानत की राशि क्या है;

(ग) वर्ष भर दूध की सप्लाई में असफल रहने के कारण 1972 से अब तक कितने ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त की गई और इस प्रकार जब्त धनराशि कितनी है; और

(घ) क्या बहुत से ठेकेदारों ने 1972 से 1978 के बीच रोकी गई राशियों की ब्याज के साथ अदायगी की मांग की है और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उन ठेकेदारों के वर्षवार नामों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिनकी जमानत की जमा राशि 3,38,834.41 रुपये थी। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--2867 / 78]**

(ख) 1,54,325.07 रुपये।

(ग) उनके द्वारा किए गए समझौते के अनुसार वर्ष भर दूध सप्लाई करने में असमर्थ रहने के कारण वर्ष 1972 से 134 ठेकेदारों की 2,49,036.47 रुपये की जमाराशि जब्त कर ली गई है ।

(घ) केवल एक ठेकेदार ने रोकी गई रकम की ब्याज सहित अदायगी की मांग की है और हाल ही में उसकी निर्मुक्ति की स्वीकृति दे दी गई है ।

आपरेशन फ्लड कार्यक्रम

*120. **श्री नथुनीराम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन, बम्बई, चेरिटेबिल ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1966 में पंजीकृत किये गए एक गैर-सरकारी संगठन, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से होता है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का चैयरमैन गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का भी चैयरमैन है और वह अमूल कम्पनी का भी महाप्रबन्धक था और अब दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्धक समिति का चेयरमैन है और यदि हां, तो सरकार को दुग्ध योजनाओं के हितों को सुरक्षित रखने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) "क्या गिफ्ट मिल्क पाउडर" दिल्ली दुग्ध योजना को बारह रुपए प्रति किलो दर से बेचा जाता है जबकि वह मदर डेरी को 6 रुपए प्रति किलो की दर बेचा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) "आपरेशन फ्लड कार्यक्रम" की अवधि के दौरान कितना गिफ्ट मिल्क पाउडर, मक्खन और बटर आयल अमूल कम्पनी को भेजा गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारतीय डेरी निगम के जरिये किया जा रहा है, जो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई एक सरकारी कम्पनी है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी और यह एक गैर-सरकारी संगठन नहीं है । यह डेरी विकास के मामले में भारत सरकार को तकनीकी सलाह और परामर्श देने वाला एक शीर्ष निकाय है;

(ख) जी हां । सरकार ने देश में डेरी विकास के आधार के लिए आनन्द के समान के सहकारी संगठन को स्वीकार किया है । आपरेशन फ्लड कार्यक्रम सभी राज्यों में इसी प्रकार के संगठनात्मक ढांचे तयार करना चाहता है । वास्तव में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेरी निगम के अध्यक्ष को अमूल तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में आनन्द जैसी प्रणाली के क्रियान्वयन में सफल अनुभव था, अतः उन्हें दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में उसकी देख भाल करने के लिए नियुक्त करना युक्तिसंगत है । वास्तव में इस व्यवस्था से विभागीय योजना के हितों की सुरक्षा होने की संभावना है ।

(ग) जी नहीं । विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा उपहार के रूप में सप्लाई किया गया स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण दोनों डेरियों को प्रति कि० ग्रा० 6.50 रुपये के समान मूल्य पर बेचा गया । तथापि, सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को वाणिज्यिक कोटे में से 12 रुपये प्रति कि० ग्रा० के पूल मूल्य पर कुछ स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण का आबंटन भी किया है । मदर डेरी के लिए भी वाणिज्यिक कोटे में से उपर्युक्त पूल मूल्य पर आबंटन करना गत वर्ष से शुरू किया गया है ।

(घ) विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त किए गए कुल 1,00,068 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 34,571 मीटरी टन बटर आयल में से अमूल डेरी को आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत 1970–71 से 1977–78 तक 4,805 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 1829 मीटरी टन बटर आयल की कुल मात्रा की सप्लाई की गई थी । इसके अतिरिक्त, जैसा कि आपरेशन फ्लड कार्यक्रम में व्यवस्था थी, ये मात्रा सेंटर बम्बई दुग्ध योजना की तरल दूध सप्लाई करने के बदले में निर्मुक्त की गई थी ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, खडगवासला से अभ्यावेदन

986. **श्री आर० के० महलगी:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, खड़गवसला, पुणे (महाराष्ट्र) से उक्त केन्द्र में "समनुक्रमणिक सूची और पंचवर्षीय पुनरीक्षण पदोन्नति पद्धति" लागू करने के बारे में 24 दिसम्बर 1977 का एक अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला के अधिकारियों का एक वैज्ञानिक संवर्ग (काडर) है । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन निर्धारण करने के लिए समनुक्रमणिक सूची केवल संगठित गैर-तकनीकी सेवाओं पर लागू होती है और इसे वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों पर लागू नहीं किया जाना है । वैज्ञानिक संवर्ग के लिए 'स्कीम आफ फ्लेक्सिबल काम्पलीमेंन्टिंग" या पंचवर्षीय पुनरीक्षण पदोन्नति पद्धति स्कीम अन्य वैकल्पिक सुझाव हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

उर्वरक कारखानों के पास उर्वरकों का जमा हो जाना

987. **श्री अमर सिंह बी० राठवा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक उर्वरक कारखानों के पास उर्वरकों का बहुत सा स्टाक जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस स्टाक को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ताकि वे उर्वरक उपभोक्ताओं को मिल सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्यों में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए समिति

988. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय ने राज्यों द्वारा क्रियान्वित भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिये कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के राज्यवार निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) भूमि सुधारों के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है, किन-किन राज्यों ने अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने हाल ही में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उसने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किये गये सभी भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए और उक्त अनुसूची में इस समय दिये गये संरक्षण को निकाल दिया जाए तथा भूमि सुधार के मामलों का निपटारा करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए ।

(ग) जैसा कि सुविदित है भूमि सुधार कानूनों को लागू करना राज्य का विषय है । तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से, क्रियान्वयन को गति में तेजी लाने तथा अपने कानूनों की स्पष्ट कमियों को दूर करने के लिए निरन्तर अनुरोध करती रहती है ।

दिल्ली प्रशासन को बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए धन

989. **श्री युवराज :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए मांगे गए धन पर किस तारीख से मंजूरी दी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या शाहदरा क्षेत्र से पानी निकालने के लिए कोई योजना आरंभ की जा रही है, यदि हां, तो कब तक और इस योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की मंजूरी और संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि का आबंटन भी निर्धारित पद्धति और विनियमों के अनुसार किया जाता है। दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर, वर्ष 1978-79 के लिए बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 4.48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं । इसके अतिरिक्त हाल ही की बाढ़ों के कारण जरूरी खर्चे के लिए 3 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध की गई है। दिल्ली प्रशासन द्वारा और धनराशि दिए जाने का एक अन्य अनुरोध विचाराधीन है ।

(ख) शाहदरा क्षेत्र में मुख्य और आउटफाल नालों के निर्माण के लिए 8.14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली, बाढ़ के जल का निकास करने की स्कीम अनुमोदित की गई है और 1972 से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है । अक्तूबर 1978 तक 5.1 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है । इस कार्य के 1981 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

राज्य सहकारी बैंकों को धनराशि देने के बारे में समिति

990. **श्री नटवरलाल बी० परमार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन (एन० सी०यू० आई०) ने सरकार को राज्य सहकारी बैंकों के लिए धनराशि देने के मामले में एक विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली का नवीकरण

991. **श्री चतुर्भुज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली स्थित विज्ञान भ वन का नवीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 1.83 करोड़ रुपये ।

(ग) (1) नये फर्नीचर, गलीचों और पर्दों, कृत्रिम छतों और दीवारों की ध्वनि उपचार द्वारा मुख्य हाल, कमेटी/कमिशन रूम, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कमरों और विश्राम कक्ष का नवीकरण। मुख्य हाल, कमिशन और कमेटी रूमज में बैठन के स्थान को बढ़ाया जाएगा और विश्राम कक्ष में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) ध्वनि प्रणाली में सुधार किया जाना है और युगपत भाषान्तरण माध्यम में वृद्धि की जाना है ।

(3) लिफ्टों को बदला जाना है । वातानुकूलन क्षमता बढ़ाई जायेगी ।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के अधीन उपक्रम

992. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के नाम, उनके स्थान तथा उनके मुख्यालय कहां स्थित हैं तथा उनके चेयरमैन प्रेसीडेंट और प्रबन्ध निदेशकों क नाम क्या हैं (और यदि ये पद दो व्यक्तियों ने संभाले हुए हैं तो उनका पूरा ब्यौरा क्या है) और उन सार्वजनिक उपक्रमों के नाम तथा उनके मुख्यालयों के स्थानों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय तथा मुख्य कार्यालय भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित है और भिन्न-भिन्न स्थानों पर कब से स्थित ह; और

(ख) इन उपक्रमों को क्या कार्य सौंपा गया है तथा गत तीन वर्षों में उनकी उपलब्धियां क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केवल एक सार्वजनिक उपक्रम-पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड है । इसका मुख्यालय कलकत्ता में है । कलकत्ता स्थित इसके मुख्यालय मे कार्यरत अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के नाम नीचे दिए गए हैं :—

अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद चक्रवर्ती

प्रबन्ध निदेशक श्री एस० सी० बनर्जी

(ख) निगम का मुख्य कार्य लघु क्षेत्र में निगम द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिक यूनिटों के माध्यम से सहायता प्राप्त गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे ही यूनिटों में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास प्रदान करना है । इस प्रकार निगम अपने प्रबंध में निम्नलिखित यूनिट चला रहा है :—

(1) माल्दा सिल्क यूनिट

(2) खोश-बाश मोहल्ला हडलूम यूनिट

(3) तहरपुर हेंडलूम यनिट

(4) हाबड़ा हैंडलम यूनिट
(5) ग्येशपुर हैंडलूम यूनिट
(6) टैक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट, बान हुगली
(7) लदर वर्क्स यूनिट, बान हुगली
(8) फ्रूट कैनिंग यूनिट, बान हुगली
(9) गारमेंट फैक्टरी, बान हुगली
(10) टैंट मेकिंग यूनिट, बान हुगली
(11) कास्ट आयरन फाउन्ड्री, दुर्गापुर
(12) एस० ई० डब्ल्यू० यनिट, बान हुगली
(13) शीट मेटल फक्टरी बान हुगली
(14) इलैक्ट्रिकल एन्सीलरी युनिट, बहला।

निगम न निजी उद्योगपतियों को भी इस शर्त पर ऋण दिए हैं कि वे भतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देंगे। निगम द्वारा पांच औद्योगिक सम्पदाए भी स्थापित की गई है और स्टैंडर्ड शेडों का भी निर्माण किया गया है जिन्हें निजी उद्योगपतियों को इस शर्त पर किराए पर दिया गया है कि वे विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार पर लगाएंगे। लगभग 5,000 विस्थापित व्यक्तियों को, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से, रोजगार प्रदान किया गया है। अपने निजी औद्योगिक यूनिटों के उत्पादन और बिक्री के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान निगम की उपलब्धियां नीचे दी गई है :

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
	(कीमत लाख रुपयों में)	
1975-76	89.00	85.82
1976-77 . .	127.60	121.01
1977-78	170.15	164.92

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिहार में दिया गया अनुदान

993. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिहार में विश्वविद्यालयों को गत तीन वर्षों (1975-76 से 1977-78 तक) के दौरान वर्षवार दिये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिगे जाते समय किसी विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या पर भी विचार किया जाता है ; और

(ग) क्या बिहार के विश्वविद्यालयों को अनुदान देते समय उक्त मानदंड का भी निर्वाह किया जाता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा निम्न-लिखित हैं :—

विश्वविद्यालय का नाम	के दौरान दिए गए अनुदान		
	1975-76	1976-77	1977-78
भागलपुर . .	9,32,812.13	21,78,975.50	16,52,782.62
बिहार . .	11,09,407.94	6,27,570.00	25,46,401.40
मिथिला	..	81,245.16	97,371.57

पटना . . .	14,13,821.32	47,92,213 86	1,72,642.32
रांची	35,32,640.96	22,21,510.00	14,30,547.37
मगध . .	3,45,604.95	16,45,025.36	15,25,750.62
के० एस० डी० संस्कृत .	1,35,000.00	5,34,500.00	4,66,000.00
राजिन्द्र कृषि . . .	..	..	20,632 26

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान, प्रत्येक योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

बाढ़ पीड़ीत लद्दाक कं लिये कन्द्रीय सहायता

994. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) बाढ़ पीड़ित लद्दाख को चालू वर्ष में कितनी सहायता दी गई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : बाढ़ों क कारण अधिक व्यय को पूरा करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में जम्मू तथा कश्मीर सरकार को निम्नलिखित मदों के लिये अग्रिम योजना सहायता के रूप में 26.35 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई हैं :

		(लाख रुपये)
1. सार्वजनिक निर्माण-काय		
1. स्टेकन्स हाइडल प्रोजेक्ट की मरम्मत का कार्य . .	4.50	
2. कारगिल में इकबाल ब्रिज हाइडल स्कीम की मरम्मत का कार्य	0.50	5.00
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत :		
1. सिंचाई के कार्य :		
(क) नहरें	1.00	
(ख) कलें	4.00	
2. बाढ़ संरक्षण कार्य	0.50	5.50
3. सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा विभागों के सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत :		
(क) नहर और कूल . . .	3.30	
(ख) बांध	0.70	
(ग) फुट पाथ तथा फुट ब्रिज . .	0.49	4.49
4. बाढ़ से प्रभावित हुई सड़कों तथा पुलों की मरम्मत . . .	5.00	5.00
5. भूमि सुधार तथा उन विस्थापित व्यक्तियों, जिनकी भूमि नष्ट हो गई है, का पुनर्वास	5.00	5.00
6. क्षतिग्रस्त जलकलों की मरम्मत	0.18	0.18
7. आवासीय मकानों के पुनर्निमाण/मरम्मत के लिये प्रति मकान 200 रुपये की औसत दर से निःशुल्क अदायगी करने के लिये सहायता . .	0.18	0.18
8. बाढ़ों के कारण हुई हानि/क्षति को पूरा करने के लिये पुनर्वनरोपण कार्यक्रमो के लिये पौद की मुफ्त सप्लाई	1.00	1.00
योग .		26.35

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निःशुल्क राहत के रूप में वितरण करने के लिये अनुदान के तौर पर 217 मीटरी टन गेहूं का आबंटन भी किया है।

गौतमपुरी, शाहदरा, दिल्ली में नागरिक सुविधाएँ

995. **श्री महंत श्याम सुन्दर दास :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई संसद् सदस्यों ने सरकार का ध्यान यमुनापार की अनधिकृत बस्ती, गौतमपुरी, शाहदरा में सड़कों, गलीयों और नालियों की तुरन्त मरम्मत किये जाने की आवश्यकता की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिन सड़कों, गलियों और नालियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका, उन पर अब भी काम नहीं किया जा रहा ; और

(ग) यदि हां, तो इस अनधिकृत बस्ती में कब तक नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा यदि वहां नागरिक सुविधाएं प्रदान नहीं की जानी हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। प्रश्नों के जरिए।

(ख) तथा (ग) : अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था दिल्ली नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से की जा रही है। यह कालोनी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के अधीन है। सभी अनधिकृत कालोनियों के लिए इस प्रयोजनार्थ दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 1978–79 के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। गौतमपुरी अनियमित कालोनी में दिल्ली नगर निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक 41,000 रुपये की लागत से इंटों के खड़ंजे बिछाने तथा नालियां बनाने का कार्य किया है। दिल्ली नगर निगम सभी अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कर रहा है तथा इस कालोनी का भी बाकी कालोनियों के साथ सर्वेक्षण किया जाएगा।

विस्थापित शिविरों के बच्चों को शिक्षा

996. **श्री राजे विश्वेश्वर राव :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित शिविरों के बच्चे गरीबी के कारण अपना अध्ययन छोड़ रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन बच्चों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया था कि अध्ययन करने वाले सब विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे वे आगे अपना अध्ययन जारी रख सकें ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : इस विभाग को इस प्रकार का कोई सीधा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र के जिला सहायता तथा पुनर्वास अधिकारी ने वर्तमान हिदायतों में छूट देते हुए वजीफे दिए जाने के संबंध में चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के 43 हाई स्कूल विद्यार्थियों से प्राप्त एक अभ्यावेदन भेजा है। इस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।

पब्लिक स्कूलों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रधान मंत्री की घोषणा

997. **डा० रामजी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कुल कितने तथा कथित पब्लिक स्कूल, मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पब्लिक स्कूलों को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद अब तक कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिक शिक्षा स्तर पर फीस के नाम पर तथाकथित पब्लिक स्कूलों को फीस या चन्दे की बड़ी धनराशि वसूल करने से रोकने के लिए कदम उठाने का है ;

(घ) क्या पब्लिक स्कूलों में जाने वाले बच्चों के परिवारों का कोई सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या यह सर्वेक्षण करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृतिमंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) पब्लिक स्कूलों का अभिप्राय, सामान्यतया उन स्कूलों से है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था, भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य हैं। सारे देश भर में इस समय 54 स्कूल हैं, जो इस सम्मेलन के सदस्य हैं। ये सभी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं।

(ख) और (ग) : सरकार, अल्पसंख्यकों के सांविधानिक अधिकार को भी ध्यान में रखते हुए, पब्लिक स्कूल को सार्वजनिक शिक्षा की प्रणाली के साथ समाकलित करने के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

( ) जी, नहीं।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

फरक्का बांध काम्लेक्स के कार्य करने के समय से जल म डूबी भूमि के मालिकों को मुआवजा

998. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भूमि के उन मालिकों को मुआवजा देने की वांछनीयता पर विचार किया है जिनकी भूमि पहले कृषि योग्य थी और फरक्का बांध काम्प्लेक्स के आरम्भ किए जाने के बाद वर्षों से पानी में डुबी हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : वह सारी भूमि जो जलमान हो जाती है और वह सारा क्षेत्र जो फरक्का बराज परियोजना के प्रचालन के लिए जरूरी है अभिग्रस्त किया जा चुका है या लागत चुका कर उसका अभिग्रहण किया जा रहा है। पगला और बंसलोई नदी बेसिनों में स्थित निचले क्षेत्र और दोमोस बील के संबंध में जो फरक्का बराज की फीडर नहर में निरन्तर प्रवाह के कारण जलमग्न हो जाता है, पश्चिम बंगाल सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है कि भूमि का अभिग्रहण करने के स्थान पर इन क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के प्रबंध किए जाने चाहिएं। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि पगला और बंसलोई नदियों के मुहानों पर नियामकों का निर्माण किया जाए और निम्नवर्ती क्षेत्रों से जल का निकास उत्तर की ओर गंगा में किया जाए।

खाद्यान्न का भंडार

999. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री कलकत्ता में 17 सितम्बर, 1978 को दिये गये अपने वक्तव्य के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाद्यान्न का कोई आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी और देश में भारी बाढ़ आने के बावजूद लोगों को खिलाने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त मात्रा में भण्डार है ; और

(ख) अगली फसल बाजार में आने तक सरकार के पास इस समय गेहूँ, चावल और अन्य खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में भण्डार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1977–78 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1256 लाख मीटरी टन के सबसे ऊंचे स्तर पर हुआ था। इस तथ्य के बावजूद कि खरीफ मौसम के दौरान फसल की कुछ क्षेत्रों में बाढ़ से क्षति हुई थी, चालू मौसम के दौरान उत्पादन की सम्भावनाएं अच्छी दिखायी देती हैं। सारे देश में खाद्यान्न उत्पादन और सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी है। तदनुसार, फिलहाल खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी एजेंसियों के पास पहली नवम्बर, 1978 को अनाजों का स्टाक लगभग 163.5 लाख मीटरी टन था जिसमें 102.1 लाख मीटरी टन गेहूँ, 60.7 लाख मीटरी तटन चावल और 0.7 लाख मीटरी टन मोटे अनाज थे। चालू खरीफ की फसल (विपणन मौसम नवम्बर-अक्तूबर) से खरीफ के खाद्यान्न बाजार में आ गए हैं।

केरल कृषि-उद्योग निगम को केन्द्रीय अनुदान

1000. **कुमारी अनन्तन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल कृषि-उद्योग निगम को केन्द्रीय वित्तीय अंशदान से अपना भाग समय पर न मिलने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इसके लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्रीसुरजीत सिंह बरनाला) : (क) निगम ने मई, 1978 में केन्द्रीय साम्य पूंजी (इक्विटी) के लिए एक अनुरोध किया था। चूंकि निगम ने (1) वर्ष 1977–78 के लेखे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है जो कि सभा पटल पर रखे जाने वाले कागज़-पत्रों से सम्बद्ध समिति को दिये गये आश्वासन के अनुसार केन्द्रीय साम्य पूंजी को जारी करने के लिए एक पूर्व-निर्धारित शर्त हैं; और (2) जिन परियोजनाओं के लिए साम्य पूंजी की आवश्यकता है उनके बारे में तथा चालू वर्ष के दौरान उनपर किये जाने वाले सम्भावित व्यय और मंत्रालय द्वारा मांगे गये अन्य सम्बद्ध विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है, अतः इस साम्य पूंजी को निर्मुक्त नहीं किया गया है।

(ख) निगम की लेखे को जल्द से जल्द अन्तिम रूप देने और वांछित जानकारी भेजने की सलाह दी गई है।

डी० डी० ए० की आबंटन नीति के बारे में बावेजा समिति के निष्कर्ष

1001. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में बावेजा समिति द्वारा की गई जांच के दौरान यह पता चला था कि डी०डी०ए० ने आपात स्थिति के दौरान, 7,000 फ्लैट ऐसे व्यक्तियों को आबंटित किये थे, जो डी० डी०ए० में पंजीकृत तक नहीं थे ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान अनियमित रूप से आबंटित किये गये फ्लैटों की संख्या का टाइप-वार और कालोनी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें ऐसे फ्लैट आबंटित किये गये थे और ऐसे व्यक्तियों को कितने फ्लैट आबंटित किये गये थे ; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों और उन आबंटियों के विरुद्ध, जिन्हें ऐसा आबंटन हुआ था, क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा गया है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें।

मध्य प्रदेश में गुप्त कालीन मंदिरों के रख-रखाव का व्यय

1002. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री गुप्त कालीन मंदिरों के रखरखाव के बारे में 3 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1975 से मार्च, 1978 तक की अवधि में गुप्तकालीन मंदिरों और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव पर खर्च की गई धनराशि के बारे में शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी उपयुक्त अवधि में वर्षवार संख्या कितनी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या यह सच है कि कागजों में दिखाई गई धनराशि का वास्तव में मरम्मत और रखरखाव पर खर्च नहीं किया जा रहा था तथा सरकार इस तथ्य का पता लगायेगी कि स्थानीय अधिकारी स्वयं इस कार्य को कराते हैं तथा जाली नामों से दिखा दिये जाते हैं; और

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित वर्ष के बारे में पुनः जांच की जायेगी जिससे वास्तविक खर्च तथा अनावश्यक खर्च का पता लग सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के प्रश्न सं० 5305 में निर्दिष्ट स्मारकों के बारे में कोई शिकायत नहीं है। परन्तु, वर्ष 1977 के दौरान सर्वेक्षण को जिला शिवपुरी के सरेवाया गढ़ी नामक स्मारक के बारे में तीन शिकायतें मिली हैं।

(ग) इस स्मारक की विशेष मरम्मत में किया गया खर्च पुस्तक में निर्धारित आवश्यक आकड़ों पर आधारित है। जब कभी कोई विशेष आरोप लगाया जाता है तो सरकार निष्पक्ष भाव से आवश्यक जाँच करवाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुई का मूल्य

1003. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च, 1978 तक देश में किस्मवार, रुई का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या रुई का मूल्य धीरे धीरे कम हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1977–78 के दौरान देश में कपास के कुल उत्पादन का अनुमान 71.03 लाख गांठों का था। गुण के अनुसार (किस्म-वार) जानकारी सामान्यतः विभिन्न राज्यों से कुछ समय बाद-प्राप्त होती है। वर्ष 1975-76 का किस्म-वार पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध है, जिसे संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। दखिए संख्या एल०टी०-2868/78।**]

(ख) जी हां। वर्ष 1976–77 में कपास के ऊंचे मूल्यों की तुलना में 1977–78 के दौरान इसके मूल्यों में धीरे धीरे कमी आई है। थोक मूल्य का वार्षिक औसत सूचकांक जो 1976–77 में 207.7 था, वर्ष 1977–78 में कपास के मौसम (दिसम्बर से अगस्त) में घट कर 178.1 हो गया। हाल ही में थोक मल्य सूचकांक सितम्बर में 167.8 से मामूली बढ़कर नवम्बर, 1978 के प्रथम सप्ताह में 168.9 हो गया है।

(ग) कपास का देसी उत्पादन 1976–77 के 58.39 लाख गांठ से बढ़कर 1977–78 में 71.03 लाख गांठें होने, 1978–79 में अधिक अच्छी फसल होने की सम्भावना, मिलों द्वारा मानव-निर्मित रेशों की खपत बढ़ने और इस जिन्स के भण्डार की अच्छी स्थिति होने के कारण कपास के मूल्य जुलाई/अगस्त, 1977 से धीरे-धीरे कम हो रहे हैं।

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कार्यकारी दल

1004. **श्री अडुआर्डो फेलोरो :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री चित्त बसु :

श्री ए० सी० जार्ज :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में हाल ही में आई विध्वसकारी बाढ़ के कारणों का पता लगाया है ;

(ख) क्या सरकार ने कार्यवाही योजना सहित बाढ़ नियंत्रण परियोजना तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में हाल में आई बाढ़ों का, जिनमें गंगा बेसिन में आई बाढ़े भी शामिल है, मुख्य कारण बहुत कम समय में बहुत विशाल क्षेत्र में भारी मात्रा में लगातार वर्षा होना और जल निकास अवरूद्ध हो जाना था।

(ख) सरकार ने भारत-गंगा बेसिन में बाढ़-नियंत्रण के लिए और बाढ़ों से होने वाली क्षति को कम करने के लिए इंजीनियरी वर्क्स, भूसंरक्षण और वन-रोपण पर आधारित एक ऐसी एकीकृत परियोजना की रूपरेखा और कार्य-योजना तैयार करने के लिए, जिसे 5 से 7 वर्षों में क्रियान्वित किया जा सके, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

बम्बई में फर्शी भूमि (फ्लोर स्पेस) म वृद्धि

1005. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री बम्बई शहर में फर्शी भूमि (फ्लोर स्पेस) में वृद्धि के प्रस्ताव के बारे में 24 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1099 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सम्बद्ध राज्य सरकार से जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क)जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि बम्बई शहर में फर्शी क्षेत्र (फ्लोर स्पेस) सूचकांक में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः बम्बई शहर के भावी विकास पर और पहले से ही अधिक और भार युक्त नागरिक सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पीतमपुर दिल्ली आने वाली सड़क की बुरी दशा

1006. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि प्रेम बाड़ी पुल से पीतमपुरा आवासीय बस्ती दिल्ली को जाने वाली सड़क की रिंग रोड पर बुरी दशा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मरम्मत कराने के लिए क्या कदम उठाए गये है अथवा उठाए जा रहें है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या कुछ उत्तरदायी अधिकारी भेज कर उस सड़क की दशा का अवलोकन कराने का विचार है ताकि उसकी समुचित मरम्मत की जा सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : प्रेम बाड़ी पुल से लेकर पीत मपुरा रिहायशी योजना तक की सड़क की हालत खराब नही है। इसके कुछ कुछ भाग में पैच लगाने की जरूरत थी और वह जरूरत पूरी कर दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिल्चर में फलों को डिब्बा बन्द करने के लिय कारखाना

1007. **श्री रामसेवक हजारी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतंत्र के सहयोग से सिल्चर, आसाम में फलों को डिब्बा बंद करने के लिए एक कारखाने की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य उन राज्यों में भी ऐसे कारखाने स्थापित करने का है जहाँ बहुतायत में फलों का उत्पादन होता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :(क) और (ख) : अनानस, संतरा और टमाटर की विधायन करने के लिए फल और सब्जी विधायन संयंत्र लगाने के लिए जर्मन जनवादी गणतंत्र और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के विशेशज्ञो ने मिलकर कुछ समय पहले एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी। यह संयंत्र असम में सिलचर अथवा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाना था। जर्मन जनवादी गणतंत्र से मशीनों की लागत पूरी करने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मिलने की आशा थी। इस परियोजना की स्थापना की सम्भावना पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ विचार कर रहा है।

(ग) कुछ राज्य सरकारों न फलों का विधायन करने के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए इसी प्रकार की परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

उड़ीसा तट पर समुद्री दीवार की योजना

1008. **श्री सरत कार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 550 किलो मीटर लम्बी तट लाइन वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर और कमजोर तटवर्ती जिलों को बार-बार आने वाले समुद्री तुफानों के झटकों से बचाने के लिए उड़ीसा की समुद्री तुफान विरोधी समुद्री दीवार की महत्वाकांक्षी योजना में अन्तर्विभागीय विवादों और विभागीय क्षेत्राधिकारों का उत्साहपूर्वक बचाव किये जाने के कारण बाधा पड़ गई लगती है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1971 के समुद्री तूफान के ठीक बाद राज्य सरकार ने समुद्री तुफानों और ज्वार तरंगों के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को जाँच करने के लिए तकनीकी समिति गठित की थी और पुरे तट पर कुछ सुझावों सहित पुरे तट पर एक किलो मीटर की गहराई वाला तटवर्ती तटबंध बनाने की सिफारिश की थी ताकि वायु की गति का मुकाबला कया जा सके ; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है और उस पर कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है कि अन्तर्विभागीय मतभेदों के कारण चक्रवात-रोधी समुद्री दीवार स्कीम पर असर पड़ा है।

(ख) और (ग) : तटवर्ती पट्टों में बाढ़ और चक्रवात संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने तथा भविष्य में आने वाले चक्रवातों तथा ज्वारीय लहरों से तटवर्ती पट्टी क्षेत्र की सुरक्षा के उपायों की, जो आर्थिक दृष्टि से उचित हों सिफारिश करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने नवम्बर, 1971 में राज्य के तत्कालीन राज्यपाल डा० ए० एन० खोसला की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ एक आम सिफारिश यह की थी कि एक सुरक्षात्मक तटवर्ती बांध का निर्माण किया जाए जिसकी भूमि वाली तरफ बगान लगाये जाएं और समुद्र की तरफ एक किलोमीटर की चौड़ाई में वनरोपण किया जाए। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा पट्टी तैयार करने के लिए तटवर्ती बगानों की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार ने मिश्रित बगानों की एक किलोमीटर चौड़ी निरंतर सुरक्षा पट्टी की व्यवस्था करने के लिए जो 2,080 किलोमीटर लम्बी होगी, एक स्कीम अनुमोदित की है। यह पट्टी गंजम, पुरी, कटक और बालासोर जिलों के तट पर होगी। इस स्कीम पर 773.45 लाख रुपय की लागत आने का अनुमान है और यह 1978–79 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वित की जाएगी और इसका सम्पूर्ण वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। 1978–79 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 35 किलोमीटर की लम्बाई में पेड़पौधें लगाने के लिए 78 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पौधे लगाने का काम जारी है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सुरक्षात्मक तटवर्ती तटबंध बनाने की सिफारिश की जांच की जाएगी और यदि सुरक्षात्मक पट्टी सफल सिद्ध हुई तो उसे भावी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा

गोपालपुरा जिले में कईम भासानी नदी से भूमि कटाव

1009. **श्री अहमद हुसेन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अथवा इसके किसी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने आसाम के गोपालपुरा जिले में दुबरी, हमीदाबाद और महिसा में कईम भासानी नदी में भूमि कटाव रोकने के लिए कोई योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है ;

(ख) राज्य सरकार ने सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नदी से भूमि कटाव से प्रभावग्रस्त हुए लोगों को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : असम सरकार के ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग ने असम के डुबरी जिले में कईम भासानी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे पर भू-कटाव-रोधी उपायों की व्यवस्था करने के लिए स्कीम तैयार की थी। ब्रम्हपुत्र बाढ नियंत्रण आयोग के तकनीकी सलाहकारों के के बोर्ड ने अक्तूबर, बोर्ड 1978 में हुई अपनी बैठक में इस स्कीम** सिफारिश नहीं की क्योंकि यह देखा गया कि जिस क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रस्ताव है वह नदी के बाढ़ प्लेन के अन्तर्गत है और उनके जलमग्न होने की संभावना है तथा स्कीम में शामिल प्रस्ताव पर्याप्त नही है। यह भी पाया गया कि भरोसे योग्य भू-कटाव-रोधी वर्क्स की व्यवस्था करने में 400 लाख रुपए से 500 लाख रुपए तक का खर्च आएगा जो 1060 हैक्टेयर कृषि भमि और 10.5 लाख रुपए की इमारतों और मकानों को सुरक्षाप्रदान करने के लिए आर्थिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं होगा। महिसा से संबंधित प्रस्ताव, सलाहकारों के बोर्ड द्वारा अपनी दिसम्बर, 1977 में हुई बैठक में व्यक्त किए गए विचारों के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं। जहाँ तक हमीदाबाद के सुरक्षा का सबंध है, राज्य सरकार ने सुचित किया है कि स्थिति के जाँच की जा रही है।

भू-कटाव से बचाव की व्यवस्था करने के प्रश्न को, उस पर किए जाने वाले खर्च से होने वाले लाभों के संदर्भ में देखा जाना जरूरी है। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके अनुसार किया जाना होगा।

** पर विचार किया था।
सलाइकारों के बोर्ड न इस स्कीस की

समुद्र से मछली पकड़ने और ट्रालरों के लिए बड़े व्यापार गृहों को लाइसेन्स दिया जाना

1010 **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रमुख बड़े व्यापार गृह को, जिसके विभिन्न क्षेत्रो में हित हैं, हाल में समुद्र में से मछली पकड़ने और ट्रालरों के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या इस बड़ी व्यापारिक फर्म द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस के आवेदन पत्र के बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग से परामर्श नहीं किया गया था । जैसा कि एकाधिकार एवं निर्बंधात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योग गृहों द्वारा नए लाइसेंसों के लिए दिये जाने वाले आवेदन पत्रों के बारे में सामान्य पद्धति है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके मामले में कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क), (ख) तथा (ग) माननीय सदस्य किसी विशेष बड़े-व्यापारी-घराने का नाम बताने की कृपा करें । भारत सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम के अन्तगत पंजीकृत किसी भी बड़े व्यापारी-घराने को समुद्र में मत्स्यन एवं ट्रालरों के आयात की अनुमति देने से पहले एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम के प्रावधानों में किसी प्रकार की प्रवंचना नहीं की है ।

विम्को और यूनियन कारबाइड आदि जैसी बहुराष्ट्रीय फर्मों को बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने के लिये लाइसेंस दिया जाना

1011. **श्री सी० एन०विश्वनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विम्को और यूनियन कारबाइड आदि जैसी बहुराष्ट्रीय फर्मों को बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने के लाइसेंस दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस दिये जाने के निश्चित सिद्धांत क्या है और क्या उक्त सिद्धान्त समस्त नीति का अंश है ; और

(ग) उक्त नीति के परिणामस्वरूप क्या ठोस लाभ होने का अनुमान है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) चाहे कम्पनी बहुराष्ट्रीय हो या नहीं, मछली पकड़ने का धन्धा लाइसेंस-योग्य उद्योग नहीं है । तथापि, चार्टर्ड जलयानों के जरिए मछली पकड़ने की अनुमति मामले के गुणा-वगुण के आधार पर दी जाती है ।

(ख) गहरे समुद्र म मछली पकड़ने के कार्य में अधिक पूंजी लगती है और गहरे समुद्र के मात्स्यिकी संसाधनों के संबंध में जानकारी का अभाव होने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यों के लिये विशेषज्ञता की कमी होने की दृष्टि से सीमित अवधि के लिये विदेशी जलयानों को किराये पर लेने के लिये अनुमति दी जाती है, ताकि उद्यमी पूंजी लगाने के संबंध में निर्णय ले सकें ।

(ग) मछली पकड़ने के परम्परागत क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों के मात्स्यिकी संसाधनों के संबंध में ज्ञान की अधिप्राप्ति गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यों में जन-शक्ति के प्रशिक्षण के जरिए तकनीलोजी का आदान-प्रदान होना और विदेशी मुद्रा की आय ।

मध्य प्रदेश के किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराना

1012. **श्री राघवजी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के किसानों को बुवाई के समय इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध नही कराये जा सके ;

(ख) पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक वितरित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को दूर करन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) रबी 1978–79 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का जायजा मौसम प्रारम्भ होने से पहले राज्य सरकार की सलाह से लिया गया था । राज्य सरकार द्वारा बताई गई मासिक आवश्यकता के अनुसार, अगस्त-अक्तूबर, 1978 की अवधि के दौरान पोटाशयुक्त उर्वरकों

की आवश्यकता से अधिक सप्लाई की गई थी। इसी अवधि के दौरान परिवहन की कठिनाइयों, बन्दरगाहों पर श्रम-समस्याओं तथा कारखानों में उत्पादन की समस्याओं के कारण नाइट्रोजन और P_2O_5 की सप्लाई में मामूली कमी आई थी। राज्य की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं और इसके फलस्वरूप चालू मौसम के लिए आयातित यूरिया तथा डी०ए०पी० की सम्पूर्ण आवश्यकतायें राज्य सरकार को पहले ही उपलब्ध कर दी गई हैं। किसी राज्य में उर्वरकों का आंतरिक वितरण राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और स्थानीय कमी से बचने के लिए उपाय करना उसका कार्य है

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सरकार राज्य के अनेक केन्द्रों में बफर स्टाक रख रही है। राज्य के भाण्डागारों में 31-10-1978 को लगभग 47,000 मीटरी टन पौषक उर्वरक उपलब्ध था।

उर्वरकों और कीटनाशी पदार्थों के मूल्य को कम करना

1013, **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री वीरेन्द्र प्रसाद :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों और कीटनाशी पदार्थों के मूल्य को कम करने के लिए जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) आदानों के मूल्य तथा उनको कम करने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर बातें उठती हैं। सरकार की नीति उर्वरक के मूल्यों को कम से कम करने की है। इस संदर्भ में 18-7-75 से 12-11-77 तक की अवधि के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में छः बार कमी की गई थी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए थे।

(क) म्यूरेट आफ पोटाश पर लगाये गये समान शुल्क का उन्मूलन किया गया।

(ख) सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन शुल्क कम किया गया।

(ग) देशी P_2O_5 पर आर्थिक सहायता दी जाए।

(घ) फास्फेटिक एसिड तथा राक फास्फेट पर लगाये गये शुल्क को भी कम किया गया।

(ङ) नाइट्रोजनधारी उर्वरकों के देशी विनिर्माताओं के लिए मूल्य बनाए रखने की योजना भी लागू की गयी। जहां तक कीटनाशी औषधि का संबंध है, इसे आवश्यक जिन्स के रुप में घोषित किया गया है ताकि इसका मूल्य नियंत्रित किया जा सके।

प्रदूषण

1014, **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री पी० राजगोपाल नायडु :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या का अध्ययन करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का ब्यौरा क्या है और उसके कार्य क्या हैं और इसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जल, वायु और मिट्टी में प्रदूषण को रोकने और पर्यावरणीय संबंधी प्रदूषण की अन्य समस्याओं को हल करने के लिए औद्योगिक कृषि और नागरिक गतिविधियों का समन्वय करने क लिए, दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र का समग्र रूप से अध्ययन करने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन द्वारा दिसम्बर, 1977 में एक उच्च स्तरीय पर्यावरणीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन अनुलग्नक-1

में दिया गया है। इस समिति ने हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण का पता लगाने, उस पर नियंत्रण करने और उसे रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की है। इस उप-समिति का गठन विवरण-II में दिया गया है। उप-समिति की शीघ्र ही बैठक होने तथा सुझाव देने की संभावना है।

विवरण–I

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय समिति का गठन

1.	मुख्य कार्यकारी पार्षद्	अध्यक्ष
2.	दिल्ली के महापौर	सदस्य
3.	डा० अमर नाथ कुमार, सदस्य महानगर परिषद	सदस्य
4.	मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	सदस्य
5.	अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम	सदस्य
6.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
7.	आयुक्त, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
8.	विकास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन	सदस्य
9.	उपायुक्त, दिल्ली	सदस्य
10.	उद्योग निदेशक तथा सचिव (विद्युत), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	सदस्य
11.	अध्यक्ष/सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका	सदस्य
12.	परिवहन निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	सदस्य
13.	मुख्य इंजीनियर (बाढ़), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	सदस्य
14.	महाप्रबंधक, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	सदस्य
15.	डा० निलय चौधरी, अध्यक्ष, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड	सदस्य
16.	श्री एस० एस० शफी, अतिरिक्त मुख्य आयोजक, नगर व ग्राम आयोजना संगठन	सदस्य
17.	श्री भारत के बसंल, वरिष्ठ विशेषज्ञ, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
18.	सचिव (स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग), दिल्ली प्रशासन	सदस्य

उप सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन इस समिति के सचिव होंगे।

विवरण–II

पर्यावरणीय उप समिति का गठन

1.	मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डा० अमरनाथ कुमार, सदस्य, महानगर परिषद	सदस्य
3.	डा० निलय चौधरी, अध्यक्ष, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड	सदस्य
4.	डा० आर० पी० सिंह, रसायन विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
5.	डा० एन० एल० रामनाथन, निदेशक (पीईसी), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6.	श्री पी० के० दास, मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक, लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
7.	सलाहकार (पी०एच०ई०ई०) निर्माण और आवास मंत्रालय	सदस्य
8.	डा० जे० एम० दवे, पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
9.	डा० एस० पी० चोपड़ा, विट्ठलभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली	सदस्य
10.	पुलिस आयुक्त, दिल्ली	सदस्य
11.	आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली	सदस्य
12.	अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली	सदस्य
13.	सचिव (स्थानीय स्वायत्त शासन)	सदस्य-सचिव

4—471 L.S.S./(ND)/78

14. उप आयुक्त, दिल्ली . . . . . सदस्य
15. श्रम आयुक्त, दिल्ली . . . . . सदस्य
16. डा० ओ० पी० शर्मा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा . . . . सदस्य

पेय जल की कमी

1015. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य के 33,30 5 ग्रामों में से लगभग 24,031 ग्रामों में पेय जल की कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश ग्रामों में जहां जल उपलब्ध है, यह मनुष्यों के पीने लायक कतई नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिये एक योजना प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) : 1971–72 में सूचित किये गये समस्या ग्रस्त ग्रामों में से 1 अप्रैल, 1978 तक 3122 ऐसे समस्या ग्रस्त ग्राम शेष रह गये जहां स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं कराया गया । इन ग्रामों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य की गति को बढ़ाने के लिये, राज्य को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियां दी जा रही हैं ।

राज्य सरकार के बाढ़ के सर्वेक्षण के अनुसार, अगस्त, 1978 को उन समस्या ग्रस्त ग्रामों की संख्या 14060 थी जहां स्वच्छ पेय जल उपलब्ध नहीं कराया गया । राज्य सरकार द्वारा अब सूचित किये गये अतिरिक्त ग्रामों की पात्रता पर केवल उस समय विचार किया जाएगा जब उन ग्रामों को पूर्णतया कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया जाएगा जिनकी सूचना राज्य सरकार ने पहले दी थी ।

माडर्न बेकरीज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1016. **श्री रामजी लाल सुमन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडर्न बेकरीज, दिल्ली में कुल कितने श्रमिक हैं ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इस बेकरी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या अनुपात से कम है ; और

(घ) यदि नहीं तो इस बेकरी में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कितनी कितनी प्रतिशतता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) मार्डन बेकरीज़ के दिल्ली यूनिट में कर्मचारियों (जिनमें ग्रुप ए और बी शामिल है) की कुल संख्या 199 है ।

(ख) :

कुल	ग्रुप	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता
7	ए	शून्य	..	शून्य	..
8	बी	शून्य	..	शून्य	..
79	सी	4	5%	शून्य	..
105	डी	13	12.4%	1	0.95%

(ग) जी, हां ।

(घ) यह ऊपर (ख) में बताया गया है ।

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में मनोरंजन के लिये हरित क्षेत्र

1017. **श्री किशोर लाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहत योजना (मास्टर प्लान) में दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में मनोरंजन के लिये कितना हरित क्षेत्र आरक्षित किया गया था ;

(ख) इसमें से कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है ; और

(ग) सरकार का विचार मनोरंजन के लिये हरित क्षेत्र की प्रतिपूर्ति किस प्रकार करने का है और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका पता लगाया जा सकता है और जिसकी भूमि का उपयोग बदला जा सकता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 953.6 हैक्टेयर।

(ख) सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) यमुना-पार क्षेत्र का नया नक्शा पुनः बनाते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जायेगा।

ग्रामीण उत्पादन क्षमता के लिये खाद्य और कृषि संगठन द्वारा सहायता

1018. **श्री कीरित विक्रम देव वर्मन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1978 को खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा जकार्ता में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि एशिया में 5320 लाख से अधिक व्यक्ति बेहद गरीबी में रह रहे हैं और उनमें से अधिकांश भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में हैं, यदि हां, तो भारत में 'बेहद गरीबी' की हालत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) सरकार द्वारा भारत में ग्रामीण उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन से मांगी गई सहायता, संगठन द्वारा पेश की गई या जिस सहायता के लिए वचन दिया गया है उसका ब्यौरा क्या है जिससे देश को उपर्युक्त स्थिति से निकाला जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अक्तूबर, 1978 को जकार्ता के खाद्य व कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में कृषि और सिंचाई मन्त्रालय को कोई सूचना नहीं है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेन्सी होने के कारण खाद्य एवं कृषि के क्षेत्र में अपना उत्तरदायित्व निभाने में खाद्य एवं कृषि संगठन का प्रमुख कार्य विभिन्न राज्यों को परियोजनाओं में सहायता देना है। सदस्य राष्ट्रों को जब कभी भी आवश्यकता होती है खाद्य व कृषि संगठन अपने विशेषज्ञों की परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 1976 में खाद्य एवं कृषि संगठन ने 1976–77 के लिए अपने नियमित बजट में से 18.5 मिलियन डालर की राशि से एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम विधि सृजित की। इसका लक्ष्य विशेषज्ञ या उपस्कर प्रदान करके कृषि विकास में होने वाली भारी कमियों को दूर करने के लिए खाद्य व कृषि संगठन की नियमित विधियों से विकासशील राष्ट्रों को सहायता देना है। अब तक खाद्य व कृषि संगठन ने अपने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को 8,95,000 डालर की एक अनुदान की पेशकश/वायदा किया है। भारत ने कई अन्य परियोजनाओं के लिए 1,75,000 डालर की तकनीकी सहयोग कार्यक्रम सहायता की मांग की है।

तिलहन विकास तथा तेल विपणन व्यवस्था बनाने के लिये परियोजना

1019. **श्री एस० जी० मुरुगैय्यन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को अमरीका की कोओपरेटिव लीग की सहायता से तिलहन विकास तथा तेल विपणन व्यवस्था बनाने के लिये परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने किसानों द्वारा उत्पादन की तकनीकें अपनाने में उनकी सहायता करने के लिये एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस तकनीकों के अपनाने से जलवायु की विषमताओं के कारण मूंगफली की फसल पर पड़ने वाली प्रभावशीलता कम हो जाएगी और पैदावार में वृद्धि होगी। इससे मूल्यों में वर्षानुवर्ष आधार पर स्थिरता भी आएगी, जिसे उत्पादकों की आय बढ़ सकेगी। इस प्रयोजन के

लिये लितहन उत्पादक सहकारी समितियों का एक संघ गठित करके मंगफली के उत्पादन, परिसंस्करण तथा विपणन को समन्वित किया जाएगा । इस योजना की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

(1) उपयुक्त स्थानों पर फार्म स्थापित करके बीजों के उत्पादन की व्यवस्था करना तथा उसे उत्पादकों को सप्लाई करना (ये फार्म अनुकूली अनुसंधान का उद्देश्य भी पूरा कर सकते हैं) ।

(2) एक समन्वित मूल्य पर उत्पाद की अधिप्राप्ति तथा परिसंस्करण की व्यवस्था करना ।

(3) उपभोक्ता सहकारी समितियों के जरिए वनस्पति तेलों का विपणन करना ।

भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिये बोर्ड तथा अमेरिका के सहकारी लीग के बीच होने वाले प्रस्तावित करार के मसौबे के संबंध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की अपनी अनुमति दे दी है ।

कृषि सहकारी ऋण समितियों की सदस्य संख्या

1020. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि ऋण सहकारी समितियों, जिन्हें सहकारी आन्दोलन का आधार-स्तम्भ होने का दावा किया जाता है, की कुल सदस्य संख्या क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : 30-6-77 को देश में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों की कुल सदस्यता 448.31 लाख थी ।

पुनर्वास और पूर्ति मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

1021. **श्री वी० सी० काम्बले :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में प्रत्येक सेवा वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं, जिनके गोपनीय रिकार्डों में उनके विरुद्ध निन्दात्मक टिप्पणियाँ है तथा वे टिप्पणियाँ किस प्रकार की हैं और उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के इन कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी अविवेकपूर्ण टिप्पणियों के मामले में, जिन से उनकी पदोन्नति के अवसर समाप्त होते हैं, उनके साथ न्याय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) ऐसे किसी कर्मचारी के बारे में लिखी गई टिप्पणियाँ अविवेकपूर्ण हैं या नहीं, यह प्रश्न तो मामले के गुण-दोषों पर तथा इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे टिप्पणियाँ प्रमाणित की जा सकती है या नहीं । वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के रख रखाव के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी सरकारी हिदायतें तथा किसी भी अप्रमाणित टिप्पणी के खिलाफ बचाव तथा उपचार सम्बन्धी सुविधायें, जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं, वे इन सुविधाओं की याचना करने वाल किसी भी पीड़ित कर्मचारी के बारे में अपनाई जायेंगी ।

दिल्ली में मछली पकड़ने के लिये लाइसेंस शुल्क

1022. **श्री श्रीकृष्णन सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला, दिल्ली में मछली पकड़ने के लिये लाइसेंस शुल्क 1.25 रुपये प्रति दिन हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये मछली पकड़ने के स्थानों में लाइसेंस शुल्क 5 रु० प्रति दिन है ;

(ग) ओखला, दिल्ली में लिये जाने वाले शुल्क की तुलना में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चार गुना अधिक शुल्क लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मछली पकड़ने के अपने विकसित स्थानों में मछली पकड़ने को खेल के रूप में प्रोत्साहन देने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार लाइसेंस शुल्क कम करने और यदि आवश्यक हो तो मछली पकड़ने की मात्रा को सीमित करने अर्थात् प्रति लाइसेंस, प्रतिदिन 5 किलो करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) शौकिया तौर पर मछली पकड़ने के प्रयोजन के लिए ओखला जल क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है । आरक्षित स्थल सहित शौकिया तौर पर मछली पकड़ने का दैनिक लाइसेंस शुल्क 2.50 रुपये है और आरक्षित स्थल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए 1.25 रुपये है ।

(ख) जी, हां । दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने द्वारा विकसित किए गए मछली पकड़ने के स्थानों में प्रतिदिन 5.00 रुपये शुल्क लेता है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए मछली पकड़ने के स्थान स्थिर जल और तालाबों में हैं, न कि बहते हुए जल में । ये स्थान मनोरंजन हेतु हैं और इनके रख-रखाव पर काफी राशि खर्च की जाती है । ये शुल्क लागत के अनुरूप होते हैं ।

(घ) लाइसेंस शुल्क को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जल संसाधन परिषद् की स्थापना करना

1023. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई आयोग ने जल संसाधन परिषद की स्थापना करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) अंतर्राज्यीय नदियों के जल के उचित प्रबंध और इष्टतम समुपयोजन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संस्थात्मक प्रबंध करने के प्रश्न पर, जिनमें जल संसाधन परिषद की स्थापना करने की बात भी शामिल है, सरकार कुछ समय से विचार कर रही है । चूंकि इन प्रस्तावों में संवैधानिक और विधि संबंधी मामले निहित हैं और इसका संबंध केन्द्र और राज्यों के बीच के संबंधों के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू से हैं, इसलिए इस बारे में राज्यों के विचारों पर अच्छी तरह विचार किए जाने की आवश्यकता है । सरकार इस मामले के महत्व को समझती है और एक व्यवहार्य निर्णय पर पहुंचने के सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं, हालांकि इसमें अभी कुछ समय लगेगा ।

बाढ़ के पानी को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड का गठन

1024. **श्री पूर्णनारायण सिन्हा :**
श्री कीरित विक्रम देव बर्मन ।

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के पानी को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड का गठन करने के लिए कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ तो इस बोर्ड का गठन कब तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है और काम कब शुरू किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बोर्ड के गठन के बारे में कौन सी बाधाएं हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :(क) से (ग) : सिंचाई, जल-विद्युत, नौचालन और अन्य लाभों के लिए ब्रह्मपुत्र बैसिन के जल संसाधनों से विकास और उपयोग को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़-नियंत्रण, तट कटाव को रोकने और जल-निकास में सुधार करने की मास्टर योजना तैयार करने और बहुप्रयोजनी नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण और अन्य संबंधित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड का गठन करने के लिए एक विधेयक का मसौदा संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की सूची में शामिल हैं ।

10+2+3 शिक्षा प्रणाली पर निर्णय

†1025. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर :**
श्री विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री ओमप्रकाश त्यागी :
श्री वी० जी० हांडे :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को लागू करने का है ; और

(ख) शिक्षा के क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क)और(ख) : नई दिल्ली में 13-15 जुलाई, 1978 को हुए राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

"शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में देश की औपचारिक शिक्षा के ढांचे पर विचार किया गया । सम्मेलन ने यह बात नोट की कि 26 राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों ने 10+2+3 प्रणाली, अर्थात् 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा तथा तीन वर्ष की कालेज शिक्षा लागू कर दी है, जैसा कि शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में सिफारिश की गई थी ।

सम्मेलन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रति राज्यों के दायित्व पर भी विचार किया और उसका यह मत है कि जब तक आठवीं कक्षा एक मान्य स्तर है शिक्षा की यह प्रणाली किसी भी प्रकार से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है ।

सम्मेलन इस बात से सहमत है कि स्कूल शिक्षा की प्रणाली में 12 वर्ष की अवधि की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शामिल होनी चाहिए ।

उच्चतर शिक्षा का अवर-स्नातक स्तर तीन वर्ष की अवधि का हो सकता है । तथापि, यदि राज्य सरकार चाहे तो यह अवधि पास पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष की और आनर्स पाठ्यक्रम के लिए तीन वर्ष की हो सकती है ।"

सोवियत संघ तथा अन्य देशों से उधार लिया गया गेहूं लौटाया जाना

1026. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस तथा अन्य देशों से भारत ने ऐसा गेहूँ कितनी मात्रा में उधार लिया जिसे समझौते की शर्तें पूरी करने के लिये उसे लौटाना है ;

(ख) इस को अब तक कितनी मात्रा में गेहूँ लौटा दिया गया है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी मात्रा पूरी की जानी शेष है ;

(ग) क्या किसी देश से उधार लिया गया गेहूँ केन्द्रीय सरकार द्वारा अब भी वस्तु या धन के रूप में चुकता किया जाना है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख): भारत ने सोवियत रूस के सिवाय अन्य किसी देश से उधार के रुप में खाद्यान्नों का आयात नहीं किया है । इसे जिन्स के रूप में लौटाया जाना है । 1973-74 में सोवियत रूस से उधार के रूप में प्राप्त गेहूँ की शेष 14.98 लाख मीटरी टन की मात्रा जोकि रूस को लोटाई जानी है, में से लगभग 8.73 लाख मीटरी टन मात्रा का 15-11-1978 तक लदान हो गया है और शेष 6.25 लाख मीटरी टन मात्रा का लदान जून, 1979 के अन्त तक पूरा होना है ।

(ग) और (घ) : केवल संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा देश है जिसने भारत को उधार के अधार पर खाद्यान्न दिए हैं । 15 जून, 1951 को हस्ताक्षर हुए एक करार के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1895.6 लाख अमरीकी डालर का ऋण दिया था । इस राशि को 20 लाख मीटरी टन गेहूं खरीदने पर खर्च करना था । ऋण की अदायगी डालरों में की जानी है और इस ऋण की बकाया राशि 1-4-1978 को 1386.91 लाख अमरीकी डालर है । इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1967 से पी० एल० 480 के अधीन विनिमय मुद्रा क्रेडिट ऋण के प्रति कुछ खाद्यान्न और अन्य कृषि जिनसें सप्लाई की हैं जिनका भुगतान डालरों में किया जाना है ।

मध्य प्रदेश में कृषक शरणार्थियों को राहत

1027. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि उसराम जिला सतना, मध्य प्रदेश के कृषक शिरणार्थियों को अत्यधिक वर्षा के कारण भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उन्हें राहत देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण उसरार, जिला सतना में पुनर्वास परियोजना में खरीफ की फसलों को हानि हुई है ।

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश को, राज्य में बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या को दी जाने वाली राहत की भांति, राहत सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है ।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को आवास का आबंटन

1028. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों तथा सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को उसके पदाधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को 30 सितम्बर, 1978 तक आबंटित मकानों/बंगलों/निर्मित क्षेत्र सहित सूटों की संख्या का दल-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत 16 महीनों में विभिन्न श्रेणियों के जिन संगठनों तथा व्यक्तियों को सरकारी मकान, बंगले रिहायशी दरों पर आबंटित किये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के आबंटन में भेदभाव तथा विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तियों को सरकारी बंगले आबंटित करने की नीति की समीक्षा के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) ऐसे संगठनों तथा व्यक्तियों पर 30 सितम्बार, 1978 को मकान किराये की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ङ) इस बारे में सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (घ) : इस सूचना के संबंध में तीन विवरण संलग्न हैं । इनमें प्रेस संवाददाता शामिल नहीं हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–2869/78]

(ख) विठ्ठलभाई पटेल हाऊस में जनता पार्टी को दो सूट आबंटित किए गए हैं तथा टाईप- IV का एक मकान एक व्यक्ति को आबंटित किया गया है ।

(ग) समय-समय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उनकी जांच की गई थी । प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का कोई पृथक सांख्यिकीय संकलन नहीं रखा गया है ।

(ङ) बकाया लाइसेंस फीस की वसूली यथासम्भव शीघ्र करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं तथा जिन मामलों में जरूरी समझा जाए उनमें लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कारवाई की जाती है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के अस्थायी शिक्षक

1029. **श्री श्यामसुन्दर गुप्त :**
श्री पीयूष टिर्की :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है कि गैर-सरकारी सम्बद्ध कालेजों में नियुक्त सब अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को बढ़ाया जायेगा चाहे उनके लिए शिक्षण का कार्य न हो ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपयुक्त मामलों में अपना शिक्षक/शिष्य/अनुपात सम्बन्धी नियम समाप्त कर दिया है ; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय की यह नीति है कि किसी शिक्षक की विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध कालेज में एक बार केवल अस्थायी रिक्त स्थान पर नियुक्त किये जाने पर इसे स्थायी तौर पर नियुक्त कर लिया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर यथा समय रख दी जायेगी ।

बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना

1030. **प्रो० समर गुह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या ऐसी योजना की क्रियान्विती के लिए नेपाल के साथ कोई करार किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उस करार के बारे में तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में जहां राज्य में बाढ़ की स्थिति अत्यधिक खराब होती है, विभिन्न बांधों और बराजों से जल की असाधारण निकासी के बारे में जांच की गई है ; और

(च) यदि हां, तो इस जांच से निकले निष्कर्षों के तथ्य क्या हैं तथा भविष्य में ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) । बाढ़-नियंत्रण के संबंध में एक दीर्घकालीन नीति के लिए समन्वित एकीकृत और वैज्ञानिक कार्य-प्रणाली तैयार करने के लिए, पिछले दो दशकों में बाढ़ नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए बाढ़-नियंत्रण की समस्या का गहराई से अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की थी । आयोग द्वारा 1979 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देने की संभावना है।

1978 से 1983 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान बाढ़-नियंत्रण की कार्यप्रणाली, नीतियों, और कार्यक्रमों के बारे में सिफारिश देने के लिए सिंचाई विभाग ने योजना आयोग की सलाह पर एक कार्यकारी दल का गठन किया था ।. कार्यकारी दल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में 680 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की थी । कार्यकारी दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में चालू स्कीमों को शीघ्रता से पूरा करने और नई अपेक्षित स्कीमों को हाथ में लेने की सिफारिश की थी, और लम्बी अवधि की योजनाओं और बाढ़ फ्लड-प्लैन रेग्युलेशन के पर्याप्त रख-रखाव उसकी शीघ्रता से अन्तिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया था ।

बाढ़-नियंत्रण को एक ऐसी बहुविषयक कार्य-योजना तैयार करने के लिए, जिसे 5 से 7 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जा सके, एक अन्य कार्यकारी दल का गठन किया गया है । इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) और (घ): गंगा बैसीन के लिए तैयार की गई बाढ़ नियंत्रण योजना में उपयुक्त स्थानों पर सहायक नदियों पर जल संचय जलाशयों का निर्माण भी शामिल है । भारत म, खासकर उत्तर भारत में, पर्याप्त जलसंचय विशेषताओं वाले जलाशयों के लिए बांध बनाने के लिए भौगोलिक और स्थलाकृतिक दृष्टि से स्वीकार्यअनुकूल स्थान उपलब्ध नहीं है । लेकिन, गंगा की उत्तरी सहायक नदियों पर, जो नेपाल से भारत की ओर बहती है, जल-संचय जलाशयों के निर्माण के लिए, उपयुक्त स्थल हैं जिन्हें न केवल बाढ़-नियंत्रण के लिए बल्कि दोनों देशों में सिंचाई और जल-विद्युत लाभों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है । नेपाल में राप्ति (भालूबंग) परियोजना तथा भारत नेपाल सीमा पर पंचेश्वर परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त अन्वेषण संयुक्त रूप से करने के लिए और नेपाल में करनाले परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रारंभिक मामलों की जांच करने के लिए सहमति हुई है ।

(ङ) और (च) : जल-संचय जलाशय परियोजनाएं बाढ़ों को कम करने में काफी हद तक बहुत लाभकारी हुई हैं । यदि इन जलाशयों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रचालन न किया जाता तो इन जल संचय जलाशयों के अनुप्रवाह में स्थित क्षेत्रों में बाढ़ से अपेक्षाकृत बहुत क्षति हो जाती । पश्चिम बंगाल के मामले में विशेष रूप से दामोदर घाटी निगम के जलाशयों से फ्लड-पीक को काफी हद तक कम करने में बहुत अधिक सहायता मिली है । दामोदर घाटी निगम प्रणाली के अन्तिम जलाशयों में 24,300 क्युमेक्स (8. 51 लाख क्युसेक्स) के उच्चतम जल-प्रवाह को नियंत्रित करके अधिक से अधिच केवल 4,571 क्युमेक्स (1. 6 लाख क्युसेक्स) जल छोड़ा गया ।

इस बात को देखते हुए कि जल-संचय जलाशयों से सुनिश्चित लाभ हुआ है, दामोदर घाटी निगम प्रणाली मे एक अन्य जलाशय और कंसवती की ऊपरी पहुंचों में इस नदी पर एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव है । पंचेश्वर और मेथीन जलाशयों

के द्वार स्तर तक की अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और इससे मौजदा उपलब्ध जल संचय-क्षमता के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त जल-संचय क्षमता की व्यवस्था हो जाएगी। इससे बाढ़ जल के प्रवाह को और नियंत्रित करने में काफी सहायता मिलेगी।

उड़ीसा में सामुदायिक नल कूपों के लिये केन्द्रीय अनुदान

1031. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि उड़ीसा राज्य भारत में सब से पिछड़ा हुआ राज्य है और उससे सामुदायिक नल कूप लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उड़ीसा राज्य के कुछ क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र माने गये हैं। सामुदायिक कार्य जिनमें नलकूप भी शामिल हैं, के लिये छोटे कृषक विकास एजेंसी, सूखा प्रवरण क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम तथा कमान क्षेत्र विकास जैसे विशेष केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के तहत सभी छोटे और सीमान्त कृषकों के लाभ के लिये 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। यह आर्थिक सहायता अब कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, विशेष केन्द्रीय कायक्रम या कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम जैसी योजनाएं जिन्हें राज्य भू-जल निदेशालय ने विधिवत् मुक्त कर दिया है, से बाहर छोटे और सीमान्त कृषकों को भी दी जायेगी।

(ख) इन विशेष केन्द्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत नलकूप सहित सामुदायिक कार्यों के लिये दी गयी वित्तीय सहायता के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। छोटे कृषक विकास एजेंसी, जिसमें उड़ीसा राज्य में लघु सिंचाई भी शामिल है, के कार्यक्रमों के लिये कुल परियोजना परिव्यय 850 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा राज्य के छोटे कृषक विकास एजेंसी क्षेत्रों में 69 ब्लाक तथा सघन खण्ड विकास कार्यक्रम के लिये चुने गये हैं और समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत 1978–79 के दौरान 345 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस कार्यक्रम के तहत सायुदायिक निर्माण कार्य सहित लघु सिंचाई योजनाएं भी शामिल की गयी हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कालाहाण्डी तथा फूलबनी जिले भी शामिल किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना भी शामिल की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने सामुदायिक नलकूपों के लिए अभी तक नहीं कहा है। वर्ष 1976–77 और 1977–78 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिगत जल योजना तथा फार्म विकास के लिये आर्थिक सहायता के रूप में 14 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी। वर्ष 1976-77 और 1978-79 के दौरान समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये विशिष्ट केन्द्रीय सहायता हेतु 6 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी।

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

1032. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 और 1977–78 में देश में कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाई गई ;

(ख) मंझली सिंचाई क्षमता के बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष के लिए राज्यवार अनुमानित सिंचाई क्षमता कितनी है तथा इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश म 1976–77 और 1977–78 के वर्षों में सृजित की गई अतिरिक्त सिंचाई शक्यता निम्न प्रकार है :—

1976–77	2,012,000 हैक्टेयर
1977–78 . .	2,564,000 हैक्टेयर

(ख) सूचना **उपाबंध-एक** में दी गई है।

(ग) वर्तमान वर्ष के लिए अनुमानित अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का राज्यवार ब्यौरा **उपाबंध-दो में दिया गया है।** इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण—I

1976-77 और 1977-78 के वर्षों में मध्यम स्कीमों से सृजित सिंचाई शक्यता का राज्यवार ब्योरा

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1976-77	1977-78
1	आंध्र प्रदेश	17	19
2	असम	13	30
3	बिहार	3	16
4	गुजरात	7	16
5	हरियाणा	..	7
6	हिमाचल प्रदेश	..	..
7	जम्मू और कश्मीर	2	1
8	कर्नाटक	..	..
9	केरल	..	..
10	मध्य प्रदेश	29	45
11	महाराष्ट्र	37	20
12	मणिपुर		
13	मेघालय		..
14	नागालैंड	..	..
15	उड़ीसा	15	13
16	पंजाब		..
17	राजस्थान		9
18	सिक्किम	..	..
19	तमिलनाडु	2	9
20	त्रिपुरा	..	..
21	उत्तर प्रदेश	61	56
22	पश्चिम बंगाल	7	7

विवरण—II

1978-79 के लिए अनुमानित अतिरिक्त सिंचाई शक्यता (बृहद, मध्यम एवं लघु) (लघु) के लिए सकल आंकड़ें

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित की जाने वाले अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का लक्ष्य
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	214
2	असम	69
3	बिहार	434
4	गुजरात	125

विवरण II—जारी

(1)	(2)	(3)
5	हरियाणा	91
6	हिमाचल प्रदेश	5
7	जम्मू और कश्मीर	21
8	कर्नाटक	115
9	केरल	60
10	मध्य प्रदेश	295
11	महाराष्ट्र	191
12	मणिपुर	36
13	मेघालय	5
14	नागालैंड	6
15	उड़ीसा	180
16	पंजाब	99
17	राजस्थान	79
18	सिक्किम	1
19	तमिलनाडु	25
20	त्रिपुरा	3
21	उत्तर प्रदेश	1008
22	पश्चिम बंगाल	198

भूतपूर्व संसद्-सदस्यों के विरुद्ध आवास खाली कराने के लिए कार्यवाही

1033. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री भूतपूर्व संसद्-सदस्यों के विरुद्ध आवास खाली कराने के लिए कार्यवाही के बारे में 28 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4613 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद्-सदस्यों के विरुद्ध बेदखली के मुकदमों में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा उनके अनधिकार कब्जे के लिये दिये गये किराये का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : श्री शंकर वी० गिरि ने 22-11-78 को तथा श्री एस० एम० बनर्जी ने 23-11-78 को मकान खाली कर दिया था ।

भूतपूर्व संसद् सदस्य श्री तुल मोहन राम ने जिन परिस्थितियों के अधीन मकान को निरन्तर अपने कब्जे में रखे रखा उनके ब्यौरे विवरण के टिप्पणी कालम में लिखे गए हैं। भुगतान किए गए तथा अब भी बकाया किराये का विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रत्येक भूतपूर्व संसद् सदस्य द्वारा भुगतान किए गए तथा उनसे अभी भी वसूल किए जाने वाले किराए की राशि

क्र० सं०	भूतपूर्व संसद् सदस्य का नाम	दखल में वास	देय राशि	भुगतान की गई राशि	बकाया राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			रुपये	रुपये	रुपये	
1.	श्री शंकर वी० गिरि	3, वेस्टर्न कोर्ट	19,730.64	19,730.64	कुछ नहीं	22-11-78 को खाली किया।

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			रुपये	रुपये	रुपये	
2.	श्री एस० एम० बनर्जी	113, नार्थ ऐवेन्यू	16,454.74	10,812.17	5,642.57	23-11-78 को खाली किया ।
3.	श्री जम्बूवंत धोते	18, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड	22,184.91	..	22,184.91	28-7-78 को खाली किया ।
4.	श्री कार्तिक ओरां	15, केनिंग लेन	18,194.17	1,523.09	16,671.08	29-7-78 को खाली किया ।
5.	श्री तुल मोहन राम .	34, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड	34,430.22	..	34,430.22	*

*श्री तुल मोहन राम ने इस मकान को श्री शिव संपति राम को बिना औपचारिक आबंटन के सौंप दिया था । श्री शिव सम्पति राम को अब सामान्य पूल से बंगला नं० 10, पं० पन्त मार्ग आबंटित कर दिया गया है ताकि वे बंगला नं० 34, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड को खाली कर दे । श्री राम ने इस आबंटन को स्वीकार कर लिया है । तथापि, बंगला नं० 10, पं० पन्त मार्ग की मरम्मत की जा रही है तथा मरम्मत का कार्य पूरा होने के शीघ्र बाद श्री शिव सम्पति राम इस बंगले को दखल में ले लेंगे ।

खजुराहो मंदिर के पश्चिमी काम्प्लेक्स का सजाया जाना

1034. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर के पश्चिमी काम्पलेक्स पर तेज प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास 14 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई थी ; और

(ख) यह धनराशि कब से जमा है तथा अब तक यह कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं तथा कार्य आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत् प्रभाग) द्वारा दिनांक 18-11-1978 को मध्य प्रदेश में खजुराहो के पश्चिमी मन्दिर-समूह के कुछ मन्दिरों पर तेज प्रकाश डालने का एक प्रयोगात्मक प्रदर्शन आयोजित किया गया था । प्रदर्शन के समय दिए गए सुझावों पर आधारित एक प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

नय स्थापित चीनी कारखानों क लिए संशोधित प्रोत्साहन

1035. **श्री ए० आर० वद्रोनारायण :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वसन्त साठे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये स्थापित चीनी कारखानों और विस्तार परियोजनाओं तथा चीनी कारखानों के पास चीनी के भारी मात्रा में भण्डार की समस्या से निपटने के लिए संशोधित प्रोत्साहन के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ग) दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) चीनी कारखानों को इससे कहां तक लाभ पहुंचा है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां । परिवर्तित परिस्थितियों की दृष्टि में ऊंची लागत से स्थापित नयी चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार प्रोजेक्टों को प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित योजना की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मन्त्रालयीन ग्रुप गठित किया गया है जिसमें वित्त मंत्रालय, खाद्य विभाग, योजना आयोग, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

फैक्ट्रियों के पास पड़े चीनी के भारी स्टाक की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने पहले ही कई एक उपाय किए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (परिशिष्ट 1) ।

(ख), (ग) और (घ) : आशा है कि ग्रुप अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगा ।

फैक्ट्रियों के पास पड़े चीनी के भारी स्टाक से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

क्रम संख्या

1. 16 अगस्त, 1978 से चीनी के मूल्यों, वितरण, निर्मुक्तियों और संचलन पर लगे नियंत्रणों को उठा लिया गया है ।
2. 9 अक्तूबर, 1978 से लाइसेंस शुदा चीनी व्यापारियों की स्टाक रखने की सीमा को वर्तमान सीमा से 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है । राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है कि वे अन्य आवेदनकर्ताओं को उदारता से नये लाइसेंस जारी करें ।
3. 6.5 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी (जोकि वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन कोटा है) । ये निर्यात लगभग 30 करोड़ रुपयों की प्रत्याशित हानि पर हैं ।
4. पिछले वर्ष की तुलना में पिछला बचा अत्यधिक स्टाक होने की दृष्टि में अतिरिक्त ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ऋण सीमा के बारे में और सहायता प्रदान करने से संबंधित प्रश्न विचाराधीन है ।

कोसी नहर परियोजना से सिंचित भूमि

1036. **श्री विनायक प्रसाद यादव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में कोसी नहर परियोजना से कुल कितने जमीन की सिंचाई की जाने वाली थी और मार्च 1977 से पहले कुल कितनी जमीन की सिंचाई हो सकी और 1977 से लेकर आज तक जनता शासन के काल में कितनी जमीन की सिंचाई के प्रबंध किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(लाख एकड़)

	अन्ततः शक्यता सिंचाई	मार्च, 1977 से पहले वास्तव में सिंचित की गई कुल भूमि (एकड़)		अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए 1977 से अब तक जनता सरकार की अवधि में किए गए प्रबंध		
		मार्च, 1977 तक सृजित की गई शक्यता	मार्च, 1977 तक वास्तविक सिंचाई	मार्च, 1978 तक सृजित की गई शक्यता	मार्च, 1978 तक वास्तविक सिंचाई	1978-79 के दौरान अतिरिक्त शक्यता का लक्ष्य
कोसी नहरें						
1. पूर्वी नहर .	11.27	6.53	3.607	6.765	3.96	.22
2. राजपुर नहर .	3.05	1.30	0.69	1.555	0.60	.10
3. पश्चिमी कोसी नहर	7.76	कार्य प्रगति पर है ।				

राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना

1037. **श्री शंकर सिंह जी वघेला :**

श्री शिव सम्पत्ति राम :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में वर्ष वार राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एन० सी० ई० आर० टी० ने कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान कीं ;

(ख) इनमें से उन एन० एस० टी० एम० स्कालरों की संख्या कितनी है जो विदेश चले गये तथा उनकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई ;

(ग) इन में ऐसें एन० एम० टी० एस० स्कालरों की संख्या कितनी है जिन्होंने मैडिकल या इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में दाखिला ले लिया तथा उनकी छात्रवृत्तियां बन्द कर दी गईं ;

(घ) क्या सरकार इंजीनियरी और मैडिकल शिक्षा को महत्वपूर्ण मानती है;

(ङ) यदि सरकार उन्हें महत्वपूर्ण मानती है तो छात्रवृत्तियां बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(च) 1975-76 सें उन एन० एम० टी० एस० स्कालरों में जिन्होंने इंजीनियरी या मैडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है पुनः छात्रवृत्ति देंने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या वर्षवार नीचे दी गई है :

1975-76	372	
1976-77	353	
1977-78	453	(राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा योजना के अंतर्गत 103 तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत 350).

(ख) यद्पि, 1975-76 बैच के छात्र उत्तर स्नातक अध्ययन के लिए विदेशों में जाने के पात्र हैं, तथापि, अभी तक किसी ने भी इसके लिए आवेदन नहीं किया है और इस लिए छात्रवृत्ति बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक 1976-77 तथा 1977-78 के बैचों के छात्रों का प्रश्न है, वे अभी तक उच्च अध्ययन के लिए विदेशों में जाने के पात्र नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान जिन चुने गए अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं उठाया, उनकी संख्या क्रमशः 40, 33 और 27 थी। ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि क्या उन्होंने इंजीनियरी अथवा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया।

(घ) जी, हां ।

(ङ) क्योंकि इंजीनियरी तथा चिकित्सा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थे, अतः इन विषयों के लिए छात्रवृत्तियां बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(च) क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इंजीनियरी अथवा चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने की कोई व्यवस्था नही थी, अतः इन विषयों के लिए छात्रवृत्तियों का पुनः चाल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

इमारत के सामान की लागत

1038. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईंट, लोहा, चूना, सीमेन्ट आदि जैसें इमारत के सामान के मूल्यों में गत तीन वर्षों के दौरान भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1976 और अक्तूबर, 1979 के बीच प्रत्येक सामान के मूल्यों में कितने कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(ग) किन किन बातों के कारण यह भारी वृद्धि हुई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) : ईंट, चूना, सीमेन्ट, लकड़ी व इमारती लकड़ी, लोहा व इस्पात (सरिये और छड़ें) तथा रंग और वारनिश जैसी भवन निर्माण सामग्री के वर्ष 1975–76, 1976–77 और 1977–78 के थोक-मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक विवरण –I में दिए गए हैं। अक्तूबर, 1976 तथा 1978 के बीच इन भवन निर्माण सामग्रियों के थोक मूल्यों के सूचकांक में वृद्धि या कमी की प्रतिशतता विवरण–II में दी गई है। इस अवधि के दौरान भवन-निर्माण सामग्री की कीमतें आमतौर पर सामान्य मूल्य स्तर पर रहीं सिवाए लकड़ी और इमारती लकड़ी के जो भवन निर्माण के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं।

विवरण—I

भवन-निर्माण सामग्रियों के थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार 1970-71=10)

सामग्री	थोक मूल्यों का सूचकांक		
	1975–76	1976–77	1977–78
1. ईंटें	291.2	344.4	299.6
2. चूना	136.3	143.1	141.2
3. सीमेन्ट	170.5	173.6	176.8
4. लकड़ी और इमारती लकड़ी	164.5	155.3	220.3
5. लोहा व इस्पात (सरिये तथा छड़ें)	203.3	208.1	208.3
6. रंग तथा वारनिश	194.6	204.9	204.8

विवरण—II

अक्तूबर 1976, तथा अक्तूबर, 1978 के बीच भवन निर्माण सामग्रियों के थोक मूल्यों के सूचकांक में वृद्धि (+) तथा कमी (—) की प्रतिशतता

सामग्री	प्रतिशतता में वृद्धि (+) या कमी (—)
1. इटें	—14.1
2. चूना	—2.3
3. सीमेन्ट	+9.3
4. लकड़ी तथा इमारती लकड़ी	+86.8
5. लोहा और इस्पात (सरिये तथा छड़ें)	+19.6
6. रंग और वारनिश	—0.8

भारतीय खाद्य निगम की बंगलौर शाखा द्वारा गले सड़े गेहूं की खरीद

1039. **पंडित द्वारिकानाथ तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की बंगलौर शाखा ने रेलवे से 1000 टन गला-सड़ा गेहूं खरीदा था;

(ख) क्या यह गेहूं जब फैजाबाद स्थित माल खरीदने वाल व्यक्ति को देने का प्रस्ताव किया गया तो उसने उसे लेने से इन्कार कर दिया और भारतीय खाद्य निगम की अवाड़ी (तामिलनाडु) शाखा ने भी उसे लेने से मना कर दिया था;

(ग) क्या यह गला-सड़ा गेहूं क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा जिला प्रबन्धक और उप-प्रबन्धक की आपत्तियों को रद्द करके खरीदा गया था ;

(घ) भारतीय खाद्य निगम की बंगलौर शाखा ने इस गेहूं का निपटान किस ढंग से किया ; और

(ङ) यदि इस पर कोई हानि हुई तो वह कितनी राशि की हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) : भारतीय खाद्य निगम ने बंगलौर में रेलवे से सड़ा गेहू नही खरीदा था। तथापि, जून के पहले पखवाड़े में टपा (पंजाब) से भेजा गया लगभग 1000 मीटरी टन गेहूं जोकि बाक्स टाइप खुले वैगनों में था, रास्ते में वर्षों से प्रभावित हुआ था। गलती से यह गेहूं फजाबाद पहुंच गया था। और इसे बंगलौर के रास्त से असली गंतव्य स्थान को भेजा गया था। प्रभावित गेहूं को अलग किया गया और उचित श्रेणीकरण करने के बाद उसे मवेशी/मुर्गी दाने या औद्योगिक/खाद्य संबंधी प्रयोजनों के लिए कार्यविधि के अनुसार बेचना है। वाहक (रेलवे) द्वारा क्षति का अनुमान अभी लगाया जाना है।

चीनी के कारखानों द्वारा गन्ने की पेराई शुरू किया जाना

1040. **श्री धर्मवीर वशिष्ट :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 1978 से चीनी की सभी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई का कार्य शुरू किया गया था ; और

(ख) यदि नही, तो दोषी मिलों के नाम क्या हैं और गन्ने की पेराई निर्धारित समय के अनुसार सुनिश्चित करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए मंत्रिमण्डल पेनल द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चीनी फैक्ट्रियों से तार द्वारा प्राप्त सूचनानुसार 1978-79 मौसम में पहली नवम्बर तक 45 फैक्ट्रियों ने पिराई कार्य शुरू किया बताया जाता है जबकि पिछले वष इसी तारीख को 32 फैक्ट्रियों ने पिराई कार्य शुरू किया था। बताया जाता है कि चालू मौसम में 21 नवम्बर तक 116 फैक्ट्रियों न पिराई कार्य शुरू किया है जबकि गत वष इसी तारीख तक 102 फक्ट्रियों ने पिराई कार्य शुरू किया था।

(ख) 1978-79 मौसम में 21-11-1978 तक जिन फैक्ट्रियों ने पिराई कार्य प्रारम्भ नहीं किया बताया जाता है, उनके नाम संलग्न सूची-1 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2870/78] सरकार ने चीनी प्रतिष्ठान (प्रबन्ध अधिकार में लेना) अध्यादेश, 1978 लागू किया हैं, जिसमें साथ-साथ उन चीनी प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध को अधिकार म लेने की व्यवस्था है, जिन्होंने अध्यादेश के अनुपालन में 15-11-1978 तक पिराई कार्य शुरू नहीं किया है। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां अध्यादेश के खण्ड 3 (1) के अन्तर्गत नोटिस दिए जा रहे ह। जिन शष फैक्ट्रियों ने पहली नवम्बर को कार्य आरम्भ नहीं किया था लेकिन 21 नवम्बर से पहले काय शुरू कर दिया था, उनकी सूची भी अलग से संलग्न है (सूची -2)। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-2870/78]

तमिलनाडु सरकार का शुष्क पट्टी के लिए प्रस्ताव

1041. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडु सरकार ने अपने मद्यनिषेध कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए दक्षिणी जोनल परिषद् में 25 किलोमीटर की शुष्क पट्टी हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा सस्कृति राज्य मंत्री (श्री घन्नासिंह गुलशन) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु के चारों ओर एक शुष्क पट्टी बनाने की आवश्यकता पर दक्षिणी जोनल कौंसिल की पिछली बैठक में जोर दिया गया था और सदस्य राज्यों से कहा गया था कि इसे क्रियान्वित करने चे प्रस्ताव पर विचार करें। कौंसिल की सिफारिश को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् संबंधी समीक्षा समिति

1042. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के क्रियाकलापों के बारे में मत देने के लिए समीक्षा समिति गठित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उन सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है और उन्हें सार्वजनिक रूप से बता दिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, भा० सा० वि० अनु० परिषद् ने अपने पिछले 9 वर्षों के दौरान के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने तथा उसके भावी विकास के लिए सिफारिशें करने के लिए 1977 में स्वयं ही एक पुनरीक्षण समिति स्थापित की थी। पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट परिषद् के विचाराधीन है, जिसे अपने निर्णयों के संबंध में, सरकार को बताना है। पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं की गई है।

बर्दवान शरणार्थी शिबिरों में रहन-सहन की स्थिति

1043. **श्री पीयुष टिर्की :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्दवान शरणार्थी शिबिरों में रहन-सहन की अमानवीय स्थिति की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार का इन शिबिरों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) तथा (ख) : दण्डकारण्य तथा उसके बाहर के स्थानों से स्थल छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए अप्रैल-मई, 1978 में बर्दवान आवाजाही शिबिर स्थापित किए गए थे। अगस्त, 1978 में वे शिबिर बन्द कर दिए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग में संकट

1044. **श्री चित्त बसु :** क्या **कृषि तथा सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग संकट से गुजर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का संकट है ; और

(ग) उद्योग को संकट से मुक्त कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : पिछले मौसम के दौरान चीनी का 65 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन होने और उद्योग द्वारा 680 लाख मीटरी टन रिकार्ड गन्ना पेरने के कारण देश में जरूरत से अधिक चीनी उपलब्ध थी जिससे सरकार को 16 अगस्त, 1978 से चीनी से नियंत्रण उठाने का निर्णय लेना पड़ा था। इसके बाद सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य समेत देश के सारे भागों में चीनी उद्योग से अभ्यावेदन मिले हैं कि चीनी के मूल्यों और वितरण से सारे नियंत्रण उठाने के सरकार के निर्णय से उनकी औसत प्राप्तियों पर असर पड़ा है। अतः उन्होंने सरकार द्वारा मासिक निर्मुक्ति की प्रणाली को फिर से लागू करने सहित कई एक उपायों के बारे में सुझाव दिया है। इन सुझावों की विस्तारपूर्वक जांच की गई है और सरकार का यह विचार है कि क्योंकि नियंत्रण उठाए अभी केवल तीन महीने ही बीते हैं इसलिए चीनी नीति में संशोधन करने की कोशिश करना जल्दबाजी होगी। तथापि, स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए एजेन्सियाँ

1045. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

श्री राजनारायण :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु अब तक 150 एजेन्सियों को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो 2 अक्तूबर, 1978 को आरम्भ किये गये राष्ट्रीय अभियान में कितनी एजेन्सियों ने भाग लिया था ;

(ग) प्रति विद्यार्थी कुल कितनी लागत निर्धारित की गई है ; और

(घ) कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : 2 अक्तूबर, 1978 तक वित्तीय सहायता के लिए 157 स्वैच्छिक एजेन्सियां अनुमोदित की गई थीं। 15-11-1978 तक इनकी संख्या बढ़कर 177 तक पहुंच गई है। आगामी महीनों में इस संख्या मे और वृद्धि होगी।

(ग) प्रति छात्र प्रभावी खर्च 80.00 रुपये आता है।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार, सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

गुड़ के मूल्य

1046. **श्री रघुबीर सिंह विर्क** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान गुड़ के मुल्य कम हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी मौसम में गुड़ के अधिकतम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इसका निर्यात करने का है और यदि नहीं, तो गुड़ के मूल्यों को 1975 और 1976 के स्तर तक रखने के लिय क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) :(क) जी हां। पिछले एक वर्ष के दौरान गुड़ के थोक मूल्य आम तौर पर कम रहे हैं।

(ख) गुड़ के मूल्यों में गिरावट मुख्यतया चीनी की सुगम उपलब्धता तथा अधिक उत्पादन के कारण मंड़ियों में गुड़ की भारी आमद के कारण आयी है।

(ख) यद्यपि गुड़ के निर्यात पर मूलतः प्रतिबंध लगा हुआ था लेकिन गुड़ की बहुत ज्यादा उपलब्धता होने की दृष्टि में पिछले मौसम से इसके निर्यात से प्रतिबंध उठा लिया गया है। अतः आने वाले मौसम में भी गुड़ के निर्यात में कोई बाधा नहीं है।

राष्ट्रीय क्रीड़ा नीति

1047. **श्री के० मालन्ना** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राष्ट्र के निर्माण में क्रीड़ाओं की सामान्य उपयोगिता और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ियों के असंतुलित खेल को देखते हुए कोई राष्ट्रीय क्रीड़ा नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) :राष्ट्रीय खेल नीति बनाने का प्रश्न, अखिल भारतीय खेल परिषद के परामर्श से, सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था

1048. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में सफाई और बिजली की सप्लाई तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति की है और सरकार का पूरी दिल्ली में यह सुविधा कब तक देने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति का कार्य पूरा कर लिया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में स्थलों और सेवाओं संबंधी योजना

1049. **श्री आर मोहनरंगम : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थलों और सेवाओं सम्बन्धी योजनाओं की कितनी क्रियान्विति हुई है ;

(ख) इन योजनाओं के बारे में क्या योजना और कार्यक्रम है तथा आगामी पांच वर्षों के दौरान कितनी पूंजी लगाने का विचार है ; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता दी गई है तथा अब तक कितनी सहायता का उपयोग किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम ने 15 नवम्बर, 1978 तक 6 राज्यों के 18 उप नगरों में 5.37 करोड़ रुपये के ऋण की स्थल और सेवाओं की योजनाएं स्वीकृत की हैं। एकीकृत नगर विकास योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन और विकास योजनाओं तथा स्थल और सेवाओं के लिये राज्यों के कुछ चुने हुए बड़े शहरों में एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं के एक अंग के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुमेय है।

(ख) 1978-83 की योजना के प्रारूप में, नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये आवास पर मुख्य ध्यान "स्थल और सेवाओं" के तरीके से दिया जाता है। सरकार ने निर्णय किया है कि स्थल और सेवाओं के घटकों की वित्तीय व्यवस्था के लिये भी एकीकृत नगर विकास योजना से निधियां उपलब्ध कराई जायेंगी।

(ग) विश्व बैंक ने विशिष्ट तौर पर स्थल और सेवा योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये कोई सहायता की पेशकश नहीं की है। मद्रास तथा कलकत्ता नगर की द्वितीय विकास परियोजनाओं में स्थल और सेवा का भी भाग है जो अंशतः विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाती है।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली को यमुना-जल का भाग

1050. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना में प्रति वर्ष कुल कितना जल बहता है तथा हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों के बीच उसका किस प्रकार बंटवारा किया जाता है ;

(ख) इस निर्णय का औचित्य तथा आधार क्या है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से होकर बहने वाली यमुना नदी की लम्बाई कितनी कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) ताजेवाला पर 75 प्रतिशत निर्भर-योग्य वार्षिक प्रवाह 9164.76 मिलियन घन मीटर आंका गया है और ताजेवाला और ओखला की पहुंच में वार्षिक-प्रवाह लगभग 4440 मिलियन घन मीटर है। अभी तक बेसिन राज्यों नामशः हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य प्रदेश दिल्ली के बीच यमुना के जल के बटवारे पर कोई विस्तृत समझौता नहीं हुआ है। लेकिन इस समय दिल्ली में ओखला तक यमुना के जल का उपयोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कुछ सीमित मात्रा मे दिल्ली और राजस्थान द्वारा सिंचाई और पीने के जल की सप्लाई के लिए किया जा रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ताजेवाला से अपनी सिंचाई आवश्यकताओं के लिए जल 1954 में भूतपूर्व पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार ले रहे हैं।

(ख) एक व्यापक समझौता करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा यमुना बेसिन के विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे जल के मौजूदा और प्रस्तावित उपयोगों एवं जल की उपलब्धता के संबंध में अध्ययन किए गए हैं और इस मामले पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। बेसिन राज्यों के बीच अभी तक कोई व्यापक समझौता नहीं हुआ है। भूतपूर्व पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच 1954 में हुए समझौते में यह नहीं बताया गया है कि समझौते का आधार क्या था।

(ग) लम्बाई के बारे में ब्यौरा निम्नलिखित है :

	किलोमीटर
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समान सीमा	30
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच समान सीमा	328
दिल्ली	48
उत्तर प्रदेश	970
योग	1376

नई दिल्ली नगरपालिका में संगीत शिक्षकों के ग्रेड

1051. **श्री अनन्त दवे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संगीत शिक्षकों के ग्रेड तीन ग्रेडों में विभाजित किये गये हैं और ये दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये ग्रेड नई दिल्ली नगरपालिका के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त किये गये संगीत शिक्षकों के मामले में कार्यान्वित नहीं किये गये हैं;

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा इन ग्रेडों को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं और इस प्रकार कितने संगीत शिक्षक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) प्रभावित हुए इन संगीत शिक्षकों द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर उनकी कठिनाई को दूर करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका के प्राधिकारियों द्वारा, दिल्ली प्रशासन के परामर्श से क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन तथा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संगीत अध्यापकों के संबंध में तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए तीन ग्रेडों को अब शिक्षा निदेशालय, दिल्ली तथा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा लागू किया जा चुका है ।

तथापि, संगीत अध्यापकों (श्रेणी IV) के वेतनमान सरकार के विचाराधीन थे तथा अब उन्हें प्राथमिक स्कूल अध्यापकों का वेतनमान देने का निर्णय किया गया है ।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका को अब तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का बिना बिका हुआ स्टाक

1052. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अब तक 2 करोड़ रुपये के मूल्य की पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिसमें से आधी पुस्तकें अभी तक बिना बिकी हुई पड़ी हैं;

(ख) क्या बाजार का सर्वेक्षण करने के बाद छपाई के आर्डर को कम कर के वास्तविक स्तरपर तक रखन के लिए भी ध्यान रखा गया हैं;

(ग) बिना बिके स्टाक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी ही हानियों को टालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) न्यास ने 31-3-1978 तक लगभग 2.28 करोड़ रुपये के मूल्य की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 31-3-1978 की स्थिति के अनुसार, प्रकाशित पुस्तकों के कुल मूल्य की केवल 33.6% मूल्य की पुस्तकें बिना बिकी पड़ी थी ।

(ख) अब तक बाजार का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है । तथापि, छपाई के लिए आदेश, मूल्य को ध्यान में रखते हुए और पाठक जनता की संभावित प्रतिक्रिया के सामान्य मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(ग) न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बिना बिके हुए स्टाक का कारण किसी अधिकारी विशेष की कोई भूल नहीं है । सामान्यतः न्यास ऐसी पुस्तकें छापता है जो सामाजिक तौर पर उपयोगी होती हैं । यद्यपि वे सदैव व्यापारिक तौर पर आकर्षक नहीं होती हैं । पुस्तकों का उद्देश्य उन पाठकों के ज्ञान में वृद्धि करना होता है जो उच्च शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते । इस प्रकार उनका सूचना और शैक्षिक दृष्टिसें मूल्य होता है परन्तु सामान्यतः वे पुस्तकें जल्दी बिकने वाली नहीं होती हैं जैसी कि उदाहरण के लिए उपन्यास अथवा सामायिक रूचि के विषयों की पुस्तकें होती हैं । इसके अलावा, अनेक शृंखलाओं में पुस्तकें एक भारतीय भाषा से अन्य भाषाओं में अनूदित होती हैं । ऐसी पुस्तकें कम बिकती है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनके लेखक अपनी भाषा क्षेत्रों के बाहर बहुत प्रसिद्ध नहीं होते हैं । अतः पुस्तकों की कीमत के लगभग 33.6% के वर्तमान स्टाक को असंतोषनजक नहीं समझा सकता, विशेष रूप से क्योंकि सामान्य बिक्री में बढ़ोत्तरी हो रही है ।

अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) बिक्री तथा बिक्री प्रोत्साहन की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । हाल ही में न्यास ने बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसें कि वितरकों की संख्या में वृद्धि, प्रचार कार्य में तेजी, पुस्तक मेलों तथा प्रदर्शनियों में अधिकाधिक भाग लेना आदि । न्यास द्वारा समय-समय पर उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, न्यास के प्रकाशनों की बिक्री में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है । पिछले पांच वर्षों के दौरान बिक्री में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है, जो 1973-74 में 13.00 लाख रुपये से बढ़कर 1977-78 में 25.61 लाख रुपये हो गई हैं ।

पीतमपुरा दिल्ली में ट्रंक सीवर का निर्माण

1053. **श्री दलपतसिंह परस्ते** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को पीतमपुरा रिहायशी बस्ती में ट्रंक सीवर लाइन के निर्माण के लिए ठेका कब दिया गया था और ठेकेदार का नाम तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ठेकेदार ने इस बीच काम बन्द कर दिया है, और यदि हां तो उसने कब काम बन्द किया और उसने काम का कितने प्रतिशत भाग पूरा किया;

(ग) अन्य ठेकेदार को काम सौंपने के लिए क्या कदम उठाये गए है; और

(घ) नये ठेकेदार को काम सौपने में विलम्ब के क्या कारण है और इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह ठेका मैसर्स ए० एस० परमार एण्ड कम्पनी तथा श्री डी० के० जैन कोदो भागोंमें क्रमशः 25 मई, 1975 तथा 29 अक्तूबर, 1975 को दिया गया था ।

(ख) कार्य का 90% तथा 50% भाग पूरा करने के बाद इन ठेकेदारों ने क्रमशः मई, 1977 और नवम्बर, 1977 को कार्य बन्द कर दिया था ।

(ग) नए टेंडर मांगे गए और 9 नवम्बर, 1978 को प्राप्त हो गए हैं ।

(घ) टेंडरों को रद्द करने की औपचारिकताओं में कुछ समय लग गया । इसके बाद नए टेंडर तीन बार मंगवाने पड़े थे । अतः कार्य का ठेका देने में कोई अनुसूचित विलम्ब नहीं हुआ था जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता हो ।

तमिलनाडु और गुजरात को मद्य निषेध के लिये राशि दिया जाना

1054. **श्री के० राममूर्ति** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामिलनाडु और गुजरात को पूर्ण मद्यनिषेध के आश्वासन के रूप में अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) नई दिल्ली में हाल ही में हुई अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद की बैठक में किये गये विचार विमर्श का सारांश क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) प्रतिपूर्ति का भुगतान करने की नीति की शर्तों के अनुसार वे राज्य किसी प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं हैं । अतः इनको कोई राशि नहीं दी गई है ।

(ख) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की पिछली बैठक 27 सितम्बर, 1978 को हुई थी । उस बैठक में लिए गए निर्णयों का विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में यह संकल्प पारित किया कि समिति की 9वीं बैठक में हुई सर्व सम्मति और भारत सरकार की मार्गदर्शी बातों के अनुरूप सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश इस बात की फिर पुष्टि करें कि 31 मार्च, 1982 तक चार वर्ष के भीतर पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया जाएगा ।

यह संकल्प भी पारित हुआ कि चरणबद्ध तरीके से मद्यनिषेध नीति लागू करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए तूरंत उपाय किए जाएं :-

(क) समिति ने सिफारिश की कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां अभी देशी शराब बेचने की दुकानें हैं वहां उनको 1-4-1979 या यथासंभव या उससे पहले बन्द करने तथा विभाग के 27 जुलाई, 1978 के पत्रांक पी० 11012/18/78-पी० आर० खण्ड 2 में बताए गए अन्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कदम उठाएं जाएं ।

(ख) पड़ोसी राज्यों द्वारा यथा संभव

(1) मद्यवर्जित दिवसों तथा

(2) तस्करी को हतोत्साहित करने और रोकने के लिए शराब पर आबकारी कर लगाने में एकरूपता रखी जाए।

(ग) समिति अपनी पिछली सिफारिश को फिर दोहराती है कि मद्यनिषेध वाले राज्यों के सीमावर्ती सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश अपनी सीमा पर 25 किलोमीटर चौड़ी मद्यवर्जित पट्टी बनाने के लिए सहमत हों ।

(घ) समिति सिफारिश करती है कि समाचार-पत्रों, पुस्तकों आदि में शराब और मादक पेयों के विज्ञापनों या सार्वजनिक स्थानों पर ऐसें विज्ञापनों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाएं वृत्त चित्रों में शराब के बारे में दृश्य दिखाने के बारे में फिल्म सेंसर बोर्ड नियमों को सख्ती से लागू करें ।

(ङ) समिति सिफारिश करती है कि मद्यनिषेध को लागू करने से पहले होने वाली बेरोजगारी की सीमा का पता लगाने के लिए राज्यों और संघशासित प्रदेशों द्वारा तुरन्त सर्वेक्षण कराया जाए ।

(च) समिति सिफारिश करती है कि मद्यनिषेध लागू करने से बेरोजगार होने वालों को वैकल्पित रोजगार देने के लिए टोडी टप करने वालों, महुआ तोड़ने वालों तथा इस व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे अन्य लोगों के लिए राज्य सरकारें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से रोजगार की योजनाएं तैयार करें।

(छ) समिति सिफारिश करती है कि राज्य सरका /केन्द्र सरकार निम्नलिखित कदम उठाएं :-

(1) शराब पीने के बुराइयों के प्रचार के लिए जन प्रचार के सभी माध्यमों द्वारा प्रचार का कार्यक्रम शरू करें।

(2) युवकों को, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन करने से रोकने के लिए समुचित उपाय करे ।

(3) मद्यनिषेध नीति और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए गैर सरकारी एजेंसियों, विशेष रूप सें महिला संगठनों को लगाया जाए और इसके लिए उनको वित्तीय सहायता भी दी जाए ।

(4) दृश्य एवं श्रव्य तथा अन्य साधनों द्वारा होने वाले समन्वित और सतत प्रचार के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक विशेष सेल स्थापित किया जाए ।

(5) अल्कोहल वाली दवाओं और आर्युवेदिक औषधियों को तैयार करने और उन्हे बेचने पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि सें कानून मे आवश्यक परिवर्तन किए जाएं ।

(6) पाठ्यपुस्तकों और प्रौढ़ शिक्षा की सामग्री में मद्यनिषेध नीति के शैक्षिक पहलुओं तथा शराब की बुराईयों को शामिल किया जाए ।

बाढ़ राहत कार्यों के लिये विदेशी सहायता

1055. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त सें अक्तूबर, 1978 की अवधि में बाढ़ राहत निधि में विभिन्न देशों तथा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की ओर से कुल कितना दान प्राप्त हुआ है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिह बरनाला) : (क) अगस्त से अक्तूबर 1978 तक की अवधि के दौरान बाढ़ से राहत के लिए विदेशों सें प्राप्त योगदान 75,89,200.27 रूपए का है और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों/भारतीय संगठनों से विदेशी मुद्रा के रूप मे 46,32,589.20 रूपए प्राप्त हुए। इस धनराशि में विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से भारतीय मुद्रा के रूप में प्राप्त अंशदान शामिल नहीं हैं ।

(ख) आस्ट्रेलिया, कनाडा, लिबीया, जापान, मालदीव, ग्रेनाडा, हंगरी, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका तथा अमेरिका ने नगद सहायता दी है जबकि फिलीपाईन, बंगलादेश, स्वीटजरलैंड तथा रूस ने वस्तुओं के रूप में सहायता

प्रदान की है । मारीशस तथा कुवैत ने भी नगद सहायता देने का वचन दिया है जबकि लिबीया ने वस्तु के रूप में सहायत देने का वचन दिया है । बाढ़ से राहत के लिए विदेशी सरकारों/संगठनों से सहायता/पेशकश को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न किया जाता है ।

विवरण

विदेशी सरकारों/संगठनों से बाढ़ राहत सहायता/पेशकश

क्रम संख्या	देश/संगठन का नाम	पेशकश	टिप्पणी
1	आस्ट्रेलिया . . .	1,00,000 डालर	
2	बंगलादेश . . .	5 लाख एन्टीकालरा के टीके ।	
3	भूटान		
	भारत भूटान मैत्री संगठन .	1,37,677 रु०	
4	कनाडा .	1,40,000 डालर	रेड क्रास सहाता कार्यक्रम के लिए ।
5	ई० ई० सी०	मिदनापुर एवं हावड़ा जिलों में बाढ़ पीड़ितों के लिए 160,000 यूरो-पीयन लेख की यूनिट ।	
6	पश्चिमी जर्मनी सरकार . .	डी० एम० 5,50,000 नगद रूप में	स्वयंसेवी संगठनों
		डी० एम० 5,00,000 वस्तु रूप में	के माध्यम सें
	स्वयंसेवी एजेंसियां	डी० एम० 100,000 मूल्य की 10 शक्तिचलित तैरने वाली रबर की नावें	
		डी० एम० 67,000 मूल्य के पानी को संसाधित करों के लिए रासायनिक उपकरण	
		डी० एम० 12,36,000	
	निजी दान देने वाले	डी० एम० 35,000	
7	हांगकांग . .	3,00,000 हैजे के टीके	
	पुराने संगठन के लिए सहायता	2 बड़ी नावें	
		35 हार्स पावरकी 3 आऊट बोर्ड इंजिन	
8	जापान . . .	5,30,926.47 अमरीकी डालर	
9	कुवैत . .	50,00,000.00 रु०	
10	लिबीया . . .	2,50,000 अमरीकी डालर तथा टैंट, कपड़े तथा दवाइयों के भरे हुए	
		3सी– 130 विमान	
11	मालदीव . . .	1,00,000.00 रु०	
12	मारीशस सरकार . .	20,000.00 पौंड (प्रस्तावित)	
	सेवा शिबिर मारीशश .	30 मी० टन के कपड़े ।	
13	निदरलैंड रेड क्रास . .	2,50,000 ओ एफ एल	जनवा रेड क्रास सोसायटी लीग के माध्यम से
		7,112 किलो पूर्ण क्रीम युक्त	
		30,365.40 ओ एफ एल	

विवरण—जारी

क्रम संख्या	देश/संगठन का नाम	पेशकश	टिप्पणी
14	न्यूजीलैंड . . .	30,000 डालर	राहत सहायता
15	नार्वे रेड क्रास . .	5,00,000.00 नार्वे क्रोनर	भारतीय रेड क्रास सोसायटी को
16	पाकिस्तान रेड क्रास . .	500 टैन्ट 105 पैकेट दवाइयां 12,500 पौंड दुग्ध चूर्ण 11 पैकेज तथा 6 क्रेट चादरें।	
17	फिलीपाइन सरकार .	5 लाख एन्टी कालरा के टीके।	
18	सिंगापुर		
	विश्व बौद्ध फेलोशिप, सिंगापुर क्षेत्रीय केन्द्र	53,380.78 रु०	
19	कोरिया गणराज्य	15,000.00 डालर	
20	श्री लंका .	10,00,000 रु० श्री लंका	
21	स्वीटज़रलैंड सरकार .	2,50,000 सी० सी० हैजे के टीके 10 टन शिशु आहार पानी साफ करने वाली 50 लाख गोलियां	भारतीय रेड क्रास को
	रेड क्रास	50,000.00 स्वीज फ्रैंक	—तदैव—
22	इंगलड	2,50,000 पौंड 100 मोटर बोट	—तदैव—
23	संयुक्त राज्य अमेरिका .	25,000 डालर	राहत कार्य के लिए सी० ए० आर० ई० भारत के लिए अमरीकी राजदूत द्वारा।
	निदेशक, रिलीफ फंक्शन सान्ता बारबारा, कैलीफोरनिया	राहत सप्लाई युक्त 13 कार्टन	
	सी० ए० आर० ई०	ऊर्जा आहार राशन की 10 लाख गोलियां	
24	रूस . . .	15 नावें 50 लाख हैजे के टीके 100,000 टाइफाईड के टीके 2 मीटरी टन पोलिथीलिन पोलिकल 50 मी० टन कैल्शियम हाइपोकलोराइट 20 मी० टन मोनोक्लोरोमिन	
25	यूगोस्लाविया रेडक्रास . .	2 टन दुग्ध चूर्ण 100,000 अमेरिकी डालर मूल्य की राहत सप्लाई	
26	यूनिसेफ . .	100,000 डालर 18,000 कायल एन्टीकालरा के टीके। 5 पीडो जैट मशीनें	
27	विश्व खाद्य कार्यक्रम	2000 मी० टन स्कीम्ड मिल्क पाउडर 2000 मी० टन खाद्य तेल	

विवरण—जारी

क्रम संख्या	देश/संगठन का नाम	पेशकश	टिप्पणी
28	ग्रेनाडा . .	1,840.00 अमरीकी डालर	
29	हंगरी सरकार	20,00,000 फोरिन्ट } दूतावास के	
	रेडक्रास .	5,00,000 फोरिन्ट } नोट की प्रति संलग्न है।	

"इट इज बीकमिंग ए सिक यूनिवर्सिटी" शीर्षक से समाचार

1056. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 अक्तूबर, 1978 के 'नेशनल हेरल्ड' में दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बद्ध कालिजो में कुप्रबन्ध के बारे में "इट इज बीकमिंग ए सिक यूनिवर्सिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में लगाय गये आरोपों की जांच की जा रही है।

प्रदर्शनी मैदान, नई दिल्ली में बेकार पड़ा हुआ बिजली का सामान

1057. **श्री महीलाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 लाख रुपये से अधिक मूल्य का बिजली का बेकार सामान प्रदर्शनी मैदान में 1972 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्टोरों में जमा पड़ा हुआ है और यदि उसका शीघ्र निपटान न किया गया तो उसमें जंग लग जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो बेकार घोषित की गई सामग्री का ब्यौरा क्या है और इस बेकार सामग्री का निपटान करने/नीलाम करने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ; और

(ग) इसका नीलामी द्वारा या अन्य तरीके द्वारा कब तक निपटान कर दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 11.77 लाख रुपये अंकित मूल्य का बिजली का कुछ सामान स्टोर में पड़ा हुआ है।

(ख) तथा (ग) : यह विद्युत फिटिंग्ज का सामान, स्विचगियर, पंखे, केबिल, तारें, मिलाजुला सामान, अन्य स्थानों से उखाड़ा हुआ सामान तथा उपस्कर है जो सरकार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट मंजूर किए जाने के बाद पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के जरिए नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।

खांडसारी उद्योग को राहत देना

1058. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :**
श्री बसंत कुमार पंडित :

क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि-आधारित तथा श्रम प्रधान खांडसारी उद्योग की समस्याओं के बारे में पता है जो अधिकांशतया बड़ी चीनी मिलों द्वारा पैदा की जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस उद्योग को राहत देने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार को खंडसारी निर्माता संघ से स संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं कि चीनी से नियंत्रण उठा लेने और बाजार में चीनी की सुगम उपलब्धता के फलस्वरूप खंडसारी उद्योग को अपने माल को बेचने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उन्होंने उत्पादनशुल्क में कमी करने कुल-कर जैसे स्थानीय करों से मुक्त करने जैसे कुछेक उपाय करने का सुझाव दिया है।

(ख) इन प्रस्तावों की ब्यौरेवार जांच की गई है और यह विदित हुआ है कि खंडसारी चीनी पर उत्पादन शुल्क पहले ही काफी कम है। क्योंकि खंडसारी उद्योग पर अधिकांश नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं इसलिए और छूट देन या स्थानीय करों में राहत देने के संबंध में उनसे परामर्श किया जा रहा है। बैंकिंग प्रभाग को भी खंडसारी द्वारा उठाई जा रही उधार की समस्याओं से अवगत करा दिया गया है।

नेत्रहीन तथा अपंग व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार सेवाओं में आरक्षण

1059. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने जुलाई, 1977 में केन्द्र सरकार सेवाओं में नेत्रहीनों तथा अन्य विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की घोषणा की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस घोषणा को कार्यान्वित करने के आदेश 4 नवम्बर, 1977 को परिचालित किये गये थे और यदि हां तो इन आदेशों को परिचालित करने के पश्चात 30 अक्तूबर, 1978 तक केन्द्र सरकार सेवाओं में विभाग-वार तथा पद-वार कितने नेत्रहीनों तथा अन्य विकलांगों व्यक्तियों को नौकरियां दी गई ; और

(ग) क्या कुछ राज्यों ने भी विकलांगो के लिए नौकरियां आरक्षित करने के आदेश जारी किये हैं और यदि हां तो उक्त राज्यों का क्या नाम हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां। यह आरक्षण केन्द्रीय सरकार के अधीन ग्रप "ग" और ग्रुप "घ" के पदों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ऐसें ही पदों के लिये लागू है।

(ख) इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसरण में नियुक्त किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या क बारे में निश्चित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) निम्नलिखित राज्यों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण किया है या उनको नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय किया है :—

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. जम्मू और कश्मीर
4. महाराष्ट्र
5. उड़ीसा
6. राजस्थान
7. त्रिपुरा
8. उत्तर प्रदेश
9. पश्चिम बंगाल

जम्मू तथा कश्मीर राज्य को केन्द्रीय आवास ऋण

1060. **श्री अब्दुल अहमद वकील :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने राज्य में आवासीय कालोनियां बनाने के लिए दीर्घावधि ऋणों के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है , और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार का ग्रामीण और नगरीय आवास योजनाओं के लिए आगामी योजनावधि (अर्थात 1979-83) के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम से 20 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव है । हुडको ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे ऐसी विशिष्ट योजनाएं भेजे जिनकी हुडको गुणावगुण आधार पर जांच करेगा तथा उन पर विचार करेगा बशर्ते कि वे योजनाएं हुडको द्वारा निर्धारित मार्ग निदर्शनों के अनुरूप हों ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रही रजिस्टर्ड संस्थाएं

1061. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं कि (2 अक्तूबर से आरम्भ हुए) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रही संस्थाएं उन्हें दी गई वित्तीय सहायता का दुरुपयोग न कर पायें ;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा कितने प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने का लक्ष्य है ; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोई सरकारी संस्था भी भाग ले रही है और यदि हां, तो उसका नाम क्या है और उसके द्वारा प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित किए जाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्रत्येक स्वैच्छिक एजेंसी की प्रगति रिपोर्ट और जांच लेखे विवरण भेजना होता है । कुछ मामलों में मौके पर निरीक्षण भी किया जाता है । संस्वीकृति की एक प्रति उन राज्य सरकारों को पृष्ठांकित की जाती है जिन्हें इस बात का निरीक्षण करना होता है कि निधियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है । इसके अतिरिक्त सरदार पटेल आर्थिक तथा सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद जैसी संस्थानों द्वारा क्षेत्र कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया जाता है ।

(ख) और (ग) : इस समय 134 नेहरू युवक केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रहे है । राजकीय तथा गैर-राजकीय एजेन्सियों के लिए अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । किन्तु लगभग 10 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को 1983-84 के अन्त तक शामिल करने के उद्देश्य से इसका विस्तार निम्नलिखित कुल वार्षिक चरणों में किया गया है ।

(करोड़ों में)

वर्ष	वार्षिक शामिल	कुल शामिल
1978-79 (तैयारी का वर्ष)	.15	.15
1979-80	.45	.60
1980-81	.90	1.50
1981-82	1.80	3.30
1982-83	3.20	6.50
1983-84	3.50	10.0

भूतपूर्व संसद सदस्यों के कब्जे में सरकारी आवास

1062. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिनके कब्जे में अब भी सरकारी आवास है ;

(ख) क्या ये व्यक्ति राज सहायता प्राप्त किराया दे रहे हैं या व्यापारिक किराया ;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के बारे में पूरे तथ्य क्या है तथा इन व्यक्तियों द्वारा सरकारी आवास खाली न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों से अपने कब्जे में मकान लेने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ड.) क्या सरकार ने ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों पर किसी कानून का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) लोकसभा का केवल एक भूतपूर्व संसद सदस्य तथा राज्यसभा के 15 भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अभी भी सरकारी वास को अपने दखल में रखा हुआ है । उनके ब्यौरों के दो विवरण संलन है । [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०–2871/78**]

(ख) सर्वश्री जयराम दास दौलतराम और महावीर त्यागी विभागीय प्रभारों सहित मूल नियम 45-बी के अन्तर्गत किराया अदा कर रहे हैं । शेष संसद सदस्य मार्कीट दर किराया अदा कर रहे है ।

(ग) तथा (घ): पूर्ण तथ्य और वास को खाली कराने के बारे में उठाये गए कदम उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित विवरणों में दिए गए हैं ।

(ड.) यह मंत्रालय लोक परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करता है ।

केन्द्रीय सरकार के कमचारियों के लिए आवास

1063. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान आवंटित करने की वर्तमान सरकार की वही पुरानी नीति चली आ रही है या उसमें कुछ परिवर्तन किए गए है;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : सरकार अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारियों और विशेष निम्न आय वर्गो के कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगामी 3 वर्षों में दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, चण्डीगढ़ तथा बंगलौर में सामान्य पूल में 21,300 क्वार्टरों के निर्माण के लिए सरकार ने एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया है। इन क्वार्टरों में अधिकांश क्वार्टरों टाइप-ए, बी और सी के निम्न आय वर्गों के है।

ढोर पालन क्षमता में सुधार करन के लिये उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन

1064. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय हित में अच्छी नस्ल की ढोर क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार की पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की विशेष योजना है जिससे अन्न की कमी दूर हो सके; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय/क्षेत्रीय हित के लिये केन्द्रीय /केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यकमों को क्रियान्वित करने के लिये निधि का आवंटन कर रही है ।

(ख) पशु विकास से संबंधित निम्नवत प्रमुख योजनाएं पहले ही चल रही हैं अथवा केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्रोंमें 6 ठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उनका प्रस्ताव किया जा रहा है :–

(1) दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों में स्थानीय दूधारू गोपाशुओं एवं भैंसों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये मेरठ/गाजियाबाद जिलों में सघन पशु विकास परियोजना;

(2) राज्य में सकर-प्रजनन कार्यक्रम के लिये जर्सी नस्ल के उच्च कोटि के विशूद्ध विदेशी सांड़ो की उत्पत्ति के लिये 1978-79 के दौरान बाबूगढ़ (उत्तर प्रदेश) में एक विदेशी पशु प्रजनन फार्म की स्थापना की स्वीकृति दी गई है;

(3) संकर-प्रजनन कार्यक्रम के लिये होल्सटीयन-फ्रिजियन नस्ब के उच्च कोटि संघ श्रेष्ट-विशुद्ध नस्ल के सांड़ों की उत्पत्ति के लिये अन्देश नगर, लखीमपुर जिले में एक केन्द्रीय प्रजनन फार्म की स्थापना;

(4) योजनाबद्ध अनुवंशिक सुधार करने के लिये स्थानीय यूथों पर हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी के जरिए सघन उपयोग के लिये उच्च कोटि के साहिवाल सांड़ों की उत्पत्ति के लिये लखनऊ जिले में चाक-गंजारियाफार्म में प्रमाणित प्रजनकों उत्पादन के लिये गौ-सन्तति परीक्षण कार्यक्रम;

(5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 6 जिलों में कृत्रिम गर्भाधान कार्य, स्वास्थ्य संरक्षण तथा चारा विकास संबंधी कार्यकलापों का विस्तार;

(6) भारतीय कृषि उद्योग फाउन्डेशन के सहयोग से बान्दा तथा इलाहाबाद जिलों में सामाजिक वानिकी तथा पशु विकास का समेकित कार्यक्रम ;

(7) 6 ठीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय गो-पशुओं के साथ विदेशी डेरी नस्लो के संकर प्रजनन के लिये हिमित बीर्य सांड केन्द्र का विस्तार ।

सरकारी आवास का पुनर्वर्गीकरण

1065. **श्री भानुकुमार शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न टाइप के आवासो के लिए सरकारी कर्मचारियों के हक के संदर्भ में मकानों के वर्गीकरण का कितनी बार पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) प्रत्येक पुनरीक्षण के क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार है कि सरकारी कर्मचारी उच्च टाइप के आवास के हकदार थे किन्तु मकानों के प्रस्तावित पुनर्वर्गीकरण के कारण उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है उनके मामलों का पुनरीक्षण किया जाए?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1963 में जब नये आबंटन नियम लागू किए गए थे तो मकानों का वर्गीकरण बदल दिया गया था। मौजूदा वर्गीकरण को 1 दिसम्बर, 1978 से बदलने का प्रस्ताव है। नये नियम लागू करने के बाद अधिकारियों की पात्रता में दो बार परिवर्तन किया गया है। 1 दिसम्बर, 1978 से पात्रता में पुनरीक्षण करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण होने के कारण पात्रता का पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया और इसीलिए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों के भीतर अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने की आवश्यकता हो गई।

(ग) पात्रता का पुनरीक्षण या मकानों का पुनः वर्गीकरण करने के कारण यदि कोई अधिकारी उनके दखल के मकान से निचले टाइप के मकान के पात्र हो जाते हैं तो यदि वे अन्यथा पात्र हुए तो उन्हें उन्हीं मकानों में रहने की अनुमति दे दी जाएगी। तथापि, नये आबंटन के प्रयोजनों के लिए, पुनरीक्षित पात्रता के मापदंडों का अनुसरण किया जाएगा।

धान के लिये भंडारण क्षमता

1066. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान धान की अधिक मात्रा में वसूली होने के कारण उसके भंडारण की व्यवस्था पर्याप्त होगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध सारी समूची भंडारण क्षमता को देखते हुए यह क्षमता चालू वर्ष के दौरान अधिप्राप्त धान के भंडारण के लिए पर्याप्त होगी। विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे कि अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करवाना, विभिन्न स्रोतों से किराये पर लेना, आदि। कैप स्टोरेज (कवर और प्लिथ) का भी आपतिक स्थिति में उपयोग किया जाता है।

चन्देल में स्वर्णरेखा परियोजना को क्रियान्वित करने का विरोध

1067. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंदेल में स्वर्ण रेखा परियोजना की क्रियान्विति के बारे में छोटा नागपुर के लोगों ने जोरदार विरोध किया है और इसके कारण वहां हाल में गोली चलाने की घटनाएं भी हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य और ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कदम उठाये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : चांडिल बांध के निर्माण से जिन लोगों के प्रभावित होने की संभावना है, उनमें उनकी भूमि के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि के बारे में कुछ असंतोष है। जहां तक जैयदा में हाल ही में गोली चलाए जाने का संबंध है, बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उपद्रवी भीड़ में अधिकांशतः पश्चिम बंगाल के पड़ौसी जिलों के लोग शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा स्वर्णरेखा बहुप्रयोजनी परियोजना का जो अनुमान तैयार किया गया है, उसमें चांडिल जलाशय से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और भूमि के अभिग्रहण के लिए 8.41 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को पर्याप्त और उचित मुआवजा देने के प्रश्न की जांच कर रही है।

पब्लिक स्कूलों का समाप्त किया जाना

1068. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बच्चों के लिए पब्लिक तथा फेंसी स्कूलों को समाप्त करने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या मंत्रालय का ध्यान बम्बई से प्रकाशित 'इल्लस्ट्रेटिड वीकली' को दिये गये एक इंटरव्यू में पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस पर आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : 1 अक्तूबर, 1978 की 'इल्लस्ट्रेटिड वीकली आफ इंडिया' में प्रकाशित एक इंटरव्यू में प्रधान मंत्री ने पब्लिक स्कूलों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की है —

"वह (महात्मा गांधी) बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाना ठीक नहीं समझते थे। मेरा (मोरारजी देसाई) भी यही विचार है कि वहां (पब्लिक स्कलों में) बच्चे अभिमानी बन जाते हैं। मैंने (मोरारजी देसाई) अपने बच्चों को किसी भी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ाया। वास्तव में मेरा (मोरारजी देसाई) विचार है कि उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। वास्तव में ऐसा बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा... आप अपना उदाहरण पेश करके ही जनता का मन बदल सकते हैं।

पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने के मामले पर कुछ समय पूर्व विचार किया गया था और सरकार को यह कानूनी सलाह दी गई थी कि जहां तक पब्लिक स्कूलों के अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित किए जाने की बात है इन्हें समाप्त करने से संबंधित किसी भी किस्म की कार्रवाई का अर्थ संविधान की धारा 30 का उल्लंघन करना होगा और जहां तक गैर-अल्प संख्यकों द्वारा संचालित पब्लिक स्कूलों की बात है इसके फलस्वरूप, संविधान की धारा 19 (छ) का उल्लंघन होगा। तथापि, सरकार पब्लिक स्कूलों को सार्वजनिक शिक्षा की पद्धति के अधीन लाने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।"

मिट्टी एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण ब्यूरो

1069. **श्री वसंत साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मिट्टी एवं भूमि उपयोग सवक्षण ब्यूरो स्थापित करने के लिये निर्णय किया है जिसका मुख्यालय नागपुर में होगा ;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों के लिये इसके कार्य के स्वरूप और क्षेत्र, पूंजी निवेश आदि की मात्रा सहित इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है और धीमी प्रगति, यदि कोई है तो, वो क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में बने रहने के क्या कारण हैं और मुख्यालय को नागपुर में ले जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है ; जैसा कि पूर्व निश्चित है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कार्य की प्रकार और क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

(क) समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र', पिछड़े क्षेत्र, विशिष्ट समस्यात्मक या आशाजनक क्षेत्र आदि के लिए चुने गये जिलों जैसे प्राथमिक क्षेत्रों से शुरू करते हुए देश के विभिन्न राज्यों के लिए प्रगामी टोह भू-सर्वेक्षण तथा नक्शे तैयार करना तथा तहसील, जिला, राज्य और देश के स्तरों पर कल्पना तथा संकलन द्वारा मृदा और भूमि उपयोग नक्शों को तैयार करना। उपरोक्त सभी नक्शे तथा भू-सर्वेक्षण सूचनाओं का उपयोग भारत का नक्शा 1 : 1 मिलियन पैमाने पर तैयार करने के लिए किया जायेगा।

(ख) सीड़ी नुमा मिट्टियों के विस्तृत लक्षण उनकी उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा व्याख्या दर्शाने के लिए ; मिट्टियों के जल-विज्ञान संबंधी गुणों ; भूसर्वेक्षण में "रिमोट सेंसिंग" तकनीक के प्रयोग ; अन्तर्शाखीय तथा अन्तर्संस्थानीय अनुसंधान प्रायोजनाओं आदि के लिए अनुसंधान चलाना।

(ग) भू-सर्वेक्षण, नक्शे बनाने और भू-वर्गीकरण तथा पारस्परिक संबंधों के लिए राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों हेतु आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

(घ) भू-सर्वेक्षण गतिविधियों को समन्वित करना, क्षेत्र पुनरीक्षणों में भाग लेना तथा पारस्परिक सम्बंधों पर आधारित कार्य करना।

(ङ) भू-उत्पादन सम्पर्क और भूमि उपयोग नियोजन के विषयों पर कार्य शिबिर और संगोष्टी आयोजित करना।

पूंजी-निवेश की व्यवस्था

आगामी तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित पूंजी निवेश निम्न प्रकार से है :—

3 वर्ष हैं	(रुपये लाखों में)
1978-80	112.86
1980-81	61.52
1981-82	48.23

(ग) इस ब्यूरो का कार्य अनसूची के अनुसार किया जा रहा है। कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्य की प्रगति संतोषजनक है। क्षेत्र विज्ञानी अपेक्षित संख्या में अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। तो भी, आगामी वर्षों में कर्मचारियों की अतिरिक्त भर्ती करके, जैसा कि प्रस्ताव है, प्रत्याशित लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।

(घ) ब्यूरो के मुख्यालय को जून, 1978 में नागपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया था। दिल्ली से उसी समय स्थानान्तरण कर दिया गया था जबकि ब्यूरो के लिए अस्थायी बिल्डिंग की मरम्मत आदि हो गयी थी।

महाराष्ट्र में पीने के पानी की व्यवस्था

1070. **श्री हरी शंकर महाले :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान पीने का पानी सप्लाई करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) क्या उस राज्य के 8000 से अधिक गांवों में पीने के पानी की सप्लाई का कोई प्रबंध नहीं है ; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) छठी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अतः महाराष्ट्र को नियत की गई राशि बताई नहीं जा सकती।

(ख) 1971-72 में सूचित किए गए समस्याग्रस्त ग्रामों में से 1 अप्रैल, 1978 को 3872 समस्या ग्रस्त ग्राम ऐसे थे जिन्हें कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लाया गया था।

(ग) पेयजल की व्यवस्था करने का विषय राज्यों का है। शेष समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेयजल देने के लिए राज्य सरकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की व्यवस्था कर रही है। इस कार्यक्रम में गति लाने के लिए 1977-78 से केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पोरवान, बाकरू तथा कोंकाई नदी परियोजना

1071. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री पोरवान बाकरू तथा कोंकाई नदी परियोजना के बारे में 21 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3485 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान कितनी प्रगति होने की आशा है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार वहां के लोगों की रक्षा के लिए सर्वेक्षण कार्य करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : बिहार सरकार ने परमान बाढ़ नियंत्रण स्कीम को दो चरणों में विभाजित कर दिया है। चरण-एक की स्कीम मई, 1978 में तैयार की गई थी और उस पर 789.60 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस स्कीम में राष्ट्रीय राजपथ के अनुप्रवाह में तटबंधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोगने इस स्कीम की जांच की है और उसने अपनी टिप्पणियां राज्य सरकार को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए भेजी हैं। उनके उत्तर आयोग को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत नेपाल सीमा से राष्ट्रीय राजपथ तक तटबंधों के निर्माण के लिए चरण-दो की स्कीम बिहार सरकार द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई। बाकरा नदी के साथ-साथ सुरक्षात्मक वर्क्स उक्त स्कीमों में शामिल हैं।

कनकई तटबंध स्कीम और परमान बाढ़ नियंत्रण स्कीम चरण दो की नेपाल की सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली तदनुरूप स्कीमों के साथ अन्तिम रूप दिया जाएगा। नेपाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे नेपाल में लोहान्दरा और सिंधि के संबंध में बाढ़नियंत्रण उपायों के अध्ययन और स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों का काम, जैसा कि पहले से सहमति हो चुकी है, शीघ्रतापूर्वक करें क्योंकि यह कार्य भारत की परमान बाढ़-नियंत्रण स्कीम को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए जरूरी है। हाल में हुई बातचीत के दौरान नेपाल सरकार न आश्वासन दिया है कि वह पहले से सम्मत उपायों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाएगी ।

विश्वविद्यालयों को दिए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1072. **श्री एस० आर० रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं और सामान्य रूप से विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे नई शिक्षा पद्धति का पूरा-पूरा फायदा उठाने के लिए कार्यवाही करें ; और

(ख) यदि हां, तो नई शिक्षण पद्धतियों आरंभ किए जाने, परीक्षा सुधारों और कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा दिए जाने, सत्रीय मूल्यांकन की आवश्यकताओं, ग्रेड दिए जाने और सेमेस्टर प्रणालियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, शिक्षा की नई पद्धति के अंतर्गत जमा तीन स्तर के पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए सितम्बर, 1978 में मार्गदर्शी रूप-रेखाएं परिचालित की थीं । इन रूप रेखाओं में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षण-प्रणालियों में, समस्या समाधान अभ्यास, गोष्ठियां, चर्चाएं, मामला अध्ययन, ट्यूटोरियल्स आदि शामिल होने चाहिएं और इनके लिए विशिष्ट समय निर्धारित किया जाना चाहिए। औपचारिक व्याख्यानों का समय शिक्षण-अध्ययन व्यवस्था के दो-तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसे अंतिम वर्ष में मार्ग-निर्देशित स्व-अध्ययन पर अधिक बल देकर और भी कम किया जा सकता है । कक्षा-व्याख्यानों के स्थान पर उत्तरोत्तर और अधिक गोष्ठी-चर्चाएं आयोजित की जानी चाहिएं । ऐसे प्रयास किए जाने चाहिएं कि परियोजना कार्य को पाठ्यचर्चा का एक अभिन्न अंग बनाया जाए । इसके अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें संदर्भ कार्य के लिए पुस्तकालय का प्रयोग करना प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक हो जाए।

परीक्षा सुधार के संबंध में मार्गदर्शी रूप रेखाओं में यह बताया गया है कि सत्र वार मूल्यांकन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षण और अध्ययन के बीच सतत् आधार पर अन्योन्य संबंध स्थापित हो सके और छात्रों की उन कुशलताओं और योग्यताओ की जांच की जा सके जिनकी सत्र अथवा पाठ्यक्रम के अन्त में होने वाली लिखित परीक्षा मात्र से जांच न की जा सकती । ग्रेडिंग प्रणाली का उद्देश्य यह है कि विषयों के चुनाव में आत्मपरकता और अविवेकता को कम किया जा सके और इसके साथ ही विभिन्न विषयों में निष्पादन की बेहतर तुलनात्मकता स्थापित हो सके। इकाई पाठ्यक्रमों तथा क्रेडिटों के साथ उपयुक्त रूप से जुड़ी हुई सेमेस्टर पद्धति से छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों के मेल में अधिक नम्यता आती है । इसके अतिरिक्त छात्र निकटवर्ती संस्थाओं में कुछ पाठ्यक्रम आरंभ कर सकते हैं जिससे छात्रों की गतिशीलता सुविधाजनक हो जाती है। इन सभी सुधारों की मूल विशेषताओं को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण, अध्ययन और मूल्यांकन का समुचित समाकलन हो सके।

मार्गदर्शी रूप रेखाओं में यह पता चलता है कि क्योंकि अवर स्नातक शिक्षा के पुनर्गठन का प्रस्ताव सभी सम्बद्ध कालेजों में एक साथ आसानी से लागू करना संभव नहीं हो सकता इसके लिए कालेजों को अधिक स्वायत्तता दी जा सकती है ताकि वे नए पाठ्यक्रमों शिक्षण प्रणालियों और मूल्यांकन के संबंध में परीक्षण कर सकें और इस प्रकार संपूर्ण पद्धति में परिवर्तन के लिए रास्ता बना सकें ।

माना कैम्प से अभ्यावेदन

1073. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें माना कैम्प, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश की ओर से उन्हें बसने की सुविधायें देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) श्री मनिन्द्र चन्द्र दास और 20 अन्य प्रवासी परिवारों को, जिनका नकद बेकारी अनुदान, किसी एक या अन्य कारण से अर्थात् शिविरों से चले जाना, पुनर्वास स्थलों पर जाने से इन्कार करना आदि, बन्द कर दिए गए, उन्हें एक विशेष मामले के रूप में, अनुकम्पा के आधार पर पुनर्वास सुविधाएं प्राप्त करने का एक अन्तिम अवसर दिया गया था और उन्हें जून, 1977 में समस्त राहत तथा पुनर्वास सुविधाओं सहित माना शिविर में पुनः प्रवेश दे दिया गया था। उन्हें आगे पुनर्वास प्रदान करने के लिए तावा परियोजना में जाने के लिए दो अवसर दिए गए थे परन्तु उनके द्वारा तावा परियोजना में जाने से इनकार करने पर उन्हें शिविरों से निकाल दिया गया था। इस प्रकार वे इसके बाद किसी राहत अथवा पुनर्वास सुविधा प्राप्त करने के पात्र नहीं रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने वाला केन्द्रीय दल

1074. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश में जान व माल की कुल कितनी क्षति हुई ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का स्थल पर अध्ययन करने के लिये उक्त राज्य में कोई केन्द्रीय दल भेजा गया था ;

(ग) उक्त दल के सदस्य कौन-कौन थे ;

(घ) यदि कोई दल नहीं भेजा गया तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) राज्य द्वारा की गई मांग की तुलना में इस कार्य के लिये जिला-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार पिछली बाढ़ों और भारी वर्षा से लगभग 25.00 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई थी। लगभग 86,000 हैक्टार क्षेत्र में फ़सलें और 6773 मकान क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए थे। इन बाढ़ों में लगभग 272 मनुष्यों और 766 मवेशियों की भी जानें गईं। राज्य सरकार ने लगभग 46 करोड़ रु० के मूल्य की निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति का कुल नुकसान होने का अनुमान लगाया था।

(ख) से (घ) : कृषि विभाग के एक अपर सचिव के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने, जिसमें योजना आयोग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा व्यय विभाग के एक एक प्रतिनिधि शामिल थे, बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति तथा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सम्बंधी कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का मौके पर जायज़ा लेने के लिए 14 सितम्बर से 16 सितम्बर, 1978 तक हिमाचल प्रदेश राज्य का दौरा किया।

(ङ) क्षति की मात्रा तथा राज्य सरकार के स्रोतों एवं राहत सम्बंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय दल द्वारा लिए गए जायज़े के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने 6.99 करोड़ रु० की अग्रिम योजना सहायता स्वीकृत की है। इसके अलावा, प्रभावित क्षेत्रों के बाढ़ पीड़ितों में मुफ्त वितरण के लिए 9,000 मीटरी टन गेहूं भी निर्मुक्त किया गया है। प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता पूरे राज्य के लिए दी जाती है, न कि जिलावार।

फरक्का परियोजना पर काम का बन्द किया जाना

1075. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक परियोजना पर काम बंद कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

विद्यार्थियों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन

1076. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जयपुर में 4,000 विद्यार्थियों के संबंध में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कालेज अथवा विश्वविद्यालय के प्रत्येक तीसरे विद्यार्थी को नशीले पदार्थों का, जिनमें तम्बाकू और शराब शामिल है, कुछ अनुभव रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कान्वेंट और पब्लिक स्कलों में पढ़े विद्यार्थियों में गैर-पब्लिक स्कलों के विद्यार्थियों की तुलना में नशीले पदार्थों के सेवन की घटनाएं अधिक होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ! जयपुर में किए गए अध्ययन से यह पता लगा है।

(ग) किए गए अध्ययन और उनके निष्कर्षों का विवरण संलग्न है।

सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है। सरकार ने बम्बई, जयपुर, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी और जबलपुर में इस संबंध में अध्ययन कराए हैं। जयपुर, जबलपुर, वाराणसी और मद्रास में किए गए अध्ययनों की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। दिल्ली, बम्बई, और हैदराबाद में किए गए अध्ययनों की रिपोर्टें अभी प्राप्त होनी हैं। सभी रिपोर्टें उपलब्ध होने पर समुचित उपाय किए जाएंगे ।

मादक द्रव्यों और ड्रग्स का सेवन करने से छात्रों को हतोत्साहित करने के लिए सतर्कता बरतने के बारे में राज्य सरकारों को लिख दिया गया है।

विवरण

(1) जयपुर शहर में कालेजों और विश्वविद्यालय के विभागों के स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर छात्रों का अध्ययन किया गया है।

(2) अध्ययन की अवधि 1976-77 है।

(3) अध्ययन से निम्नलिखित मुख्य बातों का पता लगा है :—

(i) कालेज तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक तीसरे विद्यार्थी को नशीले पदार्थों का, जिनमें तम्बाकू और शराब शामिल हैं, अनुभव रहा है।

(ii) नशीले पदार्थों में अल्कोहल और शराब का अधिक सेवन किया जाता है।

(iii) कालेजों के छात्रों का केवल चौथाई भाग ऐसा पाया गया जो अब भी नशीले पदार्थों का जिनमें शराब और तम्बाकू शामिल हैं, सेवन करता है।

(iv) छात्रों का दो तिहाई भाग डिप्रसेन्ट्स का, एक चौथाई भाग नरकोटिक्स का तथा छात्रों का दसवां भाग स्टीमुलेंट्स और हल्लूसिनोजन्स का उपयोग करता है।

(v) नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले पुरुष-स्त्री का अनुपात 8.2 है।

(vi) विभिन्न आयु वर्गों में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या विभिन्न है।

(vii) पब्लिक और कान्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नशीले पदार्थों का सेवन अधिक करते हैं।

(viii) निम्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग के छात्र नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं।

जहाँगीरपुरी, दिल्ली के लिए बाढ़ नियंत्रण योजना

1077. **श्री राज नारायण** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की जहांगीरपुरी के लिए बाढ़ नियंत्रण योजना के क्रियान्वयन के लिए कितने व्यय का अनुमान है ; और

(ख) इस योजना को कब आरंभ किया जाएगा और यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख): जहांगीरपुरी को बाढ़ के प्रकोप से बचाने की स्कीमें दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही है।

मध्य प्रदेश में कृषि स्नातकों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करना

1078. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1977-78 में अक्तूबर, 1978 तक कृषि स्नातकों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने के मामलों में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ग) क्या राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत से कम थी और यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चीनी से नियंत्रण समाप्त करने के कारण इसके उत्पादन में कमी

1079. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी पर से नियंत्रण समाप्त करने के परिणामस्वरूप देश में चीनी कारखानों ने चीनी के उत्पादन में कमी करन की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : चीनी से नियंत्रण उठा लेने के परिणामस्वरूप चीनी फैक्ट्रियों ने सरकार को चीनी के उत्पादन में कमी करने की कोई धमकी नहीं दी है। तथापि, चीनी का उत्पादन और उसकी उपलब्धता बनाए रखने के हित में सरकार ने 9 नवम्बर, 1978 से चीनी प्रतिष्ठान (प्रबन्ध को अधिकार में लेना) अध्यादेश जारी किया था । जो चीनी मिलें निर्धारित तारीख तक पिराई कार्य नहीं करती हैं अथवा चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया है लेकिन औसत अवधि की समाप्ति से पूर्व उत्पादन बन्द कर देती हैं उनके प्रबन्ध को अधिकार में लेने की इसमें व्यवस्था है ।

भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना

1080. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन विद्या योजना के लिए एक भारतीय वन सर्वेक्षण स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां । मौजूदा वन संसाधनों का निवशयूव सवक्षण को भारतीय वन सवक्षण के रूप में बदलने का एक प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नवत हैं :--

भारतीय वन सर्वेक्षण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, वन विकास निगमों तथा अन्य निकायों को वानिकी नियोजन क लिए आंकड़ों के सम्बन्ध में उपयुक्त सहायता प्रदान करेगा । अधिकांश जानकारी संगठित प्रणाली के जरिये आंकड़ा बक के रूप में रखी जाएगी ।

देश के वनों की वृद्धि, विनाश तथा कटाई के बारे में तथा भूमि के वैकल्पिक उपयोग के फलस्वरूप पर्यावरण सम्बन्धी संभावित परिणामों और वन प्रबन्ध के बारे में अनुमान लगाने के लिए छोटे पैमाने पर अनवरत आधार पर एक नमना सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जाएगा ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन में 5 यूनिट होंगी :--

(1) **वन संसाधन तथा मानचित्रण** : भारतीय सर्वेक्षण का मानचित्रण निदेशालय 1 : 50,000 के पैमाने पर वन संसाधन सम्बन्धी मानचित्र बनाएगा । ऐसे मानचित्र इस समय विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किये जा रहे मृदा, भविज्ञान आदि से सम्बद्ध मानचित्रों के अनुरूप होंगे । यह कार्य भारतीय सवक्षण, राष्ट्रीय सुदूर-बोध एजेन्सी (नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी) तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के सहयोग से किया जाएगा ।

(2) **वन-सूची एकक (फारेस्ट इन्वेंटरी यूनिट)** : यह एकक कार्यकारी योजनाओं तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों से मौजूदा जानकारी को संकलित करेगा और एक आंकड़ा बैंक बनायेगा । इसके अतिरिक्त, वनों की वृद्धि, विनाश और विचयन का अनुमान लगाने के लिए नमने के प्लाटों की स्थापना की जाएगी ।

(3) **आंकड़ा बैंकिंग एकक** : आंकड़ा बैंक का प्रमुख कार्य वन अनुसंधान संस्थान, राज्यों के वन विभागों तथा अन्य वन संगठनों को संगणक सेवाएं मुहैया करना है ।

(4) **बहत् योजना एकक (मैक्रोप्लानिंग यूनिट)** : यह एकक वन-सांख्यिकी व मंडी सम्बन्धी आंकड़े आदि एकत्र करेगा तथा वानिकी में बृहत् स्तर पर योजना बनाने के लिए आंकड़ों का आधार तैयार करेगा और राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं को समन्वित करेगा।

(5) **समन्वयक तथा सलाहकार एकक** : यह एकक सामाजिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी वानिकी के बारे में सूक्ष्म-नियोजन परियोजनाएं प्रारम्भ करेगा। इसमें संगठन के सूची से सम्बद्ध स्टाक को प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र भी होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

पुनर्वास मंत्रालय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नई दिल्ली

1081. **श्री लखनलाल कपूर :**

श्री शिवनारायण सरसूनिया :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री पुनर्वास मंत्रालय कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को 60 एकड़ भूमि के आबंटन के बारे में 12 अप्रैल, 1973 तथा 27 जून, 1977 के क्रमशः लोकसभा प्रश्न संख्या 6870 तथा 1831 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने सदस्यों को प्लाटों का आबंटन कर सकने हेतु भूमि विकास का कार्य आरम्भ करने के लिए समिति को अनुमति देने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) समिति को आबंटित की गई भूमि का मूल्य निश्चित करने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ग) उक्त मामलों पर कब निर्णय हो जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) 27 जून, 1977 को इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के बाद सरकार इस मामले की नये सिरे से जांच कर रही है क्योंकि आवंटन के कुछ पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता है।

गुजरात में ग्रामीण जल सप्लाई योजना

1082. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विशेषकर गुजरात में ऐसे कितने गांव हैं जहां अब तक पर्याप्त मात्रा में तथा स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं है;

(ख) इन गांवों में ग्रामीण जल प्रदाय योजना को कब तक लागू करने की संभावना है; और

(ग) इस बात को देखत हुए कि अभी हमने बहुत कुछ करना है, क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई करने की समस्या तथा पंचवर्षीय योजना में अधिक परिव्यय नियत करने के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1971-72 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 153000 थी जिनमें सुरक्षित पेय जल उपलब्ध नहीं था। इनमें, 2262 ग्राम गुजरात राज्य के थे।

(ख) तथा (ग) : चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों में यह सुविधा देने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य क्षेत्र में निधियों का नियतन काफी बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा इस समस्या को संयुक्त रूप से निर्धारित अवधि में हल करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977 से काफी बड़ी राशि का नियतन किया जा रहा है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों का तमिलनाडु में पुनर्वास

1083. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से स्वदेश लौटे कितने परिवारों का अब तक तामिलनाडु में पुनर्वास कर दिया गया है;

(ख) ऐसे पुनर्वास पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को कितनी लागत आई है;

(ग) कितने परिवारों का अभी और पुनर्वास किया जाना है; और

(घ) आगामी वर्षों में श्रीलंका से कितने और परिवालरों के आने की आशा है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अब तक श्रीलंका से आए 41,894 परिवारों को तामिलनाडु में बसाया जा चुका है।

(ख) श्रीलंका प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए तमिलनाडु सरकार को 21.85 करोड़ रूपए (18.41 करोड़ रुपए ऋण के रूप में और 3.44 करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में) दिए जा चुके हैं। पुनर्वास की पूरी लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ग) श्रीलंका से आए लगभग 7500 परिवारों को अभी तमिलनाडु में पुनर्वास दिया जाना है।

(घ) भारत सरकार एवं श्रीलंका सरकार के बीच 1964 और 1974 में किए गए दो करारों के अनुसार, भारतीय पूल के कुल 6 लाख व्यक्तियों को, उनमें होने वाली प्राकृतिक वृद्धि सहित, 1981 तक भारत में भेजा जाना है किन्तु सितम्बर, 1978 के अन्त तक केवल 2,36,000 व्यक्तियों को, उनमें होने वाली लगभग 66,000 व्यक्तियों की प्राकृतिक वृद्धि सहित, भारत भेजा गया है। इस प्रकार 3,64,000 व्यक्तियों को उनमें होने वाली प्राकृतिक वृद्धि सहित भारत भेजा जाना शेष है। भारत और श्रीलंका सरकारों के अधिकारी स्तर पर अगस्त, 1978 में हुई सरकारी बातचीत के फलस्वरूप यह तय किया गया है कि परीक्षात्मक रूप में 35,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष की दर से इन शेष व्यक्तियों को भारत भेजा जाए और इस दर पर शेष व्यक्तियों को उनमें होने वाली प्राकृतिक वृद्धि सहित, लगभग 11 वर्षों में, अर्थात् 1989 या 1990 के अन्त तक भारत आने की आशा है।

भूमि सुधार अधिनियमों में संशोधन

1084. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में कितने राज्यों ने वर्तमान भूमि अधिनियमो में संशोधन किया है ; और

(ख) इन संशोधनों से ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को कितनी सहायता मिली है तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) : और (ख) लगभग सभी राज्यों ने मोटे तौर पर राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार अपने भूमि सुधार कानूनों में संशोधन कर दिया है। इन संशोधनों से भूमि की अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का काफी अधिक क्षेत्र प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतो की दृष्टि में रखते हुए कानूनों में संशोधन करने के पश्चात् भूमि की अधिकतम सीमा से फालतू हुई लगभग 15.76 लाख एकड़ भूमि लगभग 10.55 लाख लाभानुभोगियों में पहले ही वितरित की जा चुकी है।

आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन

1085. **श्री श्यामलाल घुर्दे :**
श्री चतुर्भुज :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये इस वर्ष कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उनमें से टेपिओका तथा शकरकंद के विकास से सम्बंधित एक स्कीम योजना आयोग द्वारा मंजूर की जा चुकी है और इसे शीघ्र ही स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है।

ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

1086. **श्री० के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री ईस्ट आफ कैलाश के डी० डी० ए० कम्युनिटी शापिंग सेन्टर में बहुमंजिली इमारतों में मेजनीन तलों के अनधिकृत निर्माण के बारे में 31-7-78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2132 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसम अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो क्या वह उक्त जानकारी को सभा पटल पर रखेंगे ; और

(ख) ऐसे भवनों के विरुद्ध उक्त मेजनीन तलों का निर्माण करके तथा इस प्रकार किराये की अतिरिक्त आय करके स्वीकृत योजना का जानबूझ कर उल्लंघन करन के लिए, क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है और उक्त कार्य को निर्माण के समय ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्यों नहीं रोका गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

श्री० के० लकप्पा का दिनांक 31-7-1978 का अतारांकित प्रश्न सं० 2132—ईस्ट आफ कैलाश, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर नक्शों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या सरकार को पता है कि ईस्ट आफ कैलाश स्थित कम्युनिटी सेन्टर में बहुमंजिली इमारत वाले प्लाट होल्डरों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर नक्शों का उल्लंघन करके अनधिकृत रूप से तहखानें बना लिए हैं,	(क) जी, हां ।
(ख) यदि हां, तो प्लाटधारियों के विरुद्ध अनधिकृत रूप से कवर्ड एरिया म वृद्धि करने तथा इस प्रकार से किए गए निर्माण से किराया पाने के लिए क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है,	(ख) त्रुटियां दूर करने के लिए प्लाट के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
(ग) निर्माण स्तर पर गलती ठीक करने के लिए दिल्ली विकास प्रधिकरण ने क्या कार्यवाही की और क्या प्लाटधारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठगांठ करके ये निर्माण किए और गलती के बावजूद भी इन इमारतों के मालिकों को निर्माण पूर्ति प्रमाण पत्र दिए गए, और	(ग) स्वच्छता उप नियमों के अधीन अथवा कार्य समापन प्रमाण पत्र लेते समय अपेक्षित प्रपत्र 'सी' और 'डी' के लिए मालिकों द्वारा आवेदन करने से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्टाफ द्वारा निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया जाता है। उस समय तक निर्माण कार्य प्राय: पूरा हो गया होता है। अत: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के समय प्लाट के मालिकों को त्रुटियों को दूर करने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्लाट के मालिकों से यह आशा की जाती है कि वे स्वीकृत भवन नक्शों का अनुसरण करें और जहां त्रुटियां नोटिस में आई हैं वहां प्लाट के मालिकों को कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं ।
(घ) ईस्ट आफ कैलाश के कम्युनिटी सेन्टर में जिन प्लाटों पर ऐसी इमारतें बनी हैं उनमें ऐसे कितने मामले हैं जिनमें इमारतें मूलत: प्लाटधारी के नाम म थी और बहुमंजिली इमारत बनने के पश्चात् वही इमारत कई व्यक्तियों के नामों में अन्तरित की गई और क्या प्लाट का अंतरण कई व्यक्तियों के नामों में किए जाते समय तहखाने के अतिरिक्त 'कवर्ड एरिया' को भी ध्यान में रखा गया ?	(घ) हस्तान्तरण का कोई मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिस में नहीं आया है।

माडर्न बेकरीज द्वारा कोका कोला कारपोरेशन के संयंत्र की खरीद

1087. **डा० बी० ए० पेरियासामी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माडर्न बेकरीज ने कोका कोला कारपोरेशन का पिछला संयंत्र खरीद लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की खरीद के लिये कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) माडर्न बेकरीज द्वारा यह संयंत्र किस काम में प्रयुक्त किया जायेगा अथवा प्रयुक्त किये जाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : माडर्न बेकरीज संयंत्र खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है लेकिन अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) इस संयंत्र में माडर्न बेकरीज द्वारा अपना पेय कारोबार चलाने के लिए अपेक्षित सांद्रण और कारामेल का उत्पादन करने की सुविधाएं हैं। इसकी प्रयोगशाला भी है जिसका माडर्न बेकरीज की गतिविधियों के संबंध में अनुसंधान और विकास तथा गुण नियंत्रण की जरूरतों को भी पूरा करने में प्रयोग किया जा सकता है ।

गन्ने का मूल्य

1088. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ने का नया न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी उद्योग ने शिकायत की है कि राज्य अधिक राशि के भुगतान के लिए कह रहे हैं ;

(ग) क्या उद्योग ने यह भी शिकायत की है कि चीनी पर से नियंत्रण हटाये जाने के कारण उसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस संबंध में सरकार को चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों से कोई सरकारी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) सरकार को चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन मिले हैं कि नियंत्रण उठा लेने के फलस्वरूप, चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट आयी है और अब कुछेक विनियामक उपाय किए जाने चाहिये जैसे कि उत्पादन में कटौती करना, मासिक नियुक्तियां फिर से शुरू करना आदि जिससे उनकी कठिनाइयां दूर हो सके ।

(घ) सरकारने उपर्युक्त अभ्यावेदनों में उल्लिखित बातों को नोट कर लिया है लेकिन यह महसूस किया गया है कि इस तथ्य की दृष्टि में कि चीनी से नियंत्रण उठाए केवल 3 महीने ही बीते हैं, इस के प्रभाव के बारे में कोई निर्णय देना बहुत जल्दबाजी होगी । तथापि, चीनी की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।

विश्वविद्यालयों में पंजाबी भाषा का पढ़ाया जाना

1089. **श्री बलवन्त सिंह रामवालिया :** क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने और किन किन विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर तक पंजाबी भाषा पढ़ाये जाने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या संघ क्षेत्र दिल्ली और संघ क्षेत्र चंडीगढ़ में कालेजों और स्कूलों में पंजाबी के अध्यापकों और प्राध्यापकों की कमी है ;

(ग) चंडीगढ़ और दिल्ली में उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने पंजाबी भाषा सीखने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) पंजाबी भाषा को पढ़ाने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ में वर्ष 1977-78, 1978-79 में कितने अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उपलब्ध सूचना क अनुसार पांच विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर तक पंजाबी भाषा पढ़ाए जान की व्यवस्था है ;

1. दिल्ली विश्वविद्यालय
2. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय
3. जम्मू विश्वविद्यालय
4. पंजाब विश्वविद्यालय
5. पंजाबी विश्वविद्यालय

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में यमुनापार के क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में मूल सुविधाएं

1090. **श्री गोविन्द मुण्डा:**
श्री एस० एस० सोमानी :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री रामदेव सिंह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुनापार के क्षेत्र गौतमपुरी, शाहदरा, दिल्ली-53 के प्राथमिक स्कूल में प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के कुल छात्र कितने हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि छात्रों को जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहिये, वे उन्हें नहीं मिल रही हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पढ़ने के समय छात्रों को फर्श पर बैठना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप मलेरिया तथा अन्य रोगों से बीमार पड़ने का भय सदा बना रहता है ; और

(घ) इस स्कूल के छात्रों के बैठने के लिये छोटी डेस्कें तथा अन्य सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) नगर निगम दिल्ली द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, यमुना पार क्षेत्र गौतमपुरी, शाहदरा में ब्रह्मपुरी 'टी' ब्लाक में एम० सी० प्राथमिक विद्यालय नामक केवल एक नगर निगम प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय की सुबह की पाली मे 300 बच्चे तथा शाम की पाली में भी 300 बच्चे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) बच्चे, टाट-पट्टियों पर बैठते हैं जो कि स्कूल को उपलब्ध की गई हैं। नगर निगम में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोई भी बच्चा मलेरिया अथवा किसी अन्य बीमारी से पीड़ित नहीं है ।

(घ) निगम प्राधिकारियों द्वारा स्कूल के बच्चों के उपयोग के लिए डेस्क उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर अधिभार लगाया जाना

1091. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर मनमाना अधिभार लगाए जाने के बारे में 28 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 4707 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मायापुरी के मध्यम आय वर्ग के 132 फ्लैटों जिनके बारे में मूल्य घोषित किए गए थे और आवेदन-पत्र मंगाए गए थे, को पंजीकृत व्यक्तियों को देने की बजाए निर्माण और आवास मंत्रालय को बेचने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मंत्रालय को ये फ्लैट किस मूल्य पर बेचे गए हैं ;

(ग) क्या अतारांकित प्रश्न संख्या 4707 के भाग (क) में उठाये गए प्रश्न से उपरोक्त निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि नहीं, तो पंजीकृत व्यक्तियों से आवेदन पत्रों को आमन्त्रित करने से पूर्व यह निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं और इस कार्य पर बेकार के व्यय और आवेदकों को हुई असुविधा के लिए किन व्यक्तियों को जिम्मदार ठहराया गया है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में तैनात सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की अत्यन्त कमी को पूरा करने के लिए और निधियों को बढ़ाने के लिए ताकि दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों के निर्माण कार्य को तेज कर सके, राजौरी गार्डन में मध्यम आय वर्ग के 132 फ्लैटों को नकद आधार पर सम्पदा निदेशालय को देने का निर्णय लिया गया था इन फ्लैटों के लिए वसूल की गई कीमतें वही हैं जिस कीमत पर ऐसे फ्लैट जन साधारण को दिए जाते हैं। ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस निर्णय को लेने के कारण उपर्युक्त (ख) में दिये गए है। कोई निष्फल खर्च नहीं किया गया है क्योंकि टैगोर गाडन के सामने राजौरी गार्डन में निर्माणाधीन 512 फ्लैटों में से 132 आवेदकों को मध्यम आय वग के फ्लैट दिए गए हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचार से, तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे क्षेत्र में स्थित है। यद्यपि, इस प्रक्रिया से कुछ असुविधा हुई है फिर भी अब ये आवेदक तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे क्षेत्र में आबंटन के पात्र होंगें।

विवरण

राजौरी गार्डन (जी–8 क्षेत्र) में मध्यम आय वर्ग के 132 फ्लैटों के विक्रय मूल्य के ब्यौरे

फ्लैटों का विवरण	फ्लैटों का टाइप	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भूमि का प्रीमियम	कुल कीमत
		व० मी०	रु०	रु०
राजौरी गार्डन (जी०-8) (तीन मंजिले).	(टाइप–ए/बी)			
	निचली मंजिल	91.27	6,400	67,500
	पहली नंजिल	99.96	5,100	63,300
	दूसरी मंजिल	93.72	5,100	59,700
	(टाइप– 'सी')			
	निचली मंजिल	98.55	7,300	72,000
	पहली मंजिल	101.91	5,400	65,000
	दूसरी मंजिल	101.91	5,400	66,000

उर्वरकों की मांग, सप्लाई और लागत

1092. **श्री राम जीवन सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की वार्षिक मांग, सप्लाई और लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : प्रत्येक फसल के मौसम से पहले विभिन्न फसलों के अन्तगत अनुमानित क्षेत्र एवं खपत में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए कृषि हेतु उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। इस तरीक से वर्ष 1978-79 के लिए आकल्ति की गई वास्तविक आवश्यकताएं निम्नवत हैं :—

(लाख मीटरी टनों में)

नाइट्रोजन	$पी_2ओ_5$	$के_2ओ$	योग
34.23	10.99	6.38	51.60

उपरोक्त आवश्यकताओं की तुलना में सितम्बर, 1978 के अन्त तक घरेलू उत्पादन तथा आयातित माल से निम्नांकित मात्रा सप्लाई की जा चुकी हैं :—

नाइट्रोजन	$पी_2ओ_5$	$के_2ओ$	योग
19.15	5.41	3.28	27.84

शेष मात्रा की सप्लाई मौजूदा रबी मौसम के बकाया महीनों में कर दी जाएगी। यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्य सांविधिक रूप से नियंत्रित हैं और इन तीनों ही किस्मों के लिए ये मूल्य आयातित तथा देशी दोनों प्रकार के उर्वरकों के मामले में समान हैं। पूल उर्वरकों के खुदरा मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	उर्वरक का नाम	मूल्य (रू० प्रति मीटरी टन)
1	यूरिआ (46 प्रतिशत एन)	1,550
2	यूरिआ (45 प्रतिशत एन)	1,510
3	अमोनियम सल्फेट (21 प्रतिशत एन)	925
4	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	
	(25 प्रतिशत एन)	1,015
	(27 प्रतिशत एन)	1,100
	28 प्रतिशत एन	1,140
	26 प्रतिशत एन	1,060
5	अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	1,060
6	अमोनियम क्लोराइड	995
7	डी० ए० पी०	2,210
8	एम० ए० पी०	2,325
9	ट्रिपल सुपर फास्फेट	1,575
10	एम० ओ० पी०	795
11	एस० ओ० पी०	1,295
12	ए० एन० पी० (20 : 20 : 0)	1,590
13	ए० एन० पी० (23 : 23 : 0)	1,760
14	ए० एन० पी० (24 : 24 : 0)	2,045
15	ए० एन० पी० (26 : 14 : 0)	1,555
16	ए० एन० पी० (19 : 20 : 0)	2,030
17	एन० पी० क०	
	15 : 15 : 15	1,520
18	14 : 14 : 14	1,450
19	14 : 28 : 14	1,855
20	13 : 13 : 13	1,340
21	12 : 24 : 12	1,570
22	11 : 11 : 11	1,150

विवरण—समाप्त

क्रम सं०	उर्वरक का नाम	मूल्य (रु० प्रति मीटरी टन)
23	17 : 17 : 17	1,810
24	13 : 13 : 20	1,905
25	17 : 17 : 16	2,090
26	20 : 20 : 10	1,770

मदर डेरी के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन

1093. **श्री भगत राम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी एम्लाईज यूनियन (पंजीकृत) के एक प्रतिनिधि मण्डल ने उन्हें एक सितम्बर, 1978 को एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) मदर डेरी के उन कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जो उनके प्रेसीडेंट को सेवा से निकालने के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं तथा यह आन्दोलन 27 अगस्त, 1978 को आरम्भ हुआ था तथा 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और एक कर्मचारी ने अब तक आमरण भूख हड़ताल की हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में मुख्य अनुरोध श्री कंवल जीत सिंह (चालक-एवं-विक्रेता) को जिन्हें 24 अगस्त, 1978 को (कार्य-समय के बाद) नौकरी से निकाल दिया गया था, बहाल करने के बारे में था ।

(ग) तथा (घ) : मदर डेरी का कार्य राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड देख रहा है । इसका प्रबन्ध स्वायत्त है और उसे संगठन के हित में समुचित निर्णय लेने का अधिकार है । संगठन ने श्री कंवल जीत सिंह के मामले में पूर्णतः करार के प्रावधानों के अनुसार ही उन्हें सेवा से निलम्बित करने का निर्णय लिया है । श्री कंवल जीत सिंह (चालक-एवं-विक्रेता) का विलम्बन का मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुसार अब श्रम आयुक्त के कार्यालय दिल्ली में समझौता सम्बन्धी कार्यवाही का विषय बन गया है । समझौता अधिकारी ने भी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली क्रमिक भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त करने की सलाह दी है ।

अपर वर्धा परियोजना

1094. **श्री संतोष राव गोडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण अपर वर्धा परियोजना में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) इस सिंचाई परियोजना को पूरा किये जाने का क्या समय निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के निर्माण के साथ-साथ इस परियोजना के कमांड क्षेत्र में सड़कें बनाई जायें ; और

(घ) क्या सरकार परियोजना से प्रभावित हुए व्यक्तियों को अपर वर्धा परियोजना पूरी होने से काफी समय पहले पुनर्वास करने के महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन का पालन करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि धन की कमी के कारण अपर वर्धा परियोजना में विलम्ब नहीं हो रहा है । उन्होंने आगे सूचित किया है कि परियोजना के हैड-वर्क्स को मार्च, 1985 तक और नहरों के दाएं और बाएं, दोनों किनारों के सभी पहलुओं से जून, 1987 तक पूर्ण किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना के कमान क्षेत्र में सड़कों का निर्माण परियोजना के निर्माण के साथ-साथ करने और परियोजना के पूर्ण होने से काफी पहले परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को पुन: बसाने के प्रयास किए जाएंगे ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए सहायता का अस्वीकार किया जाना

1095. **डा० बापू कालदाते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1978 को शुरू किये गये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए सहायता अस्वीकार करने के बारे में सामाजिक, साहित्यिक और पब्लिक स्कूलों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ द्वारा ठेकेदारों को सफाई के लिये दी गई दालों में कमी

1096. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ द्वारा सफाई प्रयोजनार्थ ठेकेदारों की दालों की कितनी मात्रा दी गई और इसमें कितनी मात्रा की कमी हुई और किस्म में कटौती करने और दालों को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप इसमें कितनी मात्रा में कमी हुई और हानि हुई; और

(ख) इस हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 1974 मीटरी टन (अनुमानत:) की मात्रा ठेकेदारों को साफ करने के लिए दी गई थी । बजन मे कोई कमी नहीं हुई थी और न ही भारतीय खाद्य निगम की कोई हानि हुई थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश भेजें गये व्यक्ति

1097. **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार बनने के बाद मंत्रालय द्वारा अब तक विदेशों में भेजे गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं, उनमें से प्रत्येक ने किन-किन तारीखों को विदेशों की यात्रा की और इन विदेशी यात्राओं पर कितनी राशि खर्च हुई ; और

(ख) उनकी विदेश यात्राओं का प्रयोजन क्या था ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नेपाल में भारत द्वारा बनाय जा रह पुल का ढह जाना

1098. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में भारत द्वारा बनाया जा रहा एक पुल ढह गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल पर दोनों देशों द्वारा कितनी राशि खर्च की जानी थी और क्या इस पुल के गिर जाने के कारणों का पता लगाने के बारे में कोई जांच की गई है इस मामले में कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) यह पुल सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार द्वारा 48.50 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था । पुल के ढह जाने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कोई जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न पैदा होगा ।

दुग्ध उत्पादन के बारे म राष्ट्रव्यापी योजना

1099. **श्री युवराज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दुग्ध उत्पादन के लिये अगले वर्ष एक राष्ट्रव्यापी योजना लागू करने का है, और यदि हां, तो उसकी लागत क्या होगी तथा इससे कितने लिटर दूध उपलब्ध होगा तथा इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : आपरेशन फ्लड 2 नामक एक राष्ट्रीय डेरी विकास परियोजना मंजूर की गई है, जो 1978-85 की अवधि के दौरान क्रियान्वित की जायेगी । इस परियोजना पर 485.50 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा और इसके अन्तर्गत 1985 में प्रतिदिन 1082 लाख लिटर दूध उपलब्ध करने की योजना है । इससे लगभग 100 लाख फार्म परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा । अनुमान है कि यह परियोजना पूरी हो जाने पर 185 लाख व्यक्तियों के लिये वर्ष भर उपयोगी रोजगार सृजित करेगी ।

स्त्रियों की शिक्षा की योजना

1100. श्री **युवराज** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्रियों के शिक्षित होने और उन्हें शिक्षित किये जाने की प्रक्रिया बड़ी धीमी रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1951 में निरक्षर स्त्रियों की संख्या 1620 लाख थी जो कि 1971 में बढ़ कर 2150 लाख हो गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निरक्षर स्त्रियों की संख्या शहरों में 129 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 लाख है ;

(घ) क्या स्त्रियों को शिक्षा सुविधाएं देने की मांग बहुत पुरानी है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि स्त्रियों की शिक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर निर्भर करती है ; और

(च) यदि हां, तो स्त्रियों की शिक्षा के लिये कार्यान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां । गति इतनी तेज नहीं रही है जितनी यह होनी चाहिए थी ।

(ख) तथा (ग) । 1971 की गणना के अनुसार निरक्षर महिलाओं की संख्या निम्नलिखित थी :—

1951 में	1971 में
(आंकड़े लाखों में)	
1626	2147
(92.1%)	(81.3%)

ग्रामीण	शहरी
1855	292
(96.4%)	(57.9%)

(घ) से (च) : भारतीय महिलाओं के स्तर से सम्बन्धित समिति ने स्वतंत्रता से पहले, उसके दौरान तथा बाद में महिला शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की थी तथा समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्वतंत्रता के पश्चात् इस उद्देश्य के लिए राज्यों द्वारा की गई सीधी कार्रवाई के बावजूद महिला शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है । अतः समिति ने यह पुरजोर सिफारिश की थी कि महिलाओं

की शिक्षा को एक प्रमुख और विशेष समस्या समझा जाए । लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनेक कार्यक्रमों की सिफारिश की थी । लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से संबंधित सभी मामलों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए सन् 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् का भी गठन किया गया था । लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं । लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए विशेष कार्यक्रम तो 1957-58 में ही आरम्भ कर दिए गए थे । इनमें छात्राओं के लिए उपस्थिति-छात्र-वृत्तियों, स्कूलमाइयों की नियुक्ति, अध्यापिकाओं के लिए क्वार्टरों का निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षावृत्तियों की अदायगी, क्वार्टरों अथवा छात्रावासों का निर्माण, पुस्तकों, स्लैटों तथा लेखन सामग्री व स्कूल वर्दियों की निःशुल्क आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं के लिए विशेष भत्ता, छात्राओं को शिक्षा के कार्यक्रम, महिला पालिटेकनिकों की स्थापना, और संक्षिप्त शैक्षिक पाठ्यक्रमों को देखरेख करने के लिए राज्यों के शिक्षा निदेशालयों में अलग सैल स्थापित करने आदि की व्यवस्था शामिल है । अब अगले 10 वर्षों के अन्दर अन्दर ही प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, छात्राओं सहित, 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा के अन्तर को कम करने, तथा सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने से सम्बन्धित कानून पास कर दिये हैं । इस वर्ष अक्तूबर में प्रारम्भ किये गये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में, महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसमें शहरी एवं ग्रामीण साक्षरता हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों की परिकल्पना भी की गई है । महिलाओं के लिए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को कक्षाओं पत्राचार पाठ्यक्रमों, जन संचार, अथवा इन सभी के सम्मिश्रण के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति सजग करना, उनके लिए दूसरे क्षेत्रों, विशेषतया, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, पोषण, परिवार नियोजन इत्यादि, की जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था करना, तथा उन्हें साक्षर बनाकर तथा अन्य आवश्यक कौशल एवं संसाधनों का बोध कराकर, आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है । वर्ष 1983-84 के अन्त तक इस राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में, महिलाओं सहित, 15-35 आयु वर्ग के लगभग 10 करोड़ निरक्षर लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव है ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार कार्यालय

1101. **श्री युवराज :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग ने विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार देने के लिए देश के मुख्य नगरों में रोजगार कार्यालयों में विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने उन कर्मचारियों को, जो अंधे हैं या जिनके शरीर के निचले अंग बेकार हैं, सरकारी भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ग) अब तक कितने विशेष रोजगार कार्यालय खोले गये हैं तथा गत तीन वर्षों में इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले 8 शहरों में एक-एक अधिकारी नियुक्त करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के अन्धे या शरीर के निचले अंग बेकार होने के कारण अपांग कर्मचारियों को अधिकतम 50 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता देने का निर्णय किया है ।

(ग) सोलह विशेष रोजगार केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा गत वर्षों में इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 4562 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मिला है ।

वन्य पशुओं का संरक्षण और उनकी संख्या

1102. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पाये जाने वाले ऐसे जंगली पशु कौन कौन से हैं जिनका वंश क्षय तीव्रता से हो रहा है ;

(ख) इन दुर्लभ पशुओं को वंश नाश से बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इन पशुओं की संख्या का पता लगाने के लिये कोई योजना तैयार की हैं ; और यदि हां, तो क्षयोन्मुख पशुओं की संख्या क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) । संलग्न विवरण के अनुसार । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या ए ल० टी०-2872/78]

मिथिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

1103. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1972 में स्थापित किया गया मिथिला विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की संख्या तथा सम्बद्ध कालेजों की संख्या की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए पर्याप्त अनुदान नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए उपाय करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है ।

(ख) वि० अनु० आ० ने विश्वविद्यालय को अभी तक विकास अनुदान देना प्रारंभ नहीं किया है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित नए विश्वविद्यालयों के लिए प्रारंभिक स्थापना व्यय मंजूर नहीं करता है । वि० अनु० आ० अधिनियम के खण्ड 12-क के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किसी भी नए विश्वविद्यालय को विकास अनुदान आयोग द्वारा केवल तभी मंजूर किया जाता है जबकि उक्त विश्वविद्यालय को कुछ शर्तों को पूरा करने के पश्चात् आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित कर दिया गया हो । इन शर्तों में, अन्यों के साथ-साथ, भवन उपस्कर, पुस्तकालय, छात्रावास, स्टाफ़ क्वार्टर आदि, जिनकी कुल लागत 2 करोड़ रुपये हो, प्रत्येक विभाग में कुछ न्यूनतम स्टाफ की नियुक्ति आदि के रूप में प्रारंभिक सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है । हालांकि आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को फरवरी 1976 में पात्र घोषित कर दिया गया था, तथापि आयोग को इस बात से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है कि क्या अपेक्षित प्रारंभिक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि विश्वविद्यालय की विकास आवश्यकताओं का आयोग द्वारा अनुमान लगाया जा सके और अनुदान स्वीकृत किया जा सके ।

लघु सिंचाई के लिये बिहार को केन्द्रीय अनुदान

1104. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में दी गई सहायता प्रभावकारी ढंग से इसे क्रियान्वित करने में अपर्याप्त रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) प्रचलित पद्धति के अनुसार राज्य की प्लान स्कीमों हेतु केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण वार्षिक योजना के लिए एकमुश्त ऋण एवं अनुदान के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम अथवा विकास-शीर्ष से सम्बन्धित नहीं होती है । फिर भी, राज्यवार वित्तीय संसाधनों की समग्रता के आधार पर योजना आयोग राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से खण्डवार-परिव्यय के संबंध में अपनी सिफारिशें देता है । वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान बिहार में सामान्य लघु सिंचाई के अन्तर्गत स्वीकृत परिव्यय निम्न प्रकार है :—

(रुपए करोड़ों में)

1975–76	1976–77	1977–78
12.45	18.00	23.35

फिर भी, केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों, जैसे लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम तथा कमान क्षेत्र विकास, के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त, राज्य की लघु सिंचाई संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए 50 प्रतिशत के बराबर अनुदान पर केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

दी गयी सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	1975–76	1976–77	1977–78
1.	लघु कृषक विकास एजेंसी*	174.66	222.77	421.07
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम** (स्वीकृत परिव्यय) .	113.95	141.27	248.90
3.	समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम	..	190.00	210.00
4.	कमान क्षेत्र विकास . .	112.16	240.93	186.14
5.	राज्य के लघु सिंचाई संगठनों का सुदृढ़ीकरण . .	..	..	10.40

*निर्मुक्त की गयी धनराशि में लघु सिंचाई सहित सभी कार्यक्रम शामिल हैं । लघु सिंचाई के लिए विस्तृत ब्यौरे अलग से उपलब्ध नहीं है । एजेंसियों को लघु सिंचाई स्कीमों पर कुल परियोजना व्यय का 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक सम्बन्धित क्षेत्र की क्षमता के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गयी है ।

**केन्द्रीय सरकार का अंश स्वीकृत परिव्यय का 50 प्रतिशत था ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अन्तर्गत योजना परिव्यय की धनराशि तथा वित्तीय सहायता वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान स्वीकृत वास्तविक लक्ष्य को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए आबंटित की गयी है । और यह लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । उपर्युक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वित्तीय प्रावधानों में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है ।

(ग) मध्यावधि योजना के दौरान बिहार की लघु सिंचाई योजना को तेज करने का प्रस्ताव है । मध्यावधि योजना के लिए निर्धारित 90 लाख हैक्टार के कुल लक्ष्य में से बिहार के लिए 14.50 लाख हैक्टार का अस्थायी लक्ष्य है, जबकि वर्ष 1974-78 के दौरान उपलब्धि का अनुमान 4.25 लाख हैक्टार का है । 14.50 लाख हैक्टार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

दिल्ली में अध्यापकों के वेतन और भत्तों में असंगति

1105. **श्री के० ए० राजन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के नगरनिगम और सरकारी स्कूलों में काम कर रहे कुछ अध्यापकों के मामलों में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि वरिष्ठ अध्यापकों को उनसे कनिष्ठ अध्यापकों से कम वेतन मिल रहा है ;

(ख) क्या संबंधित विभागों के सचिवों की समिति ने इस प्रश्न की जांच की है ; और

(ग) कुछ वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्यापकों के वेतन और भत्तों में असंगति के प्रश्न पर निर्णय करने में कितना समय और लगेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) दिल्ली प्रशासन तथा नगर निगम के अधीन कार्य कर रहे अध्यापकों के वेतनमानों की असंगतियों को दूर करने का प्रश्न, दिल्ली प्रशासन के परामर्श से, सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह एक बहुत जटिल विषय है तथा यथाशीघ्र उचित समाधान निकालने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

कपास की ओटाई के लिए सुविधाएं

1106. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास की ओटाई के लिये अपर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या ओटाई की अपर्याप्त सुविधाओं और पुरानी ओटाई मिलों के कार्यकरण के कारण कपास की किस्म बहुत घटिया हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ओटाई मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ लम्बे रेशे वाली कपासों के ग्रेड एवं क्वालिटी पर पुरानी ओटाई मिलों के कारण नहीं बल्कि गलत ढंग से उनकी ओटाई के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि पुरानी ओटाई मशीन को ठीक प्रकार से नहीं रखा जा रहा है और उन्हें चलाने के समय आवश्यक समायोजन भी नहीं किए जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

टाइप II आवास के आबंटन के हकदार सरकारी कर्मचारियों को आवास

1107. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास के बारे में दिनांक 7 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के उत्तर के संबंध में जिसमें यह बताया गया था कि 20 वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने वाले 1647 सरकारी कर्मचारियों को टाइप–II के सरकारी आवास नहीं मिल पाये है जिसके वे पात्र है, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब 31 अक्तूबर, 1978 तक उक्त कर्मचारियों की क्या संख्या है;

(ख) सरकार उनको किस तिथि तक आवास दे सकेगी; और

(ग) इस वर्ग के लोगों को दिसम्बर, 1978 तक कुल कितने क्वार्टर दे दिए जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में टाइप-II के वास के लिए 1090 कर्मचारी पात्र है जिनकी नौकरी 20 वर्ष की हो गई है और उन्हें सरकारी मकान नहीं मिला है ।

(ख) कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती । तथापि, आगामी 3 वर्षों के दौरान टाइप-बी के 5000 क्वार्टर बनाने के लिए सरकार ने एक त्वरित कार्यक्रम (फ्रैश प्रोग्राम) आरम्भ किया है ।

(ग) यह बताना संभव नहीं है कि दिसम्बर, 1978 तक कितने क्वार्टर आबंटित किए जाने की संभावना है क्योंकि क्वार्टरों के आबंटन, अन्य कर्मचारियों द्वारा मकान खाली करने तथा नए क्वार्टरों के निर्माण पर निर्भर हैं ।

वर्ष 1977–78 के दौरान ग्रामीण-सम्पर्क सड़कों के लिए उपयोग में लाई गई धनराशि

1108. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लरी :**

श्री हरी शंकर महाले :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री ग्रामीण-सम्पर्क सड़कों के लिए केन्द्रीय निधि के आबंटन के बारे में 7 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 2939 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 के दौरान ग्रामीण-सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए वास्तव में कितनी राशि उपयोग में लाई गई और ऐसी सड़कों के निर्माण के बारे में, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में, अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : चूंकि वर्ष 1977–78 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के पास ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध समय बहुत सीमित था इसलिए अधिकांश मामलों में यह सहमति हुई है कि उन्हें योजना के अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं को 31.3.79 तक पूरा करने की अनुमति दी जाए । इस प्रकार की सड़कों के निर्माण के बारे में अब तक वास्तविक रूप से उपयोग म लाई गई धनराशि तथा की गई भौतिक प्रगति से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्टों की राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

सांस्कृतिक गृहों की स्थापना

1109. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरों और गांवों में सांस्कृतिक गृहों की स्थापना के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त सांस्कृतिक गृहों का ढाँचा क्या होगा और प्रत्येक सांस्कृतिक गृह पर कितना खर्च करने की अनुमति दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

धार जिले में मरम्मत कार्य

1110. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री गुप्तकालीन मन्दिरों के रखरखाव के बारे में 3 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार जिला मध्य प्रदेश में 1975–76, 1976–77 और मार्च, 1977–78 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक ठेकेदार द्वारा क्रमशः 1,94,869.39 रुपये, 1,66,169.63 रुपये और 91,703.06 रुपये की राशि से किस प्रकार का मरम्मत कार्य किया गया और क्या ठेका दिये जाने से पूर्व टेंडर मांगे गये थे और यदि हां, तो कितने मूल्य के टेंडर प्राप्त हुये तथा किन-किन पार्टियों से प्राप्त हुए और क्या विभागीय स्तर पर भी कुछ काम निष्पादित किया गया था और यदि हां, तो किस प्रकार का तथा क्या विभाग द्वारा सामान भी खरीदा गया था और यदि हां, तो किस प्रकार का और कितने मूल्य का और क्या विभाग ने सामान की सप्लाई के लिए टेंडर मांगे गये थे; और

(ख) क्या इन मन्दिरों और ऐतिहासिक स्मारकों पर इतनी अधिक राशि कभी खर्च नहीं की गई थी और इसे स्थानीय अधिकारियों द्वारा बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समूचे मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) वर्ष 1975–76, 1976–77 और 1977–78 के दौरान ठेकेदारों की एजेन्सी के माध्यम से कोई संरचनात्मक मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया । निर्दिष्ट व्यय स्मारकों की विशेष संरचनात्मक मरम्मत और वार्षिक संरक्षण और रखरखाव पर किया गया है । यह कार्य विभागीय स्तर पर करवाया गया । निर्माण के कार्यों में कान्क्रिट बिछाना, पलस्तर करना, संरचनात्मक अवयवों का जीर्णोद्धार करना, जलावरोधी बनाना आदि सम्मिलित है । विभिन्न स्मारकों के लिए मरम्मत कार्य हेतु अपेक्षित

सामग्री, जैसे-पत्थर, धातु, चूना,रेती और अन्य विविध प्रकार की वस्तुयें सामान्य क्रय-नियमों को ध्यान में रखते हुए ही खरीदी गयी थी । वर्ष 1975–76, 1976–77 और 1977–78 के दौरान खरीदी गई सामग्री का कुल मूल्य क्रमशः 68,373.75 रुपये, 40,591.43 रुपये और 33,274.91 रुपये है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शहडोल जिलें में मरम्मत कार्य

1111. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री गुप्तकालीन मंन्दिरों के रख-रखाव के बारे में 3 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः 1975–76, 1976–77 और 1977–78 में (मार्च तक) खर्च किये गये 1,146.40 रुपयों, 4,029.25 रुपयों और 1,560.40 रुपयों की राशि से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में प्रत्येक ठेकेदार ने किस-किस प्रकार का मरम्मत कार्य किया, क्या ठेके देने से पहले टेंडर मांगे गये थे यदि हां, तो प्राप्त हुये टेंडरों का मूल्य क्या है तथा उन पार्टियों के नाम क्या हैं; क्या कुछ कार्य विभाग द्वारा भी निष्पादित किया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; क्या विभाग द्वारा सामग्री भी खरीदी गई थी, यदि हां, तो क्या माल खरीदा था तथा किस प्रकार का था और उसका मूल्य क्या था, क्या विभाग द्वारा इस कार्य के लिए टेंडर मांगे थे;

(ख) क्या गुप्तकालीन मंदिरों तथा ऐतिहासिक स्मारकों पर इतनी अधिक धनराशि खर्च ही न ही की गई तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पूरे मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शहडोल जिले के स्मारकों पर हुआ निर्दिष्ट खर्च कवल अनुरक्षण और रख-रखाव से संबंधित है, जिसमें चौकीदार कर्मचारियों के वेतन, उनके भत्तों और उनकी आवश्यकताओं तथा स्मारकों को साफ-सुथरा और सुव्यस्थित रखने के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर होने वाले खर्च भी सम्मिलित हैं । वर्ष 1975-76, 1976–77 और 1977–78 के दौरान ठेकेदारों के माध्यम से अथवा विभागीय स्तर पर कोई भी संरचनात्मक मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

माडर्न बेकरीज, दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाना

1112. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्थित माडर्न बैकरी में कार्य कर रहे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) गत दो वर्षों से कार्य कर रहे ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया है;

(ग) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जो गत दो वर्षों से कार्य कर रहे है लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) ग्रप सी और डी में केवल 21 तदर्थ कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ।

(ख) 20

(ग) 20

(घ) और (ड.): कम्पनी निर्धारित कार्यविधि के अनुसार इस श्रेणी के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित रिक्तयों के प्रति नियमित करने के मामलों की समीक्षा करती रहती है ।

चीनी मिलों की स्थापना

1113. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसान सहकारी शुगर मिल, तिलहर, शाहजहांपुर (उ० प्र०) ने कितनी मात्रा में वित्तीय सहायता की मांग की और ऋण के रूप में उसे कितनी धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) देश में वे पांच चीनी मिल किन-किन स्थानों पर हैं, जिनकी स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) किसान शुगर मिल, तिलहर जिला शाहजहांपुर (उ० प्र०) ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से संयुक्त रूप से 317 लाख रुपये की ऋण सहायता मांगी है । ऋण अभी मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) जिन चीनी फैक्ट्रियों को ऋण सहायता मंजूर की गई है उनमें से पांच चीनी फैक्ट्रियों जिन्हें 1978 के दौरान ऋण मंजूर किया गया है, का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

1. पोथीरेड्डी पलेम जिला नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)
2. अय्यालूर जिला करनूल (आन्ध्र प्रदेश)
3. अरभवी/सिंगलापुर जिला बेलगांव (कर्नाटक)
4. जलगांव जिला भीर (महाराष्ट्र)
5. दरियापुर जिला रायबरेली (उ० प्र०)

पर्यावरण, प्रदूषण से ताज की सुरक्षा पर गोष्ठी

1114. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण से ताज को खतरे के बारे में पर्यावरण समिति ने आगरा में इस सप्ताह एक गोष्ठी आयोजित की थी ;

(ख) क्या गोष्ठी में ताज के विषय में चिन्ता व्यक्त की गई; और

(ग) यदि हां, तो मथुरा तेलशोधक कारखाने द्वारा पैदा होने वाले प्रदूषण से ताज को बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर सकेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : जी, हां । भारतीय पर्यावरणीय समिति, जो कि एक स्वैच्छिक संगठन है, ने ताजमहल पर प्रदूषण के प्रभाव पर 23 तथा 24 अक्तूबर, 1978 को आगरा में एक सेमीनार आयोजित किया था जिसमें कुछ वक्ताओं ने मथुरा रिफाइनरी से प्रदूषणों के कुप्रभाव के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी ।

(ग) मथुरा रिफाइनरी के संभावित बुरे पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से उठाई गई शंकाओं को देखते हुए, भारत सरकार ने रिफाइनरी के प्रदूषित प्रभावों को नितान्त कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर परियोजना प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए जुलाई, 1974 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी । इस समिति को अन्य सहायक उद्योगों और निचले बहाव में स्थित उद्योगों के दूषण के पहलुओं पर भी सरकार को सलाह देनी थी । इस समिति की यह रिपोर्ट 14 अगस्त, 1978 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई थी ।

भूमि सुधार की संतुलित क्रियान्विति

1115. **श्री एडुआडो फैलीरो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में भूमि सुधार की क्रियान्विति की गति से संतुष्ट है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस नीति के उन विशिष्ट क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां कार्य लक्ष्य अनुसार नहीं हुआ है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों में राष्ट्रीय नीति से बहुत अधिक हटकर कार्य किया गया है जिसके परिणाम-स्वरूप उन्होंने कृषि के मामले में अधिक सम्पन्न लोगों का पक्ष लिया है ; और

(घ) सरकार ने विचलन को दूर करने और भूमिसुधार को तेजी से लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) : जैसा कि सुविदित है भूमि सुधार उपायों को क्रियान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है । केन्द्रीय सरकार समय-समय पर प्रगति का लेखा-जोखा करती है और आम नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का प्रयास करती है । विभिन्न राज्यों के कानून मोटे तौर पर जोत की अधिकतम सीमा-संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है । कुछ राज्यों में पट्टेदारी सम्बन्धी कानून राष्ट्रीय प्रतिमानों के अनुसार नहीं है और इस विषय पर सम्बद्ध राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है । केन्द्रीय सरकार ने बार-बार राज्य सरकारों का ध्यान अपने कार्यनिष्पादन, विशेषकर जोत की अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के अधिग्रहण एवं वितरण के मामले में सुधार लाने की जरूरत की ओर खीचा है । केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार केवल 15.76 लाख एकड़ के लगभग भूमि का वितरण हुआ है जबकि फालतू घोषित किया गया क्षेत्र 44.71 लाख एकड़ के लगभग बताया गया है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे फालतू घोषित किये गये क्षेत्र तथा वितरित क्षेत्र के बीच के विशाल अन्तर को दूर करने का प्रयास करें।

नकदी फसलों और खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार के लिये अनुसंधान

1116. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए देश में उत्पादित खाद्यान्नों और नकदी वाली अन्य फसलों की किस्म में सुधार करने की दृष्टि से इनकी किस्म के बारे में कोई अनुसंधान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और किसानों को, अपनी उपज की किस्म सुधारने के लिये सरकार का उन्हें किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : हाल ही में खाद्यान्न फसलों जिनमें गेहूं धान, ज्वार, बाजरा, जौ दाले, तिलहन और कपास आते है में हुए हाल के अनुसंधानों से न केवल उपज क्षमता बढ़ी बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार आया है । सुधरी किस्मों के बीजों के संवर्धन और वितरण से यह तकनीक किसानों तक पहुंचाई गई ।

गहूं में हाल की विकसित किस्मों जैसे सोनालिका, अर्जुन, प्रताप और जनक में अच्छी प्रोटीन और चपाती बनाने की क्षमता है । कुछ किस्मों जैसे एच डी 2122, एच डी 2204 और डब्लू एल 711 आदि में वांछित शर्बती दानें और चपाती बनाने की गुणवता है साथ ही इनमें प्रोटीन तत्व भी काफी है । जौ की अर्ध बौनी भूसा रहित किस्में विकसित की गई है जिनमें प्रोटिन प्रचुर मात्रा में है । मक्का में ओपेक-2 संकुल किस्में जैसे शक्ति और रतन में पोषक गुणवत्ता काफी है । ज्वार की सी एच एस-5, सी एच एस-6, सी एच एस-7, सी एच एस-8 किस्में अधिक उपज देने वाली और अच्छी गुणवत्ता वाली हैं, ये अब उपलब्ध हैं । बाजरा की बी जे-104, बी के 560 और बी डी 331 अपने दान की गुणवत्ता के गुणों में श्रेष्ठ हैं । धान में प्रजातियों जैसे सी आर एच पी-1, सी आर एच पी-8, सी आर 198-13 का पता लगाया गया है जिनमें काफी मात्रा में प्रोटिन तत्व है । हाल ही में विकसित धान की किस्मों जैसे जयन्ती और रत्ना के दानें लम्बे और सुन्दर होते हैं । पूसा-33 और इम्प्रूड साबरमती बहुत ज्यादा खुशबू वाली है । बासमती के गुणों में सुधार करके ऐसी किस्में तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे है जिनकी अधिक उपज हो और उन्हें निर्यात किया जा सके । ऐसी कई किस्मों जैसे आई ई टी 3578 और आई ई टी 3579 का पता लगाया गया है ।

सन् 1968-74 के दौरान कपास की अधिक उपज देने वाली और अच्छी क्वालिटी की कपास की कई किस्में विकसित की गई है । उम्दा लम्बे रेशे वाली संकर किस्म "हाईब्रिड-4" और "वरलक्ष्मी" एवं अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली किस्में "एम सी यू-5" "सुजाता" और "सुविन" कपास में गुणवत्ता सुधार में काफी महत्व रखती हैं । "सुविन" और 'सुजाता' से 100 से 120 काऊन्ट तक सूत काता जा सकता है और ये मिश्री कपास जैसे गाज़ा-45 और मैनुफि के समान है । इन लम्बे रेशे वाली किस्मों से जो सूत मिलता है उससे हाथ से तैयार किये जाने वाले उम्दा रेशे मिलाए जा सकते हैं । इस तरह भारतीय कपड़ा उद्योग

इनसे उम्दा किस्म के कपड़े तैयार कर सकता है । तिलहनों में यह देखा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आहार के लिए मोटे मूंगफली के दानों की प्राथमिक मांग हैं। हाल ही में अनुसंधान के प्रयत्नों से कई हात से तोड़े जाने वाली मूंगफली की किस्मों जैसे एम-13, टी एम वी-10, टी जी-1, टी जी-18 और टी जी-19 का विकास किया गया है । इनके दानें अतिरिक्त रूप से मोटे होतें है ।

सूरजमूखी के नई किस्मों जैसे बी एस एच-1 और बी एस एच-2 के विकास से सूरजमुखी के अन्दर तेल तत्व बढ़ाया गया है ।

ऐसी किस्में तैयार करने पर अनुसंधान किया गया जिनमें पोशकता हो और उपभोक्ताओं द्वारा अपनाये जाने के गुण हो और अनाज में सुधार के ऐसे प्रयत्न भी किये जा रहे है जिनसे उनकी भण्डारण क्षमता में भी सुधार हो । साथ ही ऐसे तरीके भी निकाले जा रहे है जिनसे कवकीय विषैले तत्व बढने न पाये ।

जब भी व्यावहारिक महत्व के परिणाम किसानों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध हो जाते है इसके लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं जैसे कि बीज का उत्पादन और वितरण ।

गोआ से पांच किलोमीटर के तटवर्ती क्षेत्र में मत्स्य नौका से मछलियां पकड़ा जाना

1117. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली है कि यद्यपि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश की सरकारो ने पांच किलोमिटर के तटवर्ती क्षेत्र में मत्स्य नौका से मछलियां पकड़ने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई रोक के निदेश का पालन किया है तथापि इस निदेश को तत्काल लागू करने हेतु गोआ सरकार ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) । गोवा सरकार ने 16-9-78 को एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है जो इस प्रकार है :—

(1) रैम्पन प्रचालक, जिसमें अयंत्रीकृत पारम्परिक मत्स्यन पोत भी शामिल हैं बिना किसी प्रतिबन्ध के कार्य करेंगे । परन्तु किनारे से पांच फैदम की दूरी तक का जल क्षेत्र पूरी तरह से उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहेगा जो रैम्पन नेट तथा अयंत्रीकृत पारम्परिक मत्स्यन दोनों को चलाते हैं और पांच फैदम: के क्षेत्र के अन्दर किसी अन्य पोत की मछली पकड़ने की अनुमति नही दी जाएगी ।

(2) मशीनीकृत मत्स्यन पोत किनारे से पांच फैदम की रेखा से परे मछली पड़कड़ने का कार्य करेंगे ।

(3) तट से दूर तथा गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों (अर्थात् कुल 25 मीटरी टन या उससे अधिक वाले पोतों) का दस फैदम से परे क्षेत्र में संचालन किया जाएगा ।

बारानी खेती और भूमि संरक्षण की योजनाएं

1118. **श्री ए० बाला पजनौर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारानी खेती को बढ़ावा देने और भूमि संरक्षण की योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं और इस दिशा में गत तीन वर्षो और चालू वर्ष में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में बारानी खेती और मृदा संरक्षण सबंधी योजनाएं या तो विकासोन्मुखी हैं या अनुसंधान-नोन्मुखी । इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

1 अनुसंधान की योजनाएं :

अनुसंधान की योजनाएं निम्नांकित है :

(1) **बारानी खेती के लिये अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजन :** देश के विशिष्ट कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में स्थित 23 समन्वित अनुसंधान केन्द्रों में इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है, जिस मे भारत में बारानी भूमि/वर्षा सिंचित भूमि में फसल उत्पादन में सुधार और स्थिरता लाने के लिये प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके ।

(2) **केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून :** यह अपने छः केन्द्रों के साथ, जो प्राकृतिक स्रोत के रुप में मृदा और जल संरक्षण की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं, कार्य कर रहा है ।

2. **विकास योजनाएं :**

(1) **समेकित बारानी खेती संबंधी विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना** : यह योजना 12 रुपयों में 24 परियोजनाओं में क्रियान्वित की गयी हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारानी अनुसंधान केन्द्रों में विकसित बारानी प्रौद्योगिकी की इन परियोजनाओं में जांच की गयी हैं और बृहत स्तर पर इसे प्रचालित करने की सिफ़ारिश की गयी है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को अनुदान और राज सहायता के रूप में 4.30 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 2.26 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी है । पांचवी योजना में 1977-78 तक निर्मुक्त की गयी निधियों की राशि 5.00 करोड़ रुपये हैं । प्रति वर्ष प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत 800 हैक्टार का एक नया क्षेत्र लाया जाता है । जिसमें फसल पैदा करने के अतिरिक्त मृदा और जल व्यवस्था, पशु पालन और चरागाह एवं चारा विकास कार्यक्रम, जिसमें प्रदर्शन और प्रशिक्षण भी शामिल है शुरू किया जाता है ।

(2) भूमि विकास, वनरोपण, इंजीनियरी और अन्य जैविक उपायों के लिये मृदा संरक्षण राज्य क्षेत्र कार्यक्रम ।

(3) जल विभाजकों के उपचार हेतु नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण करने तथा 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 31 नदी घाटी परियोजनाओं के 260 जल विभाजकों में सभी प्रकार के मृदा संरक्षण उपाय करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ।

(4) पठारी भूमि की रक्षा करने और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों को समतल बनाने के लिये मार्गदर्शी परियोजना का केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम ।

(5) उत्तरपूर्वी राज्यों के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में एवं आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में झूम खेती के नियंत्रण हेतु मार्गदर्शी परियोजना का केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम ।

(6) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती का राज्य क्षेत्र कार्यक्रम ।

बारानी खेती और मृदा संरक्षण उपाय बहुत से कृषि विकास कार्यक्रम के ही अभिन्न अंग हैं। इन कार्यक्रमों का सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के घटकों में भी महत्वपूर्ण स्थान है ।

1. **अनुसंधान**

(1) अच्छी उपज देने वाली उपयुक्त किस्मों का पता लगा लिया गया है। कुछ क्षेत्रों में जैसे भुवनेश्वर और रांची में, धान की तुलना में रागी अधिक स्थिर पायी गयी है ।

(2) विभिन्न कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों और अंतवर्ती फसलों के लिये विशेषकर दलहन के मामले में जो बारानी क्षेत्रों में अधिक उत्पादक तथा स्थिर है के बारे में उपयुक्त फसल प्रतिमान विकसित किये जा चुके हैं ।

(3) उर्वरीकरण और निराई प्रभावकारी सिद्ध हुई है । उर्वरकों की उपयुक्त मात्रा की प्रतिक्रिया का निर्धारण कर लिया गया है ।

2. **विकास**

(1) समेकित बारानी कृषि विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना से यह पता चला है कि उपलब्ध प्रौद्योगिकी का बड़े क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है । प्रदर्शनों के परिणामों से पता चलता है कि आधुनिक बारानी, प्रौद्योगिकी अपनाकर परम्परागत तरीकों की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक उपज बढ़ाई जा सकती है ।

(2) गत तीन वर्षों के दौरान मृदा संरक्षण केन्द्रों के कुछ प्रमुख अनुसंधान निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :—

(क) चण्डीगड के निचले शिवालिक में तीखी ढलान से होने वाले उपवाह को काफी हद तक कम किया जा सकता है । अध्ययनों से पता चलता है कि अवसाद की दर 80.5 टन प्रति हैक्टार से कम करके लगभग 7.5 टन प्रति हैक्टार की गई थी ।

(ख) भाभर घास, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक घास है का उत्पादन के लिए इस प्रकार के क्षेत्र का प्रयोग करने की तकनीक का विकास किया गया है । देहरादून तथा चण्डीगढ़ से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता

है कि वर्षा के मौसम के दौरान तालाबों में एकत्र किए गए अपवाह जल से एक या दो पूरक सिंचाईयां की जा सकती है जिसके फलस्वरूप प्रति हैक्टार लगभग एक टन पैदावार बढ़ सकती है । कम वर्षा वाले वर्षों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है ।

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए विभिन्न विकासात्मक मृदा संरक्षण योजनाओं के तहत जो नतीजे हासिल हुए हैं उन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है :--

गत तीन वर्षों की उपलब्धियां (हज़ार हैक्टार में)	2292.63
तीन वर्षों में हुआ व्यय (लाख रुपए में)	13079.69
चालू वर्ष का लक्ष्य (हज़ार हैक्टार)	854.744
परिव्यय (लाख रुपये)	6205.71

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड के कार्यकरण की जांच

1119. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब वक्फ बोर्ड के चैयरमैन और सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से की गई है;

(ख) क्या जुलाई, 1971 में मंत्रालय के सचिव द्वारा कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : जी, नहीं । इस प्रश्न पर विचार करने के लिए पर्याप्त औचित्य मौजूद नहीं है कि क्या ऐसी जांच करवाई जानी चाहिए या नहीं ।

सरकारी कर्मचारियों को आवास का तदर्थ आधार पर आबंटन

1120. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार सरकारी कर्मचारियों को 1980 तक तदर्थ आधार पर सरकारी क्वार्टर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) कर्मचारियों की कौन सी प्राथमिकता तारीख को उसके अन्तर्गत लाया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : इस समय तदर्थ आबंटन कुछ विशिष्ट प्रकार के रोगों के मामले में चिकित्सा के आधार पर, मृत अधिकारियों के पात्र आश्रितों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि के वैकल्पिक स्टाफ को किए जाते है । किसी अन्य श्रेणी को तदर्थ आबंटन करने का 1980 तक कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तदर्थ आबंटन के मामले का अग्रता की तारीख से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

सुरक्षा सेनाओं को चना, जौ और दालें सप्लाई करना

1121. **श्री प्रद्युम्न बल :**

श्री शंकर सिंहजी बाघेला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा सेनाओं की चने, जौ और दालों की सप्लाई भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसने गत तीन वर्षों में सुरक्षा सेनाओं को प्रत्येक वस्तु की कितनी सप्लाई की ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई इन वस्तुओं की कुछ मात्रा सेना निरीक्षण अधिकारियों द्वारा घटिया किस्म की होने के कारण रद्द कर दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो सुरक्षा सेनाओं को घटिया माल को सप्लाई करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या उक्त अपराध के लिए गैर-सरकारी व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है ; और

(च) भारतीय खाद्य निगम के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख)

वर्ष	स्वीकार की गई मात्रा मीटरी टन में		
	दाल	जौ	चना
1975	36558	10634	4053
1976 .	27418	7566	7439
1977	31064	16796	5044

(ग) जी हां ।

(घ) आर० एस० डी० लखनऊ द्वारा स्टाक की पूर्व निरीक्षण कार्याविधि का पालन किया जाता है । घटिया पाया जाने वाला स्टाक अस्वीकार कर दिया जाता है और उसे सुरक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है । इसलिए घटिया स्टाक के स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के विरूद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) इस अवधि के दौरान व्यापारियों से कोई खरीदारी नहीं की गई है ।

(च) जैसा कि ऊपर (घ) में बताया गया है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी है ।

गेहूं का खराब हो जाना

1122. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अब तक कुल कितनी मात्रा में गेहूं रखा गया ;

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि गेहूं उपभोग के लिए अयोग्य न हो जावे जैसा कि गत वर्ष हुआ था जबकि गांधीधाम में स्टोर किया गया 22,000 टन गेहूं मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो गया था ; और

(ग) तो क्या इस वर्ष भी वर्षा और बाढ़ के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हो गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1-11-1978 को कैप स्टोरेज (कवर और प्लिथ) में रखे 31 लाख मीटरी टन सहित 77 लाख मीटरी टन ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम अपने तथा किराये के गोदामों में खाद्यान्नों का वैज्ञानिक आधार पर भण्डारण करता है । खाद्यान्नों की उचित ढंग से सुरक्षा करने के लिए तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ को लगाया जाता है और कीट नियंत्रण के आधुनिक तरीके अपनाए जाते हैं । गोदामों का मानसून पूर्व निरीक्षण किया जाता है और मरम्मत की जाती है ।

भण्डारण की कैप प्रणाली के अन्तर्गत रखे स्टाक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पग भी उठाए जाते हैं :—

(1) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उनको पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है ताकि उनकी वर्षा से सुरक्षा की जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर उनको बदला भी जाता है।

(2) पोलीथीन की चादरों पर नायलोन की रस्सियां बांध दी जाती हैं ताकि तेज़ वायु और तूफानों आदि के कारण वे उड़ने न पाएं ।

(3) मौसम की विभीषका से और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुख कैंप काम्प्लैक्सों में मोनोफिलामेंट के जाल तथा कवर टाप्स की भी व्यवस्था की जाती है ।

(4) नमी के जमाव को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टाक का वातन किया जाता है ।

(ग) 1978-79 के दौरान अक्तूबर, 1978 तक वर्षा, बाढ़ों आदि से कुल 2,40,364 मीटरी टन गेहूं प्रभावित हुआ था, जिसमें से 2,18,929 मीटरी टन की मात्रा कैंप भण्डारणों में रखी हुई थी। प्रभावित स्टाक को साफ करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है और स्टाक को साफ करने संबंधी कार्य पूरा करने के बाद ही वास्तव में क्षतिग्रस्त हुई अथवा मानव उपभोग के अयोग्य हुई मात्रा के बारे में पता चल पाएगा ।

फरीदकोट में धान का सड़ जाना

1124. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से अनेक नगरों में, विशेषकर फरीदकोट जिले में सरकारी गोदामों में कर्मचारियों की लापरवाही से बड़ी मात्रा में अनाज और विशेषकर लाखों रुपये का धान सड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ;

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) । सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का पाठ्यक्रम

1125. **श्री पी० एम० सईद : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के नये दृष्टिकोण वाले पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के कब तक लागू होने की आशा है ; और

(घ) राष्ट्रीय समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार यह योजना कब बनाई गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : भारत सरकार ने व्यावसायीकरण को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, उच्चतर माध्यमिक पाठ्यचर्या के पुनरीक्षण के लिए, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डा० मालकीम एस० आदिशेषरया की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति नियक्त की थी । इस समिति की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा की नई पद्धति के उच्चतर माध्यमिक स्तर में सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा व्यावसायीकृत पाठ्यक्रम सम्मिलित है । इस पद्धति के अन्तर्गत दोनों ही पाठ्यक्रमों में एक भाषा अनिवार्य होगी । सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को सभी सामान्य शिक्षा वाले छात्रों के लिए तथा व्यावसायीकृत पाठ्यक्रमों वाले छात्रों के लिए सामान्य प्रतिष्ठान पाठ्यक्रम को भी अनिवार्य बना दिया गया है । इन सभी विषयों के लिए कुल समय का 15% समय आबंटित किया जाएगा । सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए वैकल्पिक विषय, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नम्यता के साथ लागू किए जाएंगे । व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन, क्षेत्रीय सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक सर्वेक्षणों के बाद किया जाएगा । जिन राज्यों ने इस पद्धति को अपना लिया है तथा जो राज्य इसे कुछ समय बाद अपनाएंगे, वहां सेमीस्टर पद्धति तथा क्रेडिट तथा प्रणाली अपनाई जाएगी। व्यावसायिकृत पाठ्यक्रमों वाले छात्रों की शिक्षुता के लिए सुविधाएं अर्ध्वाधर तथा क्षितिजीय गतिशीलता की व्यवस्था की जाएगी । मंत्रालय द्वारा गठित व्यावसायिकरण संबंधी कार्य दल ने कार्यक्रम का भी पुनरीक्षण

किया है तथा सिफारिशें की हैं । इन समितियों की सिफारिशों पर जुलाई, 1978 में नई दिल्ली में हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में तथा सितम्बर, 1978 में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सम्मेलन में विचार किया गया था । दोनों ही सम्मेलनों ने राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति तथा कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और उन्हें कार्यान्वित करने का संकल्प किया । कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने व्यावसायीकृत पाठ्यक्रमों को पहले ही लागू कर दिया है जबकि कुछ अन्य राज्य इसे नई पद्धति के +2 स्तर पर पहुंचने पर लागू कर देंगे ।

जहां तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संबंध है उसने राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति की शिफारिशों के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर की XI वीं तथा XII वीं कक्षाओं की अपनी अध्ययन योजना को परिशोधित कर दिया है । नई योजना 1979-80 के शैक्षिक सत्र से नवी कक्षा में लागू को जाएगी ।

शाहदरा के निकट गांव बाढ़ सें प्रभावित

1126. **श्री युवराज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुनापार लोनी बार्डर के निकट शाहदरा बांध के निकट बसे हुये सभापुर गुजरांव और सभापुर चौहान गांवों के लगभग दो हजार मकान यमुना नदी में बाढ़ के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुये थे ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर रहने वाले बाढ़-ग्रस्त लोगों के पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यमुना पार के क्षेत्र में सभापुर चौहान और सभापुर गुजरां के दोनों गांवों के 463 मकानों में से 220 मकान बाढ़ के कारण आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए थे ।

(ख) इन गांवों के बाढ़-प्रभावित मकान मालिकों को मकान बनाने के लिए कुल मिलाकर 51,550 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

हरिजनों को फालतू भूमि का वितरण

1127. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

श्री वसन्त साटे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1978 से 31 अक्तूबर, 1978 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भूमिहीन हरिजनों को कितने एकड़ फालतू जमीन का वितरण किया गया है ; और

(ख) जमीन के वितरण के बारे में अगले दो वर्षो के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजित सिंह बरनाला) : (क) उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान भूमि के वितरण के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, परंतु राज्यों से जोत की अधिकतम सीमा से फालतू हुई भूमि को शीघ्र ही वितरित करने के लिये कहा गया है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र (एकड़ों में)	अलाटियों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	15,036	6,918
2. आसाम . .	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3. बिहार	8,128	7,696

विवरण—समाप्त

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र (एकड़ों में)	अलाटियों की संख्या
4. गजरात	शून्य	शून्य
5. हरियाणा	शून्य	शून्य
6. हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
7. जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य
8. कर्नाटक	149	39
9. मध्य प्रदेश	4,944	2,246
10. महाराष्ट्र	2,338	843
11. उड़ीसा	547	488
12. पंजाब	शून्य	शून्य
13. राजस्थान	436	उपलब्ध नहीं
14. तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15. त्रिपुरा	5	1
16. उत्तर प्रदेश	8,719	8,988
17. पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18. दादरा, नगर हवेली	शून्य	शून्य
19. दिल्ली	शून्य	शून्य
20. पांडीचेरी	18	37
योग	40,320	27,256

ग्रामीण आवास निगम और ग्रामीण हटमेन्ट निगम की स्थापना

1128. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण आवास निगम और ग्रामीण हटमेन्ट निगम की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनंतपुर में स्नातकोत्तर केन्द्र

1129. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनन्तपुर में स्नातकोत्तर केन्द्र को विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, राज्य सरकार से, आयोग द्वारा और आगे परीक्षा हेतु, निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया था । राज्य सरकार से पूर्ण सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

बाढ़ राहत के रूप में राज्यों को खाद्यान्नों, दालों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

1130. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई से 30 अक्तूबर, 1978 तक की अवधि के दौरान बाढ़ राहत के रूप में प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा सप्लाई की गई दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : वर्ष 1977 के बाद से अग्रिम प्लान सहायता के अतिरिक्त केन्द्र प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए राज्य सरकारों को केवल खाद्यान्न मुफ्त दे रहा है । केन्द्रीय दलों द्वारा स्थल पर किये गये मूल्यांकन तथा उच्च स्तरीय राहत समिति की सिफारिशों के आधार पर जुलाई से 30 अक्तूबर, 1978 के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों में निशुल्क राहत के रूप में वितरण के लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नों एवं दलहनों की निम्नलिखित मात्रा में सप्लाई की गई हैं :—

राज्य	सप्लाई किया गया खाद्यान्न (मीटरी टन)	
	गेहूं	चावल
बिहार	30,000	—
हिमाचल प्रदेश	9,000	—
जम्मू तथा कश्मीर	217	—
पंजाब	8,000	—
राजस्थान	7,000	—
उत्तर प्रदेश	35,000	—
पश्चिम बंगाल	35,000	30,000+500 दाल मसूर
दिल्ली	2,000	—

कानपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा चूहों की खरीद के लिए केन्द्रों का खोला जाना

1131. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश ने चूहों की खरीद के लिये चार केन्द्र खोले हैं और क्या उन्हें पौष्टिक भोजन पर पालकर उनकी खाल से जूते, दस्ताने, चश्मों के खोल और बटुएं बनाने का सुझाव दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कुछ प्रयोग किये हैं और गत दो वर्षों में उपर्युक्त केन्द्रों में कितनी कीमत के चूहे खरीदे गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

दुग्ध की खपत तथा आपरेशन फ्लड-1

1132. **श्री नथुनी राम :**
श्री बसन्त साठे :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड-1 अवधि में तरल दुग्ध की प्रति व्यक्ति खपत 137 ग्राम से घट कर 107 ग्राम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) "आपरेशन फ्लड–1" के अन्तर्गत प्राप्त कितनी धनराशि विदेशी गऊओं तथा बैलों के आयात के अतिरिक्त देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये व्यय की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने प्रबंध तथा संगठन की कमियों को दूर करने के विचार से दुग्ध उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कार्रवाई को कार्यान्वित न करने के कारणों का पता लगाने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा "आपरेशन फ्लड–1" के कार्यकरण का कोई निष्पक्ष मूल्यांकन किया है जिस से कि "आपरेशन फ्लड–2" के दौरान उन से बचा जा सके और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : देश में दूध का उत्पादन 1968-69 में 212 लाख मीटरी टन था जो बढ़कर 1973-74 में 232 लाख मीटरी टन हो गया । फिर भी, जन संख्या में दूध उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने के कारण दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि इसी अवधि में 112 ग्राम से घटकर 109.6 ग्राम रह गई । फिर भी, यह उल्लेख किया जा सकता है कि आपरेशन फ्लड–1 कार्यक्रम जो जुलाई, 1970 में शुरू किया गया था, देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों तक सीमित रहा और इसमें मुख्य बल आने वाले वर्षों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में दूध के परिसंस्करण और विपणन तथा अवस्थापना की व्यवस्था करने पर दिया गया था ।

(ग) 30 सितम्बर, 1978 तक आपरेशन फ्लड–1 के अन्तर्गत सृजित निधियों से 75.10 करोड़ रुपयों के कुल व्यय में से विदेशी नस्ल की गायों और साण्डों के आयात सहित दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लक्षित कार्यक्रम के लिए 15.17 करोड़ रुपये व्यय किए गए ।

(घ) दुग्ध उत्पादन से सम्बन्धित कार्यवाही कार्यक्रमों को कार्यान्वित न करने का प्रश्न ही नहीं उठता । दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 15.17 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई । फिर भी, सरकार ने आपरेशन फ्लड–2 के प्रभावकारी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आपरेशन फ्लड–1 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है ।

समेकित ग्रामीण विकास के कार्यान्वयन के लिए चुना गया खंड

1133. **श्री ओ० वी० अलगेशन :**

श्री विजय कुमार एन० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिसूचित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कौन कौन से ब्लाक चुने गये हैं;

(ख) इसके निष्पादन के लिए कौन सी एजेन्सी वास्तव में उत्तरदायी है ; और

(ग) क्या कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) प्रत्येक राज्य द्वारा संशोधित समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक चुने खण्डों के नाम दर्शाने वाला एक अनुबन्ध संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–2873/78**]

(ख) लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसियां इन तीन विशेष कार्यक्रमों के प्रचालन क्षेत्र से चुने खण्डों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है । अन्य खण्डों जिन्हें ऐसें क्षेत्रों से चुना गया है जहां कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चल रहा है, के बारे में कार्यान्वयन एजेंसियों की स्थापना हेतु विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों की अनुपलब्धता

1134. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित स्कूल की पुस्तकें स्कूल का सत्र आरम्भ होने के समय उपलब्ध नहीं थी जिससे समूचे देश में छात्रों को भारी असुविधा हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ताकि अगले वर्ष स्कूल के छात्रों को इस समस्या का सामना न करना पड़े ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) शिक्षा सत्र 1978-79 के शुरू में आवश्यक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् की सभी स्कूल पाठ्य पुस्तकें, कक्षा- II के लिए हिन्दी वर्कबुक को छोड़कर, जो तुलनात्मक रूप से कम प्राथमिकता वाली पुस्तक थी, जुलाई, 1978 में प्रकाशित हो गई थी । तथापि, देश की विषमता के कारण दूरवर्ती क्षेत्रों तक पुस्तकें पहुंचने में कुछ देरी हुई ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि आगामी शिक्षा-सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें काफी पहले छप जाएं । दूरवर्ती क्षेत्रों में पाठ्य पुस्तकों की बिक्री के लिए वितरण प्रणालियां शुरू करने का प्रस्ताव है ।

चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने के लिए शूगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा अनुरोध

1135. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले पेराई के मौसम में गन्ने के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा, राज्यवार, सिफारिश किये गये मूल्य क्या हैं ;

(ख) क्या इस बारे में चीनी निर्माताओं को कोई अनुदेश जारी किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि शूगर मिल्स एसोसियेशन ने चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने के लिये सरकार को सिफारिशें की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : कृषि मूल्य आयोग ने चीनी मौसम 1978-79 के लिए गन्ने का मूल्य 8.5 प्रतिशत या इससे कम वसूली पर 10 रुपये प्रति क्विन्टल रखने की सिफारिश की है। गन्ना उत्पादकों को 8.5 प्रतिशत या इससे कम वसूली पर 10 रु० प्रति क्विन्टल का सांविधिक न्यूनतम मूल्य देने और ऊंची वसूली के लिए मूल्य में अमातिक वृद्धि देने के लिए सरकार ने पहली अक्तूबर, 1978 को अधिसूचना जारी की है और इस अधिसूचना की प्रतियां सारी चीनी मिलों को भेजी गई हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार ने इस विषय की जांच की है और यह महसूस किया गया है कि क्योंकि चीनी से नियन्त्रण अगस्त से ही उठाया गया है इसलिए पूरी प्रतियोगी शक्तियों के कार्य पर असर डालने से संबंधित कोई उपाय करना बहुत जल्दबाजी होगी ।

लालपुर बांध

1136. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी पर हरण पेटा सिंचाई योजना का इस बीच अनुमोदन कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस अकेले बांध के लिये मंजूर की गई धनराशि से ही लालपुर बांध योजना के अन्तर्गत एक बांध के बजाय चार बांधों के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को अनुमोदित करने का है ;

(ग) क्या यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये तो प्रत्येक किसान को इससे लाभ होगा क्योंकि एक भी किसान की भूमि बांध के कारण पानी में नहीं डूबेगी ;

(घ) क्या जहां लालपुर बांध बनाने का प्रस्ताव है वहां राजवासणा बांध से 10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है ;

(ङ) क्या प्रस्तावित लालपुर बांध के स्थल से दो किलोमिटर की दूरी पर नर्मदा नदी की एक बड़ी नहर है जिससे इस क्षेत्र को सिंचाई होगी तथा उनके (संसद-सदस्य) के द्वारा इन तथ्यों की जांच कर ली गई है ; और

(च) क्या लालपुर में एक बांध के बजाय (एक) लालपुर, (दो) खटिया वाह, (तीन) असरा और (चार) धनलवा में चार बांधों के निर्माण के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस प्रश्न का संबंध शायद हेरन नदी पर, जो नर्मदा बेसिन में ओरसंग नदी की एक सहायक नदी है, हेरन सिंचाई परियोजना से है। यह परियोजना, योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1978 में स्वीकृत की जा चुकी है । इस परियोजना में बड़ौदा जिले क छोटा उदयपुर तालुक के लालपुर गांव में एक जल-संचय बांध तथा उसके दोनों किनारों पर नहर प्रणाली का निर्माण परिकल्पित है । इस परियोजना पर 25.26 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे प्रतिवर्ष 36,422 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ।

(ख) और (ग) : गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि माननीय संसद सदस्य से यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि लालपुर में एक ही बांध बनाने के स्थान पर चार बांधों का निर्माण किया जाए । राज्य सरकार द्वारा इस सुझाव की जांच की गई थी लेकिन इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था क्योंकि जिन कम ऊंचाई वाले बांधों के निर्माण का सुझाव दिया गया वे वस्तुतः वियर होंगें जो रन-आफ-द-रिवर पर काम करेंगे और उससे इस स्कीम से होने वाले लाभ और विश्वसनीयता में काफी कमी हो जाएगी ।

(घ) मौजूदा राजबद्रा वियर, प्रस्तावित हेरन बांध के अनुप्रवाह में बारह किलोमिटर की दूरी पर है और उससे प्रतिवर्ष 9,700 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । इस वियर से सिंचित होने वाला क्षेत्र हेरन परियोजना में शामिल नहीं है ।

(ङ) तथा (च) : इसका उत्तर प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में शामिल है ।

सिंचाई परियोजनाओं के कारण गुजरात में बेघर हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

1137. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी है और क्या इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप बेघर हुए लोगों के पुनर्वास संबंधी कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार बेघर हुए इन किसानों और आदिवासियों के पुनर्वास के लिये कोई राज सहायता देने का है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सिंचाई परियोजनाओं के कारण बेघर हुए लोगों को किन-किन स्थानों पर बसाया जायेगा और इन लोगों के लिये उन स्थानों पर सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का स्टाक

1138. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का स्टाक बढ़ रहा है और अब इसकी मात्रा 50 लाख टन से अधिक है ;

(ख) नए मौसम में कितने चावल के उत्पादन की संभावना है और वितरण के लिये कितनी मात्रा की आवश्यकता है ;

(ग) क्या अतिरिक्त मात्रा को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने चावल का निर्माण करने का निर्णय किया है और इसे विदेशी मुद्रा में अच्छा लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(घ) क्या चावल के निर्यात से आय का उपयोग चावल के वसूली मूल्यों को बढ़ाने के लिये राज-सहायता के रूप में किया जायेगा ; और

(ङ) क्या वाणिज्य मंत्रालय के अध्ययन दल ने कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन्ध की नीति में परिवर्तन तथा अनाजों के निर्यात की अनुमति देने का सुझाव दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नये मौसम अर्थात् 1978-79 में चावल के उत्पादन से संबंधित अनुमान कृषि वर्ष के अन्त में अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1979 के बाद उपलब्ध होंगे । 1976-77 और 1977-78 में चावल का उत्पादन क्रमशः 419 लाख और 527 लाख मीटरी टन हुआ है । सार्वजनिक वितरण णाली के माध्यम से वितरण हेतु चावल की आवश्यकता उत्पादन, चावल की खुले बाजार में उपलब्धता, खुले बाजार में चावल के मल्यों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्मुक्त किए गए चावल क मूल्यों के बीच अन्तर, वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आदि जैसी कई एक बातों पर निर्भर करती है। भारी अन्तर की दृष्टि में, विपणन मौसम 1978-79 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की आवश्यकता के ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है । तथापि, देश ने समस्त खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है ।

(ग) और (घ) : भारतीय खाद्य निगम के पास चावल की सुगम स्टाक स्थिति होने की दृष्टि में सीमित मात्रा में चावल को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्यात किया गया है/जा रहा है जिसके फलस्वरूप बहुत मामूली लाभ होगा । चावल का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा में जो लाभ कमाया गया है, उसका धान/चावल के उच्चतम वसूली मूल्य के लिए राजसहायता से कोई संबंध नहीं है ।

(ङ) सरकार को अभी कृषि निर्यात की टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

छठी योजना में अतिरिक्त भूमि पर अधिक उपज देने वाली किस्मों का बोया जाना

1139. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में और अधिक भूमि पर अधिक उपज वाली किस्में होने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) याद हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : जी, हां । पंचवर्षीय योजना (1978-83) के दौरान विभिन्न फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत कम से कम 150 लाख हैक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र को लाने की योजना है ।

इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की उनमें निहित क्षमता के उपयोग के लिए उनको उपयुक्त कृषि प्रणालियों के साथ अपनाना ;

(2) जितना शीघ्र संभव हो सके अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना; तथा

(3) अधिक स्थान-विशिष्ट किस्मों, जो विभिन्न कृषि-जलवायवीय परिस्थितियों में पर्याप्त उपज देती हैं, का विकास करना ।

कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में रंधावा समिति का प्रतिवेदन

1140. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० एम० एस० रंधावा की अध्यक्षता में कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिश क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर इस बीच विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) डा० एम० एस० रंधावा की अध्यक्षता में कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन 7 जून, 1978 को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया ।

(ख) समिति की सिफारिशों के सारांश की एक प्रतिलिपि सभा के पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-2874/78]**

(ग) समिति की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों को जांच पड़ताल और टिप्पणी के लिए अग्रेषित की गई थी । कृषि और सिंचाई मंत्री ने भी समिति की प्रमुख सिफारिशों की पड़ताल के लिए राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित किया था । छः विश्वविद्यालयों ने अपनी लिखित टिप्पणी अग्रेषित की थी । कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के 16 तथा 17 अक्तूबर, 1978 को हुए सम्मेलन में इन सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया था । सभी 21 कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श में भाग लिया । सम्मेलन निम्नलिखित सर्वसम्मत निष्कर्षों पहुंचा :—

1. सामान्य रूप से सर्वसम्मति से समीक्षा समिति की सिफारिशें स्थानीय दशाओं के अनुरूप कुछ क्षेत्रों में सुधार के साथ, मोटे तौर पर स्वीकार्य थी ।

2. जिन सिफारिशों में बाहरी स्वीकृति अथवा परामर्श की आवश्यकता नहीं है और जिन्हें विश्वविद्यालयों द्वारा स्वंयं क्रियान्वित किया जा सकता है, उन्हें शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा हाथ में लिया जाये । इस साल के अन्त तक इस पर कार्यवाही पूरी करने की तरजीह दी जानी चाहिए और प्रत्येक सिफारिश पर जो कार्यवाही की जाये उसकी विस्तृत रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भेजी जाये । इन सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय सिफारिशों की भावना का ध्यान रखा जाये न कि शब्दों का ।

3. आगामी बैठकों में प्रत्येक में उपकुलपतियों के सम्मेलन द्वारा सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाये ।

4. जहां तक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का संबंध है समिति की इन सिफारिशों के सन्दर्भ में, वह अपनी वित्तीय सहायता की पद्धति में जहां कहीं पहले ही सुधार न किया गया हो, सुधार कर सकती है ।

5. पाठ्यक्रम और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं—कृषि, पशुविज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरी आदि के पाठ्यक्रमों के संशोधन के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद एक सकार्याध्यक्ष की समिति नियुक्त कर सकती है । प्रत्येक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर ही प्रयोग कर सकता है और संबंधित सामग्री को सकायाध्यक्षों की समिति के प्रयोग के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को भेज सकती है ।

6. विश्वविद्यालयों के प्रशासन से संबंधित सिफारिशों पर, जिनमें प्रबंध संरचना, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता तथा अनुसन्धान उत्तरदायित्व और सुविधाओं का स्थानान्तरण भी शामिल है, प्रत्येक विश्वविद्यालय संबंधित राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श कर सकता है । इस पर एक रिपोर्ट भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को भेजी जाये ताकि वह अनिर्णीत मुद्दों पर संबंधित राज्य सरकार से विचार विमर्श कर सके ।

7. प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी वर्तमान और प्रस्तावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की अलग-2 शाखाओं के हिसाब से, कुल संवर्ग की संख्या निर्धारित करने के प्रश्न की जांच करे । प्रस्तावित संवर्ग की संख्या में प्रतिनियुक्ति और लीव (छुट्टी) रिजर्व के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

8. संबंधित प्रबन्ध मण्डल की पहल पर प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का और प्रगति की जांच के लिए पंचवर्षीय मूल्यांकन होना चाहिए और उसमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के विशेषज्ञ भी सम्बद्ध किये जाने चाहिए । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के संस्थानों की कार्यविधि के मूल्यांकन के लिए परिषद द्वारा तैयार की गई विस्तृत निर्देशिका इस संबंध में विश्वविद्यालयों को उनके मार्गदर्शन के लिए भेजी जाये ।

9. विश्वविद्यालयों को विभिन्न विकास विभागों से निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए नेतृत्व और हल करनी चाहिए ताकि प्रौद्योगिकी को शीघ्र पहुंचाने के बारे में आश्वस्त हुआ जा सके । इस उद्देश्य के लिए वे समय-समय पर सरकार और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक दिन की अध्ययन गोष्ठी आयोजित कर सकते हैं ।

10. प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक अनुसन्धान और शिक्षा की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए । यह रूपरेखा जहां कहीं राज्यों में ऐसा रेखाचित्र उपलब्ध हो उस समग्र विकास रेखाचित्र के अनुरूप ही होनी चाहिए । सामान्यतः प्रत्येक विकास प्रायोजना में एक एक अनुसन्धान और प्रशिक्षण की अलग व्यवस्था होनी चाहिए और यह हिस्सा कृषि विश्वविद्यालय को मिलना चाहिए । इसी प्रकार जिन किन्हीं क्षेत्रों में जनशक्ति और कार्यक्रमों के बीच गंभीर अन्तर पाये जायें वहां शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मजबूती लाने के लिए जनशक्ति विकास रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इससे दूसरे देशों में प्रशिक्षण के लिए तैयार किये जाने वाले अग्रिम कार्यक्रमों की योजना तैयार करने का आधार भी मिल सकेगा ।

11. विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को साधारण बनाने और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के प्रश्न को भी प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाना चाहिए ।

12. उच्च शैक्षणिक स्तर कायम रखने से संबंधित सिफारिश के क्रियान्वयन का संबंध संकाय की व्यावसायिक नीति से है । प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस संबंध में उपयुक्त निर्देशिका तैयार करनी चाहिए। संकाय के वरिष्ठ सदस्यों को बुनियादी पाठ्यक्रमों को, विशेष रूप से स्नातक पूर्व छात्रों को, पढ़ाने के काम में लिए जाने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए ।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता में संग्रहालय की स्थापना

1141. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष से अब तक के राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलनों के शहीदों के पत्रों, लेखों और फोटोग्राफों के परिरक्षण के लिए व्हिक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता में संग्रहालय की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : एक युग संग्रहालय के रूप में, अपनी नई भूमिका के अधीन, व्हिक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता को 1700-1900 की समस्त अवधि के भारत के इतिहास तथा संस्कृति की प्रमुख घटनाओं तथा धाराओं की झलक प्रदान करना है । अपनी पुनर्नुस्थापन योजना के एक मांग के रूप में, राष्ट्रीय जीवन में यशस्वी भारतीय नेताओं की भूमिका के संदर्भ में उन्हें सम्मानित करते हुए प्रदर्शय उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यों की जांच

1142. **प्रो० समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यों के बारे में जांच पूरी हो गई है और उसका प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्षों के तथ्य क्या हैं और विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के लिए उपचारात्मक उपायों के रूप में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गय हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा सँचालित प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है । उक्त जांच का सम्बन्ध दाखिलों, अध्यापकों की नियुक्ति, कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्त और छात्रों को गिरफ्तारी इत्यादि के मामले में अनियमितताएं सम्बन्धी आरोपों से है। रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों/सुझावों पर सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से कार्यवाई शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

समस्तीपुर में केन्द्रीय विद्यालय

1143. **श्री राम सेवक हजारी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा क्या वहां राज्य और केन्द्रीय सरकार के बहुत सें कार्यालय स्थित हैं ;

(ख) क्या वहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय की अत्यंन्त आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो वहां एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), से (ग) : निसंदेह, समस्तीपुर उत्तरी बिहार में एक महत्वपूर्ण शहर है लेकिन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग पर देश भर से प्राप्त ऐसे ही अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाता है । यद्यपि नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रति वर्ष भारी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, लेकिन वर्तमान कोटा असैनिक स्थानों पर प्रति वर्ष केवल चार नए केन्दीय विद्यालय खोलने तक ही सिमित है । नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने में, स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अत्यधिक आबादी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है । अभी तक समस्तीपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलना सम्भव नहीं हुआ है । समस्तीपुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रायोजित प्रस्ताव पर ऐसे ही अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

विकलांगों के लिए रोजगार का आरक्षण

1144. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय/राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए इस समय रोजगार का कितना कोटा आरक्षित है ;

(ख) (एक) शारीरिक दृष्टि से विकलांग, (दो) अन्धे, (तीन) बहरे, (चार) गूंगे तथा (पांच) अन्य प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त आरक्षण का मानदंड क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विभिन्न एककों में विशेषकर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की नीति का दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार अन्धे तथा शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के कोटे को 3 प्रतिशत सें बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्र सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" के पदों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे ही पदों में तीन प्रतिशत आरक्षण है ।

(ख) दृष्टिहीन, बहरे (जिनमें गूंगे और बहरे शामिल हैं) तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक-एक प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं । ये सब कुल जनसंख्या का लगभग तीन प्रतिशत भाग हैं ।

(ग) जी, हां । आरक्षण संबंधी आदेशों के वास्तविक क्रियान्वयन के बारे में जानकारी इकठ्ठी करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है ।

(घ) जी, नहीं ।

दहेज प्रथा

1145. **डा० रामजी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज विरोधी कानून के बावजूद दहेज के लेन-देन की प्रथा में कमी नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी): (क) और (ख) : इस बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । तथापि अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय बनाने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को संशोधित करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

देश में उठाऊ सिंचाई की क्षमता

1146. **डा० सरोजिनी महिषी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उठाऊ सिंचाई की राज्यवार क्षमता कितनी है तथा विभिन्न राज्यों में कितनी क्षमता का वास्तव में उपयोग किया गया है; और

(ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 में बिजली की कटौती का क्या प्रभाव पड़ा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भूमिगत जल से उठाऊ सिंचाई की अनुमानित अंतिम क्षमता और वास्तविक रूप से सर्जित की गयी क्षमता के राज्यवार आंकड़े विवरण 1 में दिए गए हैं । बड़े मध्यम तथा लघु सिंचाई क्षेत्र में सतही जल योजनाओं की (जिनमें प्रवाह तथा उठाऊ योजनाएं शामिल हैं) अनुमानित अंतिम क्षमता और वास्तविक रूप में सृजित की गयी क्षमता के राज्यवार आंकड़े विवरण–2 में दिए गए हैं । सतही जल सिंचाई के अन्तर्गत प्रवाह तथा उठाऊ सिंचाई योजनाओं के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में कृषि/सिंचाई के लिये बिजली की कटौती/प्रतिबंध लागू किए गए थे । 1977-78 के दौरान हरियाणा में, मई, (1977 से दिसम्बर, 1977 तक), पंजाब में (मई, 1977 से नवम्बर, 1977 तक), उत्तर प्रदेश में (अप्रैल, 1977 से जन, 1977 तथा दिसम्बर, 1977 से मार्च, 1978 तक), जम्मू व कश्मीर में (जनवरी, 1978 से मार्च, 1978 तक), राजस्थान में (जून, 1977, जुलाई, 1977 और सितम्बर, 1977), मध्य प्रदेश में (अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 तक) और महाराष्ट्र में अप्रैल, 1977, ग्रामीण फीडरों पर बिजली की कटौती/प्रतिबन्ध लगाये गये थे । बिजली में इस प्रकार की कटौती करने से उपलब्ध सिंचाई क्षमता का कम उपयोग हो सकता है । केवल बिजली की कटौती के कारण उठाऊ सिंचाई योजनाओं के कम उपयोग का मात्रात्मक मूल्यांकन संभव नहीं है ।

विवरण–1

भूमिगत जल (उठाऊ)

(हजार हैक्टार में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	अन्तिम क्षमता	मार्च, 1978 के अन्त तक सृजित की गई क्षमता
1	आन्ध्र प्रदेश	2200	950
2	असम	700	30
3	बिहार	4000	1200
4	गुजरात	1500	1260
5	हरियाणा	1400	1150
6	हिमाचल प्रदेश	50	6.5
7	जम्मू और कश्मीर	150	4
8	कर्नाटक	1200	375
9	केरल	300	10
10	मध्य प्रदेश	3000	900
11	महाराष्ट्र	2000	975

विवरण–1—समाप्त

क्रम सं०	राज्य का नाम	अन्तिम क्षमता	मार्च, 1978 के अन्त तक सृजित की गई क्षमता
12	मणिपुर	नि० अनु०	नि० अनु०
13	मेघालय	नि० अनु०	नि० अनु०
14	नागालैंड	नि० अनु०	नि० अनु०
15	उड़ीसा	1500	220
16	पंजाब	3300	2790
17	राजस्थान	2000	1450
18	सिक्किम	नि० अनु०	—
19	तमिलनाडु	1500	1030
20	त्रिपुरा	15	6
21	उत्तर प्रदेश	12000	7000
22	पश्चिम बंगाल	2500	400
कुल राज्य		39315	19756.5
संघ राज्य क्षेत्र		120	43.0
अखिल भारत		39435	19799.5
अथवा :		40000	19800.0

नि० अनु० : निवल अनुमानित

टिप्पणी : इस विवरण में दिए गए आंकड़े उपलब्ध सूचना के आधार पर आंकलित किए गए हैं वे अस्थायी हैं । इनसे भूमिगत जल ढांचे को प्रयोग में न लाए जाने के कारण रिसन की वजह से होने वाले जल ह्रास को छोड़ने के बाद सृजित की गयी निवल सिंचाई क्षमता का पता चलता है ।

विवरण–2

सतही जल (प्रवाह तथा उठाऊ)

(हजार हैक्टर में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई		लघु सिंचाई	
		अन्तिम क्षमता	मार्च, 1978 के अन्त तक सृजित की गई क्षमता	अन्तिम क्षमता	मार्च, 1978 के अन्त तक सृजित की गई क्षमता
1	आंध्र प्रदेश	6480	2803	2000	790
2	असम	970	76	1000	320
3	बिहार	9229	2301	1900	900
4	गुजरात	2150	958	250	80
5	हरियाणा	2440	1708	50	12
6	हिमाचल प्रदेश	उ० न०	—	250	78.5
7	जम्मू तथा कश्मीर	150	99	400	306
8	कर्नाटक	2000	1004	900	550

विवरण-2—समाप्त

क्र० सं०	राज्य का नाम	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई		लघु सिंचाई	
		अन्तिम क्षमता	मार्च, 1978 के अन्त तक सृजित की गई क्षमता	अन्तिम क्षमता	मार्च 1978 के अन्त तक सृजित की गई क्षमता
9	केरल	1000	453	800	275
10	मध्य प्रदेश	3650	1303	1200	450
11	महाराष्ट्र	4100	1144	1200	480
12	मणिपुर	उ० न०	—	100	20
13	मेघालय	उ० न०	—	100	12
14	नागालैण्ड	उ० न०	—	80	35
15	उड़ीसा	3600	1326	800	340
16	पंजाब	2480	2254	50	28
17	राजस्थान	3150	1385	400	310
18	सिक्किम	—	—	20	10
19	तमिलनाड	1610	1176	900	790
20	त्रिपुरा	उ० न०	—	100	26
21	उत्तर प्रदेश	11200	5592	1200	750
22	पश्चिम बंगाल	2310	1406	1300	900
	कुल राज्य	56519	24988	15000	7462.5
	संघ राज्य क्षेत्र	उ० न०	10	200	42.0
	अखिल भारत	56519	24998	15200	7504.5
	अथवा :	56519	25000	15000	7500.0

उ० न० : उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : इस विवरण में दिए गए आंकड़े उपलब्ध जानकारी के आधार पर आंकलित किए गए हैं जो अस्थाई हैं । इनसे जलाशयों आदि के सतही जल के ढांचे में जो गाद जमने, दरार पड़ने आदि के कारण खराब हो जाते हैं रिसन से हुए जल के ह्रास को छोड़ने के बाद सृजित की गई निवल सिंचाई क्षमता का पता चलता है ।

एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से कलाकृतियों की तस्करी

1147. **डा० सरोजिनी महिषी :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर, 1978 के ब्लिट्ज में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि कलाकृति-चोर चोरी-चोरी कलकत्ता जाते हैं तथा साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कलाकृति-चोर एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता से मूल्यवान कलाकृतियों और साहित्यिक कृतियों को चुराने तथा चोरीछिपे बाहर भेजने के लिए कलकत्ता में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इसे राज्य सरकार और सीमा शुल्क प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है तथा उन्हें आवश्यक निवारक कदम उठाने की सलाह दी गई है । एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के प्रबन्धकों को भी अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ।

खाद्य राजसहायता में असमानता के बारे में केरल राज्य सरकार से शिकायत

1148. **डा० सरोजिनी महिषी :**

श्री० जी० एम बनतवाला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बीच खाद्य राजसहायता में असमानता के बारे में केरल राज्य सरकार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो बताई गई असमानता का स्वरूप क्या है ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : केरल के मुख्य मंत्री ने पिछली जुलाई में केन्द्रीय सरकार को यह लिखा था कि गेहूं पर 23.89 रुपये प्रति क्विन्टल और मोटे अनाजों पर 13.24 रुपये प्रति क्विन्टल की राज-सहायता थी जबकि चावल पर राज-सहायता केवल 4 पैसे प्रति क्विन्टल थी। उन्हों ने सुझाव दिया कि उपलब्ध खाद्य राज-सहायता गेहूं, चावल और मोटे अनाजों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए ।

(ग) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर और विपणन वर्ष 1978-79 में खरीफ अनाजों की मूल्य और वसूली नीति पर राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों / खाद्य मंत्रियों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर सरकार ने कोर्स धान का समर्थन मूल्य 85 रु० प्रति क्विन्टल निर्धारित किया है जब कि पिछले विपणन मौसम में 77 रु० प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया था। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चावल का निर्गम मूल्य पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप अब चावल पर राज-सहायता की राशि लगभग 13 रुपये प्रति क्विन्टल है ।

तुगलकाबाद, दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

1149. **श्री सौगत राय :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट तुगलकाबाद में हाल ही में मकान गिराए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो मकानों को गिराने क क्या कारण थे ; और

(ग) क्या सरकार नई दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के बारे में कोई समान नीति बनाने का विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) इसका कारण यह था कि कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर हाल ही में अनधिकृत निर्माण किए थे तथा बिना उपयुक्त मंजूरी के अन्य अनधिकृत निर्माण कार्य हाल ही में किए थे ।

(ग) दिनांक 16-2-1977 के एक आदेश द्वारा यह निर्णय किया गया था कि उक्त तारीख तक दिल्ली में जो अनधिकृत कालोनियां बन गई थीं उन्हें कुछ शर्तों के आधार पर नियमित कर दिया जाएगा। अब यह निर्णय किया गया है कि जो रिहायशी संरचनाएं 30-6-77 तक बनी हुई थीं उन्हें भी नियमित कर दिया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति

1150. **श्री डी० अमात :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी गई और विदेशों में भेजा गया ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा संचालित ..... छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, गत तीन वर्षों के दौरान 867 छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी गईं और उन्हें विदेशों को भेजा गया ।

(ख) इनमें से 21 छात्र अनुसूचित जातियों के और 5 अनुसूचित जनजातियों के थे ।

राज्यों को छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

1151. **श्री डी० अमात :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों के, केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य-वार कितनी सहायता दी गई है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा कितनी सहायता की मांग की गई और राज्यवार कितनी राशि मंजूर की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन, वित्त-पोषण और क्रियान्वयन राज्यों की विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है, जिसका विकास के किसी विशिष्ट सेक्टर या परियोजना से कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

लेकिन भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कुछ बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध की है । इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण एक में दिया गया है ।

(ख) चालू वर्ष में राज्यों द्वारा मांगी गयी केन्द्रीय सहायता की राशि की जानकारी विवरण दो में दी गई है । अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं किया गया है ।

विवरण–1

1975 से 1978 के दौरान बृहद, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं के लिए अग्रिम योजना सहायता

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य	अग्रिम योजना सहायता		
		1975–76	1976–77	1977–78
1	आन्ध्र प्रदेश	5.00	0.75	4.00
2	बिहार	5.00	3.00	7.20
3	गुजरात	7.30	3.00	18.25
4	हरियाणा	5.00	6.50	6.00
5	हिमाचल प्रदेश	—	—	0.50
6	जम्मू और कश्मीर	0.75	—	—
7	कर्नाटक	2.15	3.55	8.14
8	केरल	2.10	2.50	6.00
9	मध्य प्रदेश	—	1.75	13.00
10	महाराष्ट्र	5.50	3.85	22.75
11	उड़ीसा	1.00	2.00	6.00
12	पंजाब	—	1.50	8.00
13	राजस्थान	6.00	3.00	5.00
14	तमिलनाड्	—	—	—
15	उत्तर प्रदेश	15.00	8.00	1.03
16	पश्चिम बंगाल	1.00	0.50	5.50

विवरण–2

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य का नाम	राज्य द्वारा वर्ष 1978–79 के दौरान मांगी गई केन्द्रीय सहायता
1	आन्ध्र प्रदेश	8.51
2	बिहार	15.00
3	गुजरात	30.13
4	हरियाणा	10.00
5	कर्नाटक	17.85
6	केरल	6.50
7	मध्य प्रदेश	12.00
8	महाराष्ट्र	47.16
9	मणिपुर	0.60
10	उड़ीसा	5.00
11	पंजाब	8.00
12	पश्चिम बंगाल	6.00

समुद्री उत्पादों के लिये शीतगार संयंत्र

1152. **श्री डी० अमात :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने समुद्री उत्पादों के लिए अब तक कितने शीतगार संयंत्र स्थापित किए हैं ; और

(ख) सरकार का ऐसे शीतगार संयंत्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : कोचीन तथा कलकत्ते में समुद्री उत्पादों के लिए दो हिमित भण्डारगृहों का निर्माण हो रहा है । सरकार ने पारादीप, विशाखापतनम और मद्रास में हिमित भंडार-गृहों के लिए स्थानों का पता लगाया है । फिर भी, कोचीन तथा कलकत्ते में भण्डारगृहों के प्रभाव का जायजा लेने तक इन बड़े बन्दरगाहों पर हिमित भण्डारगृहों की सुविधाएं उपलब्ध कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था ।

कृषि मूल्य आयोग की विदेशों की यात्रा

1153. **श्री डी० अमात :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का क्या प्रयोजन था और उसकी स्थापना कब की गई थी ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयोग पर कितना वार्षिक व्यय हुआ ; और

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने किसी अन्य देश की यात्रा की थी ; यदि हां, तो उक्त यात्राओं का ब्यौरा क्या है ; ऐसी यात्राओं की तारीख, प्रयोजन और व्यय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि मूल्य आयोग जनवरी, 1965 में स्थापित किया गया था । प्रमुख उद्देश्य, जिनके लिए आयोग स्थापित किया गया था, तथा विचारार्थ विषय भारत सरकार के दिनांक 8-1—1965 और 26–5–1970 के संकल्प (प्रति संलग्न अनुबन्ध–I) में दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—2875/78**]

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोग द्वारा किया कुल वार्षिक खर्च निम्न लिखित है : —

1975–76	7,87,000 रुपये
1976–77	9,81,000 रुपये
1977–78	7,06,000 रुपये

(ग) और (घ) : डा० धर्म नारायण भूतपूर्व अध्यक्ष और श्री राम सरण, भतपूर्व सदस्य सचिव ने इस अवधि के दौरान कुछ अवसरों पर विदेशों के दौरे किए थे, जिनका ब्यौरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है। आयोग से कार्य से संबंधित कोई दौरा नहीं था।

खजुराहो के मन्दिरों में सुविधाएं

1154. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजुराहो के पश्चिमी समूह मन्दिरों में उद्यान विकास और पीने के पानी की व्यवस्था करने का कार्य अनेक वर्षों से जारी है और इस कार्य के अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या उक्त कार्य के लिए सात लाख रुपये की राशि जमा है ;

(ग) क्या दूल्हादेव, जावेरी ब्रह्मा बावन और चौसठ योगिनी मन्दिरों, तक पहुंच मार्ग की तथा पीने के जल की भी व्यवस्था नहीं है और क्या वहां इनकी व्यवस्था की जाएगी ; और

(घ) क्या संग्रहालय भवन का शीघ्र विस्तार किया जाएगा जिससे मूर्तियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : पश्चिमी मन्दिर-समूह में दर्शकों के लिए पीने के पानी के प्रबन्ध की पहले से ही समुचित व्यवस्था है। पश्चिमी मन्दिर-समूह के क्षेत्र में घास के मैदान लगवाने के साथ-साथ भू-दृश्य निर्माण का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। फिर भी, जिन स्थानों पर फिर से घास लगाने की आवश्यकता दिखाई पड़ी है, वहां घास लगाई जा रही है। इन घास के मैदानों के संपोषण के लिए पानी की उपयुक्त व्यवस्था हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण आयोग से नए कुएं खुदवाने और पाइप लाइन बिछाने के लिए प्रार्थना की गयी है और इसके लिए 8,51,400 रुपये की धनराशि जमा कर दी गई है। यह कार्य प्रगति पर है।

(ग) ब्रह्मा मन्दिर तक पहुंचने के लिए पहले से ही सड़क है। इस समय एक कच्चा मार्ग वामन मन्दिर तक जाता है और एक खास सीमा तक दूल्हादेव मन्दिर पहुंचाने वाले रास्ते तक भी एक कच्चा मार्ग है। विशेष क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, खजुराहो मास्टर प्लान में डामर (एस्फाल्ट) की सड़क का इन मन्दिरों तक विस्तार करने के लिए सहमत हो गया है। इस समय जवारी मन्दिर तक कोई नियमित रास्ता नहीं है और सर्वेक्षण वामन और जवारी मन्दिरों के आसपास, सड़क निर्माण के लिए और इन दोनों मन्दिरों को मिलाने के लिए आरंभिक प्रयास के तौर पर जमीन प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहा है। चौसठ योगिनी मन्दिर तक पहुंचने के लिए एक उपयुक्त मार्ग बनाने और इसे पड़ौसी पश्चिमी मन्दिर-समूह से मिलाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रत्येक मन्दिर पर दर्शकों के लिए पीने के पानी का प्रबन्ध करना साध्य नहीं है।

(घ) संग्रहालय का भवन सर्वेक्षण को अन्तरित करने की बात पर मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है। अन्तरण के पश्चात् ही वर्तमान भवन के विस्तार पर विचार किया जायेगा।

जामने ओरछा पन-बिजली बांध

1155. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओरछा के समीप टीकमगढ़ जिले में जामने ओरछा पन-बिजली बांध बनाने का प्रस्ताव बहुत समय से अनुमोदन के लिए सरकार के पास पड़ा है ; और

(ख) उच्च शक्ति तथा सिंचाई आयोग द्वारा उसको कब तक अनुमोदित किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं। परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में अगस्त, 1978 में प्राप्त हुई थी।

(ख) चूंकि यह एक वृहद और बहुद्देश्यीय परियोजना है, इसलिए इसको परियोजना रिपोर्ट की विस्तृत जांच केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञता प्राप्त निदेशालयों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों में की जा रही है। इस परियोजना को स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य द्वारा उन विभागों आदि की, टिप्पणियों/अभ्युक्तियों के उत्तर कितनी शीघ्रता से दिए जाते हैं।

शिक्षा सम्बन्धी पाटिल समिति

1156. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय को शिक्षा सम्बन्धी पाटिल समीक्षा समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है ;

(ग) कितनी सिफारिशें इस वर्ष क्रियान्वित की गई हैं ; और

(घ) कितनी सिफारिशें आगामी वर्ष क्रियान्वित की जायेंगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : ईश्वर भाई पटेल पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों की, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा निदेशकों के साथ, फरवरी, 1978 के दौरान चण्डीगढ़ में आयोजित संयुक्त अधिवेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सम्मेलन में तथा जुलाई, 1978 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी जांच की गई थी। सम्मेलन में, समिति की सिफारिशों से कुल मिलाकर सहमति व्यक्त की गयी थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सम्मेलन द्वारा समर्थित इस समिति की सिफारिशों को उनके कार्यान्वयन हेतु, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचालित कर दिया गया है। जहां तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सम्बन्ध है समिति द्वारा जिन अंशों को हटा देने का सुझाव दिया गया था, उन्हें मार्च, 1978 में हुई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हेतु तत्काल ही प्रभावी बना दिया गया था।

अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य विषयों की कोर पाठ्यक्रमों में से हटाकर वर्ष 1979 में होने वाली दसवीं कक्षा की परीक्षा के लिए विषयों की संख्या कम कर दी गई है।

जहां तक पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन योजनाओं में परिवर्तनों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9 वीं कक्षा के अगले शैक्षिक सत्र से इन परिवर्तनों को लागू करने का निर्णय किया है। बोर्ड द्वारा नये पाठ्यक्रमों को पटेल पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

स्कूल के समय को सामाजिक दृष्टि से लाभ पद कार्यों पर लगाने की योजना

1157. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड ने एक योजना स्वीकृत की जिसके अन्तर्गत स्कूलों के समय का 1/5 भाग सामाजिक दृष्टि से उपयोग कार्यों पर व्यतीत किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की IX और X वीं कक्षाओं के अध्ययन की योजना में, स्कूलों में एक सप्ताह के कुल लगभग 45 पीरियडों में से आठ पीरियड सामाजिक रूप से उपयोगी निर्माण कार्य के लिए सुझाए गये हैं।

(ख) सामाजिक रूप से उपयोगी निर्माण कार्य को स्कूल शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है और इसको एक अनिवार्य विषय का स्तर दिया गया है। अतः प्रत्येक छात्र को सामाजिक रूप से उपयोगी निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यकलापों में स्वयं भाग लेना होगा। सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य की व्याख्या

ऐसे उद्देश्य पूर्ण सार्थक शारीरिक कार्य के रूप में की जा सकती है, जो वस्तुओं अथवा सेवाओं की दृष्टि से समाज के लिए उपयोगी है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापकों के उपयोग के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं विकसित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए पात्र होने अथवा बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी निर्माण कार्य में उत्तीर्ण होने को अनिवार्य बना दिया गया है।

(ग) सामाजिक रूप से उपयोगी निर्माण कार्य को 1979 से IX कक्षा में दाखिले के लिए प्रभावी बना दिया जाएगा।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के कब्जे वाले सरकारी आवास पर खर्च की गई धनराशि

1158. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कर्तमान आवास, 12, विलिंगडन क्रीसेन्ट, नई दिल्ली पर मरम्मत/नवीकरण/फेरबदल, फर्नीचर आदि पर कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रांगण के भीतर बहुत सा निर्माण कार्य किया गया है और यदि हां, तो क्या इसके लिए मंजूरी ली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो कितने धनराशि दी है और यदि सरकार द्वारा राशि दी गई है तो निर्माण कार्य की लागत क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कार्य प्रभारित स्टाफ द्वारा किए जाने वाले दिन प्रतिदिन के रख-रखाव के कार्य के अतिरिक्त, सफेदी, रंग रोगन, रंग पुताई तथा विद्युत साज सामान की खरीद आदि पर 2317.00 रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) तथा (ग) : जी, हां। यह संरचना अनधिकृत है जिसके लिए सरकार ने भुगतान नहीं किया है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कम मूल्य के मकान बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता

1159. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके मंत्रालय से राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कम मूल्य के मकान बनाने हेतु वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के अभ्यावेदन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का उन क्षेत्रों में छोटे-छोटे पक्के टेनामेन्ट बनाने का प्रस्ताव है जो बार-बार बाढ़ से प्रभावित होते हैं। फिलहाल, उनका ऐसे एक लाख टेनामेन्टों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक टेनामेन्ट का कुल क्षेत्र लगभग 190 वर्गफुट होगा और ईंटों की दीवार की मोटाई 5" होगी और छतें एस्बेस्टास की होंगी और उस पर लगभग 5000 रुपये लागत आयेगी और इसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है। भूमि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 50 करोड़ रुपये होगी। आवास तथा नगर विकास निगम से ऋण लेकर इस परियोजना की वित्त व्यवस्था करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि ऋण की पुनः अदायगी की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी जाए जो ऋण लेने के पांच वर्ष बाद से शुरू हो।

2. आवास तथा नगर विकास निगम ने ऋण लौटाने की अवधि बढ़ाना स्वीकार नहीं किया है। तथापि हुडको ऋण सहायता की मात्रा 50% से 75% तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

3. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार को हुडको को अदा किए जाने वाली ऋण की राशि पर ब्याज की राशि के बराबर सहायता देने के लिए राजि होना चाहिए। इस संबंध में यह बताना उचित होगा कि केन्द्रीय दल/उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर बाढ़ से पीड़ित राज्यों को प्रत्येक क्षतिग्रस्त या तबाह हुए मकान के लिए सामान्यतया 200 रुपये प्रति मकान की आवासीय सहायता के लिए अग्रिम प्लान सहायता का नियतन किया है । पश्चिम बंगाल सरकार को अग्रिम प्लान सहायता के तौर पर 18 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

1160. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए कोई दीर्घावधि बाढ़ नियंत्रण योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई ऐसी योजनाओं में से प्रत्येक पर आने वाली लागत सहित उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन योजनाओं पर काम कब से आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए और जल-निकास कार्यों के लिए एक कार्य-योजना तैयार की है जो अगले 7 वर्षों में क्रियान्वित की जा सकेगी। 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस योजना के अधीन प्रथम प्राथमिकता वाली स्कीम में दामोदर, रूपनारायण, अजय, हाल्दी, खारी-गंगूर-चेया, महानंदा, गंगा, दक्षिण बंगाल की ज्वारीय नदियों रसूलपुर, मयूराक्षी, जालंगी और बागमारी पागला से संबंधित निर्माण-कार्य शामिल हैं और उक्त निर्माण-कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये में
इंजीनियरी कार्य	171.6
भू-संरक्षण	12.00
वनरोपण	16.4

इसके अतिरिक्त, दूसरी प्राथमिकता वाली स्कीम, जिसमें 75 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यतः इंजीनियरी-कार्य शामिल हैं, भी प्रस्तावित की गई है। इस स्कीम का अधिकांश भाग 1978–83 की मध्यावधिक योजना में शामिल किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल सरकार ने तोरसा बेसिन के लिए 48.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मास्टर योजना का एक मसौदा भी तैयार किया है। इनका स्थूल ब्यौरा इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये में
तटबंधों का निर्माण	2.76
नदी नियंत्रण और कटावरोधी कार्य	7.35
जल निकास	0.8
वनरोपण	2.5
भमि पट्टों और अस्थिर ढाल का स्थिरीकरण	4.0
बहुप्रयोजनी बांधों की लागत में हिस्सा	30.00
अन्य	1.8
योग	48.1

तोरसा की मास्टर योजना पर अभी उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सलाहकारों के बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है ।

वर्ष 1978–79 के लिए पश्चिम बंगाल के बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है ।

मगरमच्छों तथा ग्राहों का संरक्षण

1161. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में मगरमच्छों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं तथा देश में स्थापित उनकी शरणस्थली पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ; और

(ख) वहां कुल कितने मगरमच्छ और ग्राहों को रखने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : भारत में मगरमच्छों की निम्नलिखित तीन जातियां हैं :—

(1) घड़ियाल (गैवियालिस गगेटिकस)

(2) लवणीय जल या खाड़ी के मगर (क्राकोडाईलस पोरोसस)

(3) मगर या दलदलीय मगर (क्राकोडाइलस पालुस्ट्रिस)

भारतीय मगरमच्छों की इन तीन जातियों के संरक्ष ण तथा प्रबन्ध के लिए भारत सरकार, खाद्य और कृषि संगठन की तकनीकी सहायता से बड़े पैमाने की एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। प्रारम्भ में खाद्य और कृषि संगठन के एक विशेषज्ञ ने 1974 के दौरान एक क्षेत्रीय मिशन चलाया और इस मिशन के फलस्वरूप देश में बड़े पैमाने की एक परियोजना शुरू की गई। मगरमच्छों की इन तीन जातियों के संरक्षण तथा वर्धन की योजनाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन पर 10,00,000 रुपये की राशि खर्च करने का विचार करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने हाल ही में 10,00,000 रुपये के स्वीकृत परिव्यय से "राष्ट्रीय चम्बल शरण-स्थल परियोजना" नामक एक परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना में घड़ियालों को छोड़ा जायेगा, जहां वे स्थायी रूप से प्राकृतिक परिस्थितियों में रहते हुए अपना वर्धन कर सकते हैं।

इस योजना में गैर-पालतू मगरमच्छ के अंड़ों को एकत्र करने, कृत्रिम रूप से अंडे सेने, उनके बच्चों को पालने और बाद में पाले हुए बच्चों को उनके प्राकृतिक वास-स्थलों में छोड़ने पर विचार किया गया है। देश में ग्राह नहीं पाये जाते हैं।

बिहार सरकार द्वारा चीनी मिलों को अधिग्रहण

1162. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री पी ०के० कोडियन :

श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री एफ० पी० गायकवाड :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा हाल ही में चीनी मिलों के अधिग्रहण किये जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ; और

(ख) चीनी उद्योग की क्या शिकायतें हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) बिहार चीनी प्रतिष्ठान (अधिग्रहण) अधिनियम, 1976 की अधिसूची में उसकी धारा 17 के अधीन संशोधन करने और इससे राज्य में 16 चीनी प्रतिष्ठानों को अधिग्रहण करने की बिहार सरकार की कार्यवाही को अधिग्रहण की वैधता को चुनौती करने के लिए दायर की रिट पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में रोक लगा दी है। रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) देशभर में (बिहार समेत) चीनी उद्योग की शिकायतों का सारांश यह है कि नियंत्रण उठा लेने से हर जगह मूल्यों में सामान्य गिरावट आयी है। चीनी उद्योग के अनुसार इससें उन्हें उत्पादन की लागत से कम प्राप्ति हुई है। उन्हों ने कुछेक राहत उपायों जिनमें सरकार द्वारा मासिक निर्मुक्ति की प्रणाली को फिर सें लागू करना शामिल है, का सुझाव दिया है। उद्योग के सुझाओ की विस्तारपूर्वक जांच की गई है और इस तथ्य की दृष्टि में कि विनियन्त्रण को लागू किये बहुत ही कम समय हुआ है सरकार का यह विचार है कि अभी चीनी नीति में संशोधन करने की कोशिश करना

जल्दबाजी होगी । यह बेहतर होगा कि पूर्ति और मांग की स्वाभाविक शक्तियों को कार्य करने और स्वाभाविक स्तर पर मूल्यों को पहुंचने दिया जाए । तथापि स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।

रूई का उत्पादन

1163. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई के उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादों तथा उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से रूई का मूल्य निर्धारित करने, अधिक रूई क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने तथा इस समय की तुलना में वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में कपास की कास्त को अधिक लाभप्रद बनाने के तरीकों के बारे में सरकार की क्या नई नीति है ;

(ख) रूई की पैदावार बढ़ाने तथा किसानों को सप्लाई किए जाने वाले बीजों की शुद्धता के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) इस दिशा में किए गए अनुसंधानों से कहां तक सफलता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख): रूई उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार की नयी नीति में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) सिंचित और वर्षा सिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार से सम्बन्धित कार्य को तेज करके उत्पादन में वृद्धि करना ;

(2) सिंचित कपास क्षेत्र के अन्तर्गत, विशेषकर विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना;

(3) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों/संकर कपास के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाना ;

(4) कपास पैदा करने वाले सभी प्रमुख राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित संघन जिला कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना और 1977–78 से छः राज्यों के वर्षा पर आधारित आठ नये जिलों में इसका विस्तार करना;

(5) अधिक क्षेत्र में कपास के केन्द्रक और आधारी बीजों के उत्पादन में तेजी लाना और प्रमाणीकृत बीज के लिए प्रति क्विन्टल 25 रुपये से 150 रुपये तक की राजसहायता की दर से वृद्धि करना ताकि शुद्ध बीज वितरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिल सके ; और

(6) सरकार द्वारा नयी वस्त्र उद्योग नीति की घोषणा करना जिसके तहत भारतीय कपास निगम की भूमिका को व्यापक बनाया गया है और खुले बाजार में उसें वाणिज्यिक खरीद की अनुमति दी गई है ताकि कपास के मूल्यों में एक निर्धारित सीमा से अधिक गिरावट न आने पाये ।

कपास उत्पादकों को अपेक्षित मूल्य प्राप्त करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उक्त कार्यवाही दीर्घगामी होगी ।

(ग) हाल के वर्षों में अधिक पैदावार देने वाली तथा अच्छी किस्म के कपास का विकास किया गया है तथा उस से सामान्य कास्तकारी के लिए निर्मुक्त किया गया है। संकर–4 और बरालक्ष्मी, तथा उत्तम लम्बी और अधिक लम्बे रेशेवाली किस्मों अर्थात एम० सी० यू–4, सुजाता और सुविन जैसी कुछ उत्तम संकर कपास, कपास अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इनसे कपास उत्पादन के क्षेत्र में न केवल पर्याप्त वृद्धि हुई है, अपितु लम्बे रेशे वाली कपास के आयात में कमी भी हुई है ।

गांधी दर्शन

1164. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री दुर्गाचन्द :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 28 अक्तूबर, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गांधी दर्शन गोज टू पीपल" शीर्षक के छपे समाचार की ओर दिलाया गया है" ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) गत एक वर्ष में वहां प्रतिदिन औसतन कितने व्यक्ति आये हैं ; और

(घ) काम्पलैक्स पर "कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते" रख-रखाव आदि शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितना वार्षिक व्यय किया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : जी, हां। तथ्य इस प्रकार है :— गांधी दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन, सरकार द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के रूप में किया गया था। यद्यपि इसे एक अस्थायी प्रदर्शनी के रूप में शुरू किया गया था किन्तु महात्मा के जीवन और उपदेशों से बड़ी संख्या में लोगों और विदेशी पर्यटकों को परिचित कराने के उद्देश्य से इसे एक स्थायी प्रदर्शनी बनाने का निर्णय किया गया। बाद में, गांधी दर्शन के कार्यकलापों का, उनमें कुछ चलती-फिरती प्रदर्शनियां शामिल करके विस्तार किया गया था जिन्हें, गांधीवादी विचारधारा और दर्शन से लोगों को शिक्षित कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, स्कूलों और कालेजों और पुन बसाई गई कालोनियों में ले जाया जाता है। 1977–78 के दौरान गांधी दर्शन में दर्शकों की औसत संख्या प्रतिदिन लगभग 400 थी।

1977–78 के दौरान कुल खर्चा 10,19,182.83 रुपये था। विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत खर्चे के ब्यौरे इस प्रकार है :—

मद	योजनेतर	राशि
		(रुपये)
1	वेतन, भत्ते इत्यादि	6,10,000.00
2	गांधी दर्शन समिति कम्प्लैक्स का अनुरक्षण (भवन, बागवानी, सुरक्षा तथा मण्डप, दूरभाष, वाहन, विद्युत और जल खर्च इत्यादि)।	82,525.03
3	प्रदर्शनी का अनुरक्षण और प्रदर्शकों की मरम्मत	20,472.89
4	कार्यकलाप और कार्यक्रम (प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल तथा कालेज छात्रों के लिए कार्यक्रम, चलती-फिरती प्रदर्शनियां)	1,30,953.71
5	पुस्तकालय (पुस्तकें, फर्निचर, औजार तथा उपकरण, प्रोजेक्ट, फिल्मस) . .	22,541.04
6	वाहन (मिनी बस आदि)	1,19,052.54
	योजनागत योजनाएं	
7	फोटो स्टुडिओ, चिल्ड्रन कार्नर का अनुरक्षण . .	33,637.62
	कुल योग	10,19,182.83

हिमालय के मनोरंजन एवं धार्मिक संसाधनों पर प्रायोगिक परियोजना

1165. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पर्यटन तथा तीर्थयात्रा की आयोजना के लिए हिमालय के मनोरंजन एवं धार्मिक संसाधनों की जांच के लिए प्रायोगिक परियोजना की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस प्रकार की किसी परियोजना को मंजूरी आयोग ने नही दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपक्रमों में ड्यूटी के दौरान मरने वाले अथवा घायल होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था

1166. **पंडित द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री उपक्रमों में ड्यूटी के दौरान मरने वाले अथवा घायल होने वाले कर्मचारियों को मुआवजा देने की व्यवस्था के बारे में 24 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 अथवा उपदान अधिनियम अथवा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 अथवा उनके स्टाफ सम्बन्धी विनियमों आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, दौरा कार्य पर लगे कर्मचारियों को ग्रुप/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अधीन मुआवजा देने की भी व्यवस्था है। जल और विद्युत विकास सलाहकार सेवा के कर्मचारी 'वापकोस' कर्मचारी उपदान निधि योजना से भी शासित होते है।

बाढ़ नियंत्रण तथा गंगा के जल के बढ़ाने के लिये भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग के समक्ष योजना

1167. **श्री चित्त बसु :**

श्री के० बी० चेतरी :

श्री किरत विक्रम देव बर्मन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और गंगा के जल को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग के समक्ष कोई व्यापक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को आवश्यक बाते क्या हैं ; और

(ग) उस पर बंगला देश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : **(क) से (ग)** : भारतीय प्रस्ताव में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघन प्रणाली के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है और यह प्रस्ताव किया गया है कि ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक नहर के जरिए ब्रह्मपुत्र के फालतू जल को गंगा नदी में डाला जाए। लिंक नहर के जल की अनुपूर्ति करने के लिए, जल सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए, उपयुक्त स्टेज पर दिहांग, सुबनसिरी और बारक नदियों पर तीन जल-संचय बांधों के चरणबद्ध निर्माण का प्रस्ताव भी किया गया है। भारतीय प्रस्ताव से दोनों देशों को बाढ़ नियंत्रण, जल-पूर्ति और सिंचाई, नौचालन, जल-विद्युत उत्पादन आदि के भारी लाभ प्राप्त होंगे।

बंगलादेश ने भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें भारत और नेपाल और बंगला देश को विद्युत उत्पादन और सिंचाई और गंगा के प्रवाह में वृद्धि से संबंधित लाभों के लिए भारत और नपाल में गंगा बेसिन के अंदर जल-संचय बांधों के निर्माण द्वारा गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। नेपाल में संचित कुछ जल का उपयोग एक नहर में किए जाने का भी प्रस्ताव है जो नेपाल को तराई के साथ-साथ भारत में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में एक 30 किलोमीटर लम्बे गलियारे में से होते हुई बंगलादेश जाएगी। इस नहर का उद्देश्य नेपाल के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन जल-मार्ग की व्यवस्था करना और महानन्दा और अन्य नदियों के जल-प्रवाह में वृद्धि करना है।

भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग ने इन दोनों प्रस्तावों के प्रारंभिक अध्ययन का काम हाथ में ले लिया है।

कृषि के अधीन अतिरिक्त भूमि

1168. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने छठी योजना अवधि में अतिरिक्त भूमि पर कृषि की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ग) किस राज्य में इस योजना के अधीन अधिक भूमि आयेगी ; और

(घ) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) मृदा संरक्षण एवं भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में सुझाए गए प्रस्तावों पर वर्ष 1978–83 के दौरान लगभग 45 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। रिपोर्ट पर विचार किया जा रही है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अधिकतम भूमि के सुधारे जाने की सम्भावना है।

(घ) दो योजनाओं के अन्तर्गत कृषि के लिए और अधिक भूमि लाई जाएगी।

(1) ऊबड़-खाबड़ जल विभाजकों के संरक्षण एवं विकास के लिए केन्द्रीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत सतही एवं मध्यम ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों को कृषि के लिए सुधारा जाएगा तथा शेष ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों को, ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र के और अधिक विस्तार को रोकने तथा खड्डों से पहले ही खराब हुई भूमि के उपयोग करने के दोहरे लक्ष्य के साथ एक पूर्ण जल विभाजक के सुधार के आधार पर वनरोपण के अन्तर्गत लाया जाएगा ।

(2) क्षारीय मृदाओं के सुधार एवं प्रबन्ध तथा अम्लीय मृदा के सुधार के लिए केन्द्रीय योजना

क्षारीय भूमि का जिप्सम/पाइराइटिस से उपचार किया जाता है एवं पैकेजों उर्वरकों तथा सस्य क्रियाओं से उसे पुनः कृषि के योग्य बनाया जाता है। अम्लीय मृदा पर पहले से ही खेती की जा रही है।

गेहूं के मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1169. **श्री रघुवीर सिंह विर्क :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृषि उपकरणों की कीमतों में वृद्धि हुई है, परन्तु उस अवधि में गेहूं की कीमतें स्थिर रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गेहूं की कीमतों में वृद्धि करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : गेहूं वसूली मूल्य और कृषि आदानों के थोक मूल्यों का सूचकांक बताने वाला एक विवरण संलग्न है। इससे विदित होगा कि 1975–76 और 1977–78 के बीच गेहूं के वसूली मूल्य में प्रतिशत वृद्धि 7.1 प्रतिशत थी ; जबकि बिजली और कीटनाशकों को छोड़कर आदानी के मूल्य अपेक्षाकृत कम दर पर बड़े है लेकिन लुब्रीकेटिंग आयल ट्रेक्टर और उर्वरकों के मूल्यों में गिरावट आयी है।

(ग) सरकार आगामी रबी मौसम के लिए गेहूं की वसूली मूल्य बहुत जल्द घोषित करने की आशा रखती है।

विवरण

गेहूं का वसूली मूल्य और कृषि आदानों के थोक मूल्य के सूचकांक

	*1975–76	*1976–77	*1977–78	1975–76 की अपेक्षा 1977–78 में प्रतिशत अन्तर
गेहूं का वसूली मूल्य	105.00	110.00	112.50	+7.1
थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार 170–71=100)				
डीजल आयल . . .	206.4	213.9	214.1	+3.7
लुब्रीकेटिंग आयल . . .	316.2	314.2	314.2	—0.6
बिजली	158.1	171.6	182.5	+15.4
ट्रैक्टर	204.6	203.0	202.4	—1.1
एग्रीपौरह . . .	216.9	216.9	231.3	+6.6
सीमेन्ट . . .	170.5	173.6	176.8	+3.7
पिग आरयन	175.4	181.6	181.7	+3.6
उर्वरक	214.7	186.5	177.4	—17.4
कीटनाशक	216.2	232.4	232.2	+7.4

*वर्ष के दौरान काटी गई फसल से सम्बन्धित है
(बाद के वर्ष में बेची जानी है)

बाढ़ के कारण प्रभावित हुई सिंचाई योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय

1170. **श्री गंगा भक्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में सिंचाई योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था की है जहां कि सिंचाई योजनाओं पर हाल की बाढ़ का बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है और क्या उसने इस परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की है ; और

(ग) क्या यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और इसके कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बाढ़ से प्रभावित निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 1978–79 के दौरान अग्रिम योजना सहायता दी गयी है ।

(1) बिहार
(2) हरियाणा
(3) हिमाचल प्रदेश
(4) पंजाब
(5) राजस्थान
(6) उत्तर प्रदेश
(7) पश्चिम बंगाल

इस सहायता में हाल की बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त सिंचाई वर्क्स की मरम्मत के लिए दी गई धनराशि भी शामिल है ।

(ख) और (ग) : बाढ़ से प्रभावित सिंचाई वर्क्स के लिए उत्तर प्रदेश को 6.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और इस राशि के 31 मार्च, 1979 तक उपयोग कर लिए जाने का प्रस्ताव है ।

उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से खाद्यान्नों की वसूली

1171. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खरीफ फसल के खाद्यान्नों की वसूली करने का है, यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश बिहार और पश्चिम बंगाल जहां बाढ़ के कारण सारी फसल नष्ट हो गई है में वसूली का कार्य रोक दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो वसूली किस आधार पर की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) । खरीफ खाद्यान्नों की वसूली का कार्य प्रगति पर है । 24 नवम्बर, 1978 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू खरीफ विपणन मौसम 1978–79 के दौरान 15.88 मीटरी टन चावल जिसमें चावल के हिसाब से धान शामिल है, और 73 मीटरी टन मोटे अनाजों की वसूली कर दी गई थी । उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में वसूली का कार्य बन्द नहीं हुआ है । इन राज्यों में धान और मोटे अनाजों की खरीदारी समर्थन मूल्य और चावल को खरीदारी मिलमालिकों/व्यापारियों से लेवी के रूप में की जाती है; तथापि, पश्चिमी बंगाल सरकार ने बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने के कारण उत्पादकों से लेवी न लेने का निश्चय किया है ।

गंगा बेसिन के जल का नियंत्रण और उपयोग

1172. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा बेसिन के जल, जो बेकार चला जाता है अथवा जिससे बाढ़ आती है और विनाश होता है, के समुचित नियंत्रण और उपयोग के लिए क्या क्या योजनाएं अथवा प्रस्ताव समक्ष हैं अथवा विचाराधीन हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : यद्यपि गंगा बेसिन में बाढ़-नियंत्रण के अनेक उपाय किए गए है, फिर भी जब कभी भारी वर्षा होती है और नदियों में उच्च स्तरीय बाढ़ें आती हैं तो बाढ़ों से क्षति होती है । 2848

किलो मीटर लम्बे तटबन्ध, 3462 किलोमीटर लम्बी निकास-नालियां (ड्रेनेज-चेनल) पहले ही बनाई जा चुकी है । 78 शहरों के लिए सुरक्षा कार्य, 4511 गांवों को ऊंचा उठाने का और अनेक स्थानों पर तट-कटाव-रोधी कार्य किए गए हैं। इन कार्यों से लगभग 27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान हुई है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने, जिसकी स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ बेसिन के लिए बाढ़ नियंत्रण को एक व्यापक स्कीम तैयार करने के लिए की गई थी, बेसिन के लिए 1043 करोड़ रुपये की लागत वाली बाढ़-नियंत्रण की एक योजना की रूप-रेखा तैयार की है। इस योजना की रूप-रेखा में वनरोपण, भू-संरक्षण और नदियों को मुख्य पहुंचों में चल-संचय जलाशयों के निर्माण सहित तटबन्धों, ड्रेनेज चेनलों और तट कटाव रोधी जैसे स्थानीय इंजीनियरी कार्य, गांवों को ऊंचा उठाने और शहरों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, चैनलों को सुधारने का कार्य, और जलधारा (वाटर-शेड) का प्रबन्ध शामिल है ।

भारत में गंगा प्रणाली पर लगभग 20 मिलियन एकड़ फुट की कुल जल-संचय क्षमता पहले ही बनाई जा चुकी है। टिहरी, राजघाट बान्ध, बाणसागर बांध आदि पर लगभग 9 मिलियन एकड़ फुट की जल संचय क्षमता का निर्माण किया जा रहा है । किशाऊ, औरंगा, कोटलोमेल, कन्हार, ग्रेटर गंगाऊ आदि बांधों के निर्माण के प्रस्ताओं पर विचार किया जा रहा है, जिससे लगभग 6 मिलियन एकड़ फुट की कल जलसंचय क्षमता की व्यवस्था होने की सम्भावना है ।

गंगा को, शारदा, घाघरा (करनाली), राप्ती, गंडक, कोसी आदि जैसी अनेक महत्वपूर्ण सहायक नदियों के मामले में केवल नेपाल में ही उपयुक्त जल-संचय स्थल उपलब्ध हैं। बाढ़-नियंत्रण और अन्य लाभों को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल की संयुक्त नदियों के विकास बारे में संयुक्त अध्ययन और विचार-विमर्श करने में सहयोग देने के लिए नेपाल सरकार से अनुरोध किया गया है । नेपाल में बनने वाली राप्ती (भालूबंग), पंचेश्वर और करनाली परियोजनाओं के संयुक्त अन्वेषणों के लिए नेपाल सरकार से पहले ही करार हो चुका है ।

खाण्डसारी उद्योग में संकट

1173. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीनी से नियंत्रण समाप्त करने के कारण खाण्डसारी उद्योग गम्भीर संकट में पड़ गया है तथा इसके बन्द होने की पूरी सम्भावना है जिसका देश के लघु उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा इसके कारण किसानों को भी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो खाण्डसारी उद्योग तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) सरकार को खाण्डसारी उद्योग के प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि चीनी नियन्त्रण उठा लेने के फलस्वरूप उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहा है । उन्होंने कुछक उपायों का भी सुझाव दिया है जैसा कि उत्पादन में कमी करना और क्रय कर जैसे स्थानीय करों से मुक्त करना ।

(ख) इन प्रस्तावों की ब्यौरेवार जांच की गई है और यह विदित हुआ है कि खाण्डसारी चीनी पर उत्पादन शुल्क पहले की काफी कम है । क्योंकि खाण्डसारी उद्योग पर अधिकांश नियन्त्रण राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं इसलिए और छूट देने या स्थानीय करों में राहत देने के सम्बन्ध सें उन से परामर्श किया जा रहा है । बैंकिंग प्रभाग को खण्डसारी उद्योग द्वारा उठायी जा रही उधार की समस्याओं से भी अवगत कर दिया गया है ।

'मोनूमेंटल साल्वेज आपरेशन आन, शीर्षक से समाचार'

1174. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 23 अक्टूबर, 1978 के **ट्रिब्यून** के पृष्ठ 5 पर 'मीनूमेन्टल सॉल्वेज आपरशन आन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन स्मारकों के 6000 से अधिक दुर्लभ किस्म नेगेटिव पूर्णतया नष्ट हो गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नेगेटिव ऐसे स्थानों पर रखे गए थे जो इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं थे ; और

(ग) इस मामले में कार्यवाही न करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), से (ग) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास प्राचीन स्मारकों के लगभग 50,000 पुराने फिल्म नेगेटिव हैं। उनके अनुरक्षण की समय-समय पर जांच की जाती है। जिनके नष्ट होने के चिह्न दिखाई देते हैं उनके नवीकरण के लिए कारवाई की जाती है। फिर भी, कुछ समय के बाद, समय-समय पर होने वाली जाचों से पता चला है कि लगभग 300 नेगेटिव नष्ट हो गए हैं जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। यह सर्वेक्षण के किसी अधिकारी की उदासीनता के कारण नहीं हुआ है। यह क्षति मुख्य रूप से लम्बे समय के कारण हुई है। उपयुक्त संग्रह स्थल की सुविधाओं का प्रश्न पुरातत्व सर्वेक्षण के विचाराधीन है।

राष्ट्रपति भवन कम्प्लेक्स में सादे मकानों का निर्माण

1175. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रपति भवन काम्प्लेक्स में 1980 तक नये सादे मकानों का निर्माण करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) मंत्रियों के लिए लगभग 3000 वर्गफुट के रिहायशी क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे मकान बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

रुई के मूल्य सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

1176. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय के निदेश पर योजना आयोग द्वारा रुई के मूल्य के सम्बन्ध में जांच करने हेतु नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) योजना आयोग ने कपास के मूल्यों जैसे प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी अध्ययन दल की स्थापना नहीं की है। फिर भी, जून, 1978 में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कपास के बफर स्टाक प्रचालन के लिए एक तकनीकी समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति के विचारणीय विषयों की सूची में अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं :—

"बफर स्टाक के आकार की सिफारिश करना जो कि पांच वर्ष की अवधि के लिए कपास की कीमतों को अपेक्षित सीमा में बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा। यदि आवश्यक हो तो, समिति, मूल्य स्थिरीकरण के उद्देश्यों के लिए दो या तीन विकल्पों का सुझाव दे सकती है।" समिति को कभी भी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

1177. **श्री महीलाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के लिए भर्ती और पदोन्नति के मामले में आरक्षित भरे नहीं गये पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों द्वारा खाली किये गये पदों तक पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो उक्त खाली पदों की संख्या कितनी है ; और

(ग) पिछले न भरे गये पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) **और** (ख) : 1-7-1963 को राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना के साथ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक ऐसी ही स्कीम के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों को निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया था जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। बाद में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति जैसी कुछ समितियों को सरकार ने समाप्त कर दिया और छंटनी किए गए कर्मचारियों को राष्ट्रीय बीज निगम में स्थान दिया गया। इसके अलावा निगम को विशेष स्थिति के कारण, अनेक पदों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व और राज्य सरकारों जैसी विभिन्न सरकारी एजेन्सियों से प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा भरा गया। अन्ततः इस श्रेणी के स्टाफ को भी राष्ट्रीय बीज निगम में ले लिया गया। इसके अतिरिक्त, 1967 तक राष्ट्रीय बीज निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में कोटा के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भर्ती का कोई निदेश भी नहीं था। इसके बाद ही सरकार द्वारा उपयुक्त निर्देश जारी किए गए। तब से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया है और किया जाएगा कि भर्ती निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार की जाए। वास्तव में राष्ट्रीय बीज निगम ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की सुनिश्चित करने के लिए एक 40 सूत्री कार्यक्रमावली तैयार की है।

(ग) इस विषय से सम्बन्धित नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों द्वारा खाली किए गए पदों को अनिवार्य रूप से इसी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा भरा जाए। इसका निर्णय इसके लिए तैयार की गयी 40-सूत्री कार्यक्रमावली द्वारा किया जाता है।

बाणसागर बांध

1178. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश में प्रस्तावित बाणसागर बांध के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनाये गये नियंत्रण बोर्ड ने बांध के लिए 2 सर्किल और 8 डाई डिमिशन, नहरों के लिए 1 सर्किल और 8 डिमिशन तथा बिजलीघर के निर्माण कार्य के लिए 1 सर्किल और 2 डिमिशन बनाये जाने की स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केवल बांध के लिए 1 सर्किल और 2 डिमिशन तथा नहरों के लिए 1 सर्किल और 2 डिमिशन कार्य कर रहे हैं; यदि हां, तो क्या 6 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर **बाणसागर बांध का निर्माण** कार्य पूरा होना कठिन है क्योंकि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मंजूर किये गये पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं दिये गये हैं; और

(ग) 6 वर्ष की निर्धारित अवधि में बाणसागर बांध का निर्माण पूरा करने के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे हैं तथा 31 मार्च, 1979 तक कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) : मध्यप्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी

भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिये समिति

1179. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके चेयरमैन और सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके निदेश पद क्या है तथा इसने अब तक क्या कार्य किया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां

(ख) 1. प्रोफेसर राज कृष्ण, सदस्य, योजना आयोग . . . . . अध्यक्ष

2. डा० ए० एम० खुसरो, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़। . . सदस्य

3. डा० वी० एम० दांडेकर, निदेशक, गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड एकोनामिक्स, पुणे सदस्य

4. श्री राधा कृष्ण, सचिव, गांधी पीस फाउन्डेशन, 221 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली सदस्य

5. प्रो० जी० पार्थसारथी, प्रोफेसर, आन्ध्र विश्वविद्यालय . . . . सदस्य

6. श्री के० बालासुब्रह्मण्यम, भूतपूर्व राजस्व आयुक्त, 341, फर्स्ट ब्लाक, जय नगर, कर्नाटक, बंगलोर सदस्य

7. डा० पी० सी० जोशी, सीनियर फेलो, इंस्टीट्यूट आफ एकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली सदस्य

8. श्री पी० एस० अप्पू, अपर सचिव, कृषि विभाग . . . . सदस्य

9. डा० पी० एच० प्रसाद, प्रोफेसर आफ एकोनामिक्स, ए० एन० एस० इंस्टीट्यूट आफ स्पेशल स्टडीज, पटना सदस्य

10. श्री आर० के० रथ, संयुक्त सचिव, केन्द्रीय कृषि विभाग . . . . सदस्य-सचिव

(ग) समिति को "विभिन्न राज्यों" में भूमि सुधार के उपायों की प्रगति की समीक्षा और उन कानूनी व प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करना है, जिनसे क्रियान्वयन की गति तेज़ हो सके।"

जम्मू और कश्मीर को चावल, मक्का और गेहूं की सप्लाई और वसूल न की गई राशि पर बकाया ब्याज

1180. **श्री अब्दुल अहमद वकील** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर को सितम्बर, 1975 से अक्तूबर, 1978 तक कितने टन चावल, मक्का और गेहूं की सप्लाई की गई और इसका मूल्य कितना था ; और

(ख) वसूल न की गई राशि पर इस समय कितना ब्याज बकाया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सितम्बर, 1975 से अक्तूबर, 1978 तक जम्मू तथा कश्मीर राज्य को चावल, गेहूं और मक्का की सप्लाई की गई कुल मात्रा और उसकी लागत नीचे दी जाती है :—

	मात्रा हज़ार मीटरी टन में	लागत लाख रुपयों में
गेहूं	442.20	6756.65
चावल	267.30	4147.00
मक्का	21.10	212.58
जोड़ . .	730.60	11116.24

(ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है।

उर्दू भाषा के बारे में सम्मेलन के लिए प्रस्ताव

1181. **श्री अब्दुल अहमद वकील** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी मतों वाले वर्गों का सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उर्दू सहित सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए सुविधाएं जुटाना सरकार की नीति है। सरकार, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो की स्थापना द्वारा उर्दू भाषा के विकास को बढ़ावा दे रही है। मद ब्यूरो उर्दू में शिक्षा साहित्य प्रकाशित कर रहा है। सरकार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा साहित्य अकादमी के साथ-साथ उर्दू के प्रसार में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दे रही है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारतीय इतिहास और संस्कृति तथा बच्चों के साहित्य सहित विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। साहित्य अकादमी ने भी काफी ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें साहित्यिक तथा सामान्य पुस्तकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अकादमी ने विख्यात उर्दू लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारत सरकार द्वारा सीलन और पटियाला में स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों (केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत) में उर्दू के अध्यापक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार उर्दू भाषा के प्रसार तथा विकास के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की बोतल में कीड़ा

1183. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सितम्बर, 1978 में टैगोर गार्डन, नई दिल्ली को सप्लाई की गई दुग्ध की बोतल में कीड़े सहित अनेक सड़ी गली वस्तुएं पाई गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जिनकी देख-रेख में ऐसी दुग्ध की बोतलें भरी गई और सील की गई थी।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) 16 सितम्बर, 1978 की सुबह को डिपो संख्या 1049 (टैगोर गार्डन) के वरिष्ठ डिपो एजेंट द्वारा दूध की एक बोतल में कुछ बाह्य पदार्थ पाया गया और इसे दुग्ध डिपो में एक ओर रख दिया गया था। दूध की यह बोतल किसी ग्राहक को नहीं बेची गयी। तथापि, बाह्य पदार्थ वाली दूध की बोतल को डिपो सलाहकार समिति के एक सदस्य ने देख लिया और जबरन डिपो से उठा लिया। डिपो कर्मचारियों के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी डिपो सलाहकार समिति के सदस्य ने उस दूध की बोतल को वापस नहीं किया। चूंकि दूध की बोतल को दिल्ली दुग्ध योजना के हवाले नहीं किया गया, अतः दिल्ली दुग्ध योजना की गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में उसका विश्लेषण नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप दूध की बोतल में विद्यमान बाह्य पदार्थ किस प्रकार का है, इसका पता नहीं लगाया जा सका और तदनुसार इसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री को आवंटित बंगला

1184. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को आवंटित बंगले के विवरणों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बंगले का वाणिज्यिक किराया कितना है,

(ग) करार की शर्तों के अनुसार उसे इस बंगले में कब तक रहने की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) आवंटन की शर्तें क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 12, विलिंगडन क्रेसेंट, नई दिल्ली जो कि टाईप VIII का बंगला है, लीज तथा लाइसेंस के आधार पर आवंटित किया गया था।

(ख) वाणिज्यिक किराया आंका नहीं गया है। 31 मार्च, 1978 तक बंगले का मार्कीट किराया 3,917/- रुपये था और 1 अप्रैल, 1978 से यह 4,097/- रुपये हो गया है।

(ग) तथा (घ) : आवंटन उन्हें पूर्णतया अस्थायी आधार पर किया गया था जिसका मासिक लाइसेंस शुल्क "मूल नियम 45बी-" के अन्तर्गत विभागीय प्रभारों समेत 2,824.60 रुपये था। मुख्य शर्तें निम्नलिखित है :—

(i) आवंटन एक महीने का नोटिस देने पर किसी भी समय रद्द किया जा सकता है,

(ii) लाइसेंस शुल्क विभागीय प्रभारों समेत "मूल नियम 45-बी" के अन्तर्गत देय है,

(iii) यदि रद्द करने पर लाइसेंस आवास का दखल शांतिपूर्ण ढंग से नहीं देता तो सरकार कानून के जरिए लाइसेंसी को बेदखल करने की पात्र है,

(iv) मुख्य इंजिनयर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली की स्वीकृति प्राप्त किए बिना भवन में या परिसर में बिजली और स्वच्छता स्थापनाओं में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा,

(v) लाइसेंसी केवल रिहायशी प्रयोजनों के लिए ही परिसर का उपयोग करेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

उनके संसद सदस्या निर्वाचित हो जाने के बाद यह बंगला "मूल नियम 45-ए" के अन्तर्गत 25% की छूट के साथ सामान्य किराये की अदायगी पर 8 नवम्बर, 1978 से उनके नाम नियमित कर दिया गया है।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकान

1185. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में कितने कितने भूमिहीन श्रमिकों को रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान मुफ्त रिहायशी प्लाटों के अलावा 500 रुपये से 750 रुपए की मात्रा में नकद सहायता दी गई है, और

(ख) ऐसी सहायता से मध्य प्रदेश में जिलावार कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल मुफ्त देने की योजना राज्य क्षेत्र में है। संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन, भूमि के अर्जन तथा मकान बनाने के लिए 500–750 रुपये प्रति स्थल की दर से सहायता देने की व्यवस्था है। पंचवर्षीय योजना (1978–83) के प्रारूप में इस कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। समूचा गांव जला दिया गया है। **(व्यवधान)**

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार में आया है कि 162 हरिजनों को तबाह किया गया, 18 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया और वहां पर गांव के तमाम लोगों को मारा गया। हम चाहेंगे कि इस पर हाउस में चर्चा हो। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मामला काफी गम्भीर है। मैंने गृह मंत्रालय से अविलम्बनीय जानकारी मांगी है। उसके बाद मैं इस बारे में निर्णय लूंगा।

श्री वयालार रवि (चिरचिकील) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी प्राप्त हुई है और ध्यान आकर्षण की भी। मैंने सरकार से तथ्य मांगे है। आज शाम तक मैं इस बारे में निर्णय लूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन, जो सभा पटल पर रखा गया है, के बारे में नियम 314(2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति ने उनकी एक गलती के बारे में सिफारिश की है जबकि 3 अन्य गलतियों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। समिति ने नियम 314(2) के अधीन एक गलती की है। उसी संबंध में मैं यह मामला उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 314 (2) में उपबन्ध है कि प्रतिवेदन में वह प्रक्रिया भी बताई जाये जो समिति की सिफारिश को लागू करने के लिये अपनाई जानी है। जहां तक 'में' शब्द का सम्बन्ध है, यह बताना या न बताना उनकी इच्छा पर निर्भर है। इसके पूर्व उदाहरण भी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चार गलतियां हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन के समय इस पर चर्चा की जायेगी। मैं इस मामले पर चर्चा के लिये पर्याप्त अवसर दूंगा। मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा। यद्यपि नियम आधे घंटे के लिए है, सदन का प्रत्येक पक्ष पूर्ण चर्चा चाहता है। इस समय मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा। आप इसे प्रतिवेदन पर चर्चा के समय उठा सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपके पास प्रतिवेदन की प्रति है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रतिवेदन का अध्ययन किया है। मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के गुणावगुणों में नहीं जाना चाहता। इस पर सभा कभी भी चर्चा कर सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे रिकार्ड पर लाना चाहता हूँ। . . .

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा के लिये पर्याप्त अवसर दूंगा। आप दो अवसर नहीं ले सकते। आप चर्चा के समय इसका उल्लेख कर सकते हैं, अब नहीं।

अब सभा पटल पर यह पत्र रख जायेंगे।

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उर्वरक को समान रूप से वितरित करने सम्बन्धी आदेश

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक के समान वितरण संबंधी आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 सितम्बर, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 446 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०–2857/78]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और बम्बई के वर्ष 1976–77 के प्रमाणित लेखे और विलम्ब के कारणों का विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष, 1976–77 के प्रमाणित लेखें *(हिंदी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–2858/78]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई के वर्ष, 1976–77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–2859/78]

(2) उपर्युक्त (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–2860/78]

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र–मद्रास) और (उत्तरी क्षेत्र–चण्डीगढ) के वर्ष 1977–78 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास के वर्ष 1977–78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०)टी०–2861/78]

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास के वर्ष 1977–78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–2862/78]

(2) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र), चंड़ीगढ़ के वर्ष 1977–78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–2863/78]

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तरी क्षेत्र) चंदीगढ़ के वर्ष, 1977–78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–2864/78]

---

*लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण 28 अगस्त, 1978 को सभा पटल पर रखे गये थे।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्वात कड़ाह शर्करा (वैक्यूम पैन शुगर) के स्टाक पर प्रतिबन्ध के बारे में सा० सा० नि० 493 (ङ) जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

2) आई० एस०एस० मानक चीनी की बिक्री के बारे में सा०सां० नि० 500(ङ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–2865/78]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि राज्य सभा 23 नवम्बर, 1978 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 नवम्बर, 1978 को पास किये गये बोलानी ओर्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 1978 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(दो) मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने 24 नवम्बर, 1978 की अपनी बैठक में विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया है कि विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 108 वे सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाया जाये।"

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के अनेक भागों में कोयले की कमी का समाचार

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने के लिये उनसे अनुरोध करता हूं :—

देश के अनेक भागों में कोयले की कथित कमी, जिससे लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अन्य सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षण सूचनाएं दी है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। आपने 5 सदस्यों के बदले केवल 4 सदस्यों के नाम इसमें दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : निर्धारित समय में केवल चार नाम ही आये हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं देश में उपभोक्ताओं के पास कोयला पहुंचाने के प्रश्न पर माननीय सदस्यों की उत्कंठा और भावनाओं को भलीभांति समझ रहा हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि कुछ उपभोक्ता क्षेत्रों में कोयले की जो कमी है उसका महत्व किसी प्रकार के स्पष्टीकरण द्वारा कम किया जाए। हम इस समस्या के प्रति पूरी तरह जागरूक है और इस से निपटने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं।

हमें देश के कुछ भागों से विशेष कर औद्योगिक उपभोक्ताओं से कोयले की कमी के बारे में रिपोर्टें मिली हैं।

परन्तु जैसा कि मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं यह कमी लगभग पूरी तरह ईस्टर्न कोलफील्ड्स और भारत कोकिंग कोल लि० के उत्पादन में गिरावट आने के कारण हुई है। इन दोनों कम्पनियों के उत्पादन पर इस वर्ष सितम्बर और अक्टूबर में आए बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कोल इंडिया लि० में चार कोयला उत्पादक कंपनियां हैं। इसके अलावा सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० में और टा० आयरन एण्ड स्टील कं० तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० की ग्रहीत कोयला खानों में कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। सिंगरेनी कोलियरीज

कं० लि० में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के आधे से अधिक शेयर हैं। कोल इंडिया लि० की चार कोयला उत्पादक कम्पनियों में से दो पर बाढ़ का बहुत अधिक असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप ईस्टर्न कोल फील्डस लि० में इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक कोयले का उत्पादन 12.0 मिलियन टन हुआ है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 13.3 मिलियन टन हुआ था। भारत कोकिंग कोल लि० में इस वर्ष 10.6 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ जबकि पिछल वर्ष यह उत्पादन 11 मिलियन टन था। वेस्टर्न कोलफिल्डस् लि० में जहां बाढ़ नहीं आई और बिजली की सप्लाई की स्थिति ठीक रही, कोयले का उत्पादन अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में पिछले वर्ष के 12 मिलियिन टन की तुलना में बढ़कर 13.1 मि० टन हो गया। सेन्ट्रल कोलफिल्डस लि० में भी उत्पादन पिछले वर्ष के 10.7 मि० टन से बढ़कर इस वर्ष 11.6 मि० टन हो गया है। सिंगरेनी कोलियरीज कं० में इस वर्ष अप्रैल और मई में हुई हड़ताल के बावजूद कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष के 4.96 मि० टन की तुलना में बढ़कर 5.04 टन हो गया। ग्रहीत खानों के उत्पादन में इस वर्ष कुछ कमी आई है।

मुझे आशा है कि वेस्टर्न कोलफिल्डस लि0 सेंन्ट्रल कोलफिल्डस लि0 और सिगरेनी कोलियरीज कं० लि० अपना इस वर्ष का उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेगी। ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० भारत कोकिंग कोल लि० में संभव है कि उत्पादन लक्ष्य से कुछ कम हो। जैसा कि माननीय सदस्य गण जाते ही हैं कि देश में कोयले के उत्पादन की दर वर्ष के पहले आधे भाग में कम रहती है किन्तु अक्टूबर महीने से यह दर तेजी से बढ़ने लगती है। अतः ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में बाढ़ का प्रकोप ठीक उसी समय हुआ जबकि ये कंपनियां अपनी उत्पादन दर में काफी बड़ी वृद्धि करने की योजना बना चुकी थी। बाढ़ के ठीक पहले ही दैनिक उत्पादन को दर ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० लगभग 70,000 टन और भारत कोकिंग कोल लि० में 65,000 टन थी किन्तु यह दर बाढ़ के तुरन्त बाद घटकर 25,000 और 30,000 टन के बीच रह गई। यह दर अब फिर बढ़कर ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० म 68,000 टन और भारत कोकिंग कोल लि० में, 64,000 टन हो गई है। परन्तु यह दर उत्पादन के उस स्तर से कम है जो उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामान्य तथा होना चाहिए था। फिर भी, मुझे आशा है कि इन दो कम्पनियों में उत्पादन का स्तर दिसम्बर महीने तक सामान्य हो जाएगा। हम इन दोनों कम्पनियों के उत्पादन में हुई कमी को कुछ अंशों तक वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० सेन्ट्रल कोलफिड्स लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कं० के उत्पादन में कुछ और वृद्धि करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैंने जिन तथ्यों का उपर उल्लेख किया है उनके कारण कुछ वर्गों के उपभोक्ताओं को कोयले की कमी महसूस हो रही है। ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० के उत्पादन में हुई कमी के कारण अनेक औद्योगिक उपभोक्ताओं और रेलों को कोयले की सप्लाई कम हुई है। ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० देश में उच्च स्तर के स्टीम कोयले का सबसे बड़ा स्रोत है। यह कोयला उद्योगों के प्रयोग में आता है और उत्पादन में कमी के कारण उद्योगोंको इसकी सप्लाई में भी गिरावट आई है। इसी प्रकार भारत कोकिंग कोल लि० के उत्पादन में गिरावट होने के कारण इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई में कमी हुई है। हमने पिछले स्टाक से कोयला लेकर जहां तक संभव हुआ इस कमी के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया है। इस समय देश में कोयले का खान मुहाना स्टाक लगभग 10 मिलियन टन है। यद्यपि सभी ग्रेड़ों का कोयला तो स्टाक में उपलब्ध नहीं है फिर भी देश की अधिकांश आवश्यकताएं वर्तमान उत्पादन और पिछले स्टाक सें पूरी करना संभव हो जाएगा। सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लि० के पास 3 मिलयिन टन का स्टाक है इसमें से 2 मि० टन से ऊपर करनपुर क्षेत्र में उपलब्ध है। यह क्षेत्र बिजलीघरों, सीमेंट कारखानों, उद्योगों और रेलों को कोयला सप्लाई करता है। झरिया क्षेत्र बिजलीघरों और ईंट भट्ठों को स्लैक कोयले की सप्लाई का मुख्य स्रोत है और यहां हमारे पास स्टाक में 1.6 मि० टन माल है। सिगरेनी क्षेत्र सें दक्षिणी क्षेत्र की अधिकांश आश्यकता पूरी की जाती है और यहां हमारे पास 1.2 मिलियन टन का खान मुहाना स्टाक है। इन स्टाकों के कारण ही देश में कोयले की कमी कुछ सीमित इकाइयों तक ही सीमित रही है। यह कमियां अधिकांशतः उन्हीं इकाइयों को महसूस हुई हैं जो ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० पर निर्भर रहती है। उपभोक्ताओं की सप्लाई में कुछ कमी तो ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में उत्पादन में गिरावट के कारण हुई और कुछ कमी कोयला क्षेत्रों से उपभोक्ता केन्द्रों तक कोयला

[श्री पी० रामचन्द्रन]

पहुंचाने के संबंध म परिचालन संबंधी कठिनाईयों के कारण भी हुई है। हम सारी परिस्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं के पास तक खाँन मुहाना स्टाक सें कोयला यथा शीघ्र पहुंचाया जा सके ।

साफ्ट कोक मिलने में कुछ कमी महसूस की जा रही है। देश में 80% साफ्ट कोक का उत्पादन भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० में किया जाता है और इन दो कम्पनियों के उत्पादन में गिरावट का साफ्ट कोक के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा हैं। खानों से पानी निकालने और कोयले के उत्पादन के काम में प्रगति होने के साथ साथ साफ्ट कोक का उत्पादन भी बढ़ रहा है और दिसम्बर के अंत तक सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा। जहां तक हार्ड कोक का सवाल है कोक इंडिया लि० सप्लाई के स्रोतों में से केवल एक है। हार्ड कोक का उत्पादन इस वर्ष अक्टबर तक पिछल वर्ष के 3.78 लाख टन की तुलना में बढ़कर 4.15 लाख टन हो गया है।

अंत में, मैं यह बात कुछ जोर देकर कहना चाहूंगा कि हम ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० के उत्पादन में हुई गिरावट से उत्पन्न समास्याओं के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को बहुत कम कठिनाई महसूस हो। हम यह प्रयास भी कर रहे हैं कि ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि० सामान्यतया जिस प्रकार की सप्लाई करता है वैसा माल उन क्षेत्रों से भेजें जहां अपेक्षित ग्रेड का कोयला उपलब्ध है— यथा सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लि० और सगरेनी कोलयिरीज के० लि०। यद्यपि उत्पादन लक्ष्य की तुलना में देश में कोयले का उत्पादन 6 से 7 मिलियन टन कम होने का अनुमान है फिर भी हमें आशा है कि देश की कोयले की अधिकांश मांग पूरी की जाएगी।

श्री हरिकेश बहादुर : देश में कोयले का भारी संकट है और कोयला न तो घरेलू प्रयोजनों के लिये और न ही औद्योगिक प्रयोजनों के लिये ही प्रर्याप्त रूप से मिल रहा है। अनेक फाउंडरिया बन्द हो गई हैं और कुछ बड़े उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग भी बन्द होने जा रहे हैं। मंत्री जी बता रहे थे की गुजरात का एक बड़ा सीमेंट कारखाना कोयले की कमी के कारण बन्द होने वाला है। अन्ततः इससे औद्योगिक उत्पादन में रुकावट होगी और देश के लिये एक भारी समस्या खड़ी होगी।

अधिकारी बता रहे हैं कि बाढ़ आदि के कारण कोयले की अभाव है और वे सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन करने में असमर्थ है, परन्तु यह सच नहीं है। कोल इण्डिया लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लि० के अधिकारी भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वे गैर-जिम्मेदार तथा लापरवाह हो गये हैं। यह ठीक हो सकता है। बाढ़ के कारण क्षति के नाम पर वे केवल यह बता रहे हैं कि कोयले के उत्पादन में बाधा आई है और इसलिये कोयले की कमी है। यह सच नहीं है क्योंकि यदि वे समूचे मामले की जांच करते तो काफी हद तक संकट की समाधान हो सकता था।

दूसरी समस्या वितरण की है। कोयले का वितरण सरकार को स्वयं हाथों में लेना चाहिये ऐसा अनेक सदस्यों का विचार है क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो जमाखोरों तथा चोर बाजारियों की लोगों का शोषण करने का अवसर नहीं मिलेगा। आज उन्हें यह अवसर मिल रहा है और वे शोषण कर रहे हैं।

मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं : क्या सरकार निकट भविष्य में कोयले तथा कोक की वितरण प्रणाली को अपने हाथों में लेने का विचार रखती है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई समस्याओं के बारे में मेरा यह कहना है कि कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है। नवम्बर के माह में उत्पादन बढ़ा है। मुख्य समस्या औद्योगिक कोयला क्षेत्र में कमी की है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : साफ्ट कोक भी नहीं मिल रहा है।

श्री पी० रामचन्द्रन : मैंने अपने वक्तव्य में कमी के बारे में उल्लेख किया है। मैंने सच्चाई को छिपाय नहीं है। हमारे यहां मुहानों पर साफ्ट कोक का लगभग 80,000 मीटरी टन और हार्ड कोक का लगभग 1.21 लाख मीटरी टन का स्टाक है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : परन्तु उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है।

श्री पी० रामचन्द्रन : हो सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: क्या हो सकता है? माननीय सदस्य ने भी यह मामला उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर एक बहुत ही सक्रिय सदस्य है।

श्री पी० रामचन्द्रन : इस बात का उल्लेख करना सही नहीं हो सकता कि कम्पनी के अधिकारी लक्ष्यों तक पहुंचने में असफल हुए हैं, किन्तु कोयला के वितरण के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष कोयला वितरण के कार्य को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब होता यह है कि साफ्ट कोक तथा हार्ड कोक का वितरण राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत प्रवर्तकों के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से यह काम किया जा रहा है तथा स्लैक कोयला अनियंत्रित है। उदाहरण के लिए ईंट भट्टियों के मालिक इस तरह का जितना कोयला चाहे ले सकते हैं। केवल स्लैक कोयला अनियंत्रित रूप से बेचा जा सकता है। जहां तक साफ्ट तथा हार्ड कोयले का सम्बन्ध है, इसके लिए राज्य सरकारों की कुछ वितरण एजेंसियां होती हैं और केन्द्रीय सरकार का कोयला वितरण के कार्य को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत साठे। वह बैठे हुए नहीं हैं। श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमन माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया लम्बा वक्तव्य निराशाजनक है। इसमें, सच्चाई अधिक है। कोयला उद्योग का संकट यह नहीं है कि सप्लाई कम किया जा रहा है। यह संकट न्यूनाधिक रूप से वितरण प्रणाली में प्रतिबिंबित होता है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके अतिरिक्त वहां कदाचारों तथा कुव्यवस्था का बोलबाला है। यदि अनुमति हो तो मैं यह भी कह दूं कि इस स्थिति के लिए कुछ षडयंत्रकारी भी जिम्मेदार हैं। कोयला के क्षेत्र में पूर्ण अव्यवस्था है। यह उत्पादन का संकट नहीं है। मांग तथा पूर्ति में कोई अंतर नहीं है। स्टेटस्मैन ने कुछ दिन पूर्व 20 नवम्बर, 1978 को अपने संपादकीय में जो कुछ लिखा है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं :—

> "उत्पादन अनुमानतः 112 मिलियन टन का हुआ है और कोयला खानों के पास लगभग 10 मिलियन टन कोयला पड़ा हुआ है। इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी यह संकट चल रहा है।"

स्टेटसमैन इस अच्छी स्थिति बता रहा है क्योंकि आजकल अनुमानित मांग 112 मिलियन से 115 मिलियन टन के बीच है। अतः स्थिति संतोषजनक है, किन्तु मांग के अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही है। मैं केवल एक या दो उदाहरण दूंगा कि कोयले की अनियमित सप्लाई के कारण हमारे देश में इस्पात उद्योग किस तरह प्रभावित हो रहा है। इस वर्ष अक्टूबर में स्टील अथारिटी आफ इंडिया के अधीन एककों ने अपना उत्पादन लगभग 25 प्रतिशत कम कर दिया क्योंकि 42 हजार टन की तुलना में कोककारी कोयले की सप्लाई 36 हजार टन से अधिक नहीं थी।

भिलाई, टिस्को तथा आई० आई० एस० कम्पनी में स्थिति खराब हो गई क्योंकि इन्हें अपेक्षित मात्रा में कोयले की सप्लाई नहीं की गई। इस तरह से इस्पात उद्योग को हानि हुई और सरकार ने एक मिलियन साफ्ट कोक / कोककारी कोयला आयात करने का निर्णय किया है ताकि इस्पात उद्योग कार्य करता रहे। यह कोयला सरकार को अधिक मूल्य पर आयात करना पड़ेगा जबकि देश में इसका मूल्य कम है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आज हमारे इस्पात उद्योग में लगभग 17 मिलियन टन कोयले की खपत होती है। इस्पात उद्योग के अतिरिक्त उद्योग के अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों को भी हानि हो रही है। यद्यपि कुछ कोयला उत्पादन का 85 प्रतिशत इन प्राथमिकता क्षेत्रों को दे दिया जाता है। कुव्यवस्था के कारण उन्हें हानि हो रही है और उद्योगों के सभी प्राथमिकता क्षेत्रों में उत्पादन में हानि हुई है। यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो 6 मिलियन आंतरिक उपभोक्ता . . .

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यक्तव्य छोटा होना चाहिए।

श्री चित्त बसु : उनका वक्तव्य बड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह अर्थ नहीं है कि आपका वक्तव्य भी विस्तृत हो। आपको संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहिए।

श्री चित्त बसु : यदि उन्होंने संक्षिप्त विवरण दिया होता तो मैं भी संक्षिप्त वक्तव्य देता। आप जानते हैं कि 6 मिलियन आंतरिक उपभोक्ताओं तथा 20,000 छोटे औद्योगिक एककों को कठिनाई हो रही है। आजकल कैसी वितरण प्रणाली चल रही है? बिक्री तथा वितरण का काम विचौलियों द्वारा किया जा रहा है। कोयले का उत्पादन करने तथा विभिन्न उद्योगों को कोटा देने का काम कोयला उद्योग का है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपको उदाहरण नहीं देना चाहिए।

श्री चित्त बसु : यही तो समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आईये।

श्री चित्त बसु : समस्या यह है कि समूची विवरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर संगठित रुप से धोखेबाजी चल रही है जिसमें उच्च आधकारी, राज्यों के मंत्री, रेल अधिकारी तथा स्थानीय राजनीतिक भी सम्मिलित हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूगा। इतना ही नहीं बल्कि इसमें बी०सी०सी०एल० तथा सी०आई०एल० के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। कई वित्त पोषक हैं जो रिश्वत आदि देते है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न पर बोलिए।

श्री चित्त बसु : मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी भी अपने प्रश्न पर नहीं आ रहे हैं। आप प्रश्न पर बोलिए।

श्री चित्त बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि धोखाघड़ी करने वालों के कारण एस० सी० सी० एल० तथा सी० आई० एल० द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित कोयला काले बाजार में 300 रुपये प्रति टन से बेचा जा रहा है जबकि सरकारी मूल्य केवल 70 रुपये प्रति टन है? इस षड़यंत्र के फलस्वरूप गत वर्ष सहित इन वर्षों में सी०आई०एल० को 370 करोड़ रुपये का घाटा हो गया है। क्या यह सही नहीं है कि इस समूचे उद्योग को 145 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है। **(व्यवधान)**

क्या उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया जायेगा? क्या त्रुटियों को दूर करने के लिए वितरण प्रणाली को युक्तियुक्त पूर्ण किया जायेगा? क्या कोयले का बड़ा भंडार तैयार किया जायेगा? क्या इस धोखाघड़ी की गहराई से जांच की जायगी।

श्री पी० रामचन्द्रन्: श्रीमान माननीय सदस्य ने लम्बा भाषण दे दिया है। और कोयले की कथित कमी के बारे में उत्तेजित हो रहे हैं। अधिकांश आलोचना वितरण प्रणाली के बारे में की गई है। जहां तक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार तथा सी०आई०एल० का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह काम राज्य सरकारों अथवा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। हमने देश के किसी भी भाग में कोयला बेचने के लिए किसी ऐजेन्ट की नियुक्ति नहीं की है। कोयला विभाग की एक ही जिम्मेदारी है कि वह कोयला खानों पर पड़े कोयले का संविधि मूल्य निर्धारित करता है और राज्यों में कोयले का नियंत्रित मूल्य है। कोयले का फुटकर मूल्य निर्धारित करना राज्य सरकारो का काम है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारें पूरी तरह सक्षम हैं। **(व्यवधान)** इसमें किसी प्रकार की धोखाघड़ी नहीं चल रही है। **(व्यवधान)**

माननीय सदस्य ने राज्य सरकारों के मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। मैं उनका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि न तो वहां के मंत्री और ना ही वहां के अधिकारी यहां उपस्थित हैं। यदि कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया गया तो हम अवश्य ही कार्यवाही करेंगे।

श्रीमन जहां तक मांग का सम्बन्ध है, देश में पुनः अनुमानित मांग केवल 109 मिलियन टन होगी, जिसके लिए पर्याप्त उत्पादन किया जा रहा है। अतः वह मांग पूरी कर ली जायेगी। किन्तु यदि वितरण की कोई समस्या है तो उसका समाधान करना राज्य सरकारों का काम है। इसके अतिरिक्त कोयले की स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने बतायी है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि कोल की प्राडक्शन ठीक हो रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंन्टस् के हाथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है—वह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर गवर्नमेंवट आफ इण्डिया की अण्डरटेकिंग सारे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है और इस वक्त यहां पर जो कोल-शार्टेज है—शायद दिल्ली के इतिहास में इतना वर्स्ट-क्राइसिस कभी नहीं हुआ। दिल्ली क अन्दर 1500 वैगन्ज साफ्ट कोक हर महीने चाहिये, नवम्बर के महीने में अब तक सिर्फ 390 वैगन्ज आई है, इस का मतलब है कि 1500 वैगन्ज की जरूरत है, लेकिन सिफ 25 परसेन्ट सोफ्ट

कोक दिल्ली में आ रहा है । दिल्ली में जितना गरीब आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी है, तकरीबन सोफ्ट कोक पर गुजारा करता है। दिल्ली की लगभग 40 लाख की आबादी इस सोफ्ट कोयले का इस्तेमाल करती है। आजकल न उनको गैस मिल रही है और न उनको जलाने के लिए कोई और चीज मिल रही है। दिल्ली में चार गुणा से ज्यादा कोयले में ब्लेक मार्किटिंग हो रही है । जब डिस्ट्रिब्युशन करने वाली और कोयला लाने वाली गवर्नमेंट की अपनी एजेन्सी है तो फिर दिल्ली में कोयले की शार्टेज क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय, हार्ड कोक के 525 वेगन यहां हर महीने आने चाहिए । उसकी जगह अक्टूबर में यहां 70 वेगन आये और नवम्बर के महीने में एक भी वेगन नहीं आया—नाट ए सिंगल वेगन । इस की वजह से दिल्ली की सारी फाऊण्डरीज बंद हो गयी है, एक भी काम नही कर रही है । जहां तक स्टीम कोल का ताल्लुक है, उस के 640 वेगंस आने चाहिए थे, लेकिन आ रहे हैं 200 वेगन । स्लेक कोल के हर महीने यहां पर 45 रेक्स आन चाहिए थे लेकिन जनवरी से अक्टूबर तक के महीनों में केवल 4.5 रेक्स आये । इस तरह से दिल्ली के अन्दर उसकी खपत का 25 परसेंट कोयला नहीं पहुंच रहा है।

दिल्ली में कोयला लाने वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड भारत की अपनी एजेन्सी है, फिर यह हालत है। जब प्रोडक्शन ठीक है तो फिर क्या वजह है कि दिल्ली में कोयले का इतना भयंकर अकाल है ? लोगों को कोयला नहीं मिल रहा है और उसमें यहां ब्लेक मार्किटिंग हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि कोई रेकिटियरिंग नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जरूर रेकिटियरिंग है। स्टेट गवर्नमेंट जिन प्राइवेट लोगों को कोयला लाने के लिए स्पोन्सर करती है, वे लोग वहां से कोयला ला रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट एजेन्सी को इस के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है । प्राइवेट लोग पैसा दे कर के, रिश्वत दे कर के कोयला ले आते हैं और गवर्नमेंट एजेन्सी नहीं ला पाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे है ?

अब आपको मालूम है कि हर साल यहां बाढ़ आती है, हर साल सर्दियों के महीनों में यहां इतनी भारी ब्लेक मार्किटिंग होती है तो मिनिस्टर साहब क्यों नहीं इस बारे में पहले से कदम उठात जिससे कि इस शार्टेज को रोका जा सके, इस सिचुएशन से दिल्ली को बचाया जा सके । आप कहते हैं कि आप के पास स्टाक की कमी नहीं है और न वेगंस की कमी है ।

श्री पी० रामचन्द्रन् : मैं स्वीकार करता हूं कि दिल्ली की सभी मांगे पूरी नहीं की गई । अपने वक्तव्य में भी मैंने स्पष्ट किया कि साफ्ट कोक और हार्ड कोक के उत्पादन में कमी आई है ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : यह कमी 25 प्रतिशत नहीं है।

श्री पी० रामचन्द्रन् : जब महानगर परिषद के कार्यकारी परिषद हाल ही में मुझे मिले कि दिल्ली के लिए रैक लादे जा रहें हैं और हम रेलवे के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। साफ्ट कोक और हार्ड कोक की समस्या का पृथक पृथक अध्ययन किया जायेगा ।

कोयले की कोई कोई कमी नहीं है

कुछ स्थानों पर माल भेजने की समस्याएं हैं।

सभी जगह उपलब्ध है।

अगले 2–3 सप्ताह में हम रेलवे के साथ मिल कर इन मामलों का अध्ययन करेंगे ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : सरकारी ऐजेंसियों को वरीयता दी जानी चाहिए।

भारतीय रुपये और रूबल के बीच विनिमय दर निर्धारित करने के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : रुपए और रुबल के बीच विनिमय दर सन 1966 से 8.333 रु० = 1 रुबल रही है। यह दर उस समय दोनों मुद्राओं के स्वर्ण अंश को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी। पिछले कुछ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जगत में विनिमय दरों की जो अस्थिरता रही है और सोने का अनुवर्ती विमुद्रीकरण हुआ है उसके कारण विभिन्न मुद्राओं के स्वर्ण अंश अधिकाधिक असंगत होते गए हैं । 20 दिसम्बर 1971 को स्मिथसोनियन करार के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब रुपए और पौंड स्टर्लिंग की विनिमय दर 18.9677 रु० = 1 पौंड स्टर्लिंग घोषित की गई तो उसके तुरंत बाद ही

[श्री एच० एम० पटेल]

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के स्टेट बैंक (गोसबैंक) ने 1 रूबल = 8.78 रु० की तथाकथित सरकारी विनिमय 'दर' घोषित कर दी। तबसे गोसबैंक समय समय पर इस दर में परिवर्तन घोषित करता रहा है और इस समय यह 1 रूबल = 11.76 रु० है। तथापि यह दर केवल गैर-वाणिज्यिक लेन देनों पर ही लागू होती है।

जून 1974 में, सोवियत प्राधिकारियों ने सोवियत ऋणों की वापसी अदायगी और भारत और सोवियत संघ के बीच हुए वाणिज्यिक लेन देनों के निपटारे के लिए दोनों मुद्राओं के बीच एक अधिक यथार्थतापूर्ण विनिमय दर स्थापित करने का सवाल उठाया। उनका कहना था कि 8.333 रु० = 1 रुबल की दर के कारण सन् 1972 से सोवियत संघ को हानि उठानी पड़ रही है और इस हानि की पूर्ति करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

रुपए और रुबल के बीच नई विनिमय दर स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार के बीच सन् 1975 से बातचीत चल रही है। सोवियत पक्ष ने प्रारम्भ में यह कहा था कि रुबल और रुपए के बीच गोसबैंक द्वारा समय समय पर घोषित विनिमय दर को सोवियत ऋणों की वापसी अदायगी और वाणिज्यिक लेनदेनों के निपटारे के लिए भी अपनाया जा सकता है। भारतीय पक्ष का विचार यह था कि चूंकि रुपया और रुबल दोनों अपरिवर्तनीय मुद्राएं हैं इसलिए नई विनिमय दर दोनों पक्षों के द्वारा सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से तय की जानी चाहिए। भारतीय पक्ष का यह भी कहना था कि नई विनिमय दर अपनाने से सोवियत ऋणों की वापसी अदायगी के मामले में भारत को अतिरिक्त देनदारियों का बोझ न उठाना पड़े और यदि उठाना ही पड़े तो वह कम से कम हो।

काफी लम्बी बातचीत के बाद, भारत सरकार और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार ने 25 नवम्बर, 1978 को एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए जिसकी मुख्य बातें ये हैं :

(i) इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और भारत गणराज्य के बीच रुबलों में निर्दिष्ट सभी मौजूदा और बाकी ऋण करारों तथा वाणिज्यिक लेनदेनों के निपटारे के मामले में प्रति रूबल दस रुपए की विनिमय दर लागू होगी।

यह विनिमय दर गैर-वाणिज्यिक लेनदेनों पर लागू नहीं होगी जिनका सम्बन्ध अनन्य रूप से सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ में स्थित भारत के राजदूतावास और अन्य भारतीय संगठनों के अनुरक्षण व्यय, परिवार के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के बीच भेजी गई रकमों तथा सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों और भारतीय शिष्टमंडलों के लेनदेनों से होता है।

(ii) इस नई विनिमय दर में, करेंसियों की एक विशिष्ट बक्केट के प्रति रुपए के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप, समय-समय पर समायोजन किया जाएगा। यह समयोजन जो ऊपर या नीचे की ओर भी हो सकता है, तभी किया जाएगा जब ये परिवर्तन ऊपर या नीचे किसी भी ओर 3 प्रतिशत से अधिक होंगे।

(iii) प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख तक पुराने और मौजूदा ऋण करारों के सम्बन्ध में पुरानी विनिमय दर के अनुसार की गई वापसी-अदायगियों को पूर्णतः निपटाई गई माना जाएगा। लेकिन, 1 जानवरी, 1976 को या उसके बाद किए गए उन ऋण करारों के सम्बन्ध में, जिनमें यह विशिष्ट खंड जुड़ा हों कि बाद में दोनों सरकारों के बीच परस्पर सहमति से नई विनिमय दर तय किए जाने की सूरत में नई विनिमय दर लागू होगी, उन करारों के किए जाने की तारीख से यह नई विनिमय दर जो अब तय की गई हैं, लागू होंगी।

(iv) मौजूदा ऋणों के अन्तर्गत, प्रोतोकोल की तारीख तक सप्लाई किए गए सामान और प्रदान की गई सेवाओं पर नई विनिमय दर लागू होने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली अतिरिक्त देनदारियों को 45-वर्षीय ब्याज मुक्त आस्थगित अदायगी की सुविधा में बदल दिया जाएगा जो सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ द्वारा दी जाएगी।

(v) भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों और सोवियत संगठनों के बीच इस प्रोतोकोल की तारीख से पहले किए गए उन संविदाओं के बारे में, जिनमें स्वर्ण समता खण्ड समाविष्ट हो, या जिनकी राशि रुबलों में निर्दिष्ट हो, इस प्रोतोकोल के उपबंधों का लागू होना संविदाकारी पक्षों के बीच परस्पर सहमति पर निर्भर करेगा।

यह भी तय हुआ है कि प्रोतोकोल का तात्पर्य यह नहीं है कि भविष्य में सभी ऋण और वाणिज्यिक लेनदेन आवश्यक रुप से रूबलों में ही निर्दिष्ट किए जाएं और यह इरादा भी नहीं है कि भारत और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के बीच अदायगियों की वर्तमान परिपाटियों को बदला जाए जिसके अनुसार वाणिज्यिक लेनदेनों का निपटारा और ऋणों की वापसी अदायगियां भारतीय माल के निर्यात द्वारा भारतीय रुपयों में की जाती हैं।

भारत सरकार के विचार में प्रोतोकोल के उपबन्ध न्यायसंगत हैं और दोनोंपक्षों के बीच उचित समझौते के द्योतक हैं। नई विनिमय दर दोनों मुद्राओं के बीच एक युक्तिसंगत समायोजन है क्योंकि रुपए और अन्य बड़ी मुद्राओं के बीच भी समायोजन किए गए है। प्रोतोंकोल में, भविष्य में विनिमय दर में समायोजन करने के लिए परस्तर सम्मत एक ऐसी अन्तर्निहित व्यवस्था भी मौजूद है जिससे इस मामले में आगे उठने वाले विवादों से बचा जा सकेगा। सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज-मुक्त 45-वर्षीय आस्थगित अदायगी की सुविधा में लगभग 85 प्रतिशत अनुदान का तत्व शामिल है। मौजूदा सोवियत ऋणों की भविष्य में की जाने वाली वापसी अदायगियों पर नई विनिमय दर लगाने से जो अतिरिक्त देनदारियां पैदा होंगी उनका लगभग दो तिहाई भाग इस सुविधा से पूरा हो जाएगा। परस्पर सम्मत प्रोतोकोल की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि पहले के सोवियत ऋण करारों के संबंध में 1 रूबल= 8.333 रुपए की पुरानी विनिमय दर के अनुसार की गई वापसी अदायगियों को अन्तिम रूप से निपटाई गई माना जाएगा और इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त देनदारी पैदा नहीं होगी।

भारत सरकार को आशा है कि इस प्रोतोकोल से दोनों देशों के बीच व्यापार का प्रवाह अधिक सुचारू हो जाएगा और आर्थिक सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा।

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ परिस्थितियों में कुछ चीनी उपक्रमों का लोकहित में अस्थायी प्रबन्ध ग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर दो आपत्तियां हैं। श्री एडुआर्डो फैलीरो।

श्री एडुआर्डो फेलीरे (मारमोगोआ) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें 3 वर्ष से कम के लिए सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण की व्यवस्था की जा रही है। इस अवधि में सरकार इन मिलों को स्वस्थ्य बनाने के लिए करोड़ों रुपए झोंक देगी और ये मिलें चीनी लाबी के व्यक्तियों की बनी रहेगी। इससे क्या होगा? जो लोग अपने दायित्व में विफल रहे हैं उन्हें तीन वर्ष पश्चात् स्वस्थ्य मिले मिल जायेंगी। सरकार उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में भी धन दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप संशोधन रख सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फेलीरो : इसका एक विकल्प है। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण। या तो आप इनका राष्ट्रीयकरण करें अथवा इन्हीं सहकारी क्षेत्र को सौंप दें। प्रस्तावित व्यवस्था अच्छी नहीं है। यह केवल चीनी के बड़े उद्योगपतियों क हित में हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ परिस्थितियों में कुछ चीनी उपक्रमों का लोकहित में अस्थाई प्रबन्ध ग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं। और आपकी अनुमति से मैं सभा को सूचित करता हूं कि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1978 के खण्ड 8 के उप-खण्ड (2) जोकि व्यय से संबद्ध है मोटे अक्षरों में प्रकाशित नहीं हुआ बेशक वित्तीय ज्ञापन में उप–खण्ड (2) का उल्लेख है। विधेयक के अन्य ऐसे उपबन्ध जिनका वित्तीय प्रभाव है मोटे अक्षरों में प्रकाशित किये गये हैं।

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 के बारे में वक्तव्य

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2866/78]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सरकार द्वारा धान का वसूली मूल्य कम निर्धारित करने का समाचार

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तुर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्न मामला रखना चाहता हूं :

सरकार द्वारा धान की बहुत कम मूल्य निर्धारित किए जाने से किसानों को अत्यधिक घाटा हो रहा है। सरकार ने 100 रुपये से अधिक प्रति क्विंटल धान का मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी राज्य सरकारों की सिफारिश स्वीकार नहीं की और इसके विपरीत 85 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है। भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब और हरियाणा राज्यों में धान खरीदना बन्द कर दिया है। और आंध्र प्रदेश में नये क्रय केन्द्र खालने भी बन्द कर दिए हैं। इससे धान उत्पादकों को अत्यधिक कठिनाई और अत्यन्त आर्थिक घाटा हो रहा है। सरकार को इन राज्यों में सारा फालतू धान खरीद लेना चाहिए।

(दो) आसाम राज्य के बारपेटा सब-डिवीजन में बंगलादेश के नागरिकों द्वारा आरक्षित भूमि पर कब्जा करने का समाचार

श्री इस्माइल हुसेन खां (बारपेटा) : मैं नियम 377 के अधीन निम्न मामला सभा में रखना चाहता हूं :

में गृह मंत्री महोदय का ध्यान 12-11-78 के स्थानी 'दैनिक असम' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक कांग्रेस नेता ने असम राज्य के बारपेटा सब-डिवीजन के अंतर्गत गोबिन्दपुर में आरक्षित भूमि पर कब्जा करने के लिए बंगलादेश राष्ट्रिकों को प्ररित किया है। उसमें यह भी बताया गया है कि हजारों घुसपैठियों ने बारपेटा सब-डिवीजन के कोनेश चसरा तथा सिलोसी में आरक्षित भूमि पर कब्जा कर लिया है और वे दावा करत हैं कि वे नदी के कटाव सें प्रभावित है। इस समाचार ने नदी के कटाव से प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भारी चिंता पैदा हो गयी है। मेरी जानकारी के अनुसार लाखों लोग प्रतिवर्ष बेघर हो जाते हैं। उनमें से 90 प्रतिशत अल्प संख्यक समुदाय के है। यह सच है कि कई वर्षों से सरकार असाम के नदी कटाव से प्रभावित व्यक्तियों की समस्या सुलझाने में विफल रही है। परिणाम स्वरूप हजारों लोगों ने लोक निर्माण विभाग की सड़कों अथवा किनारों पर शरण ली। ये सभी भारतीय नागरिक हैं। असाम ऐसा राज्य है जहां शान्ति पूर्ण सहअस्तित्व है तथा सभी समुदायों के लोगों में तालमेल है। नदी कटाव सें प्रभावित अल्पसंख्यक लोगों में इस समाचार सें भारी चिन्ता पैदा हो गई है क्योंकि एक वर्ग सदा भोले भाले लोगों में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। बंगाला देश के निवासियों को भारत की भूमि से निकालने पर किसी को भी आपत्ति नहीं है। परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि निर्दोष भारतीयों को बंगलादेश के घुसपैठियों के नाम पर तंग किया जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि इस मामले की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाये ताकि निर्दोष जनता को अनुचित रूप सें तंग न किया जाये। राज्य सरकार को आसाम के विशेषत: बारपेटा के नदी कटाव से पीड़ित लोगों की समस्याओं का स्थाई हल निकालने को कहा जाये।

(तीन) चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रा की सप्लाई में तीव्र वृद्धि

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ) : मैं आपकी अनुमति सें नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

वर्तमान वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में मुद्रा आपूर्ति में तेजी से वृद्धि हुई जोकि 7.7 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये कुल ऋण में वृद्धि इसके परिणामस्वरूप हुए घाटे की व्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी मुद्रा में वृद्धि इस स्थिति के मुख्य कारण हैं। बैंकों में मांग जमा में तेजी सें वृद्धि सें गड़बड़ी पैदा हुई है। सीमेंट, इस्पात, कोयला और सोड़ा ऐश में कमी के कारण सट्टेबाजी के लिए खरीदारी हुई है और कीमतें अवांछित तरीके से और आगे बढ़ी हैं। इसलिए पूरी स्थिति की समीक्षा करना और बाजार में गड़बड़ी पैदा करने वाले व्यापारियों पर अंकुश लगाना सरकार के लिए बहुत जरूरी है।

(चार) **असामयिक वर्षा के कारण गुजरात राज्य के सुरेन्द्रनगर जिले में नमक मजदूरों की कठिनाइयों का समाचार**

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर) : नियम 377 के अधीन मैं निम्न मामला उठाना चाहता हूं। गत 10 दिनों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण दसादा तालुका के पटरी–खुराघोडा झिमुवाडा और घारंगधर तालुक के कुन्दा–हलवाड़ क्षेत्र के नमक श्रमिकों कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा है । कच्छ के रेगिस्तान में बाढ़ के कारण यह कठिनाई और भी बढ़ गई है। उनमें भुखमरी, बीमारी, आदि फैल गई है तथा अत्यधिक जानमाल की हानि हुई है ।

12000 श्रमिकों में से 6–7 हजार लोग रेगिस्तान में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं सकते। उन्हें हेलीकोप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा है। 5000 परिवारों के घर का सब सामान नष्ट हो गया है और इस प्रकार लगभग 12 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। नमक के क्षेत्रों में 80 से 100 लाख की हानि हुई है। इस प्रकार कुल हानि 110 लाख रुपये के लगभग हुई। इसके अतिरिक्त 5000 लोगों को 10 दिन तक भूखा रहना पड़ा क्योंकि नमक निर्माता रेलवे स्टेशन के 30 कि०मी० के घेरे में नहीं जा सकते। वहां 10 मील तक हिन्दुस्तान साल्ट लि० का एकाधिकार है, जो नमक का उत्पादन न के बराबर करता है। इस एकाधिकार से अनेको नमक निर्माताओं की बड़ी हानि होती है। राज्य सरकार हानि के 2 प्रतिशत की सहायत देती है जबकि अनेकों वर्षों सें वह शुल्क वसूल कर रही है । अतः केन्द्र सरकार सें अनुरोध है कि वह तुरन्त 50 लाख रुपये सहायता के रूप में दे। हिन्दुस्तान साल्ट लि० के एकाधिकार को समाप्त किया जाए और उस क्षेत्र में सहकारी निर्माताओं को अवसर दिया जाए। वहां सड़कें और पीने के पानी के लिए नलकूप बनवाए जाए। इस काम को तुरंत हाथ में लिया जाए।

(पांच) **एरनाकुलम सें अलेप्पी (केरल) तक बड़ी रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता**

श्री वी० एम० सुधीरन (अलेप्पी) : नियम 377 के अधीन मैं केरल में एरणाकुलम से एलप्पी तक बड़ी रेलवे लाइन बनाने की लोगों की मांग की ओर सरकार का ध्यान खिचना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में राज्य के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

यद्यपि इस लाइन को बनाने का प्रस्ताव 1954 से मंत्रालय और योजना के समक्ष विचाराधीन है परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इससे केरल के इस औद्योगिक क्षेत्र पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

इस पर केवल 4.5 करोड़ रुपया खर्च होगा और वह भी 3 वर्ष में। जबकि आय 18.4 प्रतिशत होने की आशा है। यदि उद्योगों की स्थापना होने पर बढ़ने वाले यातायात को ध्यान में रखा जाए उसके 21 प्रतिशत तक होने की आशा है ।

केरल सरकार योजना आयोग सें पत्राचार कर रही है तथा उसने समस्त स्पष्टीकरण दे दिए है। अच्छी आय की आशा के बावजूद इस लाइन के 1978–79 के बजट में शामिल न किए जाने के कारण केरलवासी असंतुष्ट हैं। रोजगार प्रधान उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देने की सरकार की दृष्टि सें मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस लाइन के शीघ्र पूरा होने सें वह स्थापित 20 करोड़ के तीन सरकारी उद्योगों में 3000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इन उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन अर्जित की जा चुकी है और प्रारम्भिक व्यय हो चुका है। यह सब इस आशा सें किया गया है कि यह लाइन शीघ्र बन जाएगी, जिसके अभाव में इन उद्योगों का भविश्य अन्धकारमय है। इन उद्योगों के भवनों के निर्माण और भारी मशीनें लगाने के लिए भी इस लाइन का होना आवश्यक है, जिससें यह भारी साज-सामान ढोया जा सके। इस क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। जिनमें बड़ी संख्या में केरल के युवकों को रोजगार मिलेगा ।

राज्य सरकार और लोगों तथा केरल के संसद के सदस्यों के बार बार अपील करने पर भी रेल मंत्रालय ने अब तक उनकी इस लाइन की मांग को पूरा नहीं किया है। उन्होंने जानबूझकर उसे योजना आयोग को सौंप दिया है जिससे और विलम्ब हो। मैं जानता हूं कि इससे कहीं अधिक खर्चीले और कम लाभ वाली परियोजनाओं को स्वीकार किया जा चुका है जबकि यह दबी पड़ी है। इसी कारण केरल की जनता ने इस लाइन की शीघ्र पूर्ति की अपनी मांग पर जोर देने के लिए 29 नवम्बर, 1978 से कुछ कदम उठाने का निर्णय किया है ।

[श्री व्ही० एम० सुधीरन]

आशा है, सदन मेरे इस सब कहने के पीछे क्या भावना है इसे समझेगा। मैं प्रधान मंत्री और रेल मंत्री से 4 करोड़ लोगों की इस पुरानी मांग को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : सदस्य के यह वक्तव्य देने के पहले केरल के सभी संसद सदस्य, फिर चाहे वे किसी दल के हों, मुझसें मिले थे। मैंने उन्हें बताया था कि रेल मंत्रालय इस मामलें पर विचार कर रहा है।

आपको स्मरण होगा कि 21 तारीख को मैंने एक तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया था। क्योंकि यह सदन में पेश नहीं हो सका, उसका उत्तर सभा-पटल पर रख दिया गया था। मैंने उसमें स्पष्ट किया था कि मैं इस सम्बन्ध में केरल के लोगों की भावना से परिचित हूं और हम योजना आयोग के परामर्श से इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। मैंने बताया है कि इस दिशा में हमने पर्याप्त प्रगति की है।

यह सच है कि इस लाइन पर केवल 4.08 करोड़ रुपया लगेगा परन्तु जमीन और स्लीपर केरल सरकार द्वारा मुफ्त दिए जाने के कारण इस पर केवल 4.55 करोड़ रुपया ही व्यय होगा। इससे आय भी पर्याप्त होगी और विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। इस प्रकार सभी दृष्टि से यह एक उपयोगी प्रस्ताव है।

हम इस सम्बन्ध में योजना आयोग से बात कर रहे हैं। उसमें प्रगति भी हुई है। महा प्रबन्धकों के साथ चर्चा हुई है और अगले वर्ष के लिए हमने अपना कार्यक्रम बना लिया है। योजना आयोग पर हम दबाव डाल रहे हैं। इसे कृपया हम पर छोड़ दें। (व्यवधान)

हमने इस सम्बन्ध में प्रगति की है। प्रधान मंत्री ने भी इस प्रस्ताव पर सहानुभूति बरतने को कहा है। हम इस पर कार्य करेंगे और मैं सदस्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कोई सीधी कार्रवाई न करें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरे अनुरोध उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2—10 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बाल नियोजन (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन रवीन्द्र वर्मा द्वारा 22 नवम्बर, 1978 को पेश किए गए निम्न लिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगा :—

"कि बाल नियोजन अधिनियम, 1938 में और आगे संशोधन करने वाले निधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : जहां तक विधेयक के उपबन्धों का प्रश्न है उस पर कोई विवाद नहीं है, परन्तु मंत्री महोदय ने बाल नियोजन पर समग्र रूप से विचार नहीं किया है। नीति में परिवर्तन कर इसें आय के बजाय शैक्षणिक बनाया जाए। विधेयक में शिक्षा दिए जाने से सम्बन्धित कोई उपबन्ध नहीं है। यदि 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों कों काम पर लगाया जा सकता है तो फिर उससे कम आयु वालों का क्या होगा? उन्हें स्कूल भेजा जाना चाहिए। परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन कें अनुसार बाल श्रमिकों की प्रतिशतता बढ़ रही है। वह जबकि 1951 में 4 प्रतिशत थी, 1956 में यह 7 प्रतिशत थी और 1961 में 8 प्रतिशत। इसका अर्थ हुआ 8 प्रतिशत बच्चे निरक्षर रह गए।

विधेयक में नियोजन को दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। परन्तु ऐसा करने पर बच्चे का क्या होगा? क्या उसें स्कूल भेजा जाएगा और शिक्षा दी जाएगी। लगता है केवल अनुच्छेद 24 को ध्यान में रखा गया है और अनुच्छेद 39(च) और 45 की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रसन्नता है कि इस सरकार ने और इन्दिरा सरकार ने भी अनुच्छेद 39(च) को स्वीकार किया है। परन्तु विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जिससे बच्चे को विकास के लिए सम्मान के साथ स्वतंत्रता अवसर और सुविधाएं मिल सकें। परन्तु शिक्षा की व्यवस्था किए बिना बच्चों को रोजगार से हटाना मात्र दिखावा होगा।

राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार बच्चों में शिक्षा घटती जा रही है। बच्चों को नौकरियों में बमाए रखा जा रहा है। ऐसा होने पर उनके लिए कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए विशेष उपाबन्ध रखा जाना चाहिये। अतः मैं अपील करता हूं कि सरकार को "पड़ते समय कमाना" की नीति का अनुसरण करना चाहिए। जब 15 वर्ष से ऊपर की आयु का लड़का कमा सकता है तो उनकी शिक्षा का भी उपबन्ध रखा जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : प्रारम्भ में ही मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। क्योंकि बाल नियोजन सम्बन्धी बातों को अपने क्षेत्र में लाने का यह सही कदम है। लेकिन दुर्भाग्यवश विधेयक केवल संगठित क्षेत्र के कुछ विशिष्ट कार्यों में बाल नियोजन तक ही सीमित है। इस में असंगठित क्षेत्र को पूरी तरह ही छोड़ दिया गया है। जबकि वहां पर बाल नियोजन बहुतायत में है। हमें आशा है कि निश्चित आयु से नीचे के बाल श्रम को रोकने के लिए, तथा जो बाल श्रमिकों का शोषण करते हैं उनके लिए दण्डीय उपाय करने के लिये एक विस्तृत विधेयक लायेंगे।

बाल नियोजन अधिनियम ठीक 40 वर्ष पूर्व 1938 मे लाग् किया गया था जिसका बहुत सीमित ही क्षेत्र था। इसके अलावा और भी कई अधिनियम हैं, जैसे फैक्टरी अधिनियम, दूकान और संस्थान अधिनियम तथा बागान श्रम अधिनियम, इत्यादि जिसमे बाल नियोजन के लिये न्यूनतम आयु के बारे मे बताया गया है तथा उसके बारे में उपचारात्मक उपायों को भी दिया गया है। (लेकिन इन सभी उपचारात्मक उपायों के बावजूद, हमारे देश मे जीवनयापन के लिये रोजगार को ढूंढने वाले बच्चों की संख्या 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 10.7 मिलियन से बहुत अधिक है, और मुझे विश्वास है कि यह आंकड़ें पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, ग्रामीण इलाकों मे बाल श्रमिकों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहां पर वे केवल खाने तथा कपड़ों के लिये ही घरेलू नौकरों के रुप मे कार्य करते हैं। अगर बाल श्रम के इस भाग को भी ध्यान मे रखा जाये तो आंकड़े पर्याप्त मात्रा में अधिक होंगे। इसके अलावा, 1971 की जनगणना रिपोर्ट मे भी स्पष्टतः इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारे देश के बाल श्रमिकों का 87 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों मे है तथा अन्य असगठित उद्योग क्षेत्र में है। हम जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत खेती का कार्य, पशु पालन का कार्य, बागान, पत्थर तोड़ना, मच्छली पालन, इत्यादि आते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे बाल श्रम की दशा बहुत ही दयनीय है। विधेयक को इस महत्वपूर्ण पहलू से अछूता रखा गया है। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जहां पर बच्चों का दुरुपयोग किया जाता है। बम्बई जैसे स्थानों पर तथा अन्य महानगरों मे बच्चों को बड़े पैमाने पर सुनियोजित ढंग से भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में बच्चों को बंधुआ श्रमिक के रूप में भी रखा जाता हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तथा बिहार के अलावा आन्ध्र प्रदेश भी उन राज्यों मे से एक है जहां पर बच्चों को गैर-कानूनी रूप में काम पर लगा रखा है। समिति के एक प्रतिवेदन मे इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि आन्ध्र फदेश में बच्चों का गैर-कानूनी नियोजन श्रमिक बुराइयों मे से एक है। मैं एक विशिष्ट प्रश्न को पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक से आन्ध्र प्रदेश की परिस्थितियों को सुधारा जा सकेगा? देश की जनसंख्या म बच्चों का सबसे अधिक दुरुपयोग तथा शोषण किया जाता है। हम देश के भावी नागरिकों की काफी चर्चा करते ह। हमे यह मालूम होता है कि हमारे देश का भविष्य बच्चों के हाथ में होता है। 87 प्रतिशत ग्रामीण बाल श्रम में से 70 प्रतिशत हमारे अशक्त समाज के बच्चों से ही कराया जाता है। बच्चों की तरफ कोई ध्यान न दिये जाने के कारण साक्षरता अभियान में कोई सुधार नही हो पा रहा है। हम जानते ह कि देश की उन्नति हमेशा बच्चों के कल्याण पर निर्भर करती है इसके बारे में आप यह भी जानते हैं कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि बच्चों की उन्नति से ही देश का भविष्य आगे बढ़ता है। इन सब बातो की ओर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक दूरगामी परिणामों वाला है, फिर भी जब तक भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक निश्चित आयु के बच्चों के नियोजन को रोकने सम्बन्धी विस्तृत विधेयक नहीं लाया जाता है, तब तक इससे कोई अभिप्राय पूरा नहीं होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर कई बाल कल्याण परिषदें हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों के घृणित शोषण का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने मे कभी भी उपयुक्त दिलचस्पी नहीं ली है। इस सम्बन्ध मे

[श्री कसुम कृष्ण मूर्ति]

सर्वेक्षण करने के लिये सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता लेनी चाहिये। ताकि बच्चों के घृणित शोषण की वास्तविकताओं का पता लगाया जा सके। इससे वे एक विस्तृत विधेयक लाने में भी समर्थ होंगे। मैं नही समझ पाया हूं कि मंत्रालय द्वारा इस विधेयक को बहुत जल्दी लाने की क्या आवश्यकता है? संभवतः आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय बाल वष को ध्यान में रखते हुए ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। मंत्री महोदय ने प्रासंगिक टिप्पणी मे कहा है कि हमारी सामाजिक परिस्थितियां तथा परिकल्पना ही बच्चों को रोजगार से दूर रखने में पर्याप्त होंगी। फिर भी, वे इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हमारी सामाजिक अवस्था जाति प्रथा पर आधारित है और जब तक समाज में यह व्याप्त रहेगी तब तक मैं नही समझता कि कोई भी व्यक्ति इस सामाजिक ढांचे तथा सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन की उम्मीद करेगा। हम भली भांति जानते हैं कि जब तक क्रियात्मक गतीशीलता नही लायी जाती है, तब तक हमें सामाजिक ढ़ांचे मे परिवर्तन की बात की नही सोचनी चाहिये।

अतः मैं मंत्री महोदय से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाय तथा एक निश्चित आयु से कम के बाल नियोजन पर पाबन्दी लगाने के लिये कम से कम वर्ष 1979 के दौरान, जिसे हम अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप मे बनाने जा रहे हैं, तथा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये जो बाल श्रम का शोषण करते हैं, एक विस्तृत विधेयक सदन में लायें तथा उसमें विशिष्ट दण्डनीय उपायों को भी शामिल किया जाय।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : इस महत्वपूर्ण विधेयक के वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का वास्तव में मैं बहुत ही आभारी हूँ।

महोदय जी, आपने नोट किया होगा कि विधेयक के मसौदे का समर्थन करने में सदन के सभी वर्गों के सदस्य एक साथ थे। अगर शंकाओं अथवा असंतुष्टि के कारण कुछ टिप्पणी की जाती तो वे विधेयक के मसौदे का उल्लेख न करके उसका उल्लेख करते जो विधेयक में नहीं है। महोदय जी, यह स्पष्ट समझने योग्य है क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। किसी भी देश में, किसी भी समय, यह समाज पर ही निर्भर करता है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि देश के बच्चों के लिये स्वास्थ्य वृद्धि के, गुणों को बढ़ाने, तथा कुशलता तथा प्रकाशमय तथा योग्य नागरिक बनने के लिये पर्याप्त अवसर मौजूद हों, जो देश की सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, तथा आर्थिक विकास में पूर्णतया योगदान देने में सक्षम हों। इस प्रकार यह बहुत ही आवश्यक है कि देश के बच्चों के लिये पूर्ण संरक्षण, विकास के पूरे अवसरों शिक्षा तथा स्वयं व्यक्त करने को सुनिश्चित किया जाय।

इसके साथ ही, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जहां तक विधेयक का आंशिक रूप में सम्बन्ध है, अगर इसका मसौदा विशिष्ट है तथा विस्तृत नहीं है तो इस आंशिक विधेयक कहा जा सकता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि बच्चों के कल्याण का मामला कई मंत्रालयों सें सम्बन्धित है, कई स्वयं संगठनों तथा वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति सें सम्बन्धित है। मैंने प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट किया है कि यह विधेयक बहुत ही सीमित है जो आज की मौजूदा स्थिति के केवल एक पहलू सें ही सम्बन्धित है।

यह बताया गया था कि हमारे देश में बहुत बच्चे काम में लगे हुए है। मेरे आदरणीय मित्र श्री मावलंकर जो केवल एक प्रोफेसर ही नहीं बल्कि विद्यार्थी तथा प्रोफेसर हैं ने भी अपनी बात द्वारा सदन को बताया कि जो सर्वेक्षण किये गये है उनमें मुश्कील ये बाल श्रम का प्रश्न उठाया गया है। उन्होंने तथा सदन के अन्य सदस्यों ने बताया कि विश्व के विभिन्न देशों में लगभग 42 मिलियन बच्चे रोजगार में लगे हुए हैं, जिनमें बहुतायत संख्या विश्व के विकासशील देशों में है। यह भी बताया गया कि हमारे अपने देश में लगभग एक करोड़ सें ऊपर बच्चे रोजगार में लगे हुए हैं।

जब आप यह कहते है 'वे रोजगार में लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति 'रोजगार' शब्द का पूरा अर्थ नहीं समझ पाता। बच्चे कई प्रकार से रोजगार में लगे हुए हो सकते है। वे एक कारखाने में किसी बाहर के नियोक्ता द्वारा अथवा एक उपक्रम अथवा एक व्यवसाय में काम पर लगाये जा सकते है। उनको एक पारिवारिक उपक्रम में भी काम पर लगाया जा सकता है। उनको किसी उद्योग अथवा एक औद्योगिक कार्य कलाप में पारिवारिक कार्यों की देखभाल के लिये भी रोजगार में रखा जा सकता है। ये सभी "बच्चे जो रोजगार में लगे हुए है" की सीमा के अन्त-

र्गत आ जाते है । जैसा कि मेरे आदरणीय मित्र ने बताया है । जो बच्चे मजदूरी अथवा नकदी के बजाय पारितोषिक के लिये कार्य करते है तथा जो बच्चे परिवार अथवा अपने माता पिता के श्रम को हल्का करने के लिये कार्य करते है इन दोनों में अन्तर है । बच्चों के विकास तथा बच्चों के उन्नति के दृष्टिकोण सें भी, तथा देश के भावी नागरिकों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें कि गरीबी अथवा अज्ञानता अथवा अन्य आर्थिक अथवा सामाजिक अशक्तताओं की वजह सें माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल जाने सें वंचित न रख । बच्चों को स्कूल न जाने के लिये परिवार अथवा बच्चों को इसके लिये प्रोत्साहित नहीं करना चाहियें । जैसा कि मुझसे पूर्व मेरे मित्र श्री कृष्ण मूर्ति ने कहा है । जैसा कि माननीय सदस्यों ने वताया है' कि हमारे देश में इस परिस्थिति के कई कारण है जिन्हें हम नकार नहीं सकते । हमारे देश में बच्चों के स्कूल न जाने का मूल कारण, अथवा स्कूल में पढ़ते क्यों नहीं रहते है अथवा माता-पिता द्वारा बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय अथवा बच्चों को कारखानों अथवा दूसरे रोजगार में भेजने का कारण गरीबी है । इसके बारे में कोई शंका नहीं है और यह कहना बहुत ही कठिन है कि गरीबी को एक ही दिन में समाप्त कर दिया जायेगा, ऐसें हालात उत्पन्न किये जा सकते है जिसमें बाल रोजगार, जैसा कि कहा जाता है रातोंरात समाप्त किया जा सकता है ।

आगे महोदय जी, उन्होंने एक बहुत ही साधारण उपाय का सुझाव दिया है, जिसका दूसरे सदस्यों ने एक रुप में अथवा दूसरे रूप में प्रतिध्वनित किया है कि सरकार को बालश्रम को गैर कानूनी घोषित करने के लिये एक विधेयक लाना चाहिये, इससें बालश्रम बंद हो जायेगा । कम सें कम भारत की परिस्थिति में यह एक बहुत ही आसान दल है कि कभी-कभी प्रत्येक यह भूल जाता है कि यह एक बहुत ही साधारण उपाय है । अगर इस प्रकार का कोई आंशिक कानून नहीं लाया जाता है, तो वह कानून का भाग नहीं होगा । यहां पर कोई भी बाल श्रम का नियोजन नहीं होगा ।

लेकिन महोदयजी, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि केवल कानून द्वारा ही आकांशा अथवा एक इच्छा को व्यक्त नहीं किया जाता, बल्कि इसमें वास्तविकता को भी ध्यान में रखना पड़ता है । विधान ऐसा होना चाहिये जिसें लागू किया जा सके, लागू करने की जिसमें क्षमता हो और इससें परेशानियां नहीं बढ़नी चाहिये बल्कि समाप्त हों । मेरे सम्मानीय मित्र श्री पवित्र मोहन प्रधान जिन्हें सामाजिक कार्य तथा प्रशासन का विस्तृत अनुभव है ने बताया है . . . **(व्यवधान)** ।

अतः मैं यह कह रहा था कि मेरे मित्र श्री पवित्र मोहन प्रधान जिन्हें प्रशासन तथा सामाजिक कार्य का अनुभव है, ने बताया तथा मेरे सम्मानीय मित्र श्री मावलंकर ने भी एक संस्था की रिपोर्ट से उद्धरण दिया कि "इस प्रकार के कानून के निराकरण सें वास्तव में कुछ निश्चित क्षेत्रों में कठिनाइयां बढेगी" ।

जिन कठिनाईयों का इन्होंने उल्लेख किया है, वह केवल प्रशासन सें सम्बद्ध ही नहीं है अपितु उनका सम्बन्ध मुख्य रूप सें इन बालकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति से है । अतः हमें देश में व्याप्त सामाजिक वास्तविकताओं को भी दृष्टिगत रखना होगा । अतः हमें इस प्रकार का विधान बनाना होगा, जो वांछनीय हो, व्यावहारिक हो तथा जिसें क्रियान्वित किया जा सके ।

विधान प्रस्तुत करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये, कि उसे सही ढंग से क्रियान्वित भी किया जा सके । जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया, हमारे देश में 87 प्रतिशत बालक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे है । क्या यह सम्भव है कि देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में निरीक्षण के लिए, आयु सत्यापन के लिए व्यवस्था की जाये और दण्ड दिया जाये ? हमें अपने देश की तुलना उन देशों सें नही करनी चाहिये जहां की जन संख्या 2 लाख से भी कम है और जिन्हें 45 मिनट में पार किया जा सकता है । हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और इसकी सामाजिक परिस्थितियों से भी हम परिचित है । अतः यह कहना कि यह विधान अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिये, कहने को तो ठीक है परन्तु वह व्यावहारिक नही है । हमें मालूम है कि हमारे यहां बालकों के मुख्य रूप से खेतों में चाय बागानों में, घरों में, तथा बीड़ी बनाने जैसें लघु उद्योगों में रोजगार दिया जाता है । मेरे मित्र श्री मावलंकर नें यह भी कहा था कि हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बालिकों तथा उनकी काम करने की शर्तों की दर्शाने सम्बन्धी उपयुक्त आंकड़े नहीं है ।

यह निश्चय ही एक त्रुटि हैं । परन्तु इसके बारे में मैं बाद में कहुंगा । अब प्रश्न यह है कि यदि केवल मात्र कानून बना देने से, रातों रात बालकों को मजूरी पर लगाने के कार्य को समाप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसें परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिये । इसके लिए हमें पहली बात तो यह करनी होगी कि बालकों की जोखिम भरे कामों में न लगाया जाये । अतः सबसे पहले हमें जोखिम भरे कार्य एवं अन्य कार्यों जिनमें बालकों को रोजगार दिया जा सकता है, के बारे में विधान में व्यवस्था की जानी चाहिये, हमें काम के घंटों पर्यावरण दशाओं, स्वास्थ्य निरीक्षण अवसरों, चिकित्सा सुविधाओ

[श्री रविन्द्र वर्मा]

आदि सहित कार्य दशाओं की नियमित करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नाजुक आयु में बालकों को शिक्षा के अवसर दिये जाये। ऐसा करना विशेष रूप से आवश्यक हैं क्योंकि शिक्षा अवसरों की सुनिश्चित किये बिना हम अवसरों की असमानता को दूर नहीं कर सकते। जिस माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया था, उनका कहना था कि गरीबी के कारण अधिकांश बच्चे स्कूल नही जा पाते है। वैसे शिक्षा मंत्रालय इस समस्या के प्रति जागरूक है परन्तु चूंकि इसका उल्लेख कर दिया गया है, इसलिए मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस समय देश में 79 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में दे दिया जाता है। इस योजना को अन्य राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक करोड़ से अधिक बालकों को दोपहर का खाना निशुल्क न दियां और पाठय पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है ताकि बालक अपनी आयु विशेष तक स्कूल में जाते रहे।

अब मैं इस विषय से सम्बद्ध अन्य पहलूओं अर्थात 'अवरोधों' के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस बात से इंकार नही करता कि कुछ अवरोध कृषि के क्षेत्र में भी आते है। अतः यह सुझाव दिया गया है कि हमें इसे भी विधान में शामिल करना चाहिये। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3(क) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनुसूची में अन्यत्र नये रोजगार या पेशे की शामिल करने की शक्ति राज्य सरकारों को दे दी गई है। और यदि केन्द्र का संसद को ही इन्हें अनुसूची में जोड़ना है तो संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है तथा ऐसा करने के लिए राज्यों के साथ विचार-विमर्श करना जरूरी है क्योंकि ऐसा करने की शक्ति राज्यों के पास ही हैं। अतः मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य अब इस बात को समझ गये होंगे तथा अपने संशोधन पर बल नहीं देगें। कुछ अन्य देशों—नगरीय तथा उपनगरीय क्षेत्रों का उल्लेख भी किया गया है। श्रीमानजी जोखिम वाले क्षेत्र केवल वही क्षेत्र नही है जिनमें कि दुर्घटनाओं तथा चोटों आदि का डर रहता है अपितु इसका तात्पर्य ऐसे वातावरण या ऐसी मशीनों पर काम करने से भी है जहां कि काम करने से बालक के स्वास्थ्य या उसके अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरणार्थ धूल के कण, रासायनिक, रंग आदि अनेक ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, जिनका कि बच्चे या कर्मचारी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या जो कि जोखिम से भरपूर होते है। छोटे उद्योगों को इस जोखिम का अपवाद नही कहा जा सकता। यह सोचना गलत है कि कर्मचारियों की सेहत को केवल बड़ी मिलों या बड़े कारखानों में काम करने से ही जोखिम होती है। इस विधेयक पर बोलते हुये श्रीमती जयालक्ष्मी ने बहुत ही प्रभावशाली तथा तर्कसंगत भाषण देते हूये, लघु उद्योगों में लगे बालकों तथा विशेष रूप से माचिस उद्योग में काम करने वाले बालकों की कठिनाईयों तथा जोखिमों का, सशक्त ब्यौरा दिया था। (व्यवधान) मैं पटाखे, माचिस, प्रकाशन आदि अन्य उद्योगों में काम करने वाले बालकों का उल्लेख कर रहा था . . .

इसका उद्देश्य बच्चों की रक्षा करना है, उन्हें खतरे में नहीं डालना। श्रीमान, श्रीमती जय लक्ष्मी ने इनका उल्लेख किया है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये खतरनाक व्यवसाय हैं और जो बच्चे वहां काम कर रहे हैं उनकी दशा अच्छी नहीं है।

किन्तु श्रीमान मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इन बातों का विधेयक में उपबन्ध है। इन सब बातों को छोड़ा नहीं गया है। विधेयक में व्यवसायों तथा रोजगार की जिस सूची का उल्लेख किया गया है, उसको देखने से आपकों पता चलेगा कि पटाखें, मुद्रण, दियासलाई का निर्माण आदि कार्यों को विधेयक की अनुसूची "क" में सम्मिलित किया गया है। विधेयक के उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मैं जिम्मेदारी से बचने का प्रयास नहीं कर रहा बल्कि केवल इतना बताना चाहता हूं कि इस बात को अछूता नहीं रखा गया है।

अब मैं अपने अगली बात कह सकता हूं जो कि प्रभावी ढंग से निरीक्षण करने के बारे में है। यह काम केन्द्रीय सरकार ने करना है अथवा राज्य सरकारों ने। श्रीमान यदि आपके पास कानून तो हों लेकिन लागू करने तथा निरीक्षण करने के लिए प्रभावशाली तंत्र नहीं होगा तो कानून केवल कानूनी किताब पर ही परे रह जायेंगे और उन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुचेगा जिनके लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं। अतः एक दोषहीन निरीक्षण प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।

सुरक्षा का भी उल्लेख किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सदस्यों ने सुरक्षात्मक पहलुओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाये जायेंगे। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण या सुरक्षात्मक गजेट आदि सम्मिलित हैं। मेरे माननीय मित्र ने इसका उल्लेख किया है।

इस सम्बन्ध में मैं सभा को बता दूं कि श्रम मंत्रालय के अधीन कारखाना महानिदेशालय तथा विभिन्न श्रम संस्थाओं ने अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। मेरा ख्याल है कि मैंने शिक्षा के प्रश्न के बारे में भी बोल दिया होगा।

मेरे मित्र श्री दवे ने कानून के प्रति सलगता की आवश्यकता का उल्लेख किया है। श्रीमान उन्होंने बताया है कि बम्बई में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चला है कि कई व्यक्तियों विद्यमान कानूनों का पता नहीं था। एक ओर हम कहते हैं कि कर्मचारियों में कानूनों के प्रति सजगता होनी चाहिए किन्तु दूसरी ओर यह भी सच है कि यदि लाभप्राप्तकर्ताओं तथा कानून का उल्लंघन करनेवाले लोगों में बड़े पैमाने पर कानून के प्रति सजगता पैदा हो जायेगी तो फिर हमारे सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि कानूनों का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। मैं नही समझता कि बम्बई ऐसा क्षेत्र है, जहां के लोग कानूनों से अनभिज्ञ हैं। मैं यह कह दूं कि बम्बई के लोग सर्वाधिक रूप से विज्ञ है। शायद आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर : निस्संदेह नहीं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस तथ्य के बावजूद भी कि बम्बई में सर्वाधिक जागरुकता है, बम्बई में जागरुकता की कमी है।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : केरल में भी बहुत जागरुकता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरा ख्याल है कि केरल माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में अधिक जागरूक नहीं है। मैं समझता हुं कि इस मामले में केरल उनके निर्वाचन क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकता जहां कि पूरी तरह जागरुकता है। नहीं तो वहां से हमारे विशिष्ट प्रतिनिधी, श्री वेंकट सुब्बैया नहीं चुने जाते। मैंने इसका उल्लेख केवल यह कहने के लिए किया है कि स्वेच्छा संगठनों या जागरुकता बढ़ाने में लगे संगठनों तथा कार्मिक संघों द्वारा कानून को लागू करना एक ऐसी बात है, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

श्रीमान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परम्पराओं का उल्लेख किया गया है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परम्पराओं को हमारी सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिनका सम्बन्ध बाल श्रमिकों से हैं। किन्तु मेरे माननीय मित्र, श्री मावलंकर, श्री साठे तथा अन्य सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों में आयु प्रतिबन्ध का उल्लेख किया है। श्रीमान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के नियमों में विकासशील देशों के लिए कोई विशेष आयु निर्धारित नहीं है। क्योंकि निरीक्षण, आयु के प्रमाणीकरण तथा हतोत्साहित करने वाला दंड देने के लिए एक प्रशासन स्थापित करने में कठिनाइयां होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलनों में कुछ आयु वर्ग निर्धारित किए गए है जैसें 14 वर्ष से 17 वर्ष आदि। इसलिए जहां कहीं पुराने नियमों के स्थान पर नए नियम स्थापित करना संभव हुआ है, वहां ऐसा कर दिया गया है।

अंत में मैं सोचता हूं कि मैं उस बात का उल्लेख कर दूं जो कि मेरे माननीय मित्र श्री काम्बले ने कही है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 39 (च) तथा अनुच्छेद 24 के बीच अंतर है मेरे माननीय मित्र अच्छे जानकार आदमी है। मैं जानता हूँ कि उनकी गरीब लोगों तथा पद-दलित लोगों के प्रति सहानुभति है। मेरा केवल उनसें यह निवेदन है कि हम भी इस मामले में पीछे नहीं है और दूसरे रूप में हम भी उनके पीछे हैं। श्रीमान वह भलीभांति जानते हैं कि अनुच्छेद 24 का सम्बन्ध मौलिक अधिकारों से है। अनुच्छेद 39(च) का सम्बन्ध निदेशक सिद्धांत से है। क्या मेरे लिए सभा में यह बताना आवश्यक है कि निदेशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों के बीच क्या अंतर है? निदेशक सिद्धांत अपनी प्रकृति तथा स्वरूप से ऐसे है, जिनका मतलब निदेशों का पालन करना है। इसीलिए मैंने निदेशक सिद्धांत कहा है।

श्रीमान अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष आने वाला है जेसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है हमने अपने देश में बाल वर्ष के लिए कार्यवाही योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की है और प्रधान मंत्री स्वयं राष्ट्रीय बाल बोर्ड के अध्यक्ष है। कई राज्यों में राज्य बाल बोड स्थापित किए जा चुके हैं।

प्रो पी० जी० मावलंकर : कदापि नहीं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह काम हो रहा है। वास्तव में यह काम शिक्षा मंत्रालय का है। चूंकि मेरे मित्र प्रोफेसर है अतः इस बारे में वह मुझसें अधिक जानते हैं। किन्तु मैं इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष के अवसर पर सभी मंत्रालयों को विचार करना चाहिए कि हम अपने देश के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। अतः जहां तक श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है, इसें इस वर्ष रोजगार में लगे हुए बच्चों की दशा की ओर ध्यान देना चाहिए। और यह प्रयत्न करना चाहिए कि काम करने वाले बच्चों की संख्या तथा उनकी कठिनाइयां कम से कम हों।

[श्री रविन्द्र वर्मा]

यह भी सच है कि चालीस वर्ष बीत चुके हैं, जबकि संसद ने मूल अधिनियम पारित किया था – यह 1938 में पारित हुआ था। तब से बहुत अधिक समय बीत चुका है। अतः यह कहना ठीक ही है कि सरकार को इस दिशा में भलीभांति विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह विधान लाया गया है। मैं भी "व्यापक विधान" शब्द का प्रयोग कर सकता था, किन्तु मैंने नहीं किया। किन्तु मैं निश्चित रूप से वचन देता हूं कि इस वर्ष हम इस विषय पर पूरा ध्यान देंगे और अच्छे-अच्छे प्रस्ताव सामने लायेंगे। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि हमें एक समिति स्थापित करनी चाहिए। हम बाल श्रमिकों की दशाओं तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना करेंगे। यह समिति सरकार को प्रस्ताव देगी कि विधायी तथा अन्य प्रकार की कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए। अतः मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मैं इस तरह की समिति नियुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाऊंगा और माननीय सदस्यों की मांग के अनुसार एक "चिल्ड्रन सैल" की स्थापना करूंगा। मेरे विचार से मैंने अधिकांश बातों के बारे में बता दिया है।

प्रो पी० जी० मावलंकर : भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1976 के सम्मेलन को स्वीकार करने में मंत्री महोदय ने पूरी तरह स्पष्ट रूप क्यों नहीं कहा ? अब तक ऐसा न किए जाने का वह कारण बताएं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : बाल श्रम के बारे में अंतिम सम्मेलन 1976 में नहीं हुआ था बल्कि 1973 में हुआ था। मेरा विचार है कि आपने जो पुस्तिका पढ़ी है उसमें मुद्रक की गलती से 1976 लिखा गया होगा। खैर तथ्यों का स्पष्टीकरण कर चुका हूं कि हमने उन सिद्धांतों का किस रूप में स्वीकार किया है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि भारत की परिस्थितियों के अन्तर्गत जहां कहीं ऐसा करना संभव होगा, हमारा पहला देश होगा जो कि उनका अनूसरण करेगा।

मेरे विचार से माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अधिकांश बातों का मैं जबाव दे चुका हूं और सभा से अपील करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित कर दे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :—

"कि बाल नियोजन अधिनियम, 1938 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड-वार चर्चा करेंगे।

खंड 2

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 1—पंक्ति 19 के बाद, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

(1) "(घघ) ट्रैक्टर या मिट्टी हटाने वाली मशीनों को चलाने सम्बन्धी कार्य; या"

माननीय मंत्री जी का उद्देश्य अधिनियम की धारा 3 में उप-खंड (ख) (ग) (घ) को अन्तःस्थापित करना है। मैं उसके बाद अपना संशोधन जोड़ना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने रेलवे को सम्मिलित करने के लिए अपना संशोधन पेश किया है। मैंने गन्ना, ट्रशर्स, थ्रेशर्स आदि को सम्मिलित करने के लिए अपना संशोधन पेश किया है। ये भी मशीनों के वर्ग में आते हैं। फिर उन्हें सम्मिलित क्यों न किया जाये ?

श्री रविंद्र वर्मा : अपने भाषण के दौरान मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मेरे ख्याल से मेरे माननीय मित्र यही थे। मैंने इस संशोधन का विशेष रूप से उल्लेख किया है और मैंने कहा कि इसका सम्बन्ध कृषि क्षेत्र से है। राज्य इसे आसानी से सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि धारा 3(क) के अन्तर्गत राज्यों को ऐसा करने की पूरी शक्ति प्राप्त है। यदि हम ऐसा करना चाहें तो हमें राज्यों से परामर्श करना होगा जिसमें बहुत समय लग जायेगा। अतः मुझे आशा है, वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं सभा से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खड 3 विधयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 4 को लेंगे । श्री काम्बले ।

खण्ड 4

श्री बी० सी० काम्बले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

2. पृष्ठ 2—पंक्ति 12 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित कीजिए ।

"(तीन) अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेगा ।

"और कथित नियोजक को सम्बन्थित बच्चे या बच्चों को नजदीकी केन्द्र या संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण या अप्रेंटिस के लिए भेजेगा और यदि वहां इस तरह का केन्द्र या संस्थान नहीं है तो उन्हें समीपस्थ प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के लिए भेजेगा और तदनुसार समीपतम श्रम अधिकारी के पास उस बारे में रिपोर्ट करेगा ।"

मैं यह संशोधन केवल इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि मंत्री जी इस बात पर मुझे कुछ उत्तर दे सकें । यह संशोधन दंड सम्बन्धी खंड के बारे में है, जिसके अन्तर्गत नियोजक को दंडित किया जायेगा । प्रश्न यह है कि सम्बन्धित बच्चे या बच्चों का क्या होगा । वे बेरोजगार हो जायेंगे । यदि वे बेरोजगार हो जाते हैं और किसी शैक्षणिक संस्था या किसी प्रकार के रोजगार में नहीं लिए जाते हैं तो स्थिति और भी नाजुक हो जायेगी । अतः मेरे संशोधन का उद्देश्य यह सुझाव देना है कि उसके तुरन्त पश्चात बच्चे को या तो किसी शिक्षा केन्द्र में भेज देना चाहिए या प्रशिक्षण के लिए किसी संस्थान में भेज दिया जाना चाहिए । मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा मंत्रालय से परामर्श करके प्राइमरी शिक्षा उपबन्धों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए । रोजगार में लगे बच्चे के लिए रात्रि के स्कूल खोले जा सकते हैं । यदि संभव हो तो कुछ आवासीय स्कूल खोले जाने चाहिए जहां बच्चे पढ़ सके तथा साथ- ही साथ उनके आवास की व्यवस्था भी हो सके । यदि ऐसा नहीं किया जाता और यदि खंड 4 के उपबन्धों को कार्यान्वित कर दिया जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि करोड़ों बच्चे अशिक्षित रह जायेंगे और निरक्षरता की यह बुराई हमारे देश में बनी रहेगी और इसके फलस्वरूप वे आजादी का लाभ नहीं उठा पायेंगे ।

माननीय मंत्री जी ने निदेशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों के बीच अंतर बताया है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जहां तक संविधान की आज की स्थिति का सम्बन्ध है, निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं । अतः मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वे दोनों का वैसा अंतर-भेद न करें जैसे कि वे आज हैं बल्कि शिक्षा मंत्रालय से परामर्श करके यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चे बेरोजगार हो जायें उन्हें समुचित प्रशिक्षण तथा शिक्षा मिल सके । मैं अपने संशोधन पर दबाव नहीं डाल रहा हूं किन्तु मैं इस प्रश्न पर सरकार के विचार जानना चाहता हूं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से ऊपर थे । मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण कौन है । संविधान अथवा सिद्धांत ? किन्तु मैं उन्हें यह बताने का प्रयास करूंगा कि इस दृष्टि से इन दो में अंतर है । एक न्यायिक है जबकि दूसरा नहीं है । उन्होंने इसे ऐसा रूप दिया है कि मानो उसने दुविधा हो । यदि कोई किसी बच्चे को रोजगार देता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए यदि उसे दंड दिया गया तो बच्चा बेरोजगार हो जायेगा । ऐसे में हमें क्या करना होगा । लगता है मेरे माननीय मित्र इसी दुविधा में फंस गए हैं । जब आप यह करते हैं कि बच्चों को रोजगार में लगाना अनुचित है तो फिर मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । यदि आप यह समझते हैं कि कानून की नजर में यह बुरा है तो क्या उसे दंड दिये बिना छोड़ दिया जाना चाहिए ? यदि कोई व्यक्ति कुछ गैर-कानूनी कार्य करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए । और यदि वह दंड देने के फलस्वरुप बच्चा बेरोजगार हो जाता है तो क्या फिर हम यह माने कि उसने कानून का पालन किया है । किन्तु मैं इस प्रश्न का मानव पहलू को समझ सकता हूं अर्थात इससे एक स्थिति उत्पन्न हो जायगी कि जिनकी कुछ अतिरिक्त आय का स्त्रोत था, वह समाप्त हो जायेगा । यही कारण है कि पहले मैंने उस बात का उल्लेख किया जो कि मेरे माननीय मित्र, श्री प्रधान ने कही और वह बात यह है कि इस तरह का अवसर भी आ सकता है जब कि इस तरह के विधान से कुछ लोगों की कठिनाइयां बढ जाय । इस समस्या को हल करने के लिए उनका यह सुझाव था कि उन्हें अप्रेंटिसशिप स्कूलों या नियमित स्कलों में भेजा जाये ।

[श्री रविन्द्र वर्मा]

जहां तक अप्रेंटिसशिप संस्थाओं का सम्बन्ध है वहां भी आयु तथा समुचित योग्यता बुद्धि आदि का प्रश्न उत्पन्न होता है। एक बच्चा जो कि 10 या 9 वर्ष की आयु का हो और दो-चार रुपये प्रति सप्ताह कमा रहा हो, यह आवश्यक नहीं है कि उसे आवश्यक रूप से अप्रेंटिस शिप स्कूल में दाखिला मिल जाये। और जहां तक उन्हें अनिवार्य रूप से प्राइमरी स्कूलों में भेजने का सम्बन्ध है, उन्होंने स्वयं उनकी स्कूल में उपस्थिति, छात्रावास में आवास की समस्या का उल्लेख किया है। अतः ये समस्याएं है जिन्हें हल किया जाना है और इन्हें अवश्य ही इस विधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए मैं उन्हें यह बता दूं कि मैंने इस मामले पर अपने माननीय मित्र शिक्षा मंत्री से बातचीत की है और इन समस्याओं पर विचार किया है। मुझे आशा है वह अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे।

श्री बी० सी० काम्बले : मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक है। इससें पहले कि मंत्री जी इसे पेश करें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। वह यह है कि मुझे आज सुबह तक संशोधन मिलते रहे हैं जो कि व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है। नियमों के अनुसार संशोधन एक दिन पहले मिल जाने चाहिए अन्यथा हम इन संशोधनों को सदस्यों में परिचालित नहीं कर सकते। यद्यपि आज संशोधनों की साइकलोस्टाइल्ड प्रतियां सदस्यों में परिचालित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी भविष्य में हम संशोधनों के मामले में सख्ती बरतेंगे और सदस्यों को ठीक समय पर अपने संशोधन भेजने में सतर्कता बरतनी चाहिए। जैसे ही विधेयक परिचालित किया जाता है, उन्हें अपने संशोधन भेज देने चाहिए। यहां तक कि सरकारी संशोधन भी आज ही प्राप्त हुए है। मैं समझता हूं कि सरकार तथा सदस्य, दोनों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए और वे अपने संशोधन ठीक समय पर भेजें।

मंत्री महोदय।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटरयान अधिनियम, 1939 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभा के समक्ष इस विधेयक को विचारार्थ पेश करते हुए, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। 1976 के आरम्भ में राष्ट्रीय परमिट सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को समर्थ करने हेतु इस सभा में एक संशोधी विधेयक लाया गया था। जुलाई, 1977 में पुनः सभा के समक्ष एक और विधेयक लाया गया, जिसके द्वारा कतिपय संशोधन किए गए थे और जिनके अन्तर्गत शराब पीये हुए चालकों को कठोर सजा देने का उपबन्ध किया गया है। इसमें दो सीट वाले वाहन चालकों को कैश हेलमेट पहनना भी अनिवार्य किया गया था।

इस विधेयक का उद्देश्य उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में स्पष्ट किया जा चुका है और उसें विस्तार में बताने के लिए मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। जनता पार्टी ने 1977 के अपने घोषणा पत्र में एक वचन दिया था। उसके पृष्ठ 22 पर "कमजोर वर्गों के लिए नए कार्यक्रम "शीर्षक के अन्तर्गत इस प्रकार कहा गया है :—

"बड़े शर्म की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन दशकों के पश्चात् भी समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति अब भी दयनीय है। उनके साथ अभी भी कई प्रकार से भेदभाव किया जा रहा और उन पर अत्याचार हो रहे हैं।"

अगले पैरों में कहा गया है :—

"जनता पार्टी यह विश्वास करती है कि जबतक इन कमजोर वर्गों के हित में कोई विशेष नीति नहीं अपनाई जायेगी तब तक समृद्ध वर्गों तथा कमजोर वर्गों के बीच विद्यमान असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस नीति से इन वर्गों को शिक्षा तथा स्वतः रोजगार के अवसर प्रदान करने को प्राथमिकता दी जायेगी।"

1962 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने राज्यों के कल्याण विभाग के मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और निर्णय लिया गया था कि यदि हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की दशा से प्रभावी रूप से सुधार करना चाहते हैं तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को सामान्य क्षेत्र में भी इन लोगों के लिए आरक्षण करना पड़ेगा। अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए एक विशेष क्षेत्र है। उन्हें बहुत ही सीमित रूप में रियायतें दी जाती हैं। यही कारण है कि इन वर्गों के लोगों की दशा में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ हैं। अतः यह निर्णय किया गया है कि विशेष क्षेत्र की भांति आरक्षण का वैसा ही सिद्धांत विभाज्य, प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया जाये, जहां सरकारी तंत्र, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार समाज को कतिपय सुविधाएं देती है।

मैं उन लोगों में से हूं जो कि राज्यों में मंत्री रहे है। मैं इस बात का बहुत उत्सुक रहा हूं कि राज्य सरकार को सामान्य क्षेत्र के विभाज्य व्यक्तिगत सुविधाओं के मामले में भी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। किन्तु किसी कारण से राज्य सरकारें राजी नहीं हो रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने कुछ उपबन्धों को लागू किया है। उनमें सें आन्ध्र प्रदेश एक राज्य है। कुछ अन्य राज्यों ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि विभाज्य व्यक्तिगत सुविधाओं के मामले में कुछ आरक्षण किए जायें। सत्ता में आने के बाद जनता पार्टी ने नवम्बर, 1977 में एक और संकल्प पारित किया कि आरक्षण का यह सिद्धांत सामान्य क्षेत्र के प्रत्येक मद में भी लागू किया जायेगा। उस संकल्प के अनुसरण में ही यह विधेयक लाया गया है।

जैसा कि मैंनें कहा है इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय परमिटों, सार्वजनिक वाहनों, राज्य वाहन परमिटों के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण करना है। आरक्षण के इस सिद्धांत का उद्देश्य आर्थिक दृष्टि सें पिछड़े लोगों को भी लाभ पहुंचाना है। निर्धन लोगों को इस बारे में प्राथमिकता देने के बारे में काफी कुछ कहा गया हैं। समाज में ऐसें बहुत सें लोग है जो सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप सें पिछड़े हुए हैं। किन्तु इन लोगों के प्रति केवल कोरी सहानुभूति दिखाई गई है और उनकी निर्धनता को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं। विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों को प्राथमिकता या आरक्षण मिले जिसका निर्णय राज्य सरकारें करेंगी।

इस विधेयक के अन्य उद्देश्य भी हैं। उदाहरण के लिए हम बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए हम कठोर दंड की व्यवस्था करने जा रहे हैं। शायद मेरे मित्रों को ऐसा लगे कि हमने बहुत कठोर दंड की व्यवस्था कर दी है क्योंकि हमने 500 रुपये या किराये का दस गुणा जुर्माना करने का निर्णय किया है। इनमें सें जो भी कम होगा उतना बिना टिकट यात्रा करने वाले सें जुर्मानें के रूप में लिया जायेगा। शायद कुछ सदस्य समझें कि यह बहुत ही कठोर कदम है किन्तु बिना टिकट यात्रा करने को रोकने के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

श्री आर० वेंकटरमन (मद्रास-दक्षिण) : जो अधिक है अथवा कम ?

श्री चांद राम : 500 रुपये अधिकतम है या किराये का दस गुना। इनमें सें जो भी कम हो। इसका मतलब कम सें ही है।

हम बसों तथा ट्रकों को चलाने के लिए पृथक लाइसेंस देने का उपबन्ध भी कर रहे हैं। हम वाहन चलाने के लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष सें बढ़ाकर 5 वर्ष कर रहे हैं।

राज्य सरकारों सें यह कहने का प्रयास भी किया जा रहा है कि वे वाहन चलाने वाले व्यक्तियों या जिन्हें लाइसेंस दिया जाना है, उनके लिए न्यूनतम शक्षणिक अर्हता निर्धारित कर दें।

[श्री चांद राम]

कुछ और भी संशोधन किए गए हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस विधेयक को पूरा समर्थन देंगे। यह विधेयक बहुत ही साधारण तथा निर्विवादपूर्ण है।

यदि जरूरत होगी तो मैं माननीय सदस्यों के विभिन्न सुझावों का उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मोटर यान अधिनियम 1939 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 5 जनवरी, 1979 तक जनमत जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाये।

श्री आर० वेंकटरमन : मोटरयान अधिनियम 1939 में पारित किया गया था और तब से 40 वर्ष बीत चुके हैं। यदि कोई इस अधिनियम को देखेगा तो पता चलेगा कि यह बरगद के पेड की तरह है। जिस तरह बरगद पेड़ की कई-शाखाए होती हैं, उसी तरह इस अधिनियम के कई संशोधन हैं। किसी के लिए भी इस बारे में सही स्थिति जानना संभव नहीं है। तब से इसमें इतने संशोधन किए गए हैं कि इसका मूल रूप ही समाप्त हो गया है। अतः सरकार के लिए मेरा पहला सुझाव यह है कि यह उचित समय है कि वे एक समेकित संशोधी अधिनियम लायें। इन सब बातों को सही रूप में रखें और परमिटों, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों तथा कराधान से सम्बन्धित सभी पहलुओं की पुनः जांच करे।

श्री बी० डी० पांडे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है जो परिवहन नीति की जांच करेगी। आशा है कि सरकार यातायात मोटरयान अधिनियम से सम्बन्धित सभी बातों पर गंभीरता से विचार करेगी।

मैं, एक दो बातों के बारे में संक्षिप्त रूप में कहूंगा क्योंकि हमारे सामने समूचा अधिनियम विचारार्थ नहीं है। सर्व प्रथम बात यह है कि रेलवे देश की यातायात जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है।

रेलवे द्वारा सामान तथा विशेष रूप से कोयले आदि को देश के विभिन्न भागों तथा नमक को दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने में असमर्थता के कारण, सदन में बार बार उसकी आलोचना होती रही है। जब रेलवे यातायात यह कार्य नही कर पा रहा है तो सड़क परिवहन की यह नीति होनी चाहिये कि वह देश में सही वितरण व्यवस्था के लिए सहायता दे, ताकि देश के भागों में इन वस्तुओं की कमी न हो। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक भाग में वस्तुओं की बहुलता होती है तो दूसरे भाग में उसका अभाव होता है परन्तु परिवहन के अभाव से उपयुक्त वितरण नहीं हो पाता है। जो लोग मोटर यान अधिनियम के पूर्व इतिहास से परिचित है, उनको इस बात की जानकारी की होगी कि सड़क यातायात का आरम्भ भी रेल तथा सड़क परिवहन के बीच स्पर्धा कम करने के उद्देश्य से ही यह अधिनियम बनाया गया था। वास्तविकता तो यह है कि इसका उद्देश्य रेलवे तथा सड़क परिवहन के बीच समन्वय स्थापित करना था ताकि सड़क परिवहन को कम कर के रेल परिवहन को कुछ लाभ कमाने योग्य तथा जीवित रखा जा सके। परन्तु अभी तक यह दोनों मिल कर भी देश के यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ती करने में सफल नहीं हो पाये है। सड़क परिवहन पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये और रेलवे पर इसके प्रभाव का उल्लेख किय बिना ही, इसे विकसित करने का भरकस प्रयत्न किया जाना चाहिये।

कई वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि लम्बी दूरी के लिये यातायात रेलवे में सुरक्षित होना चाहिये। इसलिए परमिटों को इस प्रकार दिया जाता है कि सड़क परिवहन के लिए कठिनाई हो जाती तथा वह लम्बी दूरी के लिए सामान ढोने के स्थिति में नही होता। ऐसी परिस्थिति में सड़क परिवहन दूर के स्थानों के लिए माल ढोने में असमर्थ हो गया। सड़क परिवहन की वर्तमान स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये तथा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिसके फलस्वरूप सड़क तथा रेल दोनों ही परिवहन सुविधायें मिल कर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर पूरा ध्यान देंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत आवश्यक हो गया है। हमें केवल लोक के फकीर ही नही बने रहना चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हम सड़क परिवहन को उसका उपयुक्त स्थान दिया जाये।

मैं दूसरा निवेदन सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में करना चाहता हूं जिसकी ओर गत कुछ वर्षों में बहुत कम ध्यान दिया गया है। सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीयकरण इस बात की पर्वाह किये बगैर कि अमुक रूप या अमुक क्षेत्र अधिक लाभप्रद होगा, यातायात के कार्य को पूरा किया जायेगा। स्पष्ट है कि उपनगरीय तथा शहरी यातायात में परिवहन लाभप्रद नहीं होता। अधिकांश नगरों और शहरी क्षेत्रों में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है क्योंकि उससें लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है। भले ही उससें उपक्रम को लाभ हो या नहीं। इसका कारण यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसें बहुत लम्बा रास्ता तह करती है यहां तक कि कुछ मामलों में यह बसे 300 मील प्रतिदिन से भी अधिक सफर तह करती है जब शहरी क्षेत्रों में यह बसें 150 मील प्रतिदिन तह कर पाती है क्योंकि शहर में एक तो यातायात अधिक होता है दूसरे बसों को स्थान पर रुकना पड़ता है। यही कारण है कि शहर की बस 120 से 150 मील से अधिक सफर तह नहीं कर पाती है। यही कारण है कि जब गाड़ी के उपयोग का प्रश्न आता है तो काम कम हो जाता है। अनक शहरों तथा शहरी क्षेत्रों में हमने परिवहन व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। ऐसा करते समय हमने संस्थान विशेष की लाभदेयता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। हमारा विशेष ध्यान इस ओर रहता है कि उससे लोगों को अधिक लाभ हो। परन्तु अब ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत को दिन प्रति दिन कम महत्व दिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने तथा योजना आयोग द्वारा उसें अधिक प्राथमिकता प्रदान करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं तीसरा निवेदन मोटरगाड़ियों की उपलब्धता के बारे में करना चाहता हूं। देश में ट्रक तथा बसें उपलब्ध नहीं हो रहे है। केवल दो ही वर्ष पहले यहां यह सूचना दी गई थी कि मोटर गाड़ियां नहीं ली जा रही है तथा इनका उत्पादन कम किया जाना चाहिय परन्तु अब स्थिति यह है कि यान उपलब्ध नहीं हो रहे है। जब बाजार में किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसकी चोरबाजारी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि परिवहन मंत्रालय को उद्योग मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुये, बढते हुये यातायात के अनुरूप ही मोटरयानों के संख्या में वृद्धि करने हेतु, उत्पादन वृद्धि करनी चाहिये। हमें ऐसे नीति नहीं अपनानी चाहिये जिससे कि हम केवल उतना ही उत्पादन करें जितना कि हमारी वर्तमान आवश्यकता हो, यदि हम ऐसा करते रहे तो ऐसा हो सकता है कि इसी प्रकार यानों की कमी हो जाये तथा वह काले बाजार में बिकते रहे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन के बारे में परिवहन तथा उद्योग मंत्रालय के बीच उपयुक्त समन्वय होना चाहिये ताकि देश की आवश्यकताओं का उपयुक्त ध्यान रखा जा सके।

इन प्रारम्भिक बातों के बाद अब मैं विधेयक के उपबन्धों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। बसों तथा ट्रकों के लिए अलग लाइसेंस प्राप्त करने सम्बन्धी उपबन्ध एक अच्छा उपबन्ध है। इन दिनों ही मोटर यानों को चलाने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण तथा अनुभव अपेक्षित है, इसलिए यह उपबन्ध अच्छा ही है। इसी प्रकार वेतन प्राप्त करके निजी गाड़ियां चलाने वाले लोगों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने सम्बन्धी उपबन्ध भी स्वागतीय है।

जहां तक ड्राइवरों के लिए शैक्षिक अर्हतायें निर्धारित करने सम्बन्धी उपबन्ध का प्रश्न है, यह उपबन्ध भी अच्छा है परन्तु इसके लिए यह अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिये वह दूसरी पास हो या ऐसी ही हो कोई अर्हता उसके लिए नहीं रखी जानी चाहिये। अर्हतायें केवल यही हो कि वह लिख व पढ़ सके तथा यातायात सम्बन्धी विनियमनों को समझ सके। इसके बारे में केवल एक टैस्ट पास करने की शर्तें होनी चाहिये।

मैं सरकार के समक्ष एक बात और रख देना चाहता हूं। अक्सर जब कभी कोई नया कानून बनाना जाता है तो उस समय हम उस व्यवसाय में लगे वर्तमान लोगों को भूल जात है। अनेक ऐसे ड्राईवर है जिनकी आयु 45 और 50 वर्ष है। ऐसे ड्राईवरों के लिए भी यदि आप यह नियम बना दे कि इनकी शैक्षिक अर्हताएं अमुक होनी चाहिये, तो इसके फलस्वरूप इस व्यवसाय में लगे अनेक लोग बेकार हो जायेंगे। हमें नियमों में उपबन्ध इस तरह से करना चाहिये जिससे कि 45 या उससें अधिक आयु के लोगों पर उनका प्रभाव न पड़े।

11—47! L.S.S./(ND) '78

[श्री आर० वेंकटरमन]

पुनर्निर्मित वाहनों के पंजीकरण के बारे में भी नया उपबन्ध किया गया है। मुझे मालूम नहीं कि मंत्री महोदय ने विधेयक पुरःस्थापित करते समय इसका सरसरीसा उल्लेख किया था या नहीं। मैं समझता हूं कि विधेयक पर विचार करते समय भी सदस्यों का ध्यान अनेक बातों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिये क्योंकि जब विधेयक पर सदन में विचार किया जाता है तो उस समय सदस्य महोदय जो कुछ भी कहते है, कई बार विधेयक को क्रियान्वित करने वालों के लिए वह मार्गदर्शी बन जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्निर्मित वाहन ऐसे होते है जिनमें किसी वाहन का इंजन तो किसी के पुर्जों आदि को मिलाकर एक नया वाहन बना दिया जाता है। इन वाहनों के पंजीकरण की बात तो की गई है परन्तु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पुनर्निर्मित वाहन सड़क-योग्य होना चाहिये तथा उन्हें सड़क-परीक्षण के बाद ही सड़क पर चलने की मंजूरी दी जानी चाहिये। यदि ऐसे वाहनों को उनकी परीक्षा के बिना ही उन्हें सड़क पर चलने की अनुमति दे दी जाती है तो वे परिवहन के माध्यम की अपेक्षा बिनाश के माध्यम अधिक होंगें। अतः पुनर्निर्मित वाहनों के पंजीकरण के बारे में काफी सावधानी बरतन की जरूरत है।

विधेयक में यह सुझाव भी दिया गया है कि जब वहानों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किया जाये तो उसके लिए अनापत्ति-प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये। अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण का कारण यह है कि वाहन चोरी का हो सकता है, यह भी हो सकता है कि उस पर देय कर का भुगतान न किया गया हो। इसीलिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर जोर दिया गया है। मेरी मान्यता यह है कि यदि अनापत्ति-प्रमाणपत्र को इतना अधिक आवश्यक बना दिया गया, तो उससें यातायात में बाधा पहुंचेगी।

जहां तक कि किराया खरीद का सवाल है, इस पर कार्यवाही करते समय इस बात का निर्णय किया जाना चाहिये कि गलती किसकी है--किराये पर लेने वाले की या किराये पर देने वाले की। हर मामलें में गलती करने वाला अलग व्यक्ति हो सकता है परन्तु विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गई है कि गलती सदा खरीदने वाले की ही होती है। यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि प्रमाणपत्र समय पर नहीं दिया जाता, तो ऐसी स्थिति में परिवहण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करके नया प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है। अतः यह निर्धारित किया जाना चाहिये कि दोष किसका है। कई बार केवल कम्पनियों द्वारा ही अग्रिम धनराशि नहीं दी जाती। अधिकांश ट्रकों तथा बसों के लिए अग्रिम धनराशि व्यावसायिक साहूकारों द्वारा दी जाती है तथा जब कभी भी उन्हें थोड़ा सा सुअवसर प्राप्त होता है वह इन गाड़ियों को हथिया लेते है। ऐसे मामलों में वह पंजीकरण प्राधिकरण के पास चले जाते है तथा उन्हें नया पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कह देते है। विधेयक में आपने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण प्राधिकरण चला जाता है तथा पुराना पंजीकरण प्रमाण-पत्र बदलने के लिए कहता है तो बिना किसी प्रकार की जांच पड़ताल के तथा बिना किसी निर्णयादेश के उसे नया प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जहां तक किराया-खरीद के मामले का सम्बन्ध है, उसके बारे में निर्णयादेश के अनुसार, तथा मामले की पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिये।

अन्ततः मैं समाज के कमजोर वर्ग को परमिट देने के मामले में, आरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह निश्चय ही एक स्वागत योग्य उपबन्ध है। कोई इसका विरोध नहीं करेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह व्यावहारिक है ? आज एक बस या ट्रक की लागत लगभग 1 लाख रुपया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कौन सा सदस्य भला इतना धन लगा कर अपना वाहन खरीद सकता है? इसके फलस्वरूप निश्चय ही बेनामी व्यापार होगा। ऐसे लोग कभी भी पैसा खर्च करके अपने वाहन सड़क पर नहीं ला सकते अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि परमिट जारी करने के बारे में सहकारी समितियों को तरजीह दी जानी चाहिये। ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिससे समाज के कमजोर वर्ग और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग सहकारी समिति बना सके तथा सहकारी संस्थायें उन्हें ऋण दें सके। ऐसा करने पर वे अपनी बस चलाने की स्थिति में हो सकेंगे। हम एक उपखंड रख सकते हैं जिसका अनुसार यह व्यवस्था की जाये कि समाज के कमजोर वर्गों और अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों क लोगों की सहकारी समितियां सहायता की हकदार होगी और दूसरी

सहकारी समितियों के मुकाबले उन्हें तरजीह दी जायेगी । इससें कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। 'बेनामी' का कार्य काफी संख्या में होगा और अन्ततः इसे बुरा ही माना जायेगा जिससें आपको एक संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा, या इस उपाबंध को वापस लेना पड़ेगा अथवा इस खण्ड को हटाना पड़गा ।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुई ।]

श्री शंभूनाथ चतर्वेदी (आगरा) : सड़क परिवहन के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है साथ ही हम यह भी देखते है कि यह पूर्णतः अव्यवस्थित है। अनुशासन किसी भी रूप में नहीं है। प्रशासन लोगों को, कुशल ईमानदार तथा द्रुतगामी परिवहन की सुविधा देने में समर्थ नहीं रहा है ।

राजधानी में भी हम देखते है कि नगरीय परिवहन विशेषकर स्कूटर, टैक्सी तथा बसों के सम्बन्ध में भी धोखाधड़ी किये जाने तथा अन्य कदाचारों की शिकायतों की कमी नहीं है। एक व्यक्ति जो पहली बार दिल्ली में किसी से मिलने आता है वह पूर्णतः इनकी दया पर ही होता है । जहां तक किराये का सम्बन्ध है, मीटर पहले से ही चालू स्थिति में होते है तथा यात्रियों को चक्करदार रास्ते से ले जाया जाता है। इसके अलावा, मीटरों में रोशनी नहीं होती हैं तथा रात्रिमें कभी भी यह मालूम नहीं किया जा सकता कि वास्तव में कितना किराया मीटर दवारा रिकार्ड किया गया है।

इसके अलावा, वे यात्रियों को उनके गणतव्य स्थान पर ले जाने के लिय बेखटके मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे स्थान पर जाने में फायदा होता है। वे स्कूटर स्टैंड पर खडे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें साथ चलने के लिये कहा जाता है तो वे पूछते हैं "आपको जाना कहां है" और अगर स्थान काफी नजदीक नहीं है अथवा अगर यह उनकी इच्छानुसार नहीं है, तो वे पूर्णतः असहाय छोड़ देते हैं, विशेषकर रात्रि के समय में इसके बावजूद कि यह राजधानी है, यह स्थिति है ।

मुझे मालूम नहीं है कि जब विदेशी लोग यहां आते है तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि धोखाधाजी तथा कदाचार इतने आम है कि प्रत्येक व्यक्ति परेशान है । हम भी इसके शिकार होते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले और अजनबी व्यक्तिही वास्तव में सबसें अधिक परेशानी उठाते है ।

दूसरी समस्या जिसका इस विधेयक सें सम्बन्ध नहीं है माल वाहन की है। एक टैक्स तथा दूसरा टैक्स अथवा एक चुंगी कर अथवा दूसरा चुंगी कर की वजह से प्रत्येक स्तर पर सड़क रोक ली जाती है। नगरेतर क्षेत्रों में यह बहुत ही अप्रिय बात बन गई है। प्रत्येक स्तर हम पर देखते है कि माल के ट्रक कतार में आधा घंटा अथवा दो घंटे तक खडे रहते हैं जिससें यात्रा के समय में विलंब होता है यहां पर भ्रष्टाचार भी बहुतायत में है, पैसा दिया जाता है और उसके बाद बगैर टैक्स दिये जाने दिया जाता है । अन्यथा उनको परेशान किया जाता है । अतः इन सब बातों की तरफ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

नगरेतर कस्बों में स्थिति और भी खराब हैं। उदाहरण के तौर पर, आगरा में तथा कई अन्य स्थानों पर भी मीटर तो लगा दिये गये हैं, लेकिन कोई भी उनके अनुसार वसूल नहीं करता है। मीटर कोई काम ही नहीं करते है तथा वे किराया चौगुना कभी-कभी इससें भी अधिक वसूल करते हैं, जो टैक्सी अथवा स्कूटर ड्राइवर की इच्छा पर होता है। जहां तक इस अधिनियम को लागू करने का सम्बन्ध है, इसमें पूर्णतः अव्यवस्था है ।

बसों में भी अधिक भीड़भाड़ की समस्या बनी रहती है। राष्ट्रीयकृत यातायात में भी मेरे विचार से आम लोगों का यह अनुभव है कि जब कोई पथ राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है, इससें तभी तक लाभ होता है जब तक मोटर गाड़ियां नई रहती है लेकिन कुछ समय के बाद ही स्थिति बिगड़ने लगती है । वे बसे जो ग्रामीण इलाको की सड़कों पर चलती है तथा नगरेतर कस्बों में चलती है उनकी अच्छी तरह सें सफाई भी नहीं की जाती है, उनकी पूरी तरह सें देखभाल नहीं की जाती है, वे धुवां छोड़ती जाती है, धुआं बसों के अन्दर भी आता है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कन्डक्टर और ड्राइवर का जीवन कम से कम कुछ वर्षों अवश्य कम हो जाता है। धुएं के कारण साधारण यात्री भी अपनी छाती में भारीपन महसूस करता है। जैसा कि मैं कह रहा था बसों की देखभाल बहुतही कम है, ये कड़ा-करकट तथा धूल सें परिपूर्ण होती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत सड़क यातायात की इस प्रकार की स्थिति को हम देखते है।

[श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी]

जब यातायात की पूर्ति प्राइवेट बसों के द्वारा भी की जाती है तो साधारण यात्री प्राइवेट बसों को अधिक अच्छा मानते है क्योंकि वे उनकी अपेक्षा बेहतर होती है । एकाधिकार का ही यह परिणाम है क्योंकि कोई स्पर्धा नहीं है, कोई उन कारणों की ओर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण सरकार को घाटा होता है, जनता को कठिनाई उठानी पड़ती है तथा हरएक प्रकार से यात्रिकों को घाटा होता है । इस प्रकार, राष्ट्रीयकृत यातायात कागजी कार्यवाही के अनुसार बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में, मेरे विचार से प्राइवेट कम्पनियां जो सुसंगठित होती है, बहुत अच्छा काम करती है। अधिक लाभ कमाने का प्रश्न सामने होता है । लेकिन यह अलग मामला है। लेकिन अगर इसे एकाधिकार के रूप में लिया जाता है तो स्थिति इसी प्रकार बिगड़ेगी जैसा हो रहा है। मेरे विचार से प्रत्येक स्थान का यही हाल है ।

जहां तक विधेयक के अन्य उपाबन्धों का सम्बन्ध है, जैसा कि श्री वैंकटरमन जी ने कहा है कि संशोधनों की काफी अधिकता है और कोई भी यह नहीं जानता कि किसी मामले की स्पष्ट स्थिति क्या है । अब बोबारा, मैं केवल दृढिकरण के लिये ही नहीं बल्कि सरलीकरण के लिये भी निवेदन करता हूं । इस बारे में मैं केवल एक या दो ही उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार उनको और अधिक जटिल बना दिया गया है । उत्तर प्रदेश के मेरे क्षेत्र में राज्य सरकार ने अपने अलग नियम बनाये है । ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिये, ड्राइविंग लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिये--इन सभी को मंडलीय मुख्यालय में केन्द्रीत कर दिया गया है । अब कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति जो मैनपुरी में रहता है, उसको अपने ड्राइविंग लाइलेंस तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीकरण कराने के लिये उनको आगरा भेजना है । इस प्रकार की स्थिति है। पूर्व में यह पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता था। उसके बाद आरको अपना वाहन निरीक्षण के लिये ले जाना है । इन सब बातों को सुधारने की आवश्यकता है । इनका प्रबन्ध करने का यही रास्ता है ।

इस विधेयक के एक मामले में, ट्रांसफर के बारे में जैसा कि श्री वैंकटरमन ने बताया है, कि राज्य सरकार को 'कोई आपत्ति नहीं' प्रमाणपत्र की क्या आवश्यकता है ? यह पंजीकरण करने वाले अधिकारी का कर्तव्य होना चाहिए कि वह वाहनों तथा अन्तरणकर्ता एवम जिसके नाम अंतरित किया गया है उनके पूर्ववृत्तों की जांच करे। अंतरण करने वाले व्यक्ति पर ये शर्तें क्यों लागू की जा रही है ? यह एक बहुत ही साधारण मामला है, लेकिन इससें काफी परेशानियां होती है। इससें भ्रष्टाचार को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलता है। अब पुलिस रिपोर्ट नहीं आ रही है। उस स्थिति में उसें शोत्र कराने के लिये स्वयं जाना पड़ेगा। उसके बाद कार्यालय द्वारा रिपोर्ट को दूसरे पंजीकरण प्राधिकारियों को नहीं भेजा जाता है। ये सभी बातें होती है, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा होगा । मैं आपसे खण्ड (क) को निरसन करने का निवेदन करता हूं। अगर इसमें किसी बात का सत्यापन कराना है तो इसका दायित्व प्रशासन पर होना चाहिये तथा अंतरित व्यक्ति को पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी को सूचित करना चाहिये कि अंतरण हो चुका है । इसके अलावा उनके पास और कोई दायित्व नहीं होना चाहिये। पंजीकरण करने वाले प्राधिकरण को स्वयं सत्यापन करना चाहिए । आपके पास बहुत बड़ा कार्यालय है, काफी संख्या में लिपिक तथा अधिकारी है, तथा वे क्या कार्य करते रहते है ? आपने इस भार को निजी व्यक्तियों के उपर डाला हुआ है जो अपनी गाड़ी बेच देता है ? ऐसा करके वह क्या अपराध कर देता है ? इससें काफी परेशानियां होगी । मैं इस खण्ड को तथा सम्बण्धित संशोधनों को हटाने का निवेदन करता हूं मैंने कुछ संशोधनों की सूचना दी है, लेकीन दुर्भाग्यवश उनको देरी से दिया गया है। मैं नहीं जानता कि उनको परिचालित भी किया जायेगा अथवा नहीं। मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर आप इसके लिये उत्सुक है कि इस विधेयक को लागू करने तथा इस विधेयक के उपाबन्धों को अधिक प्रभावी बनाया जाय, तो इसके लिये यह देखना होगा कि वाहन के व्यक्तिगत स्वामी को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े तथा उपाबन्धों को सरल बनाया जाय। सभापति महोदय मैं विशेष रूप से इस पर जोर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के उपाबन्धों को विधेयक से अलग किया जाय । मैं नहीं समझता कि भारी वाहन के लिये माल वाहन अथवा 'परिवहन वाहन' शब्दों दवारा क्या अन्तर किया गया है जबकि दोनों प्रकार के वाहनों को एक ही प्रकार के नाम में लाया जाता है ? अगर कोई व्यक्ति एक माल वाहन अथवा एक परिवहन वाहन अथवा भारी वाहन को चलाने में सक्षम है, मैं इसके अन्तर

को समझता हूं, मैं एक हल्के तथा एक भारी वहान के अन्तर को समझता हूं। लेकिन मैं माल तथा परिवहन वाहनों के अन्तर को नहीं समझ पाया हूं जबकि दोनों ही भारी वाहन हैं। इनसे केवल मामला पेचीदा होगा।

सभापती महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी : दूसरा अन्तर एक प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस तथा सरकारी ड्राइविंग लाइसेंस के बीच किया गया है। इससे केवल यही लाभ है कि एक प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस को पांच वर्ष तक के लिये नवीकरण किया जा सकता है जबकि सरकारी ड्राइविंग लाइसेंस को केवल तीन वर्ष तक के लिये ही नवीकरण किया जायेगा। मैं नहीं जानता कि इससे किसी भी पक्ष को कोई खास लाभ होगा। एक व्यक्ति जो गाड़ी चलाना जानता है वह दोनों ही चलाने में योग्य होगा।

सभापति महोदय : आपने इस बात को कह दिया है। आप कृपया अब भाषण बन्द करे। यहां पर बोलने वाले काफी संख्या में है।

श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी : मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन उपबन्धों को इस विधेयक से हटा देना चाहिये, क्योंकि इससे केवल मामला और पेचीदा होगा। अतः एक दूसरा विधेयक जिसमें उपाबन्धों का समेकन हो अथवा विवेकपूर्ण हो, आगे लाया जाना चाहिये, ताकि लोग जान सके कि उन उपाबन्धों के सम्बन्ध म उनका क्या स्थान है? प्रशासन को अधिक प्रभावी तथा अधिक कुशल बनाना चाहिये।

सभापति महोदय : श्री रवि।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : सभापति महोदया, यह एक अच्छी बात है कि मंत्री महोदय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को अधिक वरीयता देना चाहत हैं। कुछ निश्चित उपाबन्धों से वह अधिनियम को विनियमित करना चाहते ह।

इसमें दो या तीन बातें है जिन पर हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। सबसे पहले, मंत्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्टतः बताया है कि महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों क आवेदकों तथा इस पूरे समाज को वरीयता देना है। लेकिन सभापति महोदया, उन लोगों द्वारा उपाबन्धों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जो वाहन को खरीदने के लिये पैसा दे सकते है तथा पंजीकरण के लिये आवेदन करेंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सम्बन्ध में बेनामी नाम हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि इसके लिये कुछ अन्य तरीके को प्रयोग में लाया जा सकता है। कोई उचित मार्गदर्शन नहीं किया गया है। बगैर उसके तथा इन कमजोर वर्गों को बगैर वित्तीय सहायता के, यह संभव नहीं होगा कि आपकी इच्छा को कार्यान्वित किया जा सके। मैं इस बात को बताना चाहता हूं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उनके पास क्या प्रस्ताव है और वे इस अधिनियम को किस प्रकार कार्यान्वित करने जा रहे हैं, ताकि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता की जा सके। क्या इस सम्बन्ध में आपके पास कोई योजना है? अन्यथा आवेदन पत्रों में जिनका नाम नहीं है उसको कराके दुरुपयोग किया जा सकता है अथवा उनके हस्ताक्षर कराने के लिये ज्यादा धन देकर दुर्पयोग किया जा सकता है। कुछ लोग जो धन दे सकते हैं ऐसा करेंगे तथा व्यक्तिगत आवेदन पत्रों में जिनके नाम नहीं हैं उनको कराके इनका दुर्पयोग हो सकता है। यह मेरा प्वाइट नम्बर एक है। दूसरे, जहां तक सहायता का सम्बन्ध है हम इसका स्वागत करत ह कि इन लोगों को सहकारी समितियां बनाकर प्रोत्साहित किया जाय। मेरा प्वाइंट यह है कि आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां को वरीयता दी जाय। मेरा प्वाइंट यह है कि अन्य समाज की अपेक्षा उनको वरीयता दी जाय। लेकिन यह कैसे सुनिश्चित किया जायेगा? यह मेरा प्वाइंट है। मैं मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देने की इच्छा प्रकट करता हूं।

इसके बाद अन्य प्रावधान दंड देने के बारे में है अर्थात् लाइसेंस की जब्ती। आप यह बता चुके हैं कि मूल अधिनियम में भी लाइसेंस को सौंपने तथा निरसन का प्रावधान है। लेकिन उसक बारे में श्री वेंकटारमन शैक्षिक योग्यता के बारे में बता रहे थे। मैं उनसे सहमत हूं कि शैक्षिक योग्यता बेरोजगार व्यक्ति के सामने नहीं खड़ी होनी चाहिये, ताकि वह ड्राइविंग की तकनीकियों को सीख सकें, और एक लाइसेंस प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सके। साथ ही मैं उनकी इस

[श्री वयालार रवि]

बात से भी सहमत हूं कि उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिये तथा ट्रैफिक के नियमों तथा विनियमों को जान सके। इसके अलावा उनको जीवन के मूल्य को भी पहचानना चाहिये, जिसकी हत्यारे कोई परवाह नहीं करते हैं। वे सड़कों पर पैदल चलने वालों का कतई ध्यान नहीं रखते। तथा वे मनुष्य के जीवन की कोई परवाह नहीं करते। हमारे देश में दुर्घटनायें भय उत्पन्न करने वाली दर पर हो रही है और उनका कोई नियंत्रण दिखाई नहीं पड़ता है। यद्यपि हम विधेयक को पारित कर चुके है, इसको प्रधान मंत्री जी द्वारा यह कहा गया था कि जो गाड़ी चलाते समय शराब पीये हुये पाये जायेंगे, उनको दंडित किया जायेगा, फिर भी मुझे डर है कि अगर मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें, तो उन्हें मालूम होगा कि इस उपबन्ध के अन्तर्गत बहुत अधिक लोग गिरफ्तार नहीं किये गये हैं। उन्हें यह भी मालूम होगा कि इसकी वजह से काफी संख्या में लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया है। जहां तक मुझे जान पड़ता है इसके कारण बहुत ही थोड़ी संख्या में ड्राइवरों को दंडित किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप कानून को लागू करने में समर्थ नहीं रहे हैं।

सभापति महोदया, शैक्षिक योग्यताओं को लागू करने से उनके दिमाग में किसी प्रकार का विचार आयेगा कि मनुष्य की जिन्दगी की क्या कीमत है तथा वे अविवेकी रूप से गाड़ी चलाने से रुकेंगे। यह एक अच्छी बात है जिसे आप लागू करने जा रहे हैं लेकिन आपको ऐसी योग्यताएं निर्धारित नहीं करनी चाहिये जिससे ड्राईविंग लाइसेंस प्राप्त करने में यह बाधा स्वरूप साबित हो।

इसके बाद अध्यक्ष महोदया, खंड 15 तथा 16 में एक व्यक्ति की अयोग्यता के बारे में बताया गया है तथा ड्राइविंग लाइसेंस की जब्ती के बारे में बताया गया है। खंड 15 (क) में आदती अपराधियों तथा आदतन शराब पीने वालों के बारे में बताया गया है। लेकिन मेरा यकीन है कि बिल्ला और रंगा के पास अभी भी लाइसेंस हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारों को अनुदेश दिये जाये कि इन उपाबन्धों को कड़ाई के साथ लागू किया जाय। मेरा प्रश्न यह है कि आपको इस बात के लिये विशेष प्रावधान बनाना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 304क के अन्तर्गत दोषी पाया जाये तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाये। मास्को में एक अपराध करने पर ट्रेफिक कंस्टेबल द्वारा लाइसेंस में एक पंच किया जाता है और दूसरा अपराध किये जाने पर दूसरा पंच किया जाता है और तीसरा पंच होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। यहां पर भी हमें नरमी से काम नहीं लेना चाहिये और भारतीय दंड संहिता की धारा 304क का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिये। लोगों को मारने वाली घातक दुर्घटनाओं के लिये कड़ी सजा दी जानी चाहिये। उन्हें न केवल जेल भेजा जाये बल्कि उनके लाइसेंस भी रद्द किये जाने चाहिये। धारा 72, 74, 16 तथा 124क में केवल नाम मात्र सजा की व्यवस्था है। धारा 72 में कहा गया है कि बजन तथा प्रचलित सीमाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारें प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा और भी प्रावधान हैं। अतः आपको अपराधों का पता लगाना चाहिये और सजा की व्यवस्था करने का भी ध्यान रखना चाहिये।

मैं इसी लिये मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस बार नहीं तो इस बारे अगली बार और संशोधन लायें।

मैं दिल्ली परिवहन के बारे भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने एक बार कहा था कि परिवहन घाटे पर चल रहा है। दिल्ली के यात्रियों को अधिक परिवहन की व्यवस्था करना उनका काम है। दो दिन पहले एक रिपोर्ट आयी थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के यात्रियों को बस की सुविधायें प्राप्त करने में लगभग एक सदी का समय लग गया है और दिल्ली में ऐसे यात्रियों की संख्या 20 लाख 80 हजार है। यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या एक अच्छी संस्था न होने के कारण है। सभापति महोदय आप जानती हैं कि तमीलनाडु में 5 से 7 सड़क परिवहन निगम बनाये गये हैं जो बड़ी कार्यकुशलता से काम कर रहे हैं। श्री वेंकटारमन के सुझाव पर इन सात निगमों का गठन करके सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तमिलनाडु में एक नहीं बल्कि सात निगमों का गठन किया गया है। ये सब सरकारी क्षेत्र के निगम हैं। केरल में ऐसा नहीं है। वहां केवल एक ही निगम है और उन्हें घाटा हो रहा है। अनेक निगम स्थापित करके आप लोगों से यह अनुभव करवाते हैं कि राष्ट्रीयकृत परिवहन निजी परिवहन से अच्छा होता है। तमिलनाडु सरकार ने ऐसा ही किया है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लिये भी ऐसा क्यों नहीं करते? दिल्ली परिवहन कार्यकुशल नहीं है। आप इस प्रणाली पर पुनः विचार करें।

सभापति महोदय : लगभग न होने के बराबर ही है।

श्री वयालार रवि : यह सम्बन्धित लोगों की असली समस्या है। आपको समूचे ढांचे का पुनर्गठन करना चाहिये। केवल अधिकारियों के प्रतिवेदन पर चलने से काम नहीं चलेगा। आपको पुनर्गठन करना चाहिये और देखना चाहिये कि

लोगों को अधिकाधिक सुविधायें कैसे दी जा सकती हैं। आपको उसके लिये उचित उपायों का पता लगाना चाहिये। यदि कोई दिल्ली परिवहन निगम की निंदा करे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिये। यह बात सच है कि सड़क पर कोई सुरक्षित नहीं है। तेजी से ड्राईविंग होती है। ट्रेफिक नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। आप ध्यान रखें कि दिल्ली में इन ट्रेफिक नियमों को पूर्णत: कार्यान्वित किया जाये। रैश ड्राइविंग करने वाले ड्राइवरोंको पुन: बसें न चलाने दिया जाये। आप को इस ढंग से सख्ती से चलना चाहिये। लोगों का कहना है कि दिल्ली परिवहन निगम मौत का बुलावा है। यह भावना दूर हो जानी चाहिये।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस बारे अनेक सुझाव तथा संशोधन आये हैं। आप देखें कि इन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम दास सिंह (गिरिडीह) : मोटर यान संशोधन विधेयक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इसको लाने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि कुछ समस्यायें जो थीं उनकी ओर उसका ध्यान गया है और उनका उससे निराकरण करने की कोशिश की है।

सब से पहले तो मैं इस बिल का इस वास्ते स्वागत करता हूं कि कमजोर तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं हरिजन या जन जाति के लोग हैं उनको लाइसेंस देने के मामले में सरकार ने प्राथमिकता बरतने का फैसला किया है। यह बहुत आवश्यक था। लेकिन उस में पढ़ाई वगैरह की शर्तें रखी गई हैं जिन का दुरुपयोग हो सकता है। हमारे पूर्व वक्ता ने इस चीज़ को बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कितनी पढ़ाई की आवश्यकता है उनको लाइसेंस देने के लिए। मैं समझता हूं कि सही रुप से और व्यावहारिक ढंग से इस चीज़ को लागू किया गया तो इससे इन लोगों को लाभ ही होगा जो कि आपका मंशा भी है।

मैं खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करना चाहता हूं। वहां से माल के यातायात का साधन केवल ट्रक्स ही होते हैं। जितने वहां उद्योग धंधे हैं उन सब का सामान ट्रकों द्वारा ही आता जाता है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इसके राष्ट्रीयकरण की अति आवश्यकता थी जिसका कोई भी जिक्र मंत्री महोदय ने नहीं किया है। बहुत बड़े विधान होने और कानून में संशोधन करने पर भी बहुत बरसों से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है उसका एक खास कारण यह भी है कि जिनके पास बसें और गाड़ियां हैं वह तो अपना सामान ला सकते हैं बेच, सकते हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं जो खासकर सहकारी माध्यम से थोड़ा रोजगार करते हैं वह देहात के रोजगार को छोड़कर फिर शहर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी सैकड़ों रिपोर्टें आई हैं कि जिन वजहों से देहातों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां उद्योगों का प्रसारण नहीं हुआ। मुख्य कारण यही है कि वहां माल ले जाने और लाने का कोई भी साधन नहीं है। इसलिये जो ट्रेफिक हैं इनको सुधार करके नियमों का सरकारीकरण बहुत जरूरी है। जो समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं उनको को-आपरेटिव्ज के जरिये गाड़ी वगैरा सरकार को देनी चाहिये।

जो आज के पूंजीपति लोग हैं जो कर्ज के रूप में रुपया देते हैं, उनका सूद बहुत ज्यादा होता है और उसका नतीजा यही होता है कि उनकी मदद से अगर कोई गरीब गाड़ी लेता है तो किसी न किसी रूप से वह गाड़ी उन बड़े लोगों के पास ही चली जाती है।

जिस तरह से आरक्षण ड्राइविंग लाइसेन्सेज देने में किया गया है, उसी तरह से किसी कानून की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसके माध्यम से उन लोगों को गाड़ी सुलभ किश्तों में दी जा सके जिससे वह उसको अपना बना सकें।

यह देखना चाहिये कि रेलों के ज़रिये ही माल नहीं जाता है। हम लोग कोयला क्षेत्रों से आये हैं। कोयला क्षेत्र में जहां 84 रुपये से 72 रुपये टन तक कोयला मिलता है, वही पंजाब और दिल्ली में देखिये 10 गुना अधिक कीमत पर मिल रहा है। जिन के पास बसें या ट्रक हैं, वह लोग माल ले आते हैं और जिनके पास नहीं हैं, वह नहीं ला पाते हैं। अगर सरकारी व्यवस्था वहां पर देखी जाये तो रेलों के साधन पर्याप्त नहीं हैं और जो सड़क के द्वारा माल लाया जाता है वह, भी अपर्याप्त है। देश के एक कोने से दूसरे कोने में माल ले जाना जो अत्यावश्यक है उसके लिये भी सुविधा नहीं है।

इन तमाम बातों को देखने के बाद जो सन् 1939 के कानून बने हुए हैं वह बहुत पुराने हैं उनकी जगह पर नये कानून लाकर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि इन राहत के कामों के लिये थोड़े से संशोधनों से काम चलने वाला नहीं है, आज जितनी आवश्यकता है, उसके लिये यह कानून अपर्याप्त है, इनको बड़े गौर से देखकर नये ढंग से कानून लाने चाहियें।

[श्री राम दास सिंह]

जहां तक बिना टिकट वालों पर जुर्माने और शराब पीने वालों को दंड देने की बात है, यह जरूर होना चाहिये । इसके बिना काम नहीं चलेगा । आज जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके हरेक के समाचार में यह सुनने को मिलता है कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था । इसमें जो उसके लिये कड़ाई और सजा का प्रावधान किया गया है वह ज्यादा नहीं है, बल्कि कम है । इसलिये हर जगह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये यह बहुत जरूरी है लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आज देखने की है, वह यह है कि बसों और ट्रकों में ओवर-लोड इतना ज्यादा होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है । इसके लिये भी कोई सीमा होनी चाहिये । जो लाइसेंस की पद्धति हमारे मंत्री महोदय लाये हैं, इसको और दुरुस्त करना चाहिये । वहां लाइसेंस एग्जामिनेशन ले कर या ट्रायल दे कर के नहीं किया जाता । वहां तो लाइसेंस खरीदा जाता है । जिसके पास पांच सौ रुपया होता है उस को घर बैठे लाइसेंस मिल जाता है । उस को ट्रायल के लिए भी नहीं जाना पड़ता है । कुछ रिपोर्ट छोटा नागपुर के बेल्ट में एन सी डी सी की कोलियरी में हुई थी, उसमें पन्द्रह बीस केस पकड़े गए थे लेकिन आज तक उन के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई । इसी कारण ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि जो उन को लाइसेंस दिया जाता है वह बिना उन का टेस्ट लिए दिया जाता है, ड्राइविंग कला को वह पूरी तरह से जानत नहीं है । इसलिए यह जो भ्रष्टाचार इस की व्यवस्था में और प्रशासन में है उस ओर कड़ाई करनी चाहिए थी । इस ढंग का कोई गलत लाइसेंस ईश्यू हुआ और इस कानून का उल्लंघन हुआ तो सिर्फ जो गाड़ी चलाते हैं और माल ले जाते हैं उन पर तो कार्यवाही होती है लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी वहां हैं उन के खिलाफ आज तक कोई भी कठोर कानून बना कर उन पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया जिस की वजह से जितनी भी गलतियां होती हैं प्रशासन विभाग समझता है कि यह हमारे लिए कमाने का एक जरिया है, इसलिए गलतियों को और प्रोत्साहन देता है । इसीलिए हम आप से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस के ऊपर भी ध्यान दें । कुछ तो इस के जो मुद्दे हैं उस के लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं लेकिन कुछ व्यवस्था इस में और करनी चाहिए थी जिस का बहुत बड़ा अभाव है । आज पहली बार इस मंत्रालय ने इस ओर थोड़ा ध्यान दिया है और चार पांच जो इस के मुद्दे हैं जैसे गरीब लोगों को लाइसेंस देना, शराब पीकर गलती करने वाले को सजा देना और बिना टिकट चलने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान करना, इन सारे मुद्दों का मैं स्वागत करता हूं और एक अपील करता हूं मंत्री महोदय से कि पूर्ण रूपेण इस की छानबीन कर के एक नया बिल वह भविष्य में इस के लिए लाएं जिस से कि इस सारी व्यवस्था में सुधार हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री भगत राम (फिल्लौर) : सभापति महोदया, पिछले समय में कई बार इस मोटर वेहिकल्स ऐक्ट का अमेंडमेंट हो चुका है । पिछले साल जुलाई में भी इस का एक अमेंडमेंट हुआ था जिस में शराब पीकर चलाने वालों को सख्त सजा देने का प्राविजन किया गया था । लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या उस बिल के पास होने के बाद जो ड्राइवर वगैरह शराब पीकर मोटर गाड़ियों या बसों को चलाते थे उन की संख्या घटी है ? क्या ऐक्सीडेंट घटे हैं ? वह घटे नहीं हैं बल्कि और बढ़े हैं । क्योंकि उनकी जो वर्किंग है और जो उनकी सर्विस कंडीशन है वह बिलकुल नहीं बदली है, वह अंग्रेजों के जमाने की बिलकुल गुलामों जैसी है । उस में कोई फर्क नहीं पड़ा है । उनकी सर्विस में कोई सेक्योरिटी नहीं है । उन का वेतन भुखमरी का वेतन है और उन के जो काम के घंटे हैं वह बहुत ज्यादा हैं । कई जो लोअर स्टाफ के लोग हैं उन को सोलह सोलह घंटे काम करना पड़ता है । इसी तरह से उनके लिए कोई रेस्ट हाउस नहीं है । ट्रैफिक पुलिस उन को बहुत तंग करती हैं, उनसे पैसे मांगती हैं और भ्रष्टाचार करती है । मोटर टैक्स की और किराये की कोई यूनिफार्मिटी नहीं है, सब जगह वह एक जैसा नहीं है । ऐसी बहुत सी प्राबलेम्स हैं जिनका सामना रोड ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स को करना पड़ता है । इसलिए इतने अमेंडमेंट होने के बाद भी कोई खास सुधार हालत में नहीं हुआ है । इसलिए यह जरूरी है कि इस ऐक्ट को ठीक ढंग से अमेंड किया जाय और एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाया जाय जिस में ये सभी प्राविजन हों ताकि ये सभी मामले ठीक ढंग से चल सकें ।

इस बिल का जो मकसद है वह है स्टेट नेशनल परमिट्स कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उन को रिजर्वेशन देना और इस के अलावा जो बिना टिकट यात्री है उस को खत्म करना । इस बिल की जो भावनायें हैं वह बिल्कुल ठीक है लेकिन मुझे अफसोस है कि वह भावनायें इस बिल के द्वारा पूरी नहीं होंगी । शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए इसमें जो प्राविज़न हैं उसके जरिए से सिर्फ यह मंशा पूरी होने वाली नहीं है । हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी उन्हीं जातियों में से हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि उन लोगों की क्या हालत है । वे लोग किस तरह से वेहिकल्स खरीदेंगे—इसके लिए इसमें कोई भी प्राविजन नहीं है । उनको कैसे फाइनेन्स किया जायेगा—इस बात का कोई जिक्र नहीं है ।

ऐसा न होने की वजह से इसमें बेनामी सौदे होंगे क्योंकि वे लोग तो खरीद नहीं पायेंगे । जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं वही लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के नाम पर खरीदेंगे और इस तरह से इससे भ्रष्ट्राचार बढ़ेगा । ऐसी हालत में मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में इन जातियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि जो ट्रक और मोटर चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर हैं या जो मेकेनिक हैं जोकि ज्यादातर इन्हीं जातियों से सम्बन्ध रखते हैं, उनकी कोआपरेटिव सोसायटीज बनाई जायें और उन्हीं को लाइसेंस दिए जायें । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जो लोग ट्रक्स पर काम नहीं करते हैं, उन्हीं को लाइसेंस दे देंगे तो लाजिमी है कि इन जातियों के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा और इस फायदे को उठाने वाले कोई दूसरे लोग ही होंगे जिनके पास कि पहले से ही काफी ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस हैं । ट्रांसपोर्ट कम्पनियों में जो लोग काम करते हैं उनमें बहुत से लोग इन्हीं जातियों से सम्बन्ध रखते हैं और उनकी जो हालत है वह बड़ी दयनीय है । उनको ठीक ढंग से वेतन भी नहीं मिलता है । अगर आप उनकी हालत को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक और बिल लाना पड़ेगा और नेशनालाइजेशन करनी होगी ।

बिना टिकट यात्रियों को पांच सौ रूपये तक की सजा देने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है । इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात को मानती है कि हमारे देश में 65 परसेंट से ज्यादा लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं । कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टर्स टैक्स की चोरी करने के लिए टिकट नहीं देते हैं । वे अपने कण्डक्टरों को कम टिकट देने के लिए हिदायत दे देते हैं । स्टेट ट्रांसपोर्ट में भी कई बार कंडक्टर्स टिकट नहीं देते है और वे अपनी मजूबरी बताते हैं कि आफिसर्स को पैसा देना पड़ता है । ऐसी हालत में आप जो 500 रुपए का जुर्माना करने जा रहे हैं वह भी इन्हीं लोगों पर होगा जोकि अनपढ़ हैं, गरीब हैं । एक तरफ तो आप रिज़र्वेशन करके अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को फायदा पहुंचाने की बात सोच रहे हैं और दूसरी तरफ 500 रुपए का जुर्माना करने की सोच रहे हैं जोकि ज्यादातर इन्हीं हरिजनों और गरीब अनपढ़ लोगों पर ही होगा क्योंकि अधिकतर इन्हीं लोगों में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस के बारे में भी आपको अच्छी तरह से सोचना चाहिए । जिस भावना से यह बिल लाया गया है उससे तो मैं सहमत हूं लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाया जा सकेगा—इसमें मुझे शक है । एक तरफ आप रिज़र्वेशन करके अनुसूचित जातियों तथा एकोनामिकली पिछड़े हुए लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 500 रुपए का जुर्माना ज्यादातर उन्हीं लोगों पर होगा ।

इस लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इस बिल की भावनाओं को प्रेक्टिकल रूप देने के लिये ज़रूरी है कि इस बिल को ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय, ताकि वहां पर अच्छी तरह से सोच-विचार करने के बाद जो आप की भावनायें हैं, उन को पूरा किया जा सके ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह विधेयक यों तो 1939 में बना था और पिछले तीस सालों में समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार, सड़क परिवहन की आवश्यकता के अनुसार इस में परिवर्तन होते रहे । लेकिन 1976 में एक परिवर्तन आया—नेशनल परमिट स्कीम को लागू करने के लिए। उस के बाद जब जनता सरकार आई तो दो बार इस में परिवर्तन हुए और अब हमारे परिवहन मंत्री जी ने जो प्रगतिशील कदम उठाया है—खास तौर से उन लोगों के लिये जो आज तक उपेक्षित रहे—यह बहुत ही सराहनीय कदम है ।

यह बात सही है कि पूरे देश में यातायात की व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिये बसों, ट्रकों तथा अन्य प्रकार की तेज चलनेवाली सवारियों की बहुत आवश्यकता है । देश की आवश्यकता के अनुसार रेलों की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है । आज भी देश के अन्दर बहुत से ऐसे भाग हैं—जहां रेलें नहीं पहुंच पाई हैं । वहां सड़क यातायात ही ऐसे साधन हैं जिनसे पहुंचा जा सकता है । मंत्री महोदय ने जो कदम उठाया है, उस के द्वारा अब समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों—आदिवासियों, हरिजनों, आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों—को भी अब इन बसों, ट्रकों, मझौली गाड़ियों आदि के परमिट मिल सकेंगे । इस दृष्टि से यह प्रावधान वस्तुतः सराहनीय कहा जा सकता है । लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस में अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं । हमारे समाज में ऐसे बहुत से दुर्बल लोग हैं जो अकेले इन ट्रकों को खरीदने में सक्षम नहीं होते । पहले इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी—यदि ये लोग अपनी सहकारी समिति बना लें, तो उन्हें ये सुविधायें दी जाती थीं । मैं चाहता हूं कि इस बिल में भी ऐसा प्रावधान जोड़ दिया जाय कि 5 या 10 लोग मिल कर, जो शिक्षित बेरोज़गार युवक हैं, आदिवासी है, हरिजन हैं, यदि वे अपनी सोसायटी बना लें, तो उन्हें भी नेशनल परमिट मिल जाय । इस तरह की व्यवस्था कर देने से उन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मदद मिल जायेगी तथा इस से यातायात की व्यवस्था में भी सुधार हो सकता है ।

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

आज सभी गाड़ियों में लोग उन की निर्धारित क्षमता से ज्यादा भर कर जाते हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में कानून की व्यवस्था है, उन का चालान किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है । एक तरह से ये भ्रष्टाचार का बहुत व्यापक स्रोत बन गया है। जीपों, प्राइवेट कारों में तो लोग आम तौर से निर्धारित संख्या से अधिक भर कर जाते हैं, आप के अफसर, सिपाही, पुलिस सब देखते रहते हैं—उन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है । जीप में 5 सीटें होती हैं, लेकिन अकसर 5 की जगह 10 लोग चलते हैं। बहुत सी ऐसी जीप गाड़ियां भी चल पड़ी हैं जो किराये पर चलाई जाती हैं—उन की कैपेसिटी यद्यपि 5 सीटों की हैं, लेकिन उन में 10—15 लोग भर कर जाते हैं। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि इन गाड़ियों के लिये जो प्रावधान है—उन में सीटों की संख्या कुछ बढ़ा देनी चाहिये। क्योंकि यह देखा जाता है कि जितनी सीटें वाहन में निश्चित की हुई होती हैं उससे अधिक ही लोग उनमें चलते हैं । सभी वाहनों में ऐसा पाया जाता है । इस का लाभ उठा कर पुलिस विभाग को भ्रष्टाचार का स्रोत मिल जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपने गाड़ियों का वर्गीकरण कर के बहुत अच्छा काम किया है । परिवहन गाड़ियों पर सफेद पट पर काले अक्षर रहेंगे, अस्थायी रूप से पंजीकृत गाड़ियों पर पीले पट पर लाल अक्षर रहेंगे, विक्रेता वाली मोटर गाड़ियों पर लाल पट पर सफेद अक्षर र हेंगे और दूसरी तरह की गाड़ियों पर काले पट पर सफेद अक्षर रहेंगे इस से गाड़ियां बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो सकेंगी ।

इस के साथ साथ मैं मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इस में और अधिक प्रावधान होना चाहिए। आप ने इस बिल में दिया है कि एक ही ड्राइवर यदि बारबार अपराध करता है तो उसे चौथाई सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इस से अधिक की सजा होनी चाहिए । जो ड्राइवर अक्सर शराब पीकर बेहोशी की हालत में वाहन चलाते हैं उनको भी कड़ी सजा का प्रावधान इस में होना चाहिये। ऐसे ड्राइवरों की पकड़-धकड नहीं होती है । इसलिए इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने की जरूरत है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

***श्री पी० थियागराजन** (शिवगंगा): मैं मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

यह संशोधन विधेयक राज्य सरकारों के परामर्श, राज्य परिवहन निगमों तथा गैरसरकारी क्षेत्र को संस्थाओं के परामर्श तथा सड़क परिवहन सम्बन्धी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य पहले अधिनियम की कमियों को दूर करना है। प्रधान मंत्री ने सड़क परिवहन तथा विकास के बारे जो कुछ कहा, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं ।

प्रधान मंत्री ने केवल दो दिन पहले कहा कि वे 1946 से सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण की मांग करते आ रहे हैं और एसा न करने से रेलवे के हितों को क्षति पहुंचेगी। यदि प्रधान मंत्री के ऐसे विचार हैं तो यह संशोधन विधेयक क्यों लाया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार अन्य बातों की तरह राज्य सरकारों को आदेश क्यों नहीं देती कि भारत के प्रधान मंत्री के विचारों को कार्यान्वित किया जाय ? प्रधान मंत्री का यह विचार ऐसा वैसा नहीं है । उन्होंने यह बात सड़क विकास परिषद में दिए अपने भाषण में कही । परिवहन मंत्री प्रधान मंत्री के शब्दों को एकदम नकार नहीं दे सकते। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि म सड़क विकास के ओर धन देने के पक्ष में नहीं हूं। यहां केन्द्र सरकार के कुछ आंकड़ों को देना संगत होगा ।

सड़कों में एक यूनिट लगाने से 100 व्यक्तियों को कार्य के अवसर मिलेंगे और यदि उसी यूनिट को रेलवे और लघु उद्योगों में लगाया जाए तो इससे केवल क्रमशः 19 और 17 कार्य के अवसर मिलेंगे । सरकारी अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार सड़क विकास में 100 करोड़ रुपया लगाने से 5200 मानव वर्ष प्राप्त होंगे। सड़क विकास में रोजगार के बढ़ाने को सबसे अधिक क्षमता है। इन सब तथ्यों को प्रधान मंत्री ने कैसे भुला दिया । प्रधान मंत्री के इस कथन की भी परिवहन मंत्री जांच करें कि सड़क परिवहन भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, तस्करी आदि से भरा पड़ा है ।

चुंगी चौकियों के कारण परिवहन अक्सर रुक जाता है और इससे अनेकों गलत बातों को बढ़ावा मिलता है। केन्द्र इसे हटाना चाहती है परन्तु इससे राज्यों को होने वाली हानि के संम्बध में चुप है।

विधेयक में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। विसान और जहाज आदि की दुर्घटना के लिए जब कि ऐसी व्यवस्था है सडक दुर्घटना के शिकार लोगों को एक पैसा भी नही मिलता । परिवहन मंत्री इस पर विचार करें। इसी प्रकार सड़क के द्वारा जानेवाले माल कों बीमें की सुविधा भी दी जाए ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

अभी भी विधेयक में जैसा कि मुझ से पुर्व वक्ता श्री रवि ने कहा, ड्राइवरों की योग्यता, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को सजा आदि देने के बारे में अनेको दोष है। मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय इन सभी दोर्षों को दूर करते हुए एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे ।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में पूर्वीतट राजपथ बनाना बड़ा आवश्यक है । इससे राज्य और केन्द्र दोनों को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलेगा ।

सड़क परिवहन में क्योंकि रोजगार देने की बड़ी क्षमता है, इसलिए केन्द्र इसके लिए अधिक धन की व्यवस्था करे । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : मैं विधेयक का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं क्योंकि इसके द्वारा प्रशासन और कार्य के सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्यों को कुछ अधिकार देने की व्यवस्था है । इसमें आदिवासियों और हरिजनों को विभाग में सेवा करने और गाड़ी रखने की प्राथमिकता दी गई है ।

तीसरे, बिना टिकट सरकारी बसों में यात्रा करने वालों के लिए कुछ दंड की व्यवस्था की गई है । इस सम्बन्ध में किसी को एतराज नहीं हो सकता । परन्तु फिर भी विधेयक में अनेकों कमियां है । विधेयक में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के परिवहन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है । इन दोनों के बीच प्रतियोगिता चलनी चाहिए । अन्यथा सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार होने से वे लोग दुर्व्यवहार करते हैं । हम देखते है कुछ मामलों में निजी लोगों का प्रबन्ध सरकारी प्रबन्ध से अच्छा होता है । इसलिए दोनों की बसे आदि साथ-साथ चलें । इससे दोनों में प्रतियोगिता चलेगी और निजी क्षेत्र को लाभ तथा सरकारी क्षेत्र को हानि होने की स्थिति में उसकी निन्दा की जा सकेगी ।

एक ओर बात जो सम्भवत: यहां पूरी तरह संगत न हो परन्तु उस पर चर्चा होनी चाहिए । सड़क परिवहन में बहुत दुर्घटनाएं होती है । ट्रक ड्राइवर पीछे या सामने से आने वाली सवारी को रास्ता नहीं देते और कधी-कभी इतने दाएं चले जात हैं कि दूसरी गाड़ी के लिए रास्ता नहीं रहता और वह खाई में गिर जाती है । अत: इस सम्बन्ध में बड़े कठोर नियम होने चाहिए ।

किसी भी टिकटधारी को दाखिल न करने की व्यवस्था उचित है । यह कहना गलत है कि गरीब लोग पैसा न होने के कारण टिकट नहीं खरीदेंगे अथवा नहीं खरीद सकते । अत: उन्हें इसकी अनुमति दी जाए । ऐसा करने पर 50 प्रतिशत लोग बिना टिकट के ही चलेंगे ।

यह विभाग औद्योगिक विकास विभाग पर जोर डाले कि वह देश भर में सस्ते मूल्य पर टायर ट्यब उपलब्ध कराए जिससे परिवहन सेवाएं सुचारू रूप में चल सकें । ट्रक के एक टायर की कीमत 4,000 से 5,000 रुपये होती है और कभी कभी तो चोरबाजारी में उसके लिए 6,000 रुपये भी देने पड़ते हैं । अत: देश में परिवहन विभाग कैसे चलाया जा सकता है तथा उससे लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है या कोई व्यक्ति, जिसका कोई अपना परिवहन हो वह उससे कैसे लाभ प्राप्त कर सकता है ताकि सामान्य लोगों को भी बढ़ी हुई परिवहन सुविधाओं से लाभ प्राप्त हो सके ?

मझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सुझावों की ओर ध्यान देंगे तथा इन विभाग तथा लोगों के सामने आने वाली कठिनाईयों व लोगों की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मोटर उद्योग बहुत विस्तृत तथा शीघ्र विकसित होने वाला उद्योग है तथा इसके दोनों ही क्षेत्रों यथा सामान परिवहन तथा यात्री परिवहन दोनों में भी वृद्धि हो रही है । यह सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों का एक प्रमुख उद्योग है । इसके बारे में मूल अधिनियम 1939 में बनाया गया था तथा उसके बाद इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं जबकि अन्तिम संशोधन 1976 में किया गया था । अब मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1978 हमारे समक्ष विचाराधीन है ।

मेरा प्रथम निवेदन तो यह है कि इस उद्योग में हो रहे विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये तथा मोटर यान उद्योग के क्षेत्र में हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुये, सरकार को इसके विभिन्न पहलूओं पर विचार करके, इसके बारे में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए जो कि इस उद्योग में होने वाले आधुनिक विकास के साथ मेल खाते हों ।

अब मैं इस अधिनियम की विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्य प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली क्रियान्विति के बारे में कहना चाहता हूं । हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस विधेयक के उपबन्धों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाये । इन प्राधिकरण की वास्तविक स्थिति तो यह है कि उनमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार है । यह सभी जानते है कि यदि किसी

[श्री० के० एन० राजन]

साधारण व्यक्ति को परमिट लेना हो तो उसे प्राधिकरण के प्रत्येक कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा तथा उनकी मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी। यह भी कहा जाता है कि वहां उपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक अधिकारी का मूल्य नया होता है। लोगों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि परिवहन विभाग में पैसा दिये बिना कोई काम नही करवाया जा सकता। जब तक आप सम्पूर्ण संगठन में सुधार करके वहां से भ्रष्टाचार समाप्त नही करते, तब तक मैं नही समझता कि इस अधिनियम के उपबन्धों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है।

चाहे माल परिवहन हो या यात्री परिवहन, उनको चलाने में लाखों लोग लगे हुये हैं, अब जब कि नई तरह के परिवहनों का अविष्कार किया जा चुका है तथा यानों द्वारा ढोये जाने वाले भार तथा यानों की गति में भी वृध्दि हो गई है, मैं समझता हूं कि अब इसके उद्योग में लगें सभी गाडियों के कार्य के घंटे कम करना पूर्णतया न्याय संगत है। परन्तु अब यान में बैठे व्यक्ति को घंटों कार्य करना पड़ता है क्योंकि अब राष्ट्रीय राजपथों पर पहले की अपेक्षा भीड़ अधिक है। क्योंकि उनका कार्य काफी कठिन होता है, अतः उनके कार्य के घंटे कम किये जाने चाहिये।

जहां तक समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण करने का सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही कुछ सदस्यों द्वारा जो यह संदेह व्यक्त किया गया है कि इससे समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग भला कैसे लाभ उठा सकेंगें, मैं ऐसे लोगों के साथ भी सहमत हूं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस क्षेत्र में बेनामी हिसाब किताब न चलने दिया जाये ताकि कमज़ोर वर्ग को उससे लाभ हो सके। एक साधारण मोटर यान पर कम से कम 1 लाख रुपये का पूंजीनिवेश करना पड़ता है। क्या समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए इतना अधिक पूंजीनिवेष कर पाना सम्भव होगा? कई मामलों में सहकारिताओं को प्राथमिकता दी जाती है, इसी प्रकार यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों द्वारा चलाई जा रही सहकारिताओं को यदि प्राथमिकता दी जाये तथा अन्य सुविधाये उपलब्ध करवाई जाये, तभी आरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध कारगर हो सकता है।

ड्राईवर अपनी ट्रकों को तभी कुशल रूप से चला सकते हैं यदि उन्हें नये ट्रकों में प्रयोग किये जा रहे मशीनी उपकरणों की पूरी जानकारी हो। अतः मैं समझता हूं कि ट्रकों तथा बसों के चलाने के लिए अलग अलग लाइसेंसों सम्बन्धी उपबन्ध भी अच्छा उपबन्ध है।

जहां तक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि ड्राईवर के लिए ऐसे कोई अर्हतायें निर्धारित नहीं की जानी चाहिये। यदि ड्राईवर को यान तथा परिवहन सम्बन्धी प्रारम्भिक जानकारी हो और वह पढ़ तथा लिख सकता हो तो, इसे काफी समझा जाना चाहिये। अन्यथा इससे नौकरी में लगे ड्राइवरों तथा ड्राइवर की नौकरी के लिए इच्छुक लोगों को इससे काफी हानि होगी।

मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि जहां तक यान के मालिक या उसे हस्तांतरित करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण से 'अनापति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने सम्बन्ध उपबन्धी का सवाल है, बना रहना चाहिये क्योंकि जब तक यह दर्शाने वाला कोई प्राधिकरण न हो, जिससे पता चले कि उसे हस्तांतरित कर दिया गया है, तो कर्मचारी अपने दावे प्रस्तुत नही कर सकेगें।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक (खजुराहो) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो मोटर यान (संशोधन) विधेयक, यहां पर प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस संशोधन विधेयक में प्रावधान रखा गया है कि हरिजन आदिवासियों के लिए भी बस पर्मिट देने में आरक्षण रहेगा—यह बात बहुत ही स्वागत योग्य है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हुं कि अभी जिस तरह से नौकरियों में हरिजन आदिवासियों को संरक्षण देने की बात है....

सभापति महोदय : मैंने श्री विनायक प्रसाद यादव को बुलाया था परन्तु वह यहां नही हैं। आप कृपया जल्दी अपना भाषण समाप्त कीजिये क्योंकि आप का नाम सूची में सब से आखिर में था।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से नौकरियों में हरिजन आदिवासियों को संरक्षण देने की व्यवस्था है लेकिन चूंकि वे पढ़े लिखे नहीं होते हैं इसलिए रिज़र्वेशन के होते हुए भी उनको उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाते हैं उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस काम के लिए उनकी सोसायटीज़ बनाई जायें और सरकारी तौर पर ऋण देकर उनको सम्पन्न बनाया जाये तभी वे अपनी बसें चला सकेंगे और इस उद्योग में शामिल हो सकेंगे। इस सम्बन्ध में सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि हरिजन आदिवासियों के लिए इस बिल में जो प्रावधान रखा गया है उसका पालन हो सके।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं—हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है—चाहे प्रान्तीय हो या केन्द्र के अधिकारी हों—हमारे यहां जो कानून है कि अधिक सवारियां ले जाने पर उस का चालान किया जा सकता है, उस को दंडित किया जा सकता है—वे उस कानून का पालन नहीं करते। मैंने तो यहां तक देखा है कि ये अधिकारी उन बस-मालिकों के मकानों में जा कर ठहरते हैं और वे लोग ही उनके लिये सब इन्तजाम करते हैं। ऐसी स्थिति में आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि उन अधिकारियों से सही न्याय कैसे मिल सकता है। क्या वे सही देख-रेख रख सकते हैं? इस लिये मेरा निवेदन है कि आप इस चीज़ को देखें—ताकि जो अधिकारी जांच के लिये जायें, वे सही तरीके से काम कर सकें। आज बड़े-बड़े बस मालिकों का कभी चालान नहीं होता, अगर थोड़ा-बहुत दिखाने के लिये चालान करना भी होता है तो कमजोर आदमियों का चालान कर दिया जाता है, लेकिन बड़े मालिकों के लिये कोई रोक-टोक नहीं है।

आज आप देखिये—सब से ज्यादा एक्सीडेन्ट्स ट्रकों के होते हैं—इसका कारण क्या हैं? ये बस और ट्रक मालिक बड़े होशियार होते हैं—ये अपनी गाड़ियों का बीमा करा लेते हैं, जिससे एक्सीडेन्ट्स होने पर उन का कोई नुकसान नहीं होता। एक्सीडेन्ट होने पर उनको तो पैसा मिल ही जायेगा। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे—जिस को एक बार एक्सीडेन्ट होने पर बीमे का पैसा मिल गया है—उस को दोबारा एक्सीडेन्ट होने पर पैसा नहीं मिलना चाहिये। अगर इस तरह का प्रावधान हो जायगा तो आप देखेंगे कि कोई भी ट्रक चलानेवाला तेज रफ्तार से नहीं चलायेगा, क्योंकि उन को यह ख्याल रहेगा कि हमारी 80 हज़ार या एक लाख रुपये की बस है, अगर इस दफ़ा एक्सीडेन्ट हो गया तो इस का पैसा नहीं मिलेगा।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : प्रस्तुत संशोधन से हमें सरकार से उसकी परिवहन नीति सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने का एक सामयिक अवसर प्राप्त हुआ है। ट्रक चालकों में असंतोष है। आज वह हड़ताल पर है और बम्बई में हजारों ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की हड़तालें करने का खतरा बना हुआ है। अन्य बातों के इलावा ट्रक चालकों द्वारा प्रधान मंत्री द्वारा इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने क उल्लेख का विरोध भी किया जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार सदन को विश्वास में लेते हुये यह स्पष्ट कर दे कि क्या वह सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण शीघ्र ही करने जा रही है। सरकार यह स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद ही, हमें विधेयक के कुछ उपबन्धों पर विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था तथा अब से दो मिनट बाद यह समय समाप्त हो जायेगा। यदि सदन की अनुमति हो तो यह समय कुछ बढ़ा दिया जाये।

कुछ सदस्य गण : हां, इसे दो घंटे बढ़ा दीजिये।

सभापति महोदय : नहीं ऐसा करना तो सम्भव नहीं है क्योंकि सभा के समक्ष अभी बहुत अधिक कार्य है। अतः मेरा सुझाव है कि यह समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाये। मंत्री महोदय को उत्तर देने में भी 25 मिनट का समय लगेगा।

श्री के० राममूर्ति : मेरा सुझाव है कि समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : यदि सभी माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो मुझे इसम कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि इस विधेयक सम्बन्धी कुछ संशोधन भी है, अतः कल भी इस पर चर्चा जारी रहेगी।

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए]

श्री चांद राम : कल मैं यहां नहीं होऊंगा।

सभापति महोदय : तो ठीक है, उससे अगले दिन यानि 29 तारीख को इस पर आगे विचार किया जायेगा।

श्री जी० एम० बनतवाला : यह बहुत खेद की बात है कि जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है, उसके बारे में अलग अलग व्यवस्था की गई है। यद्यपि विधेयक के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण करें, परन्तु समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। यह भेदभाव दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत करते समय भी कहा था कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए सद्भावना का केवल दिखावा किया जा रहा है। उन्होंने समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ केवल मनमाने मन से सद्भावना जतलाने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं कि समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए भी परमिट आदि देने के मामले में आरक्षण या प्राथमिकता को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिये। समाज के दोनों वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों में भेदभाव दूर किया जाना चाहिए।

[श्री जी० एम० बनतवाला]

ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि की वैधता के बारे में भी अन्तर किया गया है। इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष तक करने का विचार है। लेकिन वेतनभोगी ड्राइवरों अथवा यातायात वाहनों के ड्राइवरों के सम्बन्ध में यह अवधि तीन वर्ष ही रखी गयी है। इस प्रकार के अन्तर करने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे भय है कि इससे केवल गरीब लोगों अर्थात् वेतनभोगी ड्राइवरों अथवा यातायात वाहनों के ड्राइवरों को ही कठिनाई होगी।

उसके बाद, विधेयक के खण्ड 5 में भी यह व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति निजी वाहनों को वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में चलाना चाहते हैं उन्हें भी उचित लाइसेंस प्राप्त कर लेने चाहिये तथा राज्य सरकारें इसके लिये कुछ पाबंदियां लगा सकती है और नियम बना सकती है। इस विधेयक का यह भी अवांछित उपबन्ध है। मैं नहीं समझ सका हूं कि इस उपबन्ध को क्यों रखा गया है। हम सभी को अपने-अपने अनुभवों से मालूम है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो टैक्सी बैज अथवा टैक्सी ड्राइवर के लाइसेंस का प्रार्थना पत्र देता है, उसका मामला लेते है। आप जानते ही हैं कि टैक्सी बैज अथवा टैक्सी ड्राइविंग ला सेंस जारी करने में कितनी परेशानियां तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस समय इस विशिष्ट मामले में बगैर कुछ स्पष्ट किये हम परेशानियों तथा भ्रष्टाचार के नये द्वार खोल रहे हैं। इसलिये मेरा विचार है, कि जो व्यक्ति निजी वाहनों पर वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में ड्राइविंग करने के उद्देश्य से लाइसेंस लेते हैं उन्हें इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में और परेशान करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं विधेयक के एक और महत्वपूर्ण उपाबन्ध की ओर ध्यान आकर्षित कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं, जिसे इस विधेयक में रखने का विचार है, वह कम से कम शैक्षिक योग्यताओं के बारे में है जिस पर यातायात वाहनों के चलाने के लिये लाइसेंस देते समय जोर दिया जाना चाहिये। अब इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह कम से कम शैक्षिक योग्यता की विशेष शर्त लोगों को तंग करने तथा भेदभाव करने का एक बहाना न बन जाय। मैं अपनी बात को एक ठोस उदाहरण से स्पष्ट कर सकता हूं। बम्बई में अगर कोई व्यक्ति टैक्सी चलाने के वास्ते ड्राइविंग लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र देता है, तो उसको मराठी का उचित ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी विशिष्ट राज्य में किसी विशेष भाषा की जानकारी पर जोर देना भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव है इसलिये जब किसी प्रकार की कम से कम शैक्षिक योग्यतायें आवश्यक होगी तो किसी विशिष्ट भाषा की जानकारी की अपेक्षा से बचा जा सकता है। भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा बम्बई में इस विषय को भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त को भी बताया गया, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः मैं आशा करता हुं कि विधेयक के खंड 8 को कार्यान्वित करते समय, जिसमें राज्य सरकारों को कोई भी कम से कम शैक्षिक योग्यतायें लागू करने का अधिकार दिया गया है उसमें आवश्यक संरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिये ताकि यह देखा जा सके कि भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो।

मुझे आशा है कि अधिनियम को कार्यान्वित करते समय सरकार इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखेगी।

श्री राम मूर्ति (बरेली) : 1939 के मोटर वीहिकल्ज एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। मैं इस का स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा मसला है जिसका इंसानी जिन्दगी से सीधा सम्बन्ध है। आज की दुनिया में हालात बड़ी जल्दी बदल रहे हैं। इस वास्ते इस तरह के जो कानून हैं, जो अधिनियम हैं उन पर भी पुनर्विचार होता रहना चाहिये और समय-समय पर उनमें संशोधन होते रहने चाहिये।

यह अच्छी बात है कि इसमें अनुसूचित जातियों और हरिजन लोगों तथा कमजोर वर्गों के वास्ते रिजर्वेशन की बात कही गई है। लेकिन आपको खयाल रखना चाहिये कि कानून पास करना एक बात है और उस पर अमल कराना दूसरी बात है और यह जो दूसरी बात है यह बड़ी मुश्किल बात होती है और इस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

इस रिजर्वेशन की आज चर्चा है। इसमें यह होगा कि जो इन गरीब लोगों को परमिट मिलेंगे वे अमीर लोग ले लेंगे, पैसे वाले ले लेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि सरकार का जो मंशा है उसकी पूर्ति नहीं होगी। इस वास्ते अगर हम गरीब लोगों की सही मानों में मदद करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि उनको पहले मोटर चलाने की, वीहिकल चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। जब वह उसमें जानकारी कर लें, मशीनरी की भी जानकारी कर लें, तो उनकी को-आपरेटिव बनाई जाये और फिर सरकार व बैंक उनकी पूरी धन मदद करें उनको पैसा दें। इस बात के लिये न छोड़ दिया जाये कि जब अमीर लोग उनको पैसा दें तब वह अपने नाम पर परमिट लें और 100, 100 या 200, 200 रुपया उनको मिल जाये और बाकी का सारा मुनाफा पैसे वालों को मिल जाये और वही लोग वीहीकल चलायें। इसमें रिस्क लेन की बात नहीं है, ऐसी एजेन्सी कायम कर दी जाये जो इन हरिजनों एवं कमजोर लोगों से महीने के महीने मुनाफे से किस्त का रुपया ले लिया करे, इससे उनको सही मायने में फायदा मिल सकता है और उनकी माली हालत संभल सकती है।

जहां तक 500 रुपये जुर्माने की बात है, यह बड़ी रकम है, छोटे सफर पर यह नहीं होनी चाहिये। इतना होना चाहिये कि जहां से बस चलती है और उसका जो टर्मिनस है उसका जितना किराया बनता है, जुर्माना उसका पांचवां गुना होना चाहिये। उनके समरी ट्रायल होने चाहियें, जैसे रेलों में होते हैं और सजा भी होनी चाहिये, इससे लोगों के दिमागों पर ज्यादा असर पड़ेगा और बिना टिकट लोग कम चलेंगे।

इसके अलावा जैसे कानून बना है कि ड्राइवर शराब पीकर नहीं चलेंगे, तो चूंकि देखने-भालने वाली एजेन्सी पुरानी हैं, कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता कि ड्राइवर शराब पीकर चल रहा है या नहीं। इसीलिये एक्सीडैंट होते हैं। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जहां सड़कें जा रही हैं, वहां से शराब की भट्टी बहुत दूर होनी चाहिये वरना लोग वहीं पर अड्डे बना लेते हैं और वह अपने आपको रोक नहीं सकते हैं खूब पीते हैं।

इसके साथ ही जैसे हर मोटर-साइकल या स्कूटर चलाने वाले के लिये हैलमैट पहनना जरूरी है, इसे सारे हिन्दुस्तान में लागू कर देना चाहिये। यह सिर्फ दिल्ली के लिये ही नहीं सब के लिये होना चाहिये। यही नहीं, जो पिलियन या पीछे सीट पर बैठने वाला है, उसके लिये भी हैलमेट पहनना जरूरी होना चाहिये क्योंकि जब कोई एक्सीडैंट होता है तो जो चलाता है उसको ही चोट नहीं लगती है बल्कि पीछे बैठने वाले को भी चोट लग सकती है। इसलिये यह जरूरी है कि इसके लिये मैनडेटरी क्लाज होना चाहिये कि दोनों हैलमेट पहने। मैंने अमरीका में देखा कि वहां पर चलाने वाला और पिलियन राइडर दोनों हैल्मेट पहनते हैं। इसलिये यहां भी यह लाजमी होना चाहिये।

इसके अलावा जब हम बसिज में सफर करने वालों के लिये कुछ सहूलियतें पैदा करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हमारी एजेन्सीज देखें कि लोग ट्रकों पर क्यों बैठ जाते हैं? लोग उन पर इसलिये जाते हैं कि इतने अधिक व्हीकल्स नहीं हैं जितनों की जरूरत है। दिल्ली के शहर में देख लीजिये, कंपीटीशन जरूर होना चाहिये। जब सरकारी गाड़ी बन जाती है, तो उसमें लापरवाही आ जाती है। जब कंपीटीशन की स्पिरिट होती है तो उसको फिकर होती है। इसलिये बड़े व्हीकल्स के साथ छोटे व्हीकल्स भी डाले जाने चाहिये जिन्हें मिनी बस कहते हैं जिससे उनमें थोड़े आदमी बैठें और वह जल्दी से चल सकें।

इत्तिफाक की बात है मैं एक जगह सफर कर रहा था और रेल के फाटक पर रुकना पड़ा। मैंने देखा कि एक थ्री व्हीलर वाला 8 आदमी को बैठाकर चल रहा था। मैंने उतर कर कहा कि क्या करते हो, खतरे की बात है, टायर फट जायेगा तो सबकी मौत हो जायेगी। उसने कहा कि मेरी क्या खता है। मैंने कहा था कि 2 बैठ सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा तीन बैठ जाओ लेकिन यह कहते हैं कि सूर्य अस्त होने का वक्त है, सब को जाना है अगर नहीं गये तो लुट जायेंगे। अगर तुम नहीं बैठाओगे तो स्कूटर चला नहीं पाओगे। इसलिये सब को बैठाना पड़ा और चलाना पड़ा।

हिन्दुस्तान की आबादी बहुत है, मुल्क उत्तर से लेकर दक्षिण तक 32 सौ किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 29 सौ किलोमीटर है। यह एक छोटा-मोटा महाद्वीप बन जाता है, 62 करोड़ की आबादी है। हमारी जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल डाले जायें, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। जो कोई भी व्हीकल डालना चाहता है, उसको परमिट मिलना चाहिये। मेरे अपने जिले में 31 मील का रास्ता है, जिस पर 53 गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन सरकार ने बन्द कर दीं क्योंकि वह इस तरह से चला नहीं सकते थे मुसाफिरों के लिये। मिनी बस चलती थीं, नतीजा यह हुआ कि वह चोरी से पुलिस वालों से मिलकर चलाते थे अब वह बन्द कर दी गई, इसलिये लोग ट्रकों पर बैठ जाते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि सही तरीके से वस्तुस्थिति का जायजा नहीं लिया जाता है, इससे खराबी पैदा हो रही है।

इस बात को ख्याल में रखना चाहिये कि इस मुल्क के अन्दर पहले रेल एक मील की 10 लाख रुपये में पड़ती थी और अब 20 लाख रुपये में पड़ती है। इस कारण रेले प्रचुर मात्रा नहीं बिठाई जा सकती। उसके बरखिलाफ सड़क एक मील 60 हजार के बजाय एक लाख में पड़ती थी, अब दो लाख में पड़ती है। इसलिए हम यह कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनवाएं क्योंकि वही एक माध्यम ऐसा है कि जिस के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आराम मिल सकता है, बसें चल सकती है, थ्री व्हीलर चल सकते हैं, मिनी बसें चल सकती है। और कोई रास्ता नहीं है। आज ऐसे-ऐसे लाके हैं जहां तीस-तीस मील तक न कोई सड़क है न रेल है। आज यह पहला मर्त्तबा है कि जनता पार्टी की सरकार ने 20 करोड़ रुपया इस काम के लिए दिया है। अगले सालों में इस काम के लिए रुपया और बढ़ना चाहिये।

एक और स्कीम पहले चलती थी जिस को रोक दिया गया, उस को भी फिर से चलाना चाहिए। उसके मुताबिक एक करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी तो एक करोड़ प्रदेश की सरकार देती थी और एक करोड़ रुपया गन्ने की

[श्री राम मूर्ति]

सोसाइटियां, फैक्ट्री और गन्ना पैदा करने वाले दिया करते थे। इस तरह से बड़ी सड़कें बनती थीं और मैंने तो अपने यहां इस स्कीम के अंदर बड़ी सड़कें बनवायी हैं। अगर इस स्कीम को फिर से चालू कर दिया जाय तो बहुत से लोग उसमें मददगार होंगे ।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह यह कि जितनी भी हमारी हाइवेज़ हैं उन को तो 30 फुट से कम होना नहीं चाहिए क्योंकि इतनी ट्रैफिक आज के जमानों में हैं और खास तौर से जो ट्रकवाले हैं वह तो बचाना चाहते ही नहीं हैं और उसके कारण जो हलके वेहिकल्स हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है और वह बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं । फिर और गाड़ियां भी चलती हैं, साइकिलें चलती है, घोड़ागाड़ियां चलती हैं। इसलिए हाइवेज़ को तो कम से कम 30 फुट चौड़ा होना ही चाहिए । साथ साथ एक बात और होनी चाहिए कि हर तीस मील पर कोई न कोई पेट्रोल पम्प भी होना चाहिए ताकि वहां पेट्रोल मिल सके। साथ साथ यह भी होना चाहिए कि उसके अंदर पेशाबघर और पाखाना भी होना चाहिए और कोई-छोटा मोटा 'रेस्रां' भी होना चाहिए ताकि लोग चाय भी पी सकें। आज हम अपने यहां 150 मिल के सफर में गजरौल के अंदर आते हैं तो वहां चाय पीने का इंतजाम है। और कही शहर के अंदर से गुजरते हैं तो वहां गाडी खड़ी करने का कोई इंतजाम ही नहीं हैं। तो चाय भी नहीं पी पाते हैं। बहुत से मुल्कों के अंदर यह फायदा है कि हाइवेज के ऊपर बीच बीच में हर तीस मील पर रेस्रां बना होता है, पेट्रोल मिलने की सुविधा होती है, रिपेयर के साधन होते है ....

एक माननीय सदस्य : हरयाने में तो है ।

श्री राम मूर्ति : हरयाने में है तो और जगह भी करें। हरयाने के मंत्री जी हैं, और जगहों के ऊपर भी उन को इस तरह का इंतजाम करना चाहिए ।... **(व्यवधान)**... पैसे का सवाल है तो यह तो कर सकते हैं कि जब पट्रोल पम्प बने तो वहां पाखाना और पेशाबघर भी बन जाये और जब आप इस को एनकेरेज करेंगे तो वहां पर छोटे-मोटे रेस्रां भी बन जाएंगे ताकि लोग वहां चाय तो पी लें जिसकी आज कोई गुंजाईश नहीं है। लोग चाहते है कि यह सहुलियत हो लेकिन वह सहुलियत उनको नहीं मिलती ।

तीसरी एक बहुत जरुरी बात यह है कि आज एयर पोल्यूशन बहुत बढता चला जा रहा है। उस को रोकने के लिए इंतजाम होना बहुत जरुरी है। आज आप फैक्ट्रियों की चिमनियों को तो देखते हैं लेकिन ये हजारों लाखों वेहिकल्स जो चल रही हैं इनकी चिमनियों को नहीं देखते, ये बहुत बड़ा पोल्यूशन कर रही हैं खास तौर से जो मोटर वाले हैं जिन के रिम्स खराब होते हैं वह तो कच्चा ही मोबिल आईल फेकते चले जाते हैं। तो यह कानून होना चाहिए कि हर 6 महीने के बाद मोटर कार के रिम चेक किए जाएंगे । जब तक यह नहीं किया जाएगा तब तक वह बिल्कुल पोल्यूट करते चले जाएंगे शहरों को और गांवों को । इसलिए इस बात की ओर खास तौर से मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ।... **(व्यवधान)**... मैंने कहा कानून बनाने की बात और लेकिन उस को अमल में लाना जरुरी है। आज जो एजेन्सियां इसके लिए मौजूद भी हैं वह सब रूटिन बन गई हैं । कोई और बात आप को सोचनी पड़ेगी और हम लोगों को भी आप मौका देंगे तो हम भी सोच कर बतला सकेंगे कि ऐसी कौनसी एजेंसी निकाली जाय क्योंकि अगर वह नहीं निकालेंगे तो कानून ठीक ढंग से अमल नहीं हो पाएगा।

आखीरी बात एक यह कहना चाहता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को देते वक्त पूरी ड्रिलिंग होनी चाहिए ड्राइवर की, उसको कानून बताना चाहिए ड्राइविंग का, नहीं तो आज क्या होता है कि जहां लाइसेंस मिलता है वहां गए, दो तीन ट्रिप्स उसने अपने काम के लिए लगवाए, कुछ वैसे लगवाए और उसको लाइसेंस बख्श दिया। यह नहीं होना चाहिए । उसको देखना चाहिए बाकायदा कि वह मशीनरी के बारे में जानता है या नहीं जानता है, ड्राइविंग लाइसेंस के उसूल जानता है या नहीं जानता हैं । अकसर हम चले जा रहे हैं, रास्ते में लाइन बन्द है तो हम क्रास करने की कोशिश करते हैं, जो सामने की लाइन खाली है उसके लिए मौका नहीं देते हैं। वह हार्न दे रहा है, लेकिन कोई रास्ता छोड़ना नहीं चाहता और रास्ता छोड़ेगा भी तो यह नहीं करेगा कि गाड़ी की स्पीड मन्दी कर, उसी स्पीड से गाड़ी चलाएगा ताकि पूरी रेस हो जाय । तो येब ड़े खतरे की चीजें होती हैं जिस से ऐक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त पूरी ड्रिलिंग होनी चाहिए, थरो चेकिंग होनी चाहिए, तब उस को लाइसेंस मिलना चाहिए। अगर यह सब काम किए जाएंगे और ये सहुलियतें दी जाएंगी तो मैं समझता हूं कि सफर करने वाले को काफी सहुलियत मिलेगी और ऐक्सीडेंट्स भी कम होंगे तथा इस विधेयक की जो स्पिरिट है वह भी पूरी हो जायेगी।

श्री बी० सी० कांबले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिये मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं, विशेषकर जो हायर परचेज से सम्बन्धित है तथा इसकी अवधि के सम्बन्धित है

जो बढ़ा दी गई है तथा चैयरमेन की नियुक्ति पर विधेयक के खण्ड 20 के अनुसार मैं मंत्री महोदय तथा सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जैसा कि देश में रेलवे लाइनें सीमित रूप में है इसी कारण से सड़क यातायात भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण होगा ।

अतः एक ऐसी स्थिति आयेगी जब सड़क यातायात का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा अगर अब नहीं तो भविष्य में, क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का है । ऐसे कई यात्री हैं जो रेल की अपेक्षा सड़क से यात्रा करना अच्छा समझते । इसलिये सड़क यातायात राष्ट्रीय महत्व का है यह मेरी पहली बात है ।

मेरी दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये लाइसेंस आरक्षण के प्रावधान का स्वागत करते हुए कई भाषण सदन में दिये गये हैं। इसको व्यवहार्य रूप में लागू करने के लिये आशंका व्यक्त की गई है । इस बात के लिये मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के अन्तर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय के बारे में उल्लेख नहीं है । अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां, पिछड़ी जातियां तथा पिछड़े वर्ग ऐसे चार वर्ग हैं जो संविधान में दिये गये हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग का उल्लेख नहीं है । इस प्रकार की धारणा हमारे संविधान के लिये नई है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान में सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़े वर्ग के बारे में उल्लेख है । उनके लिये आप प्रावधान कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि व्यक्त किये गये संदेह से निरूत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा इसको कार्यान्वित कैसे किया जायेगा । मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि इस प्रावधान को लागू करने का साहस उनमें है। इस समय इसको लागू करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले इस प्रावधान के साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये एक विकास निधि भी स्थापित की जानी चाहिये ।

श्री चांद राम : यहां यह कैसे किया जा सकता है ? यह राज्य का विषय है ।

श्री बी० सी० काम्बले : या तो आप ऐसी निधि बनाए या खंड 24 के उपबंधों का उपयोग करते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को लाइसेंस देने में आरक्षण के उपबन्धों को लागू कर सकते हैं ।

तीसरे शैक्षणिक योग्यता पर चर्चा इस कारण हो रही है क्योंकि इसकी गलत व्याख्या की जाने की संभावना है । कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने की बात की जाए शैक्षणिक योग्यता की व्यवस्था न की जाए । यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदेह बनाने के लिए उपबंध किए जाए और वाहनों की संख्या पर्याप्त हों और सड़कें अच्छी हों । आज राजधानी में भी लोग भेड़ बकरियों की तरह बसों में भरे जाते हैं । अतः बसों की संख्या बढ़ाई जाए और सड़कों को चौड़ा किया जाए ।

मैं मंत्री महोदय को किराया खरीद की व्यवस्था करने के लिए बधाई देता हूं । इसका अत्यधिक स्वागत है क्योंकि अनेकों लोगों को धोखा दिया गया है । यदि मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रारों को पीठासीन अधिकारी बना दिया जाए तो अनेकों कठिनाइयों का निराकरण हो जाएगा । एक वकील होने के नाते मुझे पता है कि इस तरह की कितनी अपीलें विचाराधीन पड़ी हैं । यदि इस सम्बन्ध में आवश्यक उपबन्ध किया जाए तो उसका स्वागत होगा । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री दुर्गा चन्द (कांगडा) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल का प्रश्न है—इस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन के लिये मंत्री महोदय की प्रशंसा की जानी चाहिये । इस बिल में उन्होंने शेडयूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इकानामिकली बैकवर्ड क्लासेज के लिये जो व्यवस्था की है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । यह बहुत अच्छी बात है—अगर वे लोग इस से फायदा उठा सके । लेकिन कई सदस्यों ने जो आशंका प्रकट की है—उस पर भी हमें विचार करना चाहिये । कहीं ऐसा न हो कि बैकवर्ड क्लासेज़ को जो परमिट दिये जाये या शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जो परमिट दिये जांय, पैसा न होने के कारण वे लोग एक्सप्लाएट न हो । ऐसा न हो कि दूसरे लोग उस से फायदा उठा लें—इस के लिये कुछ चेक्स-और-बैलेंसेज़ की जरूरत है ।

जहां तक गवर्नमेन्ट ट्रांसपोर्ट का प्रश्न है—नैशनलाइज़ेशन का मकसद यह है कि यह सारा काम सरकार के अधीन होना चाहिये । इस से जनता को भी फायदा होता है और सरकार के खज़ाने में भी पैसा आता है । जहां तक इस पालिसी का ताल्लुक है—पालिसी तो ठीक है, लेकिन इस का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है । आज जितने ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्स हैं, आप मेरे अपने प्रदेश की ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को ही ले लीजिये—हर साल उस में घाटा होता है । मैंने एक दफा हिमाचल की विधान सभा में कहा था—आप नैशनलाइज़ेशन के लिये दलील तो देते हैं कि इस में सर्विसिज़ के लिये

[श्री दुर्गा चन्द]

सिक्योरिटी है, जनता को इस में सुविधा मिलती है, सरकार को पैसा मिलेगा—लेकिन हर साल इन का घाटे का बजट चलता है और लोगों को भी इन से कोई फायदा नहीं होता है। इस में कोई सन्देह नहीं नैशनलाइजेशन जनता के हित में होता है, लेकिन न सरकार को फायदा होता है और न जनता को फायदा होता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि जब तक इस में काम्पीटीशन नहीं होगा, तब तक न जनता को फायदा हो सकता है और न सरकार को। यह जो नैशनालाइजेशन का वन-वे ट्रैफिक है, यह डागमैटिक-एप्रोच जैसा लगता है। इस से फायदा पहुंचनेवाला नहीं है। अगर काम्पीटीशन रहेगा, तो मैं समझता हूं इस से जनता को फायदा होगा। तब वह एफिशियन्ट तरीके से फंक्शन करेगी। वरना जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा--उस के मैनजमेन्ट में इतनी करप्शन आ जाती है कि वह फायदे म चल ही नहीं सकती।

मुझे अभी एक भाई ने बतलाया—यहां दिल्ली का जो बड़ा बस अड्डा है--वहां पर सरकार की तरफ़ से हर तरह की सुविधाओं का इन्तज़ाम किया गया है। फ्लश-सिस्टम की लैट्रीज़ हैं। लैकिन मुझे बताया गया है—वहां हर पैसेन्ज़र से चार आने चार्ज किये जाते है और उस से तीन हज़ार रुपये की आमदनी होती है जो आपस में बांटी जाती है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रोवीज़न नहीं है कि पैसा चार्ज किया जाय, लेकिन फिर भी चाज किया जाता है। न वहां कोई सुपरविज़न है और न मैनेजमेन्ट का कोई कन्ट्रोल है, पैसेन्जर्स लुटे जाते हैं।

इन गाड़ियों में बहुत ज्यादा कन्जशन देखने में आता है। अगर आप दिल्ली के हालात को ही देखे--जो भी यहां की बसों में चढ़ता है उस की जिन्दगी सेफ़ नहीं होती है। दस-दस और बीस-बीस आदमी लटक कर जाते हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि इन में काम्पीटीशन होना चाहिये और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को मौका मिलना चाहिये कि वे काम्पीटीशन में आयें। आप इस के लिये कोई परसेन्टेज मुकर्रर कर सकते हैं, ताकि उस से जनता को भी फायदा पहुंचे और सरकार के खज़ाने में भी पैसा आये तथा गवर्नमेन्ट ट्रांसपोर्ट एफीशियेन्टली फंक्शन कर सके।

सभापति महोदय : यदि सदन सहमत हो तो मंत्री महोदय द्वारा चर्चा का उत्तर देने के लिए ली जाने वाली आधे घंटे की चर्चा का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री ए० आर० बद्री नारायण (शिमोगा) : यह पहले ही आपसे पहले निर्णय लिया जा चुका है कि इस विधेयक पर कल चर्चा चल सकती है।

सभापति महोदय : कल मंत्री यहां नहीं रहेंगे।

श्री के० राममूर्ति : यह अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक नहीं है इसलिए इस की कल या अगले सप्ताह चर्चा हो सकती है।

श्री चांद राम : मैं उत्तर देने में मात्र आधा घंटा ले लूंगा। मेरा अनुरोध है कि सदस्य सहमत हो जाएं।

श्री ए० आर० बद्री नारायण (शिमोगा) : इस पर निणय लिया जा चुका है। अब इस पर सदन का मतदान लेना उचित नहीं।

श्री चांद राम : मैं आधे घंटे की चर्चा के बाद उत्तर दे सकता हूं।

श्री के० राममूर्ति : आधे घंटे की चर्चा को 5.30 बजे लिए जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

सभापति महोदय : सदन अब आधे घंटे की चर्चा करेगा और विधेयक पर चर्चा कल के बाद की जाएगी।

आधे घण्टे की चर्चा

राज्यों द्वारा अधिकतम भूमि-सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन

श्री ए० आर० बद्री नारायण (शिमोगा) : मैं अधिकतम भूमि-सीमा अधिनियम के राज्यों द्वारा लागू करने से सम्बन्धित 20 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर से उठनेवाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चा उठाता हूं। मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर बड़ा ही असंतोषजनक है। मैं आशा करता था कि मंत्री महोदय देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में अर्जित और उपलब्ध फालतू भूमि विस्तृत आंकड़े देंगे। आप सबको ज्ञात है कि यह विधेयक 1976 में सभी शहरी भूमि का समाजीकरण करने के लिए लाया गया था। ग्रामीण भूमि पर भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत

अधिकतम सीमा लगाई जा चुकी है। बहुत से राज्यों में यह किया जा चुका है और लोग उससे संतुष्ट हैं परन्तु नगरों में अभी भी बड़े लोगों, उद्योगपतियों और व्यापारियों के पास बड़ी मात्रा में भूमि पड़ी है। 1976 में यह विधेयक शहरी भूमि का सामाजीकरण कर उस पर गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए लाया गया था। मैंने फालतू जमीन के विस्तृत आंकड़े मांगे थे परन्तु कई राज्यों के सम्बन्ध में ये आंकड़े नहीं मिले हैं। यह जानकारी नहीं मिली है कि अधिनियम के 1976 में लागू होने से अब तक कितनी भूमि अर्जित की गई, वितरित की गई तथा गरीबों के मकान बनाए गए और क्या अधिनियम का उद्देश्य सिद्ध हो गया।

लोगों के मन में इस बात को लेकर बड़ा असंतोष है कि फालतू शहरी भूमि को उस रूप में अर्जित नहीं किया गया जैसी कि अधिनियम में व्यवस्था है। अधिनियम प्रभावकारी ढंग से लागू नही किया गया बल्कि कई अपवादों के द्वारा उसे झुठलाया गया है। इसका परिणाम यही होगा कि अन्त में गरीबो के मकानों के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। इस प्रकार इस अधिनियम को आधे मन लागू किया जा रहा है और चोरबाजार वालों को काला धन लगाने के लिए यह एक कानूनी सोपान बनता जा रहा है। सरकार के कहने के बावजूद मकानों का निर्माण नहीं किया है। इस प्रकार जिस भावना से यह विधेयक लाया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इस कारण लोगों में बड़ी निराशा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अधिनियम का रद्द होना सम्भव है। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसे कठोरता से लागू किया जाए।

गुजरात में केवल 23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया गया, कर्नाटक में यह मात्र 14 हेक्टेर है, महाराष्ट्र में 117 और उत्तर प्रदेश में 65 हेक्टेयर। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? शेष राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमे और अधिक आंकड़े दिलायें।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : माननीय सदस्य की चिन्ता को मैं समझता हूं। परन्तु मैं उन्हें याद दिला दूं कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 252 (झ) के अन्तर्गत पारित किया गया था ; राज्यों को इस आशय का एक संकल्प पारित करना था कि केन्द्र ऐसा अधिनियम पारित करे। इसे लागू करने का भार पूर्णत: राज्यों पर है। केन्द्र का काम मात्र इसमें होनेवाली प्रगति पर नजर रखना है। इसकी केन्द्र को जानकारी राज्यों को भेजनी चाहिए। नजर रखने के लिए एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया जो 2 जनवरी, 1978 तक चली। प्रगति की गति धीमी रही और इस समिति को विघटित कर चार क्षेत्रीय समिति बनाई गईं जिनके सदस्य राज्यों के सचिव हैं और केन्द्रीय सचिव अध्यक्ष। हमें जो जानकारी मिली है उसे समन्वित रूप में मैं सभापटल पर रखने को तैयार हूं। मैं यह नहीं कहता कि इतना सब कुछ ही किया जा सकता था। जिन लोगों के पास अतिरिक्त भूमि है उन्हें उस पर कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाने की अनुमति देना, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा नहीं है। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, इस बारे में केवल एक राज्य से कुछ आंकड़े मिले हैं। राज्य अपनी नीति अपनाने को स्वतंत्र है। कमजोर वर्ग के लिए मकान बनवाने में आर्थिक नीति सम्बन्धी कुछ रुकावटें हैं। इस सम्बन्ध में राज्यों को हम दिशा निर्देश कर रहे हैं। कुछ कमियों और दोषों को दूर करने के लिए मंत्रालय अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। कुछ खामियां अवश्य हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य-वार कितनी फालतू जमीन अर्जित की गई।

दूसरे अधिनियम के अनुसार राज्य द्वारा प्रगति न दिखाने पर केन्द्र क्या कदम उठाएगा? क्या वह उद्देश्य की पूर्ति के लिए और तेजी से काम करन हेतु दिशा निर्देश करेगा?

तमिलनाडु ने अपना अलग विधान बनाया। इस प्रकार क्या राज्य सरकारें अपना अलग विधान बनाएंगी जिससे नगर ही नहीं बल्कि नगरपालिकाओं को भी इसके क्षेत्र में लाया जा सके और अधिक से अधिक भूमि अर्जित की जा सके और बड़े शहरों में गरीबो को बसाया जा सके। अत: क्या केन्द्र अपना विधान बनाने के लिए राज्यों को निर्देश देगा? क्या केन्द्र समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखेगा और राज्यों की गतिविधियों को समन्वित करेगा?

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के पृष्ठ 131 पर यह लिखा गया है कि फालतू घोषित की गई 20 लाख हेक्टेयर भूमि में से कठिनाई से 25 प्रतिशत भूमि वितरित की गई है और उसमें से भी केवल एक तिहाई अनुसूचित जातियों और जन जातियों को मिली है। इसका क्या कारण है? वास्तविक लोगों को यह भूमि क्यों नहीं दी गई?

मैं श्री सिकन्दर बख्त से जानना चाहता हूं कि नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, जो श्रीमती गांधी का एक मजाक था और उसके पीछे पवित्र उद्देश्य नहीं था, को लागू किसे प्रकार किया गया? सरकार ने अब तक कितनी भूमि अर्जित की है?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह अधिनियम राज्यों की ओर से पास किया गया था । तमिलनाडु सरकार ने अपना अधिनियम पास किया है । वे ऐसा कर सकते हैं ।

अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए और संशोधनों पर मंत्रालय विचार कर रहा है । इसके लिए कोई समय नहीं रखा गया है ।

हम प्रगति पर समय-समय पर नजर रखते हैं और जो सूचना मिलती है उसे समन्वित करते हैं । इस चर्चा के बाद मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा जिसे सदस्यों में बांटा जा सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसू के प्रश्न के सम्बन्ध में मूल प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 278.61 हेक्टेयर भूमि सरकार अपने हाथ में ले चुकी है परन्तु केवल महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध आंकड़े दिए हैं । वह भूमि 32.24 हेक्टेयर है ।

श्री ज्योतिर्मय बसू : अतः आज सिद्ध हो गया कि यह सब एक मजाक मात्र है ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 नवम्बर, 1978/7 अग्रहायण, 1900 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

म०स०मु०ना०—से5—471 लोक सभा (एन०डी०)/78—13-2-79—210